हिमाचल प्रदेश सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21

सुरक्षित जीवन, संरक्षित आजीविका

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण

2020-21

आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग

हिमाचल प्रदेश

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण, पिछले 12 महीनों में राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास की समीक्षा करता है। यह लघु से मध्यम अवधि के लिए अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है और राज्य सरकार की नीतिगत पहलों को उजागर करने के अतिरिक्त प्रमुख विकास कार्यक्रमों के प्रदर्शन को सारांशित करता है। यह दस्तावेज बजट सत्र के दौरान विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

पिछले वर्षों की तरह, **आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21** को दो भागों में प्रस्तुत किया गया है। भाग–I में सरकारी विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को शामिल किया गया है और भाग– II संबंधित डेटा–सेट प्रदान करता है।

इस वर्ष के "**कोविड़–19 इम्पैक्ट ऑन हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी एंड स्टेटस रिस्पोंस**" नामित अध्याय में सरकार द्वारा महामारी से निपटने और लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए की गई पहलों का उल्लेख है। कोविड–19 के सदंर्भ में हिमाचल की पहल को राष्ट्रव्यापी प्रशंसा मिली है। हिमाचल ने देश को प्रशासनिक हस्ताक्षेप की शक्ति दिखाई है और संकट के लिए मानवीय प्रतिक्रिया का उदाहरण दिया है।

वर्षों से आर्थिक सर्वेक्षण ने विश्वसनीयता हासिल की है क्योंकि हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित विषयों में रुचि रखने वाले सभी लोगों को साधारण प्रयास से ही सम्पूर्ण जानकारी की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रायः इच्छुक पाठकों के सभी वर्गों, छात्रों से लेकर नीति निर्माताओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण न केवल एक शैक्षणिक स्रोत है, बल्कि विश्लेषित आकड़ों और नीतियों पर विचारों के लिए भी इसकी सराहना की जाती है। सर्वेक्षण उन सभी के लिए एक संदर्भ पुस्तक भी बन गया है जो राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार उन पाठकों के लाभ के लिए कार्यकारी सारांश भी शामिल किया गया है, जो प्रथम दृष्टि में ही इसे विस्तृत रुप में समझना चाहते हैं।

डेटा संग्रह एक बहुत बड़ा काम है, जिसे केवल सरकारी विभागों के पूर्ण सहयोग से ही व्यवस्थित किया जा सकता है। मैं सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग के प्रमुखों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सूचना की आपूर्ति हेतु धन्यवाद देता हूं।

मैं डॉ. अक्षई रुंचल (विश्लेषणात्मक और कम्प्यूटेशनल रिसर्च, के संस्थापक और अध्यक्ष) के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दस्तावेज को अधिक समृद्ध और मूल्यवान बनाने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान किया।

मैं आर्थिक सलाहकार, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग और उनकी पूरी टीम को उनके अथक परिश्रम व तय समय सीमा में इस कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रशंसा करना चाहुंगा।

(प्रबोध सक्सेना), आई.ए.एस.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त, आर्थिक एवं साख्यिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

आभारोक्ति

आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 परस्पर सहयोग और मिल जुलकर किए गए प्रयासों का परिणाम हैं। मैं श्री प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव और श्री अक्षय सूद, सचिव (वित्त, अर्थ एवं सांख्यिकी) हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रति उनके निरन्तर सहयोग, प्रेरणा तथा उच्च मूल्य नेतृत्व के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। जिनके वास्तविक प्रयास और मार्गदर्शन से ही इस विशाल कार्य को समय परिपूर्ण करने के लिए पूरी टीम को प्रोत्साहन मिला।

मैं श्री राकेश कंवर, विशेष सचिव (वित्त) के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस सर्वेक्षण को तैयार करने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान किया है।

मैं सम्बन्धित विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने और निरन्तर सहयोग के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहुंगा। उनसे प्राप्त सूचना से इस आर्थिक सर्वेक्षण को अन्तिम रुप देने में बहुत सहायता हुई और यह सर्वेक्षण उनके मुल्यवान समय, योगदान से धन्य हुआ।

यह सर्वेक्षण जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मुल्यवान टिप्पणियों और प्रदान की गई जानकारियों से लाभान्वित हुआ उनमें अनुपम शर्मा, चन्द्र मोहन शर्मा, बी.एस. बिष्ट, सुकीन दड़ोच, कुलविन्दर सिंह, सुरेश वर्मा, घनश्याम शर्मा, अलका ठाकुर, योग राज गार्गे, मृदुला सक्सेना, राकेश कुमार–I, अश्वनी कुमार, हरमिन्दर सिंह, रमा गुप्ता, राकेश कुमार–II, संजय शर्मा, गीतांजलि शर्मा, और युबन्त लाल शामिल हैं।

प्रशासनिक सहायता उग्र सैन, आलौकिक शर्मा, लीला चौहान, धर्मेन्द्र और कुम्भ दास द्वारा प्रदान की।

मैं हिमाचल प्रदेश प्रिटिंग प्रैस का भी आभारी हूं जिसने सर्वेक्षण को अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण में निर्धारित समय सीमा में प्रकाशित करने का कार्य किया है।

मैं डॉ. अक्षई रुंचल (विश्लेषणात्मक और कम्प्यूटेशनल रिसर्च, के संस्थापक और अध्यक्ष) के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस दस्तावेज का सम्पादकीय कार्य किया जिससे यह सर्वेक्षण और अधिक समृद्ध और मूल्यवान बना।

मुझे आशा है कि यह सर्वेक्षण नीति निर्माताओं और योजनाकारों को आज के तीव्र गति से बदलते विकास परिवेश के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा।

अन्त में, आर्थिक सर्वेक्षण कार्य से जुड़े सभी व्यक्तियों के परिजनों के प्रति आभार व्यक्त करता हुं, जिन्होंने इस कार्य के दौरान असीम धैर्य और उदारता का परिचय तो दिया ही, साथ ही इस सर्वेक्षण को तैयार करने में अपना निरंतर भावनात्मक सहयोग एवं प्रोत्साहन भी प्रदान किया। आर्थिक सर्वेक्षण में समर्पित सहयोगियों के लिए निःसन्देह उनके परिवार शक्ति के मूक स्तम्भ रहे है।

नीति निर्माता, योजनाकार, शिक्षाविद्ध और विद्यार्थी इस सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं जिनकी सुविधा के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इस प्रकाशन को http://himachalservices.nic.in/economics/in. पर उपलब्ध करवाया गया है। इस सर्वेक्षण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए बहुमूल्य टिप्पणियां/सुझाव भी आमंत्रित करता हूं जोकि सराहनीय होगें।

(डा. विनोद कुमार राणा)
आर्थिक सलाहकार,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

विषय–सूची

अध्याय सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
	प्रस्तावना	
1	**आभारोक्ति**	
	परिवर्णी शब्द	
	कार्यकारी सारांश	i-vii
	सामान्य समीक्षा	**1–9**
	दीर्घकालीन दृष्टिकोण	**1**
	अवलोकन : भारतीय अर्थव्यवस्था	**1**
	अवलोकन : हिमाचल प्रदेश अर्थव्यवस्था	**3**
2	**राज्य की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त व कराधान**	**10–23**
	राज्य की अर्थव्यवस्था	**10**
	स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान	**10**
	प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान	**13**
	प्रति व्यक्ति आय	**14**
	संभावनाएं– 2020–21	**14**
	सार्वजनिक वित्त एवं कराधान	**15**
	राजकोषीय स्थिति और मापदण्ड	**16**
	राजकोषीय संकेतक की प्रवृत्ति	**19**
	राजस्व व्यय की संरचना	**20**
3	**कोविड–19 का हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और राज्य द्वारा किए गए प्रयास**	**24–35**
	कोविड–19 का राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	**26**
	कोविड –19 से निपटने के लिए राज्य की पहल	**30**
	राज्य सरकार द्वारा संसाधन जुटाना	**32**
	राज्य सरकार द्वारा तत्काल राहत	**33**
	प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत	**35**
4	**सतत विकास लक्ष्य तथा सुशासन के लिए पहल**	**36–44**
	परिचय	**36**
	सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, समय सीमा	**38**
	जिला सुशासन सूचकांक	**42**
	जीवनयापन में सुगमता	**43**
5	**संस्थागत एवं बैंक वित्त**	**45–57**
	परिचय	**45**
	वित्तीय समावेशन पहल	**47**
	वार्षिक जमा योजना 2020–21 के अन्तर्गत प्रदर्शन	**51**
	सरकारी प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन	**51**

	नाबार्ड	**53**
	कृषक उत्पादन संगठन का प्रचार	**56**
	नाबार्ड की परामर्श सेवाएं,	**57**
6	**मूल्य संचलन और खाद्य प्रबंधन**	**58–76**
	परिचय	**58**
	मुद्रास्फीति में वर्तमान रुझान	**59**
	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) मुद्रास्फीति में विभिन्न समूहों का अंशदान	**61**
	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) मुद्रास्फीति में विभिन्न समूहों का अंशदान व संचालक	**62**
	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	**62**
	थोक मूल्य सूचकांक	**64**
	थोक मुद्रास्फीति के चालक	**67**
	खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति	**71**
	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	**74**
	राज्य के जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में खाद्य व्यवस्था	**74**
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन	**76**
7	**कृषि, बागवानी और संबद्ध सेवाएँ**	**77–111**
	परिचय	**77**
	मानसून 2020	**78**
	फसल निष्पादन 2019–20	**79**
	फसल संभावनाएं 2020–21	**79**
	बागवानी	**88**
	हिमाचल प्रदेश विपणन निगम	**92**
	पशुपालन और डेयरी	**94**
	मिल्कफेड के नवाचार	**100**
	मत्स्य एवं जलचर पालन	**102**
	वन	**105**
	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना,	**108**
	कृषि और सम्बन्ध क्षेत्रों का अवलोकन	**111**
8	**जल संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण**	**112–116**
	पीने का पानी	**112**
	सिंचाई	**112**
	पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	**114**
	राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ	**114**
	राज्य स्तरीय पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार	**115**
9	**उद्योग और खनन**	**117–121**
	परिचय	**117**
	औद्योगिकरण की स्तिथि	**118**

	औद्योगिक क्षेत्र का रूझान	**118**
	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना	**119**
	खनन	**120**
	व्यापार करने में सुगमता	**120**
	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	**120**
10	**श्रम और रोजगार**	**122–136**
	रोजगार	**122**
	भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार	**124**
	रोजगार परिदृश्यः हिमाचल प्रदेश, पड़ोसी राज्य और भारत	**125**
	हिमाचल प्रदेश में लेबर फोस	**126**
	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	**132**
11	**ऊर्जा**	**137–145**
	परिचय	**137**
	सौर ऊर्जा परियोजनाएं,	**141**
	हिमऊर्जा	**143**
	महत्वपूर्ण नीतिगत पहल	**145**
12	**पर्यटन और परिवहन**	**146–153**
	पर्यटन	**146**
	हिमाचल प्रदेश में सतत पर्यटन	**148**
	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	**148**
	सड़कें तथा पुल	**149**
	जल परिवहन	**152**
13	**सामाजिक क्षेत्र**	**154–181**
	शिक्षा	**154**
	प्राथमिक शिक्षा	**156**
	प्राथमिक शिक्षा के लिए, राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं,	**156**
	हर घर पाठशाला	**157**
	वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा	**158**
	उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए, राज्य/केन्द्रीय प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं, 2019–20	**159**
	संस्कृत शिक्षा का प्रचार	**161**
	सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा	**162**
	तकनीकी शिक्षा	**165**
	कोविड–19 के दौरान की गई पहल	**166**
	स्वास्थ्य	**167**
	राज्य में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रम	**168**
	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	**169**
	आयुष	**170**
	कोविड –19 महामारी का प्रबन्धन	**172**

	समाज कल्याण कार्यक्रम	**176**
	अनुसूचित जाति/जन–जाति पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण	**177**
	हिमाचल प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र के खर्च के प्रवाह	**180**
14	**ग्रामीण विकास और पंचायती राज**	**182–190**
	ग्रामीण विकास	**182**
	पंचायती राज	**189**
15	**आवास और शहरी विकास**	**191–197**
	आवास	**191**
	हिमुडा की पहल	**191**
	शहरी विकास	**191**
	नगर एवं ग्राम योजना	**195**
	रियल इस्टेट नियामक अधिनियम	**196**
	भवन निर्माण लागत सूचकांक	**197**
16	**सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी**	**198–203**
	हिमस्वान	**198**
	नीतिगत पहल	**202**

परिवर्णी शब्द

ए.एम.आर.यू.टी.	कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन
ए.एस.एच.ए.	अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य गतिविधियां
ए.एस.ई.आर.	वार्षिक स्थिति शिक्षा रिपोर्ट
ए.एस.सी.ए.डी.	सहायता राज्यों को पशु रोगों के नियंत्रण के लिए
ए.ए.वी.	अटल आदर्श विद्यालय
ए.ए.वी.वाई.	अटल आदर्श विद्यालय योजना
ए.ए.वाई.	अन्तोदय अन्न योजना
ए.एफ.	अनुकूलन कोष
ए.एफ.एम.सी.	सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज
ए.एन.एम.	सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी
ए.एन.सी.	एंटीनेटल केयर
एम.एम.एस.एस.	मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प
एम.एम.एस.ए.जी.वाई.	मुख्य शहरी अजीविका गारंटी योजना
एम.एम.ए.वाई.	मुख्यमन्त्री आवास योजना
एम.एस.एम.ई.	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम
एम.एससी.	विज्ञान के मास्टर
एम.एस.सी.	मल्टी सर्विस सेंटर
एम.एस.डब्ल्यू.एम.	नगर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन
एम.एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एम.एन.आर.ई.	मंत्रालय नई और नवीकरणीय ऊर्जा
एम.एल.एस.एम.	महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज
एम.यू.	मिलियन यूनिट
एम.बी.बी.एस .	बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी
एम.पी.पी.	बहुउद्देशीय बिजली परियोजना
एम.सी.सी.	मॉडल कैरियर सेंटर
एम.डब्ल्यू.	मेगावाट
एम.डी.एस.	डेंटल सर्जरी के मास्टर
एम.डी.जी.	सहस्राब्दि विकास लक्ष्य
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एम.टी.	मीट्रिक टन
एम.आई.एस.	मार्केट इंटरवेंशन स्कीम
एम.आई.डी.एच.	बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन
एम.आई.जी.	मध्य आय समूह
एम.आर.आई.	चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग
एम.ओ.एस.पी.आई.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एम.ओ.एच.यू.ए.	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
एम.ओ.ई.एफ.और सी.सी.	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओ.पी.आर.	पंचायती राज मंत्रालय
एम.ओ.आर.डी.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एम.ओ.आर.टी.एच.	सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय
ए.पी.एल.	गरीबी रेखा से ऊपर
ए.पी.ई.डी.ए.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
ए.पी.वाई.	अटल पेंशन योजना

एस.एम.एस.	लघु संदेश सेवा
एस.ए.पी.सी.सी.	राज्य जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना
एस.एस.सी.	कर्मचारी चयन आयोग
एस.एस.सी.एल.	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड
एस.एस.ओ	सिंगल साइन ऑन
एस.एच.एम.	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
एस.एच.जी.	स्वयं सहायता समूह
एस.ए.जी.वाई.	सांसद आदर्श ग्राम योजना
एस.एल.ए.	सेवा–स्तर की सहमति
एस.एल.बी.एस.जी.एम.सी.	श्री लाल बहादुर शास्त्री सरकारी मेडिकल कॉलेज
एस.एल.बी.सी.	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
एस.यू.आई.एस.	स्टैंड अप इंडिया योजना
एस.ई.पी.	स्व रोजगार कार्यक्रम
एस.ई.सी.सी.	सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना
एस.बी.एम.	स्वच्छ भारत मिशन
ए.सी.	एयर कंडीशनिंग
ए.सी.एफ.	सक्रिय मामला ढूंढना
एस.पी.एम.आर.एम.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन
एस.पी.एस.यू.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई
एस.पी.वी.	विशेष प्रयोजन वाहन
एस.सी.	अनुसूचित जाति
एस.सी.एम.	स्मार्ट सिटी मिशन
एस.सी.ए.डी.ए.	सीवरेज पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण
एस.सी.ई.आर.टी.	स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग
एस.सी.डी.पी.	अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम
एस.सी.ओ.डी.	अनुसूचित वाणिज्यिक परिचालन तिथि
एस.डी.ए.	राज्य नामित एजेंसी
एस.डी.जी.	सतत विकास लक्ष्य
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष
एस.जे.एस.वाईं	स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना
एस.जे.वी.एन.एल.	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
एस.टी.	शॉट टर्म
एस.टी.	अनुसूचित जन–जाति
एस.टी.यू.	राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता
एस.टी.पी.आई.	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया
एस.टी.डी.	मानक
एस.टी.आई.	यौन संचारित
एस.टी.आर.आई.वी.ई.	मजबूत औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए मजबूत कौशल
एस.आर.ई.	दूसरा संशोधित अनुमान
एस.ओ.पी.	स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर
ए.आई.डी.एस.	एक्वायर्ड इम्युनो डैफीसिएन्सी सिंड्रोम
ए.डी.बी.	एशियाई विकास बैंक
ए.वाई.यू.एस.एच.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
एच.एम.आई.एस.	अस्पताल प्रबन्धन सूचना प्रणाली
एच.ई.पी.	हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
एच.क्यू.	मुख्यालय
एच.पी.एम.सी.	हिमाचल प्रदेश विपणन निगम

एच.पी.एस.ई.बी.एल.	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटिड
एच.पी.एस.सी.एस.सी.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
एच.पी.एस.सी.बी.	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक
एच.पी.एस.डी.एम.ए.	हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
एच.पी.एस.डी.पी.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना
एच.पी.एस.डी.सी.	हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर
एच.पी.एस.आर.एल.एम.	हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
एच.पी.एच.डी.पी.	हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना
एच.पी.यू.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
एच.पी.बी.एस.ई.	हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन
एच.पी.के.वी.एन.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम
एच.पी.पी.सी.एल.	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एच.पी.पी.टी.सी.एल.	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एच.पी.जी.बी.	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
एच.पी.जी.डी.सी.	हिमाचल प्रदेश सरकार डिग्री कॉलेज
एच.पी.टी.डी.सी.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम
एच.डब्ल्यू.सी.	स्वास्थ्य कल्याण केंद्र
एच.वाई.वी.पी.	उच्च उपज विविधता कार्यक्रम
एच.टी.	अधिक वोल्टेज
एच.आई.पी.ए.	हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान
एच.आई.वी.	मानव ईम्यूनो वायरस
एच.आर.जी.	हिमालयन रिसर्च ग्रुप
एच.आर.टी.सी.	हिमाचल सड़क परिवहन निगम
एफ.एस.पी.एफ.	फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड
एफ.एच.टी.सी.	कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन
एफ.एल.सी.	वित्तीय साक्षरता केंद्र
एफ.पी.एफ.	फूड प्रोसैसिंग फंड
एफ.पी.पी.	खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र
एफ.पी.ओ.	किसान उत्पादक संगठन
एफ.आई.	वित्तीय संस्थान
एफ.आर.ई.	पहले संशोधित अनुमान
ए.जी.सी.	सेब के रस का मिश्रण
एन.ए.ए.सी.	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद
एन.ए.एफ.सी.सी.	जलवायू परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष
एन.ए.बी.ए.आर.डी.	नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवेल्पमेंट
एन.ए.बी.सी.ओ.एन.एस.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज
एन.एम.ए.ई.टी.	कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन
एन.एम.एस.ए.	स्थायी कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन
एन.एम.एस.एच.ई.	हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन
एन.एम.एच.एस.	नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज
एन.एस.एस.ओ.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
एन.एस.क्यू.एफ.	राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क
एन.ए.सी.एच.	नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस
एन.एस.ओ.	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
एन.एफ.एस.ए.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एन.एफ.एस.एम.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एन.ए.आई.एस	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

एन.एल.एम.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन
एन.यू.एल.एम.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
एन.ई.ई.टी.	राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
एन.ई.जी.पी.	राष्ट्रीय ई–शासन योजना
एन.सी.ई.आर.टी.	नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग
एन.सी.डी.	गैर संचारी रोग
एन.डब्ल्यू.सी.एम.पी.	राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण और प्रबन्धन कार्यक्रम
एन.डी.ए.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी
एन.टी.एफ.पी.	नॉन–टिम्बर वन उत्पाद
एन.आई.एस.एच.टी.एच.ए.	स्कूल के प्रमुखों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल समग्र पर्यावरण
एन.आई.एफ.टी.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी
एन.आई.ई.	राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई
एन.आई.वी.	राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान
एन.आई.टी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एन.आर.एल.एम.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एन.आर.यू.एम	राष्ट्रीय रुर्बन मिशन
एन.ओ.सी.	अनापत्ति प्रमाण पत्र
ए.टी.एच.यू.	एंटी हयूमन ट्रैफिकिंग इकाईयां
ए.आई.सी.टी.ई.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
ए.आई.आई.एम.एस.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ए.आर.टी.	एंटी रेट्रोवायरल उपचार
एल.एण्ड एम.	लार्ज एण्ड मीडियम
एल.एम.के.	लोक मित्र केंद्र
एल.एफ.पी.आर.	श्रम बल भागीदारी दर
एल.पी.सी.डी.	लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
एल.पी.डी.	प्रति दिन लीटर
एल.पी.डी.	प्रकाश शक्ति घनत्व
एल.टी.	कम वोल्टेज
एल.आई.जी.	निम्न आय वर्ग
एल.आई.टी.	कम इनपुट प्रौद्योगिकी
यू.एन.एफ.सी.सी.	यूनाइटिड नेशन जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन का फ्रेमवर्क
यू.एन.ई.एस.सी.ओ.	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय निकाय
यू.पी.एस.सी.	संघ लोक सेवा आयोग
यू.पी.एच.सी.	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
यू.डी.ए.एन.	उडे देश का आम नागरिक
यू.टी.	केन्द्र शासित प्रदेश
यू.आर.	बेरोजगारी दर
ई–पी.टी.एम.	इलेक्ट्रॉनिक– पेरेंट टीचर मीटिंग
ई.एस.आई.	कर्मचारी राज्य बीमा
ई.सी.	ऊर्जा संरक्षण
ई.डब्ल्यू.एस.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों
ई.डी.पी.	इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग
ई.आर.पी.	एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग
ई.ओ.सी.	आपातकालीन संचालन केन्द्र
ई.ओ.डी.बी.	ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
बी–फार्मेसी	फार्मेसी में स्नातक

बी.एफ.एस.आई.	बैंकिंग वित्तीय सेवाएँ और बीमा
बी.ई.	बजट का अनुमान
बी.पी.एल.	गरीबी रेखा से नीचे
बी.सी.आर.एल.आई.पी.	जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना
बी.वोक.	बैचलर ऑफ वोकेशन
बी.ए.एम.एस.	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी
बी.एस.बी.डी.ए.	बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट
बी.एस.सी.	विज्ञान स्नातक
बी.ई.आर.ए.	ब्रेनस्टेम श्रवण प्रतिक्रियाएं
बी.सी.सी.आई.	भवन निर्माण लागत सूचकांक
बी.डी.एस.	बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी
क्यू.आर.	त्वरित प्रतिक्रिया
के. डब्ल्यू.	किलोवाट
के.एस.वाई.	कृषि से सम्पन्न योगना
के.एफ.डब्ल्यू. / ए.एफ.डी.	फ्रांसीसी विकास एजेंसी
के.एन.एच.	कमला नेहरू अस्पताल
के.सी.सी.	किसान क्रेडिट कार्ड
के.सी.सी.बी.	कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक
के.वी.आई.सी.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
के.जी.	बालवाड़ी
एच.आई.एम.एस.डब्ल्यू.ए.एन. (हिमस्वान)	हिमाचल प्रदेश वाइड एरिया नेटवर्क
पी.ए.	प्रति वर्ष
पी.एम.एफ.एम.एफ.पी.ई.	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकता
पी.एम.के.एस.वाई.	प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना
पी.एम.के.एस.वाई और पी.डी.एम.सी.	प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना–प्रति बूंद अधिक फसल
पी.एम.के.वी.वाई.	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पी.एस.एम.पी.	पावर सिस्टम मास्टर प्लान
पी.एच.डी.	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
पी.एल.एफ.एस.	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पी.यू.	आनुपातिक बेरोजगार
पी.के.वी.वाई.	परम्परागत कृषि विकास योजना
पी.पी.पी.	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
पी.डब्ल्यू.डी.	दिव्यांगता
पी.जी.	पोस्ट ग्रेजुएशन
पी.एम.एम.वाई.	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पी.एम.एस.बी.वाई.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पी.एम.एस.वी.ए.निधि	प्रधानमन्त्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि
पी.एम.ए.वाई.–जी.	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
पी.एम.ई.जी.पी.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पी.एम.जे.ए.वाई.	प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना
पी.एम.जे.डी.वाई.	प्रधानमंत्री जन धन योजना
पी.एम.जे.जे.बी.वाई.	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पी.एस.ए.	दबाव स्विंग सोखना
पी.ए.सी.	पब्लिक एफेयर्स सेन्टर
पी.ए.सी.एस.	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ

पी.एस.वीज.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पी.एच.सी.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
पी.ई.एस.ए.	पंचायतें (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार)
पी.ई.क्यू.	पोस्ट–एंट्री संगरोध
पी.पी.ई.	व्यक्तिगत संरक्षित उपकरण
पी.सी.आई.	प्रति व्यक्ति आय
पी.सी.आर.	पॉलिमरेज चेन रिएक्शन
पी.आर.पी.	पेशेवर संसाधन व्यक्ति
पी.आर.आई.एज.	पंचायती राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर
सी.ए.एम.पी.ए.	कॉम्पेन्सेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी
सी.ए.एफ.आर.आई.	जलवायु अनुकूलन और ग्रामीण भारत में वित्त
सी.ए.डी.	कमांड क्षेत्र विकास
सी.एन.जी.	संपीड़ित प्राकृतिक गैस
सी.एल.ए.टी.	कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट
सी.एल.सी.	शहरी आजीविका केंद्र
सी.ई.आर.	कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी
सी.पी.एस.यू.	सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट
सी.पी.आर.	कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स
सी.सी.टी.वी.	बंद सर्किट टेलीविजन
सी.डब्ल्यू.एस.एन.	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
सी.टी. स्कैन.	कम्प्यूटरीकृत टोमोग्राफी स्कैन
सी.आई.पी.ई.टी.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
सी.ओ.ई.	उत्कृष्टता केंद्र
सी.ए.	नियन्त्रित वातावरण
सी.एस.सीज.	कॉमन सर्विस सेंटर
सी.एच.सी.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सी.एल.एस.एस.	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना
सी.एल.एफ.	क्लस्टर स्तर के संघ
सी.बी.–एन.ए.ए.टी.	कार्टरिज वेस्ड न्यूक्लिक एसिड एवं एम्लीफिकेशन टेस्ट
सी.बी.सीटी.	कॉन बीम सीटी
सी.पी.एच.ई.ई.ओ.	केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन
सी.पी.आई.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सी.पी.आई–सी.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–संयुक्त
सी.पी.आई.–आई.डब्ल्यू.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक
सी.डी.आर.	साख जमा अनुपात
सी.आई.एफ.	सामुदायिक निवेश कोष
सी.आर.पी.	सामुदायिक संसाधन व्यक्ति
सी.ओ.वी.आई.डी.	कोरोना वायरस रोग
डब्ल्यू.पी.आई.	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यू.पी.आर.	श्रमिक भागीदारी दर
डब्ल्यू.पी.आर.	श्रमिक जनसंख्या अनुपात
डब्ल्यू.डी.सी.–पी.एम.के.एस.वाई.	प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (वाटरशेड विकास घटक)
डब्ल्यू.आई.एफ.	वेयरहाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड
डी–फार्मेसी	फार्मेसी में डॉक्टर
डी.एस.ए.	डिजिटल सवट्रेक्शन एंजियोग्राफी
डी.एस.सी.एल.	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड
डी.ए.वाई.–एन.यू.एल.एम.	दीन दयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम.	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डी.एन.बी.	डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड
डी./सी.	डायरेक्ट करंट
डी.ई.ए.	आर्थिक मामलों के विभाग
डी.ई.डी.एस.	डेयरी उद्यमिता विकास योजना
डी.बी.टी.	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डी.डी.यू.जी.जे.वाई.	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
डी.जी.जी.आई.	जिला सुशासन सूचकांक
डी.टी.एस.	ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल
डी.आई.टी.–एच.पी.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश
डी.आर.	डिजास्टर रिकवरी
डी.आर.–टी.बी.	ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस
डी.आर.डी.ए.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
डी.ओ.एच.ई.	उच्च शिक्षा निदेशालय
डी.ओ.ई.	ऊर्जा विभाग
वाई.एस.पी.जी.एम.सी.	डॉ. यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
वी.एस.ए.टी.	वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल
वी.बी.डी.	स्वैच्छिक रक्तदान
वी.पी.एन.	वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
वी.सी.सी.	सतर्कता शिकायत निगरानी प्रणाली
वी.डी.आर.एल.	वैनरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी
वी.ओएस.	ग्राम संगठन
जी.एस.वी.ए.	सकल राज्य मूल्य जोड़ा
जी.ई.सी.	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
जी.ओ.एच.पी.	हिमाचल प्रदेश सरकार
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जी.एस.वी.ए.	सकल राज्य मूल्य जोड़
जी.एन.एम.	जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी
जी.2बी.	सरकार से व्यवसाय
जी.2सी.	सरकार से नागरिक
जी.2जी.	सरकार से सरकार
जी.डी.पी.	सकल घरेलु उत्पाद
जी.वी.ए.	सकल मूल्य जोड़
जे.एल.एन.जी.एम.सी.	जवाहर लाल नेहरू सरकारी मेडिकल कॉलेज
जे.आई.सी.ए.	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी
जे.एच.	आंचलिक अस्पताल
जे.ई.ई.	संयुक्त प्रवेश परीक्षा
जे.सी.सी.बी.	जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक
जे.जे.एम.	जल जीवन मिशन
टी.एम.टी.	ट्रेडमिल टेस्ट
टी.ए.डी.पी.	जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
टी.ई.क्यू.आई.पी.	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
टी.बी.	क्षय रोग
टी.पी.डी.एस.	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
टी.सी.पी.	टाउन एंड कंट्री प्लानिंग
टी.ओ.आर.	रिटर्न की शर्तें
आई.एम.एफ.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

आई.एस.एम.	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स
आई.यू.डी.	गर्भनिरोधक उपकरण
आई.ई.सी.	सूचना शिक्षा और संचार
आई.पी.पी.पी.	इनोवेटिव पोल्ट्री उत्पादकता परियोजना
आई.पी.डी.एस.	एकीकृत बिजली विकास योजना
आई.सी.सी.सी.	एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र
आई.सी.टी.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आई.सी.टी.सी.	एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र
आई.डब्लयू.	औद्योगिक श्रमिक
आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
आई.टी.सी.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आई.टी.आई.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आई.आई.एम.	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आई.आई.एस.सी.	भारतीय विज्ञान संस्थान
आई.आई.पी.	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आई.आई.टी.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आई.आर.डी.पी.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
आर.–डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.	पुनर्निर्मित मौसम आधारित फसल बीमा योजना
आर.एण्ड.डी.	अनुसंधान और विकास
आर.एम.एस.ए.	राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा अभियान
आर.एस.ई.टी.आई.	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आर.एस.बी.वाई.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
आर.ए.डी.	रेनफेड एरिया डेवलपमेंट
आर.एफ.	रिवॉलविंग निधि
आर.एन.टी.सी.पी.	संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम
आर.एल.सी.	ग्रामीण आजीविका केंद्र
आर.ई.	संशोधित अनुमान
आर.ई.आर.ए.	रियल एस्टेट विनियामक अधिनियम
आर.के.वी.वाई.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आर.के.जी.एम.सी.	डॉ. राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
आर.पी.पी.	पंजीकृत निजी पेशेवर
आर.पी.जी.एम.सी.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
आर.सी.एस.	क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम
आर.वी.टी.आई.	क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान
आर.जी.एम.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन
आर.जी.एस.ए.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आर.टी–पी.सी.आर.	रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन
टार.टी.आई.	संक्रमण प्रजनन पथ संक्रमण
आर.आई.डी.एफ.	ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष
आर.आर.बी.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
ओ.ए.ई.	ऑस्टियोकॉस्टिक उत्सर्जन
ओ.बी.सी.	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओ.पी.डी.	बाह्य रोगी विभाग
ओ.पी.जी.	ओर्थोपैंटोग्राम
ओ.डी.एफ.	बाह्य शौच मुक्त

कार्यकारी सारांश

आर्थिक सर्वेक्षण वर्तमान वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था और मुख्य रुप से राज्य आय अनुमानों का अवलोकन करता है तथा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, गौण और तृतीयक क्षेत्रों तथा विकास का उल्लेख करता है। सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक विकास की भी विवेचना की गई है।

आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार की तरह राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में प्रतिवर्ष आम तौर पर राज्य बजट से एक दिन पहले आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1948 से अपने अस्तित्व में आने के उपरान्त समस्त क्षेत्रों में विकास देखा है। हिमाचल ने एक बार फिर प्रशासनिक हस्तक्षेप का लोहा मनवाते हुए प्रभावशाली सामाजिक परिणाम प्रर्दशित किए हैं। राज्य द्वारा कोविड–19 महामारी से सम्बन्धित संकट से निपटने के कार्य को व्यापक रुप से सराहा गया है। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का सुशासन के लिए एक आदर्श स्थान है। माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सभी राज्यों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस में सक्रिय केस फाइंडिंग अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की सराहना की है। यह कार्यकारी सारांश आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 की महत्वपूर्ण विशेषताओं को दर्शाता है।

- वर्ष 2019 वैश्विक, राष्ट्रीय तथा राज्य के लिए एक अल्प विकास का वर्ष रहा। इस वर्ष में विश्व अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018 के 3.5 प्रतिशत की तुलना में 2.9 प्रतिशत के स्तर पर रही और यह वित वर्ष 2008–09 की आर्थिक मंदी से अधिक खराब रही। वर्ष 2020 में इसके 3.2 प्रतिशत तक संकुचित होने का अनुमान है।

- राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विकास का परिदृश्य का **अध्याय–1** में व्याख्या की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2018–19 में ₹188.87 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2019–20 में प्रचलित कीमतों पर ₹203.51 लाख करोड़ के साथ 7.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2018–19 तथा वर्ष 2019–20 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमशः ₹1,25,833 तथा ₹1,34,186 का अनुमान है जोकि 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। कोविड–19 महामारी के कारण अखिल भारतीय विकास दर वर्ष 2020–21 में प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार 7.7 प्रतिशत कम होने की उम्मीद है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय ₹1,26,968 अनुमानित है, जिसमें 5.4 प्रतिशत की गिरावट की सम्भावना है।

- राज्य स्तर पर, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर वर्ष 2019–20 में 8.9 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ ₹1,62,816 करोड़ रहने का अनुमान है जो कि गतवर्ष 2018–19 में ₹1,49,422 करोड़ था। वर्ष 2019–20 में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर 7.9 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹1,90,407 रहने का अनुमान है जो कि वर्ष 2018–19 में पिछले वर्ष से 6.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1,76,460 आंकी गई थी। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020–21 में सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव पर 2011–12) में 6. 2 प्रतिशत की गिरावट और प्रति व्यक्ति आय में 3.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹1,83,286 रहने की सम्भावना है।

- आर्थिक विकास दर में गिरावट का मुख्य कारण कोविड–19 महामारी व तालाबन्दी रहा है। यह राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय रुझानों के अनुरुप है।

- विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का कैसा प्रभाव है इसके बारे अध्याय–2 में दर्शाया गया है। कृषि तथा पशुधन क्षेत्र वर्ष 2019–20 में स्थिर कीमतों (2011–12) के अनुसार 18.3 प्रतिशत की साकारात्मक वृद्धि ₹10,583 करोड़ सकल मूल्य वर्धित दर्शाता है जोकि वर्ष 2018–19 में ₹8,949 करोड़ थी। यद्यपि वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत बागवानी उत्पादन में 43 प्रतिशत की कमी के कारण 3.1 प्रतिशत का संकुचन हुआ है। प्रचलित कीमतों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों (अध्याय–7) जोकि 60 प्रतिशत आबादी का प्रमुख क्षेत्र है, भागीदारी वर्ष 2015–16 में 15.89 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 में 13.62 प्रतिशत रह गई है। गैर कृषि क्षेत्रों के अपेक्षाकृत उच्च विकास प्रर्दशन के कारण राज्य के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की भागेदारी कम हो रही है। राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय रुझानों के अनुरुप है।

- विनिर्माण क्षेत्र ने वर्ष 2019–20 में साकारात्मक विकास दर 0.3 प्रतिशत थी जोकि वर्ष 2020–21 के दौरान 14.2 प्रतिशत संकुचन दर्शाती है। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी जबकि वर्ष 2020–21 में 18. 4 प्रतिशत की नाकारात्मक वृद्धि दर्शायी गई है। गौण क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धित (GVA) वर्ष 2018–19 में ₹53,456 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019–20 में स्थिर कीमतों (2011–12) पर ₹53,498 करोड़ रहने का अनुमान है। प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन विनिर्माण के क्षेत्र में वर्ष 2016–17 के 28.94 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 29.18 प्रतिशत हो गया है और वर्ष 2020–21 में यह घटकर 26.94 प्रतिशत रहने की संभावना है। प्रचलित भावों पर सकल मूल्य संवर्धन एवं उत्खनन क्षेत्र में वर्ष 2016–17 के 0.64 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 में 0.25 प्रतिशत हो गया है। निर्माण क्षेत्र में वर्ष 2019–20 में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी जिसमें वर्ष 2020–21 के दौरान 11.5 प्रतिशत का संकुचन का आंकलन है। राज्य सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए अनेक पहले की हैं जिसमें निवेशकों को प्रोत्साहन एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing Business) की सुविधाएं शामिल हैं।

- सर्वेक्षण के अनुसार राज्य सरकार ने अप्रैल तथा जून, 2020 अवधि में भवन तथा निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत ₹1.26 लाख श्रमिकों के खातों में ₹2000 प्रति श्रमिक का हस्तांतरण किया है, जिससे श्रमिको को लगभग ₹75 करोड़ का लाभ दिया गया। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को उनके बच्चों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं, विवाह तथा शिक्षा के लिए सहायता के रुप में ₹7.33 करोड़ की राशि जारी की गई।

- पर्यटन क्षेत्र में वर्ष 2019 में विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों के आगमन में 4.63 प्रतिशत की वृद्धि से अच्छा प्रदर्शन रहा जबकि 2018 में 16.08 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि रही थी। कोविड–19 से पर्यटन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ और वर्ष 2020 में विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों के आगमन में 81.33 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। व्यापार होटल तथा रेस्तंरा क्षेत्र ने वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत साकारात्मक विकास दर 4.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020–21 में 9.2 प्रतिशत का संकुचन रहा। परिवहन, अन्य साधनों जैसे सड़क परिवहन (यंत्रीकृत तथा गैर–यंत्रीकृत), जल परिवहन, हवाई परिवहन तथा आकस्मिक सेवाओं में वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत् 5.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत् 28 प्रतिशत की नाकारात्मक वृद्धि हुई।

- राज्य की राजकोषीय स्थिति **अध्याय–2** में दर्शाई गई है। बजट अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2020–21 के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां राज्य सकल उत्पाद 24.56 प्रतिशत थी, जोकि वर्ष 2019–20 में 19.86 प्रतिशत थी। इसी तरह राज्य का कर राजस्व वर्ष 2019–20 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 7.79 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 9.81 प्रतिशत हो गया। राज्य का गैर कर राजस्व, जो वर्ष 2019–20 में 1.46 प्रतिशत था, वर्ष 2020–21 में थोड़ी वृद्धि के साथ 1.54 प्रतिशत हो गया। राज्य का राजकोषीय घाटा जो वर्ष 2019–20 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 6.53 प्रतिशत था, वर्ष 2020–21 में घटकर 4.65 प्रतिशत हो गया। सरकार की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2015–16 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की 20.52 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2020–21 में 24.56 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 19.52 प्रतिशत से बढ़कर 25.00 प्रतिशत हो गया और पूंजीगत व्यय वर्ष 2015–16 में 2.57 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020–21 में 4.00 प्रतिशत हो गया।

- **अध्याय–3** में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यस्था पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव तथा इससे निपटने हेतु राज्य द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों का उल्लेख है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर लगभग सभी क्षेत्रों पर कई गंभीर प्रभाव पड़े हैं। अर्थव्यवस्था में मांग व आपूर्ति दोनों पर गहरे झटके लगे जिसमें परिवहन, खनन–उत्खनन, वानिकी व निर्माण क्षेत्र विशेष रुप से प्रभावित हुए। पर्यटन क्षेत्र की राजस्व अर्जन व राज्य के लोंगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है जोकि कोविड–19 लॉकडाउन के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई है। राज्य सरकार ने कोविड–19 के प्रभाव को कम करने के लिए समय रहते कई कदम उठाए हैं।

- **अध्याय–4** सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में हिमाचल प्रदेश अच्छी प्रगति कर रहा है और एस.डी.जी. सूचकांक रिपार्ट 2018–19 में केरल के साथ प्रथम रैंक हासिल किया जबकि एस.डी.जी. इण्डिया इंडेक्स 2.0, 2019–20 रिपोर्ट में देश में द्वितीय रैंक हासिल किया है। प्रदेश सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बजटीय एवं योजना प्रकिया में बहुत से कदम उठाए हैं और निगरानी के लिए 138 प्रमुख संकेतकों और लक्ष्यों को चयनित किया है, जिनमें से 12 को हासिल किया गया है, 38 को 2022 तक हासिल किया जाना है और 2030 तक 87 को प्राप्त करने की योजना है।

- **अध्याय–5** राज्य में कुल 2,195 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है और 77 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। वर्तमान में 1,693 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 396 शाखाएं अर्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 106 शिमला शहरी क्षेत्र में कार्यरत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ऋण वितरण के मानकों जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए 18 प्रतिशत, कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत एवं महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत है जिसके मुकाबले प्रदेश में इन वर्गों के लिए ऋण का प्रवाह क्रमशः 17.06 प्रतिशत, 36.09 प्रतिशत एवं 10.77 प्रतिशत, सितम्बर, 2020 तक रहा और इसी समय अवधि पर क्रेडिट जमा अनुपात 42.33 प्रतिशत रहा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 14.24 लाख खाताधारकों को सितम्बर,2020 तक इस योजना में जोड़ा गया है।

- **अध्याय–6** में मूल्य संचालन एवं खाद्य प्रबन्धन पर विस्तार से चर्चा की गई है। हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति 2014 से मध्यम रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सयुंक्त) पर आधारित मुद्रास्फीति वर्ष 2015–16 में 4.4 प्रतिशत थी जोकि वर्ष 2019–20 में 3.5 प्रतिशत हो गई। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में (अप्रैल से दिसम्बर, 2020 तक) यह दर 5.3 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष इसी दौरान (अप्रैल से दिसम्बर, 2019 तक) यह दर 2.5 प्रतिशत थी। चालू वित्तीय वर्ष (2020–21) के अन्तर्गत् अप्रैल से दिसम्बर, 2020 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण व शहरी में क्रमशः 4.8 प्रतिशत व 7.6 प्रतिशत रही जबकि 2019 की इसी अवधि में क्रमशः 2.0 और 4.7 प्रतिशत रही।

- **अध्याय–7** कृषि, बागवानी और सम्बद्ध सेवाओं के अन्तर्गत हुए प्रगति को दर्शाता है। प्रदेश में 9.44 लाख हैक्टेयर क्षेत्र, (औसतन 0.95 हैक्टेयर भूमि) को 9.97 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। कृषि गणना 2015–16 के अनुसार भू–जोतों को वर्गीकरण दर्शाता है कि 88.86 प्रतिशत जोतें लघु एवं सीमान्त किसानों की हैं, लगभग 10.84 प्रतिशत अर्ध/मध्यम तथा केवल 0.30 प्रतिशत जोतें बड़े किसानों की हैं। वर्ष 2019–20 कृषि के लिए सामान्य वर्ष रहा तथा खाद्यान्न उत्पादन 15.94 लाख मीट्रिक टन हुआ। इस अवधि में सब्जियों का उत्पादन 18.61 लाख मीट्रिक टन हुआ। हिमाचल प्रदेश में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है, जोकि फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 49 प्रतिशत है तथा कुल फल उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश में पशुधन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने में विशेष सहायक है, वर्ष 2019–20 में 15.31 लाख टन दूध, 1,516 टन ऊन, 106.32 मिलियन अण्डे तथा 4,601 टन मास का उत्पादन हुआ।

- **अध्याय–8** राज्य सरकार के प्रदर्शन के सम्बन्ध में है, जिसमें की पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना, सिंचाई सुविधा प्रदान करना और पर्यावरण संरक्षण इत्यादि सम्मिलित हैं। 20 जनवरी 2021 तक 55,279 बस्तियों में से 33,752 बस्तियों में पूरी तरह से 55 लीटर या इससे अधिक पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदान किया जा रहा है और 21,527 बस्तियों में आंशिक रुप से 55 लीटर से कम पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय औसत 33.64 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 75.53 प्रतिशत परिवारों को घरेलू कनेक्शन प्रदान किए गए।

- **अध्याय–9** राज्य की औद्यौगिकरण की स्थिति को वर्णित करता है। राज्य में 28,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु व माध्यम क्षेत्र के उद्योग कार्यरत है जो कि औद्योगिक क्षेत्र का 99.00 प्रतिशत है। 60 से अधिक देशों को ₹10,000 करोड़ का वार्षिक निर्यात किया जाता है।

- सर्वेक्षण का **अध्याय–10** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट 2018–19 पर प्रकाश डालता है। इस रिपोर्ट के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2017–18 में 49.1 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 में 52.8 प्रतिशत हो गई है। नवीनतम रिपोर्ट PLFS वर्ष 2018–19 की एक उल्लेखनीय विशेषता हिमाचल प्रदेश में महिला कार्यबल की भागीदारी दर वर्ष 2017–18 37.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 44.6 प्रतिशत हो गई है। कुल मिलाकर कार्यबल की भागीदारी दर भी वर्ष 2018–19 में 46.4 प्रतिशत से बढ़कर 50.1 प्रतिशत हो गई। राज्य में बेरोज़गारी की दर 2017–18 में 5.5 प्रतिशत से घटकर 2018–19 में 5.2 प्रतिशत हो गई है।

- **अध्याय–11** में सर्वेक्षण ऊर्जा क्षेत्र में की गई प्रगति को विशेष रुप से दर्शाता है। जल विद्युत उत्पादन हिमाचल प्रदेश की आर्थिक वृद्धि का मुख्य साधन है क्योंकि यह सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था की राजस्व अर्जन, रोजगार के अवसरों और जीवन की गुणवता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जल दोहन क्षमता 27,436 मैगावाट है जिसमें से 24,000 मैगावाट का मुल्यांकन के उपरान्त योग्य पाया गया है। हालांकि सरकार ने अब यह निश्चय किया है कि बची हुई जल क्षमता को पर्यावरण तथा पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखने के लिए त्याग कर दिया जाएगा। राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रयोग सबसे ज्यादा (लगभग 58 प्रतिशत कुल ऊर्जा उत्पादन) तथा दूसरे स्तर पर घरेलू क्षेत्र में (लगभग 24 प्रतिशत) किया जा रहा है।

- **अध्याय–12** पर्यटन तथा परिवहन की स्थिति का वर्णन करता है। राज्य में 31 दिसम्बर, 2020 तक 17,87,482 परिवहन तथा गैर परिवहन पंजीकृत वाहन है। वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक परिवहन विभाग ने ₹247.69 करोड़ का राजस्व एकत्रित कर लिया है।

- **अध्याय–13** में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण की स्थिति एवं हिमाचल प्रदेश में कोविड–19 महामारी के दौरान सामाजिक क्षेत्रों में उठाए गए कदम तथा व्यय का रुझान दर्शाया गया है। वार्षिक शिक्षा रिर्पोट 2020 (ASER) के सर्वेक्षण अनुसार बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों की अपेक्षा में अधिक है, और अंतर एक सीमा तक खत्म हो गया है।

- कोविड–19 महामारी की वजह से मार्च, 2020 से सभी स्कूल बन्द कर दिए गए थे। इस चुनौती को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा महामारी के दौरान बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतू कई पहलें लागू की है।

- कोविड–19 ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश तथा मजबूती के महत्व को उजागर किया है। पिछले पांच दशकों में हिमाचल प्रदेश ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कोविड–19 महामारी द्वारा हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे का भी परीक्षण हुआ। महामारी द्वारा बीमारी को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रदर्शन हुआ। हिमाचल प्रदेश में (14 फरवरी 2021) 58,222 कोविड–19 मामले दर्ज किए गए और रिकवरी दर 97.8 प्रतिशत रही परन्तु दुख की बात है कि कोविड–19 की वजह से 981 व्यक्तियों की जान चली गई।

- कोविड–19 के स्थानीय प्रसारण को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए कई पहलों को सारांश में दर्शाया गया है कोविड–19 के लिए संपर्क ट्रेनिंग टीमों का गठन समस्त जिलों में किया गया । स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा कंटेनमेंट जोन में सक्रिय तथा बफर जोन में अप्रतिरोधी निगरानी की गई।

- जीवनधारा मोबाइल हेल्थ एंड वैलनेस केन्द्रों को दुर्गम दूरस्थ, तथा कम आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु शुरू किया गया । इसका उपयोग दुरस्थ क्षेत्रों में कोविड–19 के संदिग्धो के परीक्षण के लिए भी किया जा रहा है ।

- राज्य में कोविड–19 की रोकथाम के लिए आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । महामारी के दौरान राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य जानकारी घर घर जाकर एकत्रित करने के लिए लगभग 16,000 आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत थीं।

- हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सेवा क्षेत्र पर व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य) पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रुप में व्यय, वर्ष 2014–15 के 7.68 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 10.89 प्रतिशत हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में व्यय वर्ष 2014–15 में 4.12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020–21 में

5.31 प्रतिशत हो गया तथा इसी अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय 1.25 प्रतिशत से 1.93 प्रतिशत हो गया। कुल बजटीय व्यय में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय का भाग वर्ष 2020–21 में बढ़कर 34.68 प्रतिशत हो गया जो कि वर्ष 2014–15 में 25.73 प्रतिशत था।

- **अध्याय–14** ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डालता है। वर्ष 2020 में रिवर्स माइग्रेशन की घटना हिमाचल प्रदेश में कोविड़–19 की पूर्ण तालाबंदी अवधि में देखी गई। ऐसी प्रतिकूलताओं के बावजूद कोविड–19 सम्बन्धित संकटों से निपटने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति भारत सरकार तथा राज्य सरकार के प्रोत्साहन पैकजों द्वारा दी गई।

- प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण (पी.एम.जी.के.) के अन्तर्गत मार्च, 2020 तक हिमाचल प्रदेश को ₹472 करोड़ प्राप्त हुए जिनको महिला लाभार्थियों के जनधन खातों तथा बजुर्ग, विधवा तथा दिव्यांग लाभार्थियों को हस्तांतरित किया गया।

- अधिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आत्म निर्भर (ANB) अभियान के अन्तर्गत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लिए भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में व्यक्ति दिवस सृजन के लिए ₹1,566 करोड़ आबंटित किए गए।

- वर्ष 2020–21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अन्तर्गत ₹821.82 करोड़ खर्च के साथ 5,85,269 परिवारों को रोज़गार देकर 287.18 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए।

- **अध्याय–15** में आवास तथा शहरी विकास क्षेत्र में की गई प्रगति तथा स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान 6,78,364 कार्य दिवसों का सृजन हिमाचल प्रदेश आवास तथा शहरी विकास प्राधिकरण ने विभिन्न कार्यों के निर्माण के माध्यम से किया।

- **अध्याय–16** सूचना तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालता है। आई.टी. विभाग द्वारा कोविड–19 की अवधि के दौरान प्रशासन तथा नागरिकों के दिन प्रतिदिन के कारोबार के सुचारु संचालन को सुगम बनाने के लिए विभिन्न आई.टी. अनुप्रयोगों तथा समाधानों को विकसित और कार्यान्वित किया।

भाग — I

आर्थिक सर्वेक्षण

2020–21

सामान्य समीक्षा

1 अध्याय

1.1 दीर्घकालीन दृष्टिकोण

भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार एक सत्त प्रक्रिया है और विभिन्न मंत्रालय और विभाग आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए सरकार के रणनीतिक कार्यक्रमों और नीतियों को लागू कर रहे हैं। आर्थिक नीति निर्माण के लिए सरकार (उर्ध्वगामी) नीचे से ऊपर की ओर प्रक्रियाओं का उपयोग कर रही है। कोविड–19 महामारी ने 2020 में सदी में विरले ही आने वाले वैश्विक संकट का निर्माण किया। महामारी की शुरुआत में अभूतपूर्व अनिश्चितता का सामना करना पड़ा जिसके लिए भारत ने लंबे समय में लाभ के लिए अल्पकालिक दर्द लेने के नजरिए से जीवन और आजीविका को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। भारत की प्रतिक्रिया इस मानवीय सिद्धांत से उपजी है कि अर्थव्यवस्था एक तीव्र लॉकडाउन के अस्थायी झटके से तो उभर जाएगी, लेकिन खोया हुआ मानव जीवन वापिस नहीं लाया जा सकता है।

आर्थिक पुनरूथान भारत सरकार की प्रमुखताओं में से एक है। इस ओर किए गए प्रयासों में "मेक इन इंडिया", "स्टार्टअप इंडिया" और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" शामिल है । डिजीटल प्रौद्योगिकी इस वर्ष सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र रहा जिससे इस वैश्विक महामारी के विनाशकारी प्रभाव से हम ऊभर सके। सरकार का उद्देश्य मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके अनुकूल वातावरण बनाना है। कोविड–19 के दूसरे दौर में अर्थव्यवस्था को नुक्सान से बचाने के लिए जो नीतिगत फैसले लिऐ गए, वह भारत को दुनिया में अद्वितीय बनाता है। वैश्विक महामारी में भारत की मानव केंद्रित प्रतिक्रिया जो भारत की विशेष संवेदनशीलताओं के अनुरूप है, ने अत्यंत गहन अनिश्चितता में आत्मविश्वास जगाने की शक्ति प्रदर्शित की। भारत ने जीवन और आजीविका के बीच अल्पकालिक अदला–बदली में दीर्घावधि विजेता बनते हुए जीवन और आजीविका दोनों को बचा लिया। कल्पना और दूरदर्शिता के साथ भारत ने अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कर और सुधारों से अर्थव्यवस्था की दीर्घावधि विकास की संभाव्यता को सुदृढ़ किया। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के विकास और विस्तार में मद्द के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अन्य प्रयास में कुशल वित्तीय मध्यस्थता, विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से व्यापक आर्थिक स्थिरता हेतु देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरु किए गए हैं।

1.2 अवलोकनः भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था में निरंतर गिरावट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वृद्धि को काफी हद तक निरन्तर जारी रखा है। यह स्थिरता घरेलू नीतिगत विकास के साथ ही विदेशी नीतियों के सुशासन के फलस्वरुप है। विभिन्न सुधारों

के फलस्वरुप भारतीय अर्थव्यवस्था की सतत् वृद्धि पिछले 5 वर्षों (2015 के बाद) से औसत 6.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उच्च रही है।

वर्ष 2019–20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4.0 प्रतिशत रही, जोकि पिछले वर्ष के मुकाबले कम रही। यह कमी मुख्य रुप से "खनन उत्खनन", "विनिर्माण", "विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं "व्यापार, होटल व रेस्तरां" व वित्तीय सेवाओं में कम वृद्धि के परिणामस्वरुप रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 2019–20 में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹145.69 लाख करोड़ आंका गया है जोकि वर्ष 2018–19 में ₹140.03 लाख करोड़ था। प्रचलित भाव पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2019–20 में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹203.51 लाख करोड़ आंका गया है, जोकि वर्ष 2018–19 में ₹188.87 लाख करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थिर भाव (आधार 2011–12) के अनुसार सकल मूल्य संवर्धन में वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019–20 में 4.1 प्रतिशत रही।

वर्ष 2019–20 के दौरान सकल मूल्य संवर्धन की वृद्धि दर 2018–19 की तुलना में कम रही और इस कम वृद्धि के मुख्य कारण खनन और उत्खनन (-2.5 प्रतिशत), विनिर्माण (-2.4 प्रतिशत), विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता (2.1 प्रतिशत), निर्माण (1.0 प्रतिशत) व वित्तीय सेवाओं (4.1 प्रतिशत) में ऋणात्मक वृद्धि रही।

स्थिर कीमतों पर सकल मूल्य सवर्धन वृद्धि

उद्योग (आधार वर्ष 2011–12)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि दर	
	2018–19	2019–20
1. कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	2.6	4.3
2. खनन और उत्खनन	0.3	-2.5
3. विनिर्माण	5.3	-2.4
4. विद्युत, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	8.0	2.1
5. निर्माण	6.3	1.0
6. व्यापार होटल, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	8.8	7.1
7. यातायात, भण्डारण, संचार व प्रसारण से सम्बन्धित सेवाएं	3.8	5.0
8. वित्तीय सेवाएं	4.7	4.1
9. वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	8.1	8.5
10. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	6.7	7.2
11. अन्य सेवाए	7.9	9.2
सकल मूल्य वर्धित	**5.9**	**4.1**

अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर वित्तीय वर्ष 2020–21 में -7.7 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

वर्ष 2018–19 में प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय ₹1,25,883 थी जो वर्ष 2019–20 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1,34,186 हो गई। स्थिर भाव (2011-12) के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2018–19 में ₹92,241 से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 94,566 हो गई है।

मुद्रास्फीति प्रबन्धन सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। मुद्रास्फीति वर्ष

दर वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाती है जोकि चालू वित्त वर्ष 2020–21 (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान अधिकतर समय 2 प्रतिशत से नीचे बनी रही। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर जोकि दिसम्बर, 2019 में 2.7 प्रतिशत थी, से घटकर दिसम्बर, 2020 में 1.2 प्रतिशत रही। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (समस्त भारत) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2019–20 में 7.7 प्रतिशत रही जोकि वर्ष 2018–19 में 5.6 प्रतिशत थी।

1.3 अवलोकनः हिमाचल प्रदेश अर्थव्यवस्था

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के लोंगों की त्वरित प्रगति और बेहतर जीवन के लिए केन्द्र सरकार से तालमेल रखते हुए कई कुशल नीतियां बनाई है। हिमाचल प्रदेश अपने साधारण, मेहनतकश लोगों व प्रगतिशील नीतियों और कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के कारण देश में सम्पन्न तथा तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रुप में जानी जाती है। परन्तु वर्ष 2020–21 में कोविड महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋणात्मक 6.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

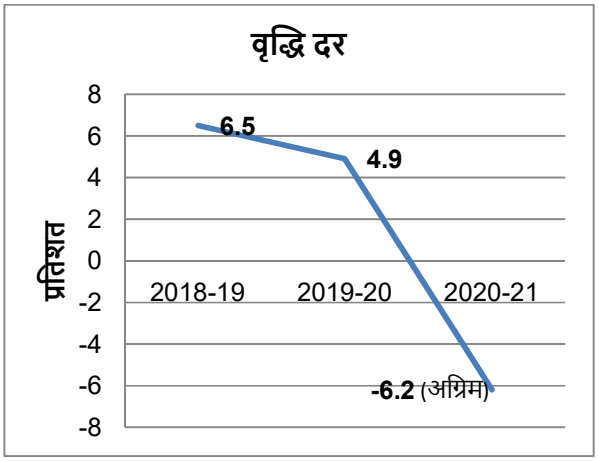

प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (एफ.आर.) में ₹1,49,442 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹1,62,816 करोड रहने का अनुमान है जिसमें 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। स्थिर भाव (2011-12) पर वर्ष 2018–19 (एफ.आर.) में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1,16,570 करोड़ रहा जो वर्ष 2019–20 (एफ.आर.) में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि कि साथ ₹1,22,284 करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि मुख्यतः सामुदायिक व व्यैक्तिक सेवाओं 15.8 प्रतिशत, वित्तीय व रियल इस्टेट में 2.5 प्रतिशत, यातायात व व्यापार 4.6 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्र 0.3 प्रतिशत, निर्माण 3.1 प्रतिशत तथा विद्युत, गैस, व जलापूर्ति (-) 4.6 प्रतिशत के कारण सम्भव हुई है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में 15.4 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्वि रही। खाद्य उत्पादन वर्ष 2018–19 में 16.92 लाख मीट्रिक टन से घट़कर वर्ष 2019–20 में 15.94 लाख मीट्रिक टन रहा जबकि वर्ष 2020–21 में 16.75 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। फल उत्पादन वर्ष 2019–20 में 70.7 प्रतिशत की वृद्वि के साथ 8.45 लाख

मी.टन रहा जोकि वर्ष 2018–19 में 4.95 लाख मीट्रिक टन था तथा वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर, 2020) तक फल उत्पादन 4.82 लाख मीट्रिक टन रहा ।

सारणी–1.1
मुख्यसूचक

सूचक	2018–19	2019–20	2018–19	2019–20
	कुल पूर्ण मान		पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)				
क) प्रचलित भावों पर	1,49,442	1,62,816	7.9	8.9
ख) स्थिर भावों पर	1,16,570	1,22,284	6.5	4.9
खाद्यान उत्पादन (लाख टन)	16.92	15.94	7.0	(-)5.8
फलोत्पादन (लाख टन)	4.95	8.45	(-)12.4	70.7
उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य, संवर्धन (₹करोड़ में) (प्रचलित भाव पर)	44,567	44,580	14.38	0.03
विद्युत उत्पादन (मिलियन युनिट)	1955.50	2246.18	0.8	14.86
थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)	120	122	4.3	1.67
श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मल्य सूचकांक (हि.प्र.)	264	277	3.1	4.9

वर्ष 2018–19 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर ₹1,76,460 से बढ़कर प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019–20 में ₹1,90,407 हो गई जोकि 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

अग्रिम अनुमानों के अनुसार तथा दिसम्बर, 2020 की आर्थिक स्थिति एवं कोविड–19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण वर्ष 2020–21 में अर्थव्यवस्था में (-) **6.2** प्रतिशत दर से संकुचन होने की सम्भावना है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था अभी भी मुख्यतः कृषि व सम्बन्धित क्षेत्रों पर ही निर्भर है। अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र से उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में रूझान पाया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान जो वर्ष 1950–51 में 57.9 प्रतिशत था तथा यह घटकर 1967–68 में 55.5 प्रतिशत रहा। 1990–91 में 26.5 प्रतिशत और 2019–20 में 10.5 प्रतिशत रह गया है।

उद्योग व सेवा क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान 1950–51 में क्रमशः 1.1 व 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 1967–68 में 5.6 व 12.4 प्रतिशत, 1990–91 में 9.4 व 19.8 प्रतिशत और 2019–20 में 29.2 व 43.5 प्रतिशत हो गया। शेष क्षेत्रों में 1950–51 के 35.1 प्रतिशत की तुलना में 2019–20 में घटकर 27.3 प्रतिशत रह गया।

कृषि क्षेत्र के घट रहे अंशदान के बावजूद भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की महत्ता पर कोई असर नहीं पड़ा। राज्य की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का

विकास अधिकतर कृषि तथा उद्यान उत्पादन द्वारा ही निर्धारित होता है और सकल घरेलू उत्पाद में भी इसका मुख्य योगदान रहता है। अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव रोजगार, अन्य लागत, व्यापार तथा परिवहन सम्बद्धताओं के कारण रहता है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हमारा कृषि उत्पादन अभी भी मुख्यतः सामयिक वर्षा व मौसम स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है।

राज्य ने उद्यान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विविध जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, गहन और उपयुक्त निकासी वाली भूमि तथा भू–स्थिति में भिन्नता एवं ऊंचाई वाले क्षेत्र समशीतोषण से उप्पोषण कटिबन्धीय फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। प्रदेश का क्षेत्र फलोत्पादन में सहायक व सम्बन्धी उत्पाद जैसे फूल, मशरूम, शहद और हॉप्स की पैदावार के लिए भी उपयुक्त है।

इस वर्ष 1,340 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र फलों के अधीन लाने का लक्ष्य है जबकि दिसम्बर, 2020 तक 2,589 हैक्टेयर क्षेत्र फलों के अधीन लाया जा चुका है तथा इसी अवधि में विभिन्न प्रजातियों के फलों के 7.69 लाख पौधों का वितरण किया गया। प्रदेश में बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2019–20 में 18.61 लाख टन सब्जी उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2018–19 में 17.22 लाख टन का उत्पादन हुआ था जो कि 8.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2020–21 में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन 16.58 लाख टन होने का अनुमान है।

हिमाचल प्रदेश सरकार मौसम परिवर्तन से तालमेल बिठाने हेतु महत्वाकांक्षी योजना पर काम रही है। राज्य की कार्य योजना में मौसम परिवर्तन से सम्बन्धित संस्थागत क्षमता का सृजन तथा क्षेत्रवार गतिविधियों को अमल में लाना है।

प्रदेश अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई विद्युत आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने राज्य में निरन्तर निर्बाध विद्युत की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण को बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण पग उठाए गए हैं। ऊर्जा संसाधन के रूप में जल विद्युत, आर्थिक रूप से व्यावहारिक, प्रदूषण रहित तथा पर्यावरण के अनुकूल है। इस क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए राज्य की विद्युत नीति सभी पहलुओं जैसे कि अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन, संरक्षण की क्षमता, पहुंच व उपलब्धता, वहन करने योग्य, पर्यावरण संरक्षण व प्रदेश के लोगों को रोज़गार सुनिश्चित करने पर जोर देती है। निजी क्षेत्रों का योगदान भी उत्साहवर्धक है परन्तु सरकार द्वारा प्रदेश के निवेशकों के लिए 2 मैगावाट तक की लघु परियोजनाओं को आरक्षित रखा गया है और 5 मैगावाट की परियोजनाओं तक उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

वर्ष 2021–22 का वार्षिक विकास बजट ₹9,405 करोड़ की निर्धारित की गई है जोकि वर्ष 2020–21 से 19 प्रतिशत अधिक है।

मूल्य नियन्त्रण सरकार की हमेशा विशेष सूची में रहा है। हि.प्र. श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित

मुद्रास्फीति वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020) में 5.0 प्रतिशत रही ।

पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था में राजस्व प्राप्ति का एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत तथा विविध प्रकार के रोज़गारों का जनक है। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों के आगमन में पिछले कुछ वर्षों के दौरान महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई है परन्तु कोविड़–19 के कारण इस वर्ष दिसम्बर, 2020 तक 81 प्रतिशत की गिरावट देखने में आई, जिसका विवरण निम्न सारणी 1.2 में दिया गया है।

सारणी 1.2
पर्यटकों का आगमन (लाखों में)

वर्श	भारतीय	विदेशी	कुल
2010	128.12	4.54	132.66
2011	146.05	4.84	150.89
2012	156.46	5.00	161.46
2013	147.16	4.14	151.30
2014	159.25	3.90	163.15
2015	171.25	4.06	175.31
2016	179.28	4.53	184.51
2017	191.31	4.71	196.09
2018	160.94	3.56	164.50
2019	168.29	3.83	172.12
2020 (दिसम्बर तक)	31.70	0.43	32.13

सरकार की प्राथमिकता हमेशा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए रही है। सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता और गुणवता में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे है।

1.4 राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण और पुर्नउत्थान के अन्तर्गत लागू की गई मुख्य योजनाएं:–

- **My Govt. पोर्टल:** himachal.mygov.in प्रगति और विकास की प्रक्रिया में सभी लोगों की भागीदारी के लिए एक नई कड़ी है।

- **हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हिमकेयर):** इस योजना के तहत 4.62 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है और 1.25 लाख लाभार्थियों ने इस योजना की शुरूआत के बाद ₹129.97 करोड़ कैशलेस उपचार का लाभ उठाया है।

- **वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एस.सी.एच.आई.एस.):** इस योजना के तहत सरकार प्रति वरिष्ठ नागरिक को ₹30,000 तक की टॉप–अप कवरेज प्रदान करेगी। यह योजना उन सभी वरिष्ठ नागरिकों पर लागू होगी, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) के स्मार्ट कार्ड धारक हैं।

- **वृद्धावस्था पैंशन योजना:** इस योजना के तहत सरकार 60 वर्ष से अधिक परन्तु 70 वर्ष से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों, जिनकी वार्षिक ₹35,000 से कम हो, को प्रति माह ₹850 वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बिना किसी आय सीमा के ₹1500 प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के

तहत ₹50,562.92 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध दिसम्बर, 2020 तक ₹42,745.74 लाख वितरित किए जा चुके हैं।

- **मुख्यमंत्री आवास योजनाः** इस योजना के तहत सरकार गरीब और प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवारों को ₹1.50 लाख की राशि प्रदान कर रही है। सरकार ने इस साल 1,000 घर बनाने का लक्ष्य रखा है।

- **मुख्यमन्त्री एक बीघा योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार राज्य की 1,50,000 ग्रामीण महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाएगी। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करेगी।

- **ई–उद्यान पोर्टलः** यह पोर्टल एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा जहां से किसान अपने घर बैठकर बागवानी से सम्बन्धित सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

- **सौर सिंचाई योजनाः** इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से सरकार कृषि/सिंचाई के लिए किसानों को सौर उर्जा चलित वाटर पम्प उपदान पर उपलब्ध करवाएगी। इसके अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों को 90% व मध्यम और बड़े किसानों को 80% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- **मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारंटी योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत सरकार शहरी परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 120 दिनों का गारंटी रोज़गार की उपलब्ध करवाएगी। एम.एम.एस.ए.जी. वाई. योजना से मजदूरी में लगे लोगों को कौशल विकास की सुविधा भी प्रदान करेगी ताकि उन्हें बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सके।

- **अटल वर्दी योजनाः** इस योजना के तहत, पहली से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को मुफ्त वर्दी मिलेंगी। छात्रों को मुफ्त वर्दी वित्त वर्ष 2018–19 से प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत, 2018–19 में, कक्षा पहली से बारहवीं के लगभग 8,30,945 छात्रों को ₹73.50 करोड़ के परिव्यय के साथ मुफ्त स्कूल वर्दी के 2 सेट उपलब्ध करवाए गए।

- **गृहिणी सुविधा योजनाः** गृहिणी सुविधा योजना के तहत हि.प्र. की महिलाओं को सशक्त बनाया गया। इस योजना से प्रदूषण रहित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत 2.95 लाख से अधिक परिवारों को गैस कनेक्सन प्रदान किए गए।

- **मेधा प्रोत्साहन योजना 2021:** इस योजना के अंतर्गत राज्य के मेधावी छात्र, छात्राओं को राज्य या राज्य से बाहर कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा ₹1.00 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

- **मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन (डायल 1100)**: लोगों की समस्याओं का समाधान करने और मुख्यमंत्री से सीधे संवाद हेतु ई– मेल आई डी cmoffice-hp@gov.in की मुफ्त सुविधा प्रारम्भ की गई।

- **मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना**: युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने मशीनों की खरीद पर पुरुष उद्यमी को 25 प्रतिबात तथा महिला उद्यमी को 30 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला किया है।

- **मुख्यमंत्री स्टार्ट–अप योजना**: इस योजना के तहत प्रदेश के 8 इनक्युवेशन में 27 'स्टार्ट–अप' आरम्भ किए गए और 3 होनहार उद्यमियों को पुरस्कृत किया गया है।

- **जनमंच योजना**: इस योजना की शुरुआत 3 जून, 2018 को जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने व उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए की गई।

- **स्वच्छ भारत अभियान**: हिमाचल प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति को अपनाते हुए शहरों को अपशिष्ट मुक्त किया जा रहा है।

- **स्मार्ट सिटी अभियान**: इस योजना का उद्देश्य मूल अवसंरचना प्रदान करने वाले शहरों को बढ़ावा देना और इसके नागरिकों को स्वच्छ एवं शुद्व वातावरण तथा स्मार्ट समाधानों के द्वारा अच्छी गुणवत्ता युक्त जीवनयापन प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और शिमला शहर को शामिल किया गया है।

- **हिमाचल प्रदेश पुर्नखरीद एकल उपयोग प्लास्टिक**: इस योजना को 2019 में महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर एकल उपयोग और गैर–पुनः उपयोग योग्य कचरे को नष्ट करने और निर्धारित ₹ 75/- किलोग्राम न्यूनतम मूल्य पर पुर्नखरीद की योजना से शुरू किया गया।

- **हि.प्र. नई राशन कार्ड ऑनलाईन योजना** : इस योजना के अन्तर्गत वह सभी लोग जिनका नाम हि.प्र. नई राशन कार्ड सूची में नहीं है तो वह इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए himachalform.nic.in का उपयोग करके ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

- **विशेष महिला उत्थान योजना**: इस योजना के अंतर्गत शारीरिक और यौन शोषित महिलाओं को पुनर्वास के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

- **सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेश**: इस योजना के अन्तर्गत सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन बालिकाओं/किशोरी बालिकाओं के विरुद्ध अपराध, सुरक्षा, उत्थान और अपराध के संरक्षण के

लिए नीति की सिफारिश करने के लिए किया गया है।

- **एक बूटा बेटी के नामः** इस योजना के अन्तर्गत लोगों को बेटियों के महत्व और वन संरक्षण के बारे में जागरुक करने के लिए शुरु किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत एक पौधा/ एक पौधा किट कन्या के जन्म के उपरान्त माता–पिता की जाती है।

- **उत्तम पशु पुरस्कार योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसानों (पशुपालकों) को अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और किसानों को एक दिन में 15 लीटर या इससे अधिक दूध उत्पादन करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।

- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत 2.0 हैक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को प्रतिवर्ष ₹6,000 दिए जा रहे हैं। इस योजना में जनवरी, 2021 तक 9,26,830 किसान ₹1,169.37 करोड़ के खर्चे के साथ लाभान्वित हुए।

- **जन धन योजनाः** यह योजना ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के प्रत्येक भारतीय को बैंकिंग की मुख्यधारा से जोड़ने की है। यह खाताधारकों की वित्तीय जरुरतों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के सामाजिक सुरक्षा लक्ष्यों को बढ़ावा देगी।

- **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाः** राज्य में इस योजना की शुरुआत के बाद से इस योजना के अन्तर्गत् 3.35 लाख परिवारों को गोल्ड कार्ड मिले हैं और 77,549 रोगियों ने ₹80.96 करोड़ कैशलैस उपचार का लाभ उठाया है।

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः** यह योजना 28 फरवरी, 2016 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरु की गई जिसमें किसानों के उत्पाद को बीमाकृत करने हेतु **"एक देश एक योजना"** के अन्तर्गत पहले से चल रही दो योजनाओं "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" तथा "संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" के स्थान पर प्रारम्भ की गई।

- **प्रधानमंत्री आवास योजनाः** इस योजना के तहत ब्याज दर 6.50 प्रतिशत से शुरू होती है और 20 साल तक के कार्यकाल के लिए लाभ उठाया जा सकता है। एम.आई.जी.–1 और एम. आई.जी.–2 श्रेणियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सी.एल.एस.एस.) का लाभ उठाने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है।

राज्य की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त व कराधान

2 अध्याय

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था

राज्य सरकार ने उच्च आर्थिक विकास दर को बनाए रखने, साथ–साथ निरंतर व सतत विकास बनाए रखने के महत्व को देखते हुए नई नीतियों को अपनाया है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के साथ–साथ सरकार सभी प्रमुख उप क्षेत्रों पर विशेष रूप से अधिक जोर दे रही है। अर्थव्यवस्था के इन अनुमानों से अर्थव्यवस्था में एक अवधि में होने वाले परिवर्तनों की सीमा और दिशा का पता चलता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार संरचना अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की एक समयावधि में इनकी सापेक्ष स्थिति के बारे में बताती है, जो न केवल अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है अपितु समस्त अर्थव्यवस्था के विकास हेतु योजना बनाने में भी सहायक होती है।

2.2 स्थिर कीमतों (2011–12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान

स्थिर कीमतों (2011–12) पर हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2018–19 (द्वितीय संशोधित अनुमान) में ₹1,16,570 करोड़ था जोकि 2019–20 (प्रथम संशोधित अनुमान) में ₹1,22,284 करोड़ अनुमानित है। 2019–20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 4.9 प्रतिशत रही जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 4.0 प्रतिशत है।

अर्थव्यवस्था को तीन विस्तृत क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:

2.3 प्राथमिक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, बागवानी, पशुधन, वानिकी एवं लठ्ठे, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन उप क्षेत्र शामिल हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में, जिस पर लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर करती है, वर्ष 2019–20 में 18.3 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, वर्ष 2019–20 में (प्रथम संशोधित अनुमान) स्थिर कीमतों पर (वर्ष 2011–12) कृषि और संबद्ध क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन ₹10,583 करोड़ हुआ है यह पिछले वर्ष 2018–19 में (द्वितीय संशोधित अनुमान) ₹8,949 करोड़ था। हिमाचल प्रदेश में अब बागवानी, कृषि क्षेत्र का उप क्षेत्र नहीं रहा है क्योंकि इसने मूल्य वर्धन के मामले में कृषि क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है। पशुधन क्षेत्र आय को बढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक और भरोसेमंद स्त्रोत के रूप में उभरा है। वर्ष में 2019–20 में दुग्ध उत्पादन में 4.86 प्रतिशत, मांस में 3.52 प्रतिशत और अण्डों में 5.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जोकि पशुधन क्षेत्र में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। मत्स्य क्षेत्र में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2019–20 (प्रथम संशोधित अनुमान) में वानिकी एवं लठ्ठे बनाने के क्षेत्र एवं खनन और उत्खनन में में वृद्धि दर क्रमशः 10.6 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत दर्ज की गई है।

2.4 गौण क्षेत्र

गौण क्षेत्र में विनिर्माण (संगठित और असंगठित), विद्युत, गैस, जलापूर्ति और निर्माण क्षेत्र शामिल हैं। स्थिर (2011–12) कीमतों पर वर्ष, 2019–20 के लिए (पहले संशोधित अनुमान के अनुसार) औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन ₹53,498 करोड़ हुआ है, जोकि 2018–19 (द्वितीय संशोधित अनुमान) में ₹53,456 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

2.5 तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र की राज्य सकल मूल्य वर्धन में निरंतर वृद्धि हो रही है। सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल तथा रेस्तरां, परिवहन के अन्य साधन, भंडारण, संचार, बैंकिंग और बीमा, रियल इस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं, सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 (प्रथम संशोधित अनुमान) में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि की है। सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन वर्ष 2019–20 प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार ₹46,568 करोड़ अनुमानित है, जो वर्ष 2018–19 (द्वितीय संशोधित अनुमान) में ₹43,220 करोड़ था। व्यापक क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन स्थिर कीमतों पर निम्न दर्शाया गया है:–

प्राथमिक क्षेत्र 2019–20 (प्रथम संशोधित अनुमान) में सकल मूल्य वर्धन ₹16,050 करोड़, वृद्धि (15.4 प्रतिशत)

(₹ करोड़ में)

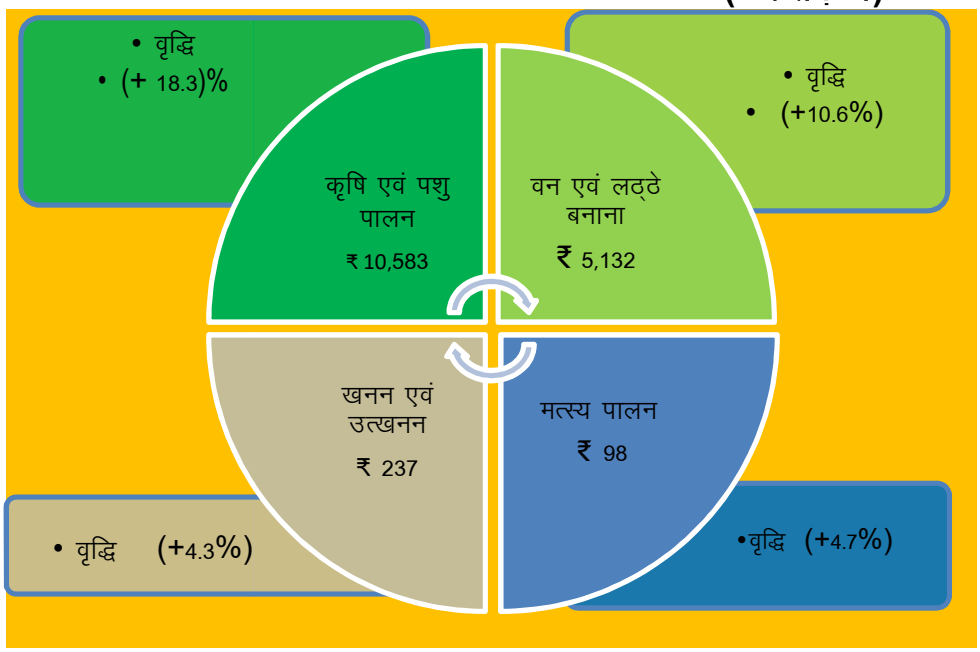

गौण क्षेत्र 2019–20 (प्रथम संशोधित अनुमान) में सकल मूल्य वर्धन ₹53,498 करोड़, वृद्धि 0.1 प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

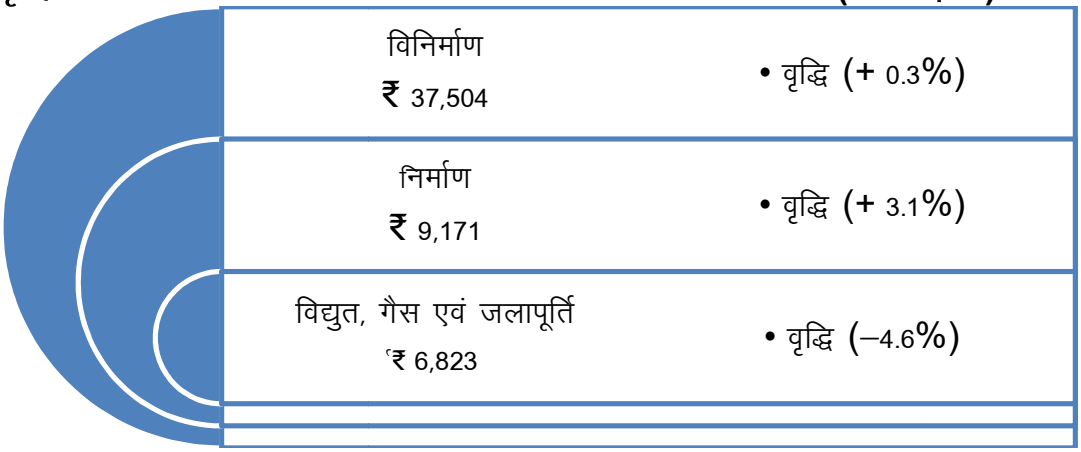

तृतीयक क्षेत्र 2019–20 (प्रथम संशोधित अनुमान) में सकल मूल्य वर्धन ₹46,568 करोड, वृद्धि (7.7) प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

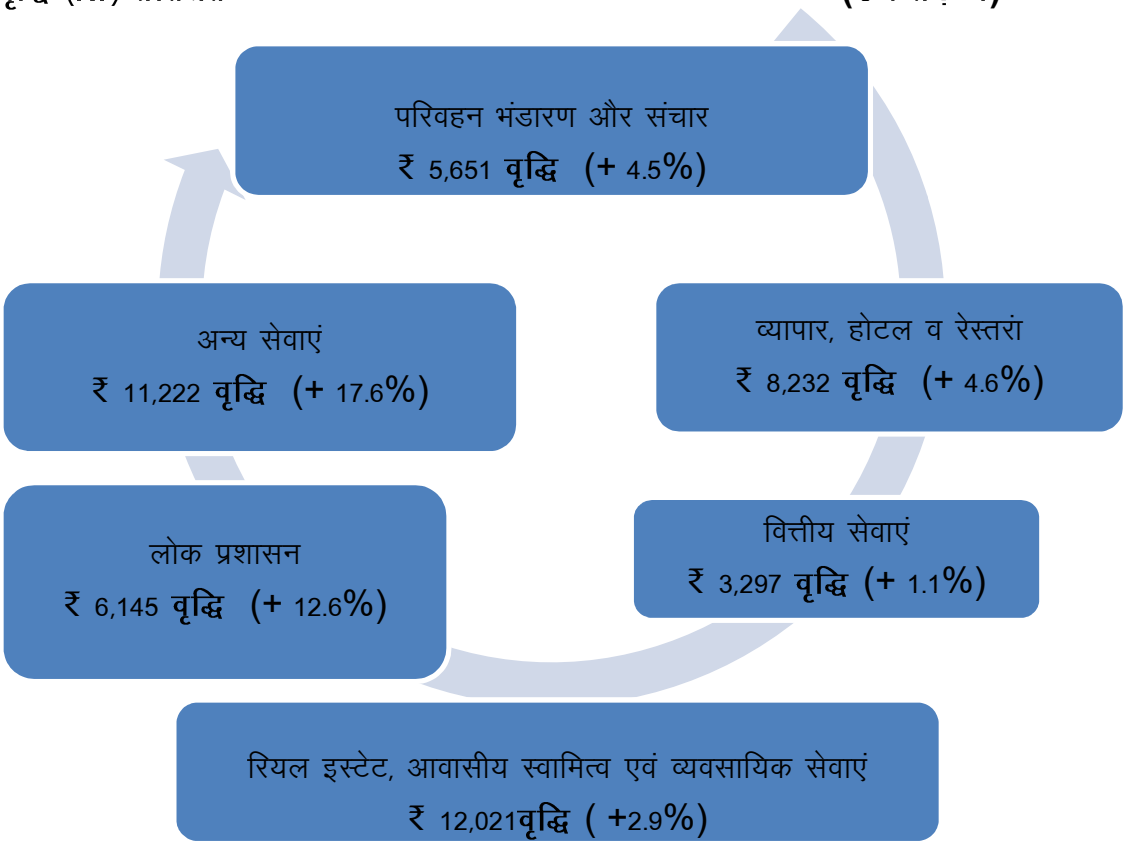

2.6 प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान

प्रचलित कीमतों पर प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2019–20 (प्र.सं.अ.) में ₹1,62,816 करोड़ आंका गया जोकि वर्ष 2018–19 (द्वि.सं.अ.) में ₹1,49,442 करोड़ था। प्रचलित आधारभूत कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित उत्पाद वर्ष 2019–20 में ₹1,52,754 करोड़ अनुमानित है जोकि वर्ष 2018–19 में ₹1,39,947 करोड़ था। प्रचलित आधारभूत कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान निम्न सारणी 2.1 में दर्शाया गया है:–

सारणी 2.1

क्षेत्रवार राज्य सकल वर्धित में, वर्ष 2017–18 से 2019–20 (प्र.सं.अ.)प्रचलित भाव पर (उत्पाद ₹ करोड़ व योगदान प्रतिशत में)

क्षेत्र	2017–18	2018–19 (द्वि.स.अ.)	2019–20 (प्र.स.अ.)
कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाएं (प्राथमिक क्षेत्र)	16,473	17,836	22,280
	13.01%	12.74%	14.58%
गौण क्षेत्र	56,692	63,347	64,063
	44.78%	45.27%	41.94%
सेवाएं (तृतीयक क्षेत्र)	53,434	58,764	66,411
	42.21%	41.99%	43.48%
प्रचलित आधार मूल्य पर सकल मूल्य वर्धन	**1,26,599**	**1,39,947**	**1,52,754**
	100.00	100.00	100.00
बजार कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद	**1,38,551**	**1,49,442**	**1,62,816**

स्त्रोतः अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, हि.प्र. सरकार

प्रचलित आधारभूत कीमतों पर 2019–20 में प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ₹22,280 करोड़ (14.58 प्रतिशत) रहा है। इसी समयावधि में गौण क्षेत्र का योगदान ₹64,063 करोड़ (41.94 प्रतिशत) है, व सेवा क्षेत्र का योगदान ₹66,411 करोड़ (43.48 प्रतिशत) है। समस्त भारत एवं हिमाचल प्रदेश का प्रचलित तथा स्थिर (2011–12) कीमतों पर, 2011–12 से 2019–20 (प्रथम संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद सारणी 2.2 में वर्णित है:

सारणी 2.2
सकल घरेलू उत्पाद हिमाचल प्रदेश तथा समस्त भारत 2011–12 से 2019–20 (प्र.सं.अ.) प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर

(मूल्य ₹ करोड़ में और वृद्धि दर प्रतिशत में)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश				समस्त भारत			
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित कीमतों पर)	वृद्धि (+)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर कीमतों पर (2011–12)	वृद्धि (+)	सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित कीमतों पर)	वृद्धि (+)	सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर कीमतों पर (2011–12)	वृद्धि (+)
2011–12	72,720		72,720		87,36,329		87,36,329	
2012–13	82,820	13.9	77,384	6.4	99,44,013	13.8	92,13,017	5.5
2013–14	94,764	14.4	82,847	7.1	1,12,33,522	13.0	98,01,370	6.4
2014–15	1,03,772	9.5	89,060	7.5	1,24,67,959	11.0	1,05,27,674	7.4
2015–16	1,14,239	10.1	96,274	8.1	1,37,71,874	10.5	1,13,69,493	8.0
2016–17	1,25,634	10.0	1,03,055	7.0	1,53,91,669	11.8	1,23,08,193	8.3
2017–18	1,38,551	10.3	1,09,407	6.2	1,70,90,042	11.0	1,31,44,582	6.8
2018–19 (द्वि.सं.अ)	1,49,442	7.9	1,16,570	6.5	1,88,86,957	10.5	1,40,03,316	6.5
2019–20 (प्र.सं.अ.)	1,62,816	8.9	1,22,284	4.9	2,03,51,013	7.8	1,45,69,268	4.0

स्त्रोतः अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, हि.प्र. सरकार

2.7 प्रति व्यक्ति आय

वर्ष 2019–20 में प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार, प्रचलित कीमतो पर, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018–19 (द्वितीय संशोधित अनुमान) ₹1,76,460 से बढ़कर ₹1,90,407 होने की सम्भावना है जो 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। स्थिर कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2018–19 (द्वितीय संशोधित अनुमान) के ₹1,36,664 से बढ़कर वर्ष 2019–20 में (प्रथम संशोधित अनुमान) में ₹1,42,155 होने की सम्भावना है जो 4.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। हिमाचल प्रदेश और भारत की प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक विवरण वर्ष 2011–12 से 2019–20 का निम्न तालिका में वर्णित है:

प्रति व्यक्ति आय

प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर

(₹ में)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
2011–12	87,721	63,462
2012–13	99,730	70,983
2013–14	1,14,095	79,118
2014–15	1,23,299	86,647
2015–16	1,35,512	94,797
2016–17	1,50,290	1,04,880
2017–18 (तृ.सं.अ.)	1,65,497	1,15,224
2018–19 (द्वि.सं.अ.)	1,76,460	1,25,883
2019–20 (प्र.सं.अ.)	1,90,407	1,34,186

2.8 सम्भावनाएं– 2020–21

राज्य की कोविड़–19 व आर्थिक स्थिति के प्रभाव के आधार पर दिसम्बर, 2020 तक अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020–21 में आर्थिक वृद्धि दर (–) **6.2 प्रतिशत** रहने की संभावना है। राज्य ने 2019–20 (प्रथम संशोधित अनुमान) में

4.9 प्रतिशत और 2018–19 (द्वितीय संशोधित अनुमान) में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है। वर्ष 2020–21 (अग्रिम) में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान लगभग ₹1,56,522 करोड़ आंका गया है।

अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2020–21 में ₹1,83,286 अनुमानित है जोकि वर्ष 2019–20 में ₹1,90,407 की तुलना में 3.7 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाती है।

हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास का संक्षिप्त विश्लेषण बताता है कि प्रदेश की आर्थिक विकास दर सदैव समस्त भारत की विकास दर के समकक्ष ही रहती रही है, जैसा कि सारणी 2.3 में भी दर्शाया गया है:–

सारणी 2.3

अवधि	औसतन विकास दर प्रतिशत	
	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
1	2	3
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)	(+) 1.6	(+) 3.6
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)	(+) 4.4	(+) 4.1
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)	(+) 3.0	(+) 2.4
वार्षिक योजना (1966–67 से 1968–69)	..	(+) 4.1
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)	(+) 3.0	(+) 3.4
पंचम पंचवर्षीय योजना(1974–78)	(+) 4.6	(+) 5.2
वार्षिक योजना (1978–79 से 1979–80)	(-) 3.6	(+) 0.2
छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)	(+) 3.0	(+) 5.3
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)	(+) 8.8	(+) 6.0
वार्षिक योजना (1990–91)	(+) 3.9	(+) 5.4
वार्षिक योजना (1991–92)	(+) 0.4	(+) 0.8
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)	(+) 6.3	(+) 6.2
नवम पंचवर्षीय योजना (1997–2002)	(+) 6.4	(+) 5.6
दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007)	(+) 7.6	(+) 7.8
ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012)	(+) 8.0	(+) 8.0
वारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)	(+) 7.2	(+) 7.1
वार्षिक योजना (i) 2017–2018	(+) 6.2	(+) 6.8
वार्षिक योजना (ii) 2018–2019	(+) 6.5	(+) 6.5
वार्षिक योजना (iii) 2019–2020	(+) 4.9	(+) 4.0
वार्षिक योजना (iv) 2020–2021	(-) 6.2	(-) 7.7

स्त्रोतः अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, हि.प्र. सरकार

2.9 सार्वजनिक वित्त एवं कराधान

राज्य सरकार प्रशासन एवं विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों, गैर कर राजस्व, केंद्रीय करों से प्राप्त हिस्सा एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय साधन जुटाती है। वर्ष 2020–21 के बजट अनुमानों (ब.अ.) अनुसार, कुल राजस्व प्राप्तियां ₹38,439 करोड़ है जबकि 2019–20 में यह ₹32,330 करोड़ थी।

बजट अनुमान कोविड–19 महामारी के कारण काफी प्रभावित हुए हैं।

राज्य करों का वर्गीकरण यह दर्शाता है कि बिक्री कर (जिसमें अन्य कर तथा शुल्क शामिल है) ₹6,957 करोड़ है जोकि वर्ष 2020–21 के कुल राजस्व का 76.53 प्रतिशत है। 2018–19 (वा.) और 2019–20 (स.अ.) में यह क्रमशः 77.02 और 75.88 प्रतिशत है। 2020–21 (ब.अ.) में राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां ₹1,788 करोड़ अनुमानित है।

आबकारी एवं कराधान विभाग ने 2019–20 में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत ₹6,796.00 करोड़ मूल्य के करों को एकत्रित किया है जोकि लक्ष्य ₹6,888.62 करोड़ से 1.34 प्रतिशत कम है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्व लक्ष्य ₹7,884.78 करोड़ था जिसमें दिसम्बर, 2020 तक ₹4,695.61 करोड़ प्राप्त किए जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक कर राजस्व लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

सारणी 2.4
राजकोषीय स्थिति व मापदण्ड

(₹करोड़)

मद	लक्ष्य	उपलब्धियां
वस्तु एवं सेवा कर	3855.13	2370.43
राज्य आबकारी कर	1787.90	1136.08
वस्तु वर्धित मूल्य	1685.27	945.97
अन्य कर	390.16	184.07
यात्री एवं वस्तु कर	166.32	59.06
योग	7884.78	4695.61

स्रोतः आबकारी एवं कराधान विभाग, हि.प्र.

2.10 राजस्व प्राप्तियां

सरकार की प्राप्तियां मुख्य रूप से दो भागों–गैर ऋण तथा ऋण प्राप्तियों में विभाजित की जा सकती हैं। गैर ऋण प्राप्तियों में कर राजस्व, कर रहित राजस्व, सहाय अनुदान, ऋण वसूली तथा विनिवेश होते हैं। ऋण प्राप्तियां अधिकतर बाज़ार ऋण तथा अन्य देनदारियों से प्राप्त होती हैं जिसे सरकार को भविष्य में लौटाने का दायित्व होता है।

सारणी 2.5

राज्य सरकार के प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड (₹ करोड़)

मद/वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–.20 (सं.अ.)	2020–.21 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां	17,843	23,440	26,264	27,367	30,950	32,330	38,439
कर राजस्व (केन्द्रीय भाग सहित)	8,584	10,307	11,383	11,909	13,003	12,682	15,356
गैर कर राजस्व	2,081	1,837	1,717	2,364	2,830	2,372	2,410
विनिवेश प्राप्तियां	650	0	0	35	9	0	0
ऋण वसूली	41	26	30	40	22	31	26
कुल व्यय	30,994	29,578	36,076	34,811	39,154	49,688	49,131
राजस्व व्यय	19,787	22,303	25,344	27,053	29,429	36,337	39,123
पूंजीगत व्यय	2,473	2,864	3,499	3,756	4,584	5,943	6,255
वितरित किए गए ऋण	474	463	3,290	503	468	707	359
व्याज अदायगी	2,849	3,155	3,359	3,788	4,022	4,550	4,932
राजकोषीय घाटा (–)/ आधिक्य (+)	-4,200	-2,164	-5,839	-3,870	-3,500	-10,626	-7,272
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+)	-1,944	1,137	920	314	1,522	-4,007	-684
प्रारम्भिक घाटा (–)/ आधिक्य (+)	-1,351	991	-2480	-82	522	-6,076	-2,340

स्त्रोतः वार्षिक वित्तीय विवरणिका, हिमाचल प्रदेश सरकार बजट

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता)

मद/वर्ष	2014– 15	2015– 16	2016– 17	2017–18	2018–19	2019–20 (सं.अ.)	2020–21 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां	17.19	20.52	20.91	19.75	20.71	19.86	24.56
कर राजस्व (केन्द्रीय भाग सहित)	8.27	9.02	9.06	8.60	8.70	7.79	9.81
गैर कर राजस्व	2.01	1.61	1.37	1.71	1.89	1.46	1.54
विनिवेश प्राप्तियां	0.63	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00
ऋण वसूली	0.04	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02
कुल व्यय	29.87	25.89	28.72	25.13	26.20	30.52	31.39
राजस्व व्यय	19.07	19.52	20.17	19.53	19.69	22.32	25.00
पूंजीगत व्यय	2.38	2.51	2.79	2.71	3.07	3.65	4.00
वितरित किए गए ऋण	0.46	0.41	2.62	0.36	0.31	0.43	0.23
व्याज अदायगी	2.75	2.76	2.67	2.73	2.69	2.79	3.15
राजकोषीय घाटा (–)/ आधिक्य (+)	-4.05	-1.89	-4.65	-2.79	-2.34	-6.53	-4.65
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+)	-1.87	1.00	0.73	0.23	1.02	-2.46	-0.44
प्रारम्भिक घाटा (–)/ आधिक्य (+)	-1.30	0.87	-1.97	-0.06	0.35	-3.73	-1.49

2.11 कर राजस्व

बजट अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2020–21 में कर राजस्व (केन्द्रीय कर सहित) ₹15,356 करोड़ होने का अनुमान है जोकि वर्ष 2019–20 (संशोधित अनुमान) में ₹12,682 करोड़ थे।

2.12 कर–रहित राजस्व

कर–सहित राजस्व मुख्यतः ऋण पर ब्याज प्राप्तियां, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ व लाभांश, सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं–सामान्य सेवाओं जैसे लोक सेवा आयोग, सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा, आर्थिक सेवाओं जैसे कि सिंचाई इत्यादि से प्राप्त राशि शामिल होते हैं।

कर रहित राजस्व वर्ष 2020–21 में 1.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹2,410 करोड़ रहने का अनुमान है जोकि वर्ष 2019–20 (संशोधित अनुमान) में ₹2,372 करोड़ रहा यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.54 प्रतिशत था।

2.13 गैर ऋण पूजी प्राप्तियां

गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋणों की वसूलियो तथा विनिवेश से प्राप्तियां शामिल हैं। वर्ष 2020–21 में ऋणों की वसूलियों से ₹26.00 करोड़ मिलने की संभावना है और विनिवेश से कोई आय नहीं होगी।

बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार का कुल व्यय ₹49,131 करोड़ रहने की सम्भावना थी, जिसमें से ₹39,123 करोड़ (कुल बजट का 79.63 प्रतिशत) राजस्व व्यय होने का अनुमान था। पहली दो तिमाहियों में कोविड–19 महामारी के बजटीय खर्च पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, हालांकि पिछली दो तिमाहियों में खर्च काफी सीमा तक सामान्य हो गया था।

चित्र –1 कर –सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रुप में

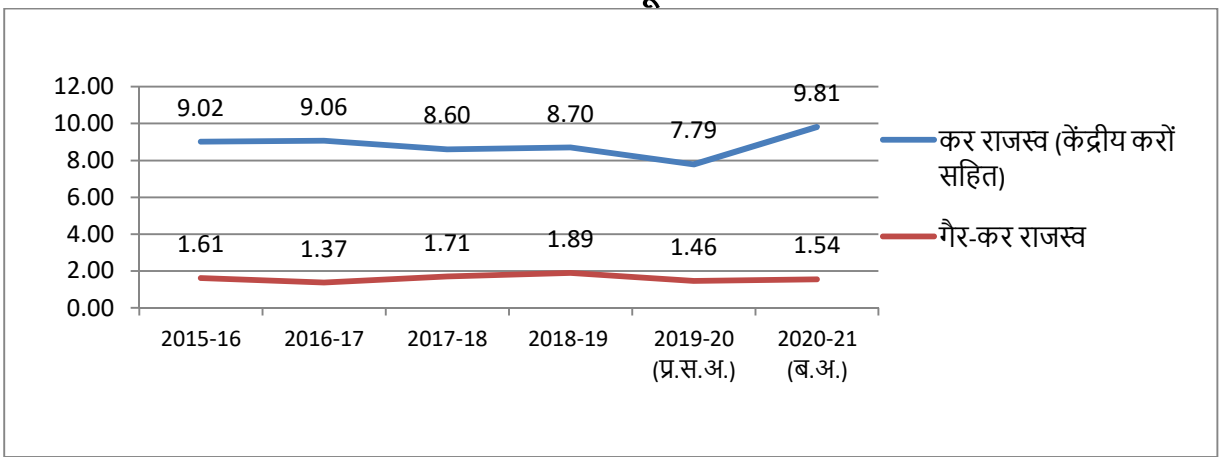

नोटः यह दर्शाता है कि कर राजस्व राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का वर्ष 2015–16 में 9.02 प्रतिशत था जो 2019–20(सं.अ.) में घटकर 7.79 हो गया, वर्ष 2020–21 (ब.अ.) में बढ़कर 9.81 प्रतिशत होने की संभावना है।

बजट अनुमानों के अनुसार राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2020–21 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 24.56 प्रतिशत होने का अनुमान है जोकि वर्ष 2019–20 संशोधित अनुमानों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 19.86 प्रतिशत थी। इसके साथ ही कर राजस्व वर्ष 2020–21 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 9.81 प्रतिशत होने की संभावना है जोकि वर्ष 2019–20 में 7.79 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त गैर कर राजस्व 2020–21 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.54 प्रतिशत होने की संभावना है जो वर्ष 2019–20 में 1.46 प्रतिशत था। 2020–21 में राजकोषीय घाटा, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.65 प्रतिशत होने की संभावना है जो 2019–20 में 6.53 प्रतिशत था। परन्तु कोविड–19 महामारी के चलते अर्थव्यवस्था में संकुचन के कारण संशोधित अनुमानों में इसमें वृद्धि होने की संभावना है।

वर्ष 2020–21 के दौरान प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 24.56 प्रतिशत, कर राजस्व 9.81 प्रतिशत, गैर कर राजस्व 1.54 प्रतिशत अनुमानित है जोकि कोविड–19 महामारी के कारण नीचे आने की संभावना है। जबकि कुल व्यय राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 31.39 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय 25.00 प्रतिशत अनुमानित है। पूंजीगत व्यय राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.00 प्रतिशत अनुमानित है जिसकी कोविड–19 महामारी से प्रभावित होने की संभावना है।

सारणी–2.6
राज्य सरकार के राजकोषीय संकेतकों की वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

मद / वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–.20 (सं.अ.)	2020–.21 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां	13.57	31.36	12.05	4.20	13.09	4.46	18.90
कर राजस्व प्राप्तियां (केन्द्रीय भाग सहित)	12.77	20.07	10.44	4.62	9.18	-2.46	21.08
गैर कर राजस्व	16.61	-11.74	-6.53	37.67	19.72	-16.19	1.63
व्याज अदायगी	14.83	10.74	6.47	12.78	6.16	13.14	8.39
कुल व्यय	44.54	-4.57	21.97	-3.51	12.48	26.90	-1.12
राजस्व व्यय	14.03	12.71	13.64	6.74	8.78	23.47	7.67
पूंजीगत व्यय	33.24	15.82	22.17	7.34	22.06	29.65	5.24

स्त्रोतः वार्षिक वित्तीय बजट विवरण, हि.प्र. सरकार

2.14 राजकोषीय संकेतकों की रुझान

उपरोक्त तालिका 2.6 से पता चलता है कि वर्ष 2019–20 में राज्य के कुल व्यय और राजस्व व्यय की वृद्धि दर क्रमशः 26.90 प्रतिशत और 23.47 प्रतिशत अनुमानित की गई थी। कुल व्यय में (–)1.12 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है और 2021–22 में राजस्व व्यय में 7.67 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है जोकि कोविड–19 महामारी के कारण और नीचे आने की संभावना है।

2.15 सरकारी व्यय

सरकारी व्यय का युक्तिकरण और प्राथमिकता राजकोषीय सुधार का अभिन्न अंग है, क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य कर का अनुपात कम है और राज्य सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करना चुनौती है इसलिए पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता में सुधार महत्वपूर्ण हो जाता है।

2.16 राजस्व व्यय की संरचना

राजस्व व्यय की संरचना सारणी 2.7 में दी गई है, यह दर्शाती है कि राज्य सरकार कुल व्यय का अधिकतर भाग राजस्व व्यय में कर रही है। वर्ष 2020–21 में कुल बजट का 80 प्रतिशत राजस्व व्यय पर किया गया है। वर्ष 2020–21 (ब.अ.) में कुल व्यय का 57 प्रतिशत वेतन, पेंशन, ब्याज़ भुगतान एवं अनुदानों पर खर्च किया जाएगा। वेतन, पेंशन और ब्याज़ भुगतान एक प्रतिबद्ध व्यय है जिसके कारण इन मदों पर राजकोषीय प्रबन्धन का दायरा सीमित है। वर्ष 2020–21 में अनुदान को महत्वपूर्ण ढंग से कुल खर्च के 2.4 प्रतिशत पर सीमित किया गया है।

सारणी –2.7
मद के अनुसार राजस्व व्यय की संरचना (₹ करोड़)

मद	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20 (सं.अ.)	2020–21 (ब.अ.)
वेतन एवं मजदूरी	7,869	7,832	9,421	10,671	11,006	13,889	14,836
कुल व्यय में वेतन एवं मजदूरी का प्रतिशत	25.39	26.48	26.11	30.65	28.13	27.95	30.20
पेंशन	2,914	3,836	4,114	4,709	4,975	6,660	7,266
कुल व्यय में पेंशन का प्रतिशत	9.40	12.97	11.40	13.53	12.71	13.40	14.79
ब्याज	2,849	3,155	3,359	3,788	4,022	4,550	4,932
कुल व्यय में ब्याज का प्रतिशत	9.19	10.67	9.31	10.88	10.27	9.16	10.04
अनुदान	801	1346	764	907	1283	1066	1158
कुल व्यय में अनुदान का प्रतिशत	2.58	4.55	2.12	2.61	3.28	2.15	2.36
कुल व्यय	**30,994**	**29,578**	**36,076**	**34,811**	**39,154**	**49,688**	**49,131**

स्त्रोतः वार्षिक वित्तीय बजट विवरण, हि.प्र. सरकार

सारणी –2.8
राजस्व व्यय की मुख्य मदों में वृद्धि दर

(₹ करोड़)

मद	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20 (सं.अ.)	2020–21 (ब.अ.)
वेतन एवं मजदूरी	11.85	-0.47	20.29	13.27	3.23	26.09	6.82
पेन्शन	2.08	31.64	7.25	14.46	5.65	33.87	9.10
ब्याज	14.84	10.74	6.47	12.78	6.16	13.14	8.39
अनुदान	71.54	68.04	-43.24	18.72	41.46	-16.91	8.63

उपरोक्त सारणी 2.8 दर्शाती है कि वेतन तथा पेन्शन व्यय में, वृद्धि वर्ष दर वर्ष बढ़ी है जबकि इसका अपवाद वर्ष 2015–16 है जिसमें यह वृद्धि ऋणात्मक रही। वेतन व्यय में वर्ष 2016–17(वा.अ.) में 20 प्रतिशत, वर्ष 2018–19 में 3 प्रतिशत तथा वर्ष 2020–21 (ब.अ.) में 7 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है इसके अलावा पेंशन व्यय में वृद्धि वर्ष 2015–16(वा.) में 32 प्रतिशत, वर्ष 2018–19 में 6 प्रतिशत तथा वर्ष 2020–21 (ब.अ.) में 9 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। ब्याज़ भुगतान 2017–18 (वा.अ.) में 13 प्रतिशत, 2018–19 में 6 तथा 2020–21 (ब.अ.) में 8 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। अनुदान पर व्यय में वर्ष 2017–18 में 19 प्रतिशत, वर्ष 2018–19 में 41 प्रतिशत तथा वर्ष 2020–21 (ब.अ.) में 9 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है।

सारणी –2.9
राज्य सरकार की ऋण की स्थिति

(₹ करोड़)

मद	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
अ. लोक ऋण (अ 1+अ 2)	22,659.48	25,198.06	27,919.56	32,570.27	34,670.71	36,424.77
अ 1. आन्तरिक ऋण	21,647.06	24,127.33	26,860.87	31,493.97	33,591.41	35,363.12
अ 2. केन्द्र सरकार से प्राप्त उधार एवं अग्रिम राशि	1,012.42	1,070.73	1,058.69	1,076.30	1,079.30	1,061.64
ब. सार्वजनिक खाता और अन्य देयता	8,783.08	9,953.54	10,648.26	11,852.46	13,235.49	14,348.12
स. कुल देयता(अ + ब)	31,442.56	35,151.60	38,567.82	44,422.73	47,906.20	50,772.89
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	94,764	1,03,772	1,14,239	1,25,634	1,38,551	1,49,442
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ऋण का प्रतिशत	33.18	33.87	33.76	35.36	34.58	33.97

स्त्रोतः वित्त विभाग, हि.प्र. सरकार

वर्ष 2018–19 में राज्य की कुल देनदारियां ₹ 50,772.89 करोड़ हो गई जो वर्ष 2013–14 में ₹ 31,442.56 करोड़ थी जो 61 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसके अतिरिक्त राज्य की कुल देनदारियां वर्ष 2018–19 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 33.97 प्रतिशत है। (सारणी 2.9)

2.17 विकास योजना और बजटः

(क) बजट में योजना और गैर योजना आधारित वर्गीकरण का उन्मूलनः

राज्य के बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विस्तृत विवरण होता है। बजट में राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के वर्गीकरण के अलावा योजना और गैर योजना शीर्षों में व्यय को वर्गीकृत किया जाता था, जब तक कि सरकार ने वर्ष 2020 में वित्तीय वर्ष 2021–22 से बजट में योजना और गैर योजना आधारित वर्गीकरण बंद करने का फैसला नहीं किया।

बजट व्यय का गैर योजना घटक व्यापक रूप से प्रतिबद्ध देनदारियां से सम्बन्धित है जैसे कि ब्याज़, ग्रेच्यूटि, वेतन, पैंशन, मज़दूरी और रखरखाव का भुगतान; जबकि, बजट व्यय का योजना घटक मुख्य रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और अन्य विकास योजनाओं पर केंद्रित होता है।

ख) बजट और वार्षिक विकास योजनाः

वर्ष 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद वर्ष 1972–73 में हिमाचल प्रदेश में ''राज्य योजना मशीनरी'' की स्थापना की गई। इस मशीनरी की स्थापना का मूल उद्देश्य पंच वर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के निर्माण में सचिवीय सेवाएं प्रदान करना था। बजट अनुदान को योजना और गैर–योजना के रूप में विभिन्न मांगों में दर्शाया जा रहा था, जिसे आगे पूंजी और राजस्व व्यय में वर्गीकृत किया जाता था। राष्ट्रीय स्तर पर बदलावों के कारण योजना और गैर–योजना शीर्षों में व्यय का वर्गीकरण अप्रसांगिक हो गया है। भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार आयोग, सी. रंगराजन समिति (2012) और बिमल जालान समिति (2016) ने भी बजट में योजना और गैर–योजना आधारित वर्गीकरण को बंद करने की सिफारिश की है और राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के आधार पर बजटीय वर्गीकरण करने का सुझाव दिया है। तदनुसार केंद्र सरकार ने इस वर्गीकरण को वित्त वर्ष 2017–18 से समाप्त कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अगस्त, 2020 में राज्य बजट में योजना और गैर–योजना घटक के इस वर्गीकरण को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है और अगले वित्तीय वर्ष 2021–22 से राज्य बजट को केवल राजस्व और पूंजी आधारित वर्गीकरण के साथ बनाने की मंजूरी दी।

ग) अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (एस.सी.डी.पी.) और जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (टी.ए.डी.पी.):

1. योजना विभाग द्वारा वार्षिक योजना के स्थान पर वार्षिक विकास बजट तैयार किया जाएगा और उसकी निगरानी की जाएगी।

2. अनुसूचित जाति उप–योजना और जनजातीय क्षेत्र उप–योजना को वर्तमान तंत्र के अनुसार तैयार किया जाएगा और इन उप–याजनाओं को अब अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (एस.सी.डी.पी.) और जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (टी.ए.डी.पी.) का नाम दिया जाएगा। ई.एस.ओ.एम. एस.ए और जनजातीय विकास विभाग क्रमशः अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (एस.सी.डी.पी.) और जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (टी.ए.डी.पी.) के लिए नोडल विभाग के रूप में अपने वर्तमान कार्यों को जारी रखेंगे।

3. अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (एस.सी.डी.पी.) और जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (टी.ए.डी.पी.) के लिए बजट का आवंटन क्रमशः 25.19 प्रतिशत और 9 प्रतिशत होगा।

कोविड–19 का हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और राज्य द्वारा किए गए प्रयास

3 अध्याय

3.1 भूमिका

कोरोना वायरस महामारी के बीच, दुनिया भर के कई देशों ने संक्रमण के ग्राफ को समतल करने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया। इस लॉकडाउन का मतलब अपने घरों में लाखों नागरिकों को बंद करना, व्यवसायों को बंद करना और लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को बंद करना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2020 में 3 प्रतिशत से अधिक सिकुड़ने की उम्मीद है जो 1930 के महामंदी के बाद से सबसे बड़ी मंदी है।

भारत में कोविड –19 महामारी के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में, भारत की संपूर्ण 1.3 बिलियन आबादी के आवाजाही को सीमित करते हुए, 24 मार्च 2020 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 21 दिनों के लिए देशव्यापी तालाबंदी का आदेश दिया। यह 22 मार्च को 14 घंटे की स्वैच्छिक सार्वजनिक कर्फ्यू के बाद देश के कोविड –19 प्रभावित क्षेत्रों में नियमों की एक श्रृंखला के बाद दिया गया आदेश था। लॉकडाउन तब लगाया गया था जब भारत में पुष्टि किए गए सकारात्मक कोरोनावायरस मामलों की संख्या लगभग 500 थी। समीक्षकों के अनुसार लॉकडाउन ने महामारी की वृद्धि दर को 6 अप्रैल तक हर छह दिनों में दोगुना करने की दर को धीमा कर दिया था, और 18 अप्रैल से आठ दिनों के बाद दोगुना हो रही थी।

भारत में कोविड–19 महामारी का पहला मामला 30 जनवरी, 2020 को आया था जिसे चीन से उत्पन्न हुआ माना गया। धीरे–धीरे, महामारी हिमाचल प्रदेश राज्य सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गई। हिमाचल प्रदेश में पहला मामला 20 मार्च 2020 को दर्ज किया गया था।

अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी से एक अनूठा आर्थिक झटका लगा है, जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में आपूर्ति और मांग–दोनों तरह प्रभावित किया। अनिश्चितता, आत्मविश्वास में कमी, आय में कमी, कमजोर विकास की संभावनाएं, छूत की आशंका, सभी गतिविधियों को बंद होने के कारण खर्च करने के विकल्पों में कमी, एहतियाती बचत का बढ़ना, व्यवसायों के बीच जोखिम में गिरावट और खपत और निवेश में परिणामी गिरावट से पहले चरण की मांग को अत्याधिक प्रभावित किया।

सारणी 3.1
हिमाचल प्रदेश में कोविड–19 का प्रसार

जनसंख्या 73,00,000 (रा. ज. आ. द्वारा 2019 जनसंख्या प्रक्षेपण पर आधारित)
प्रति मिलियन की पुष्टि
7,975.6
भारत में 8,190.1 पु. प्र. मि. है
हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक 10 लाख लोगों में से लगभग 7,976 लोगों का वायरस के लिए परीक्षण सकारात्मक आया है

सक्रिय अनुपात
0.7 प्रतिशत
प्रत्येक 100 पुष्ट मामलों के लिए, वर्तमान में लगभग 1 संक्रमित हैं

स्वस्थ होने का अनुपात
97.6 प्रतिशत
प्रत्येक 100 पुष्ट मामलों के लिए, लगभग 98 वायरस से स्वस्थ हुए हैं।

मृत्यु दर अनुपात
1.7 प्रतिशत
प्रत्येक 100 पुष्ट मामलों के लिए, 2 दुर्भाग्य से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं।

औसत विकास दर
0.1 प्रतिशत
07 फरवरी – 14 फरवरी।
पिछले एक सप्ताह में, नए संक्रमणों की संख्या में हर दिन औसतन 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

परीक्षण प्रति मिलियन
1,38,936.6 है
14 फरवरी 2021 तक
हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक 10 लाख लोगों के लिए, लगभग 1,38,937 नमूनों का परीक्षण किया गया।

स्रोतः कोविड–19 इंडिया पोर्टर्ल

अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन के विविध प्रभाव हैं क्योंकि यह परस्पर जुड़ा हुआ है। एक क्षेत्र में गड़बड़ी दूसरे में गड़बड़ी पैदा करती है, हालांकि परिवर्तनों की सीमा भिन्न होती है।

कोविड–19 ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है और इससे आपूर्तिकर्ता नेटवर्क के विभिन्न स्तरों में स्पिलओवर प्रभाव उत्पन्न हुए हैं। 2020 में व्यापार हर क्षेत्र में गिर गया है और इससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अवरोध आया है।

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने अपनी अर्थव्यवस्था पर बहु–प्रभाव देखा है जो निम्नलिखित चित्रों द्वारा दिए गए हैं।

चित्र 3.1
महामारी द्वारा दोहरा आर्थिक आघात

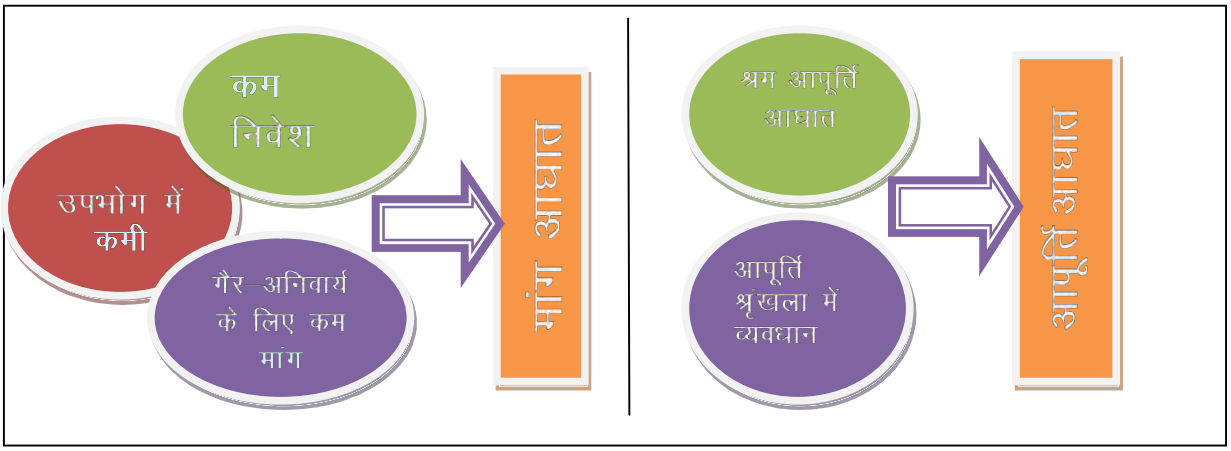

3.2 कोविड–19 का राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

कोविड–19 का अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पर प्रभाव तीव्र से लेकर न्यून रहा। वर्तमान अध्याय प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक जैसे क्षेत्रों के तहत राज्य अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों पर कोविड–19 प्रभाव का विश्लेषण करता है।

1) प्राथमिक क्षेत्रः वानिकी और लॉगिंग और खनन और उत्खनन

हिमाचल प्रदेश में वन संसाधनों की प्रचुर मात्रा है। यह प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। कोविड–19 लॉकडाउन का इसके ऊपर स्थायी प्रभाव पडा है जो निम्न आकृति में दिया गया है:

चित्र 3.2
वानिकी और लॉगिंग और खनन और उत्खनन की वृद्धि दर

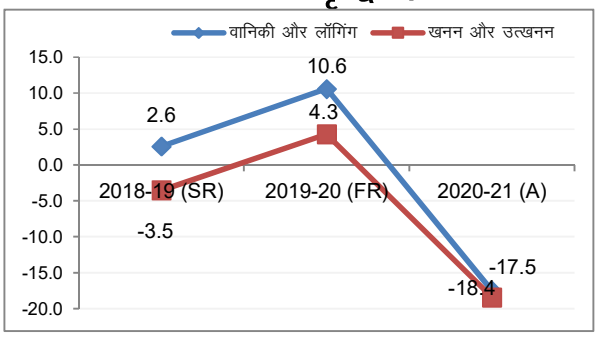

प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक गिरावट खनन और उत्खनन (–18.4 प्रतिशत) में देखी जा सकती है, उसके बाद वानिकी (–17.5 प्रतिशत) है। यह कोविड–19 के प्रकोप के कारण देशव्यापी तालाबंदी के कारण है, जिसने सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए घरों में

रहने के लिए मजबूर किया। वन में काम करने के लिए श्रम की अनुपलब्धता और दूसरी तरफ मांग में कमी से इन क्षेत्रों को दोहरे झटके लगे।

2) गौण क्षेत्रः विनिर्माण (संगठित और असंगठित) और निर्माण

विनिर्माण और निर्माण किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये गौण क्षेत्र के मुख्य घटक हैं जो राज्य सकल घरेलू उत्पादन में दूसरे उच्चतम प्रतिशत का हिस्सा हैं। निम्न आकृति इन क्षेत्रों में विकास दर दर्शाता हैः–

चित्र 3.3
विनिर्माण की वृद्धि दर (संगठित और असंगठित) और निर्माण

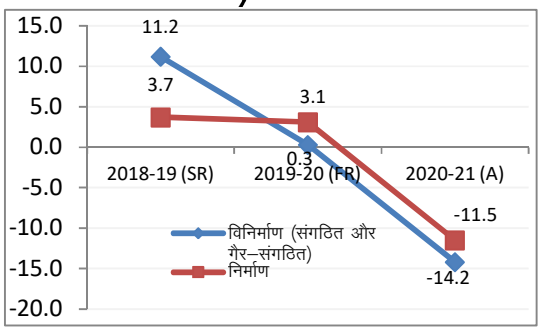

लॉकडाउन के कारण श्रम की अनुपलब्धता राज्य में विनिर्माण और निर्माण की वृद्धि दर में गिरावट का मुख्य कारण है।

3) तृतीयक क्षेत्रः

क) परिवहन, भंडारण और संचार और अन्य साधनों द्वारा परिवहन

परिवहन तृतीयक क्षेत्र का एक हिस्सा है और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। अन्य परिवहन की अनुपस्थिति जैसे कि विमान और ट्रेन, पहाड़ी इलाके में सड़क परिवहन को एक महत्वपूर्ण बनाता है। निम्न आकृति इस क्षेत्र में विकास दर दर्शाता हैः

चित्र 3.4
अन्य माध्यमों से परिवहन और संचार और परिवहन की वृद्धि दर

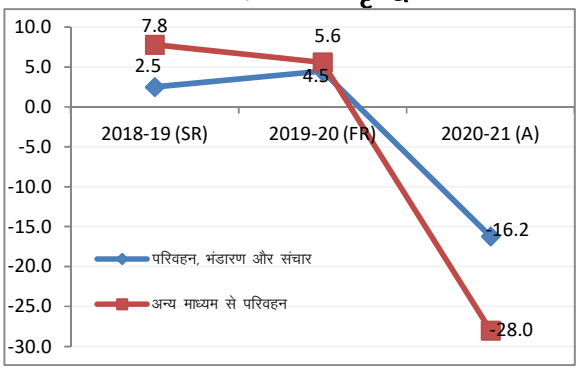

अन्य साधनों से परिवहन का उच्चतम (–) 28 प्रतिशत संकुचन है जबकि, परिवहन, भंडारण और संचार में कोविड–19 के कारण 2020–21 (अ) में (–) 16.2 प्रतिशत संकुचन है।

ख) पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र

पर्यटन राज्य में राजस्व और रोजगार सृजन का मुख्य स्रोत बना हुआ है। हालांकि, कोविड –19 लॉकडाउन के कारण राज्य में पर्यटन क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। राज्य में 2010 से पर्यटकों की आमद सारणी 3.3 में प्रदर्शित है।

चित्र 3.5
वर्ष दर वर्ष पर्यटकों की आमद की वद्धि दर

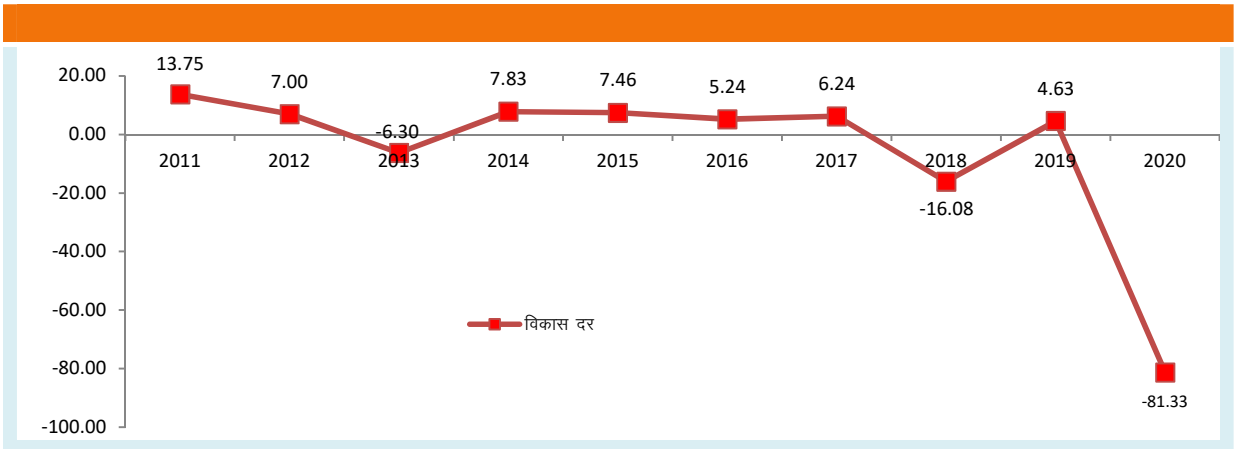

पर्यटकों के आगमन से राज्य में वर्ष–दर–वर्ष विकास दर के संदर्भ में भिन्नता देखी जा सकती है। हालांकि, विकास दर में एक बड़ा बदलाव देशव्यापी तालाबंदी के समय में देखा जा सकता है, जिसने न केवल घरेलू पर्यटकों को अपने घरों में बंद करने के लिए मजबूर किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध के कारण विदेशी पर्यटकों को भी अपने देश में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।उपरोक्त तालिका पिछले वर्ष की तुलना में पर्यटकों के आगमन में सबसे उच्चतम (–81.33 प्रतिशत) संकुचन दिखाती है। सारणी 3.4 राज्य में पर्यटकों की आमद के सूचकांक को प्रस्तुत करती है। सूचकांक का आधार वर्ष 2010 है।

सारणी 3.2
राज्य में टूरिस्ट आगमन का सूचकांक (आधार वर्ष 2010)

वर्ष	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
घरेलू	113.99	122.12	114.86	124.30	133.66	140.48	149.32	125.62	131.36	24.75
विदेशी	106.81	110.29	91.32	85.91	89.53	99.81	103.83	78.61	84.41	9.41
संपूर्ण	113.75	121.72	114.05	122.98	132.15	139.09	147.76	124.01	129.75	24.22

नोटः इन आंकड़ों का डेटा कैलेंडर वर्ष से संबंधित है
स्रोत्रः पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

सूचकांक के अनुसार वर्ष 2020 में पर्यटकों के आगमन की संख्या वर्ष तुलना में 24.22 प्रतिशत रही। दूसरे शब्दों में 2020 में पर्यटकों के आगमन में 2010 की तुलना में (–) 75.88 प्रतिशत संकुचन था। विदेशी पर्यटकों आगमन में 2010 की तुलना में वर्ष 2020 में उच्चतम (–) 90.59 प्रतिशत का संकुचन था।

चित्र 3.6
राज्य में टूरिस्ट आगमन रूझान (आधार वर्ष 2010)

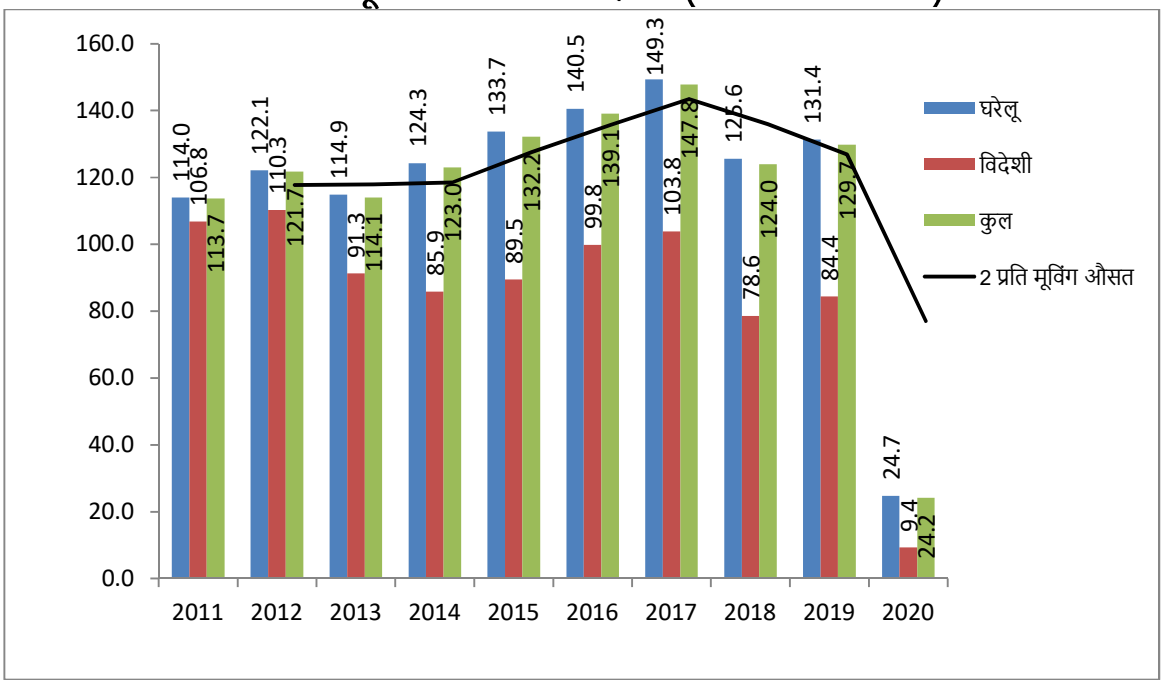

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश सरकार

ग) स्वास्थ्य क्षेत्र पर कोविड–19 का प्रभाव

कोविड –19 के कारण उपलब्ध स्वास्थ्य संरचना पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। कोविड –19 से निपटने के लिए अन्य क्षेत्रों के संसाधनों का स्वास्थ्य संसाधनों में परिवर्तन करना पड़ा। प्रतिबंधों के कारण टीकाकरण अभियान भी प्रभावित हुआ और राज्य के स्वास्थ्य लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ा जोकि सारणी 3.5 में दिखाए गए हैं:–

सरणी 3.3
राज्य में बाल टीकाकरण पर कोरोना–19 का प्रभाव

हिमाचल प्रदेश में बाल टीकाकरण		अप्रैल–दिसंबर 2019	अप्रैल–दिसंबर 2020
अ	12 महीने के बाद बाल टीकाकरण		
	खसरा और रूबेला (एम. आर.) – पहली खुराक	41	21
ब	23 महीने से अधिक बच्चों की संख्या जिनका टीकाकरण किया गया		
1	5 वर्ष से अधिक के बच्चों को डी.टी.5 दिया गया	77,923	15,744
2	10 वर्ष से अधिक के बच्चों को टी.टी.10 दिया गया	75,158	10,701
3	6 वर्ष से अधिक के बच्चों को टी.टी. 16 दिया गया	79,085	8,864

इस महामारी के कारण काफी हद तक खसरा और रूबेला के 12 महीने से अधिक उम्र के बच्चों को दी जाने वाली पहली खुराक पिछले वर्ष की तुलना में प्रभावित हुई है और इसी तरह 23 महीने से अधिक उम्र के बच्चों को दी जाने वाली डी. टी.5, टी.टी. 10 और टी.टी. 16 की खुराक भी प्रभावित हुई है।

सारणी 3.4
परिवार नियोजन कार्यक्रम

संकेतक	अप्रैल 2019–दिसंबर 2019	अप्रैल 2020–दिसंबर 2020
एन.एस.वी.	194	11
लैप्रोस्कोपिक नसबंदी	4,037	81
मिनिलैप नसबंदी	246	105
पी.पी. नसबंदी	1,125	963
पी. ए. नसबंदी	109	26
आई.यू.सी.डी. प्रविष्टि	7,474	6,146
पी. पी. आई.यू.सी.डी. प्रविष्टि	2,695	2,575
पी.ए.आई.यू.सी.डी. (गर्भपात के 12 दिनों के भीतर)	118	48
अंतरा	4,143	3,234
ओ.सी.पी.चक्र वितरण	2,16,358	1,72,429
सी.सी.वितरण	28,64,042	24,75,548

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रत्येक घटक इस महामारी द्वारा गंभीर रूप से बाधित हुए है।

3.3 कोविड –19 से निपटने के लिए राज्य की पहल

20 मार्च,2020 को पहले कोविड –19 पुष्टि मामले की सूचना मिलने के बहुत पहले, हिमाचल प्रदेश ने महामारी से निपटने के लिए एक बहु–आयामी रणनीति अपनाई। यह हिमाचल प्रदेश की अच्छी तरह से स्थापित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और विकेन्द्रीकृत ढांचे को महामारी के प्रभावी संचालन में योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से एक था, जिसने कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए न केवल लॉकडाउन, बल्कि कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के लिए समय रहते एहतियाती कदम उठाया और इसके बाद, राज्य सरकार ने तेजी से कोरोना–19 परीक्षण को बढ़ाया। 28 मार्च 2020 और 29 अप्रैल 2020 के बीच, कोरोनावायरस के लिए परीक्षण किए गए लोगों की संख्या में 3500 प्रतिशत की छलांग देखी गई। भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में सक्रिय केस फाइंडिंग (ए.सी.एफ.) अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की सराहना की। राज्यव्यापी कर्फ्यू लागू होने और इसे सांझा करने के बाद ए.सी. एफ. के तहत, लगभग 16,000 आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति (लगभग 70,00,000) की स्वास्थ्य जानकारी एकत्र करने के लिए घर–घर गए। जिन व्यक्तियों में इन्फ्लुएंजा–जैसे लक्षण दिखे, उनका परीक्षण कोरोना वायरस के लिए किया गया।

इस महामारी के प्रतिकूल दवाब को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर कोविड–19 के प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न पहल की। इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता के माध्यम से अर्थव्यवस्था

में धन का प्रसार, जरूरतमंदों के लिए भोजन और आश्रय सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना और दूसरे राज्यों से घर लौटने वालों को सहयोग शामिल है। सरकार ने महामारी के प्रसार और इसके रोकथाम रणनीतियों के बारे में जानकारी का प्रसार किया।

3.4 कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय पर लिए गए कदम

1) अंतर्राज्य और राज्य के भीतर आवागमन को प्रतिबन्धित किया गया और आवश्यक वस्तुओं की विनियमित आवाजाही की अनुमति दी गई।
2) बसों में संक्रमण को रोकने के लिए विस्तृत उपाय, रोकथाम, नियंत्रण और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में आई.ई.सी. सामग्री को बसों तथा टैक्सियों में प्रदर्शित किया गया। बैंकों, कार्यालयों और दुकानों जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विस्तृत प्रोटोकॉल का पालन किया गया।
3) मास्क और हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तुओं में शामिल किए गए।
4) कोविड –19 हेल्पलाइन नंबर 104 शुरू किया गया।
5) सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, अंतरराज्यीय यात्रियों और संपर्कों की संगरोध के लिए समर्पित कोरोना–19 केयर सेंटर (डी.सी.सी.सी.) बनाए गए जिनके पास दिशानिर्देशों के अनुसार घर पर संगरोध की सुविधा नहीं थी। कोरोना–19 अस्पतालों को रोग के लक्षण वाले व्यक्तियों के प्रबंधन के लिए नामित किया गया था।
6) संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण हस्तक्षेप के तौर पर संक्रमित लोगों के बीच संपर्क से बचने के लिए शारीरिक दूरी को बनाए रखना लागू किया गया। इस उद्देश्य के लिए, राज्य में किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पारिवारिक सामूहिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया गया था। कर्मचारियों का एक रोस्टर तैयार किया गया था और वैकल्पिक दिनों में क्लास–3 और क्लास–4 कर्मचारियों के 50 प्रतिशत को कार्यालय में बुलाया गया। लोगों के बीच संपर्क से बचने के लिए कर्मचारियों के आगमन और प्रस्थान के समय का प्रबंधन किया गया था।
7) राज्य निगरानी इकाई को राज्य में महामारी की निगरानी, रोकथाम और नियंत्रण उपायों के लिए एक सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया। इसी तरह, जिला निगरानी इकाई को भी अधिसूचित किया गया।
8) समर्पित कोविड –19 केयर अस्पतालों को पूरे राज्य में अधिसूचित किया गया।
9) 12 जिलों में से प्रत्येक में राज्य स्तर पर आपातकालीन संचालन केंद्र (ई.ओ. सी.) स्थापित किए गए थे।
10) संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में विशेष एंबुलेंस तैनात करना।

11) किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल, सब्जियां, मांस, मछली और अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ, केमिस्ट की दुकानें, ऑप्टिकल स्टोर, बैंक, बीमा सेवाएं और एटीएम सेवा, दवाइयों की दुकानों के साथ उनकी सहायक कंपनियों में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन दिशानिर्देशों के पालन की शर्त के साथ खुला रखा गया।

12) राज्य में लोगों और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए व्हाट्सएप पर कर्फ्यू ई–पास जारी किए गए।

13) आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं वाले कार्यालयों को छोड़कर सार्वजनिक कार्यालय 02.05.2020 तक बंद रहे।

14) कर्फ्यू की समय–सीमा में आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए छूट दी गई थी।

15) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (रा.खा.सु.अ.) के तहत राज्य में परिवारों को अप्रैल और मई के लिए प्राथमिकता के आधार पर अप्रैल से खाद्यान्न का कोटा आवंटित किया गया।

16) विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर ₹1,000 प्रति माह की गई।

17) आगामी सेब के मौसम के कारण, जो राज्य की अधिकांश आबादी के लिए आजीविका का स्रोत बना हुआ है, तीन सौ पौधे संरक्षण केंद्र खुले रहे जिससे किसानों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़ा।

18) कोविड –19 सॉलिडैरिटी रिस्पांस फंड की स्थापना स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पी.पी.ई. मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि तथा आवश्यक वस्तुओं और दवाईयों की आपूर्ति को समुदायों तक पहुँचाने के लिए की गई।

19) सामान्य रूप से फल और विशेष रूप से सेब पर उत्पादकों को उचित रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए लॉकडाउन के तुरंत बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया। इस कड़ी में उचित दरों पर श्रम, कच्चे माल, डिब्बों और अन्य सामग्रियों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्य सरकारों (हरियाणा, दिल्ली, यू.पी. पंजाब, राजस्थान) के साथ समन्वय स्थापित किया।

20) आयातित उच्च उपज वाले उच्च घनत्व वाले सेब के पौधों को नियंत्रित वातावरण (नि.वा.) स्टोर से प्रविष्टि के बाद संगरोध (पी.ई.क्यू.) साइटों तक ले जाने के लिए विशेष व्यवस्था की।

3.5 राज्य सरकार द्वारा संसाधन जुटाना

3.5.1 खुद के स्रोतों से

1) जन प्रतिनिधियों, बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती।

2) शराब की बिक्री पर उपकर लगाया गया, जिससे राज्य को ₹100 करोड़ की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

3) कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता निलंबित कर दिया गया।

4) खाद्य सब्सिडी व बिजली दरों का युक्तिकरण।

3.5.2 भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण

1. भारत सरकार द्वारा ₹450.00 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया जिसकी अवधि 50 वर्ष है तथा ₹225.00 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है।
2. सड़क और रेल के लिए जारी की गई राशि ₹72.33 करोड़।
3. जल आपूर्ति और प्रबंधन के लिए को जारी की गई राशि ₹41.49 करोड़।
4. अन्य सेवाओं के लिए जारी की गई राशि ₹11.18 करोड़।
5. कोरोना के प्रभाव से लड़ने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगभग ₹100 करोड़ का अतिरिक्त निवेश
   i) सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, चमियाना के लिए, ₹47.71 करोड़
   ii) आई.जी.एम.सी. नई ओपीडी ब्लॉक के लिए ₹30.35 करोड़
   iii) एम्स, बिलासपुर को पूरा करने के लिए ₹11.81 करोड़।
   iv) आर.पी.जी.एम.सी. टांडा में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ₹10.66 करोड़।

सारणी 3.5
बैंकों के माध्यम से कोरोना के लिए पहली प्रतिक्रिया

जनवरी 2021 तक सहायता	खाते	₹करोड़ में
पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में ओवरड्राफ्ट	16,142	3.04
महिला स्वंय सहायता समूह को क्रेडिट (प्रति सदस्य ₹5,000 से ₹1 लाख तक)	1,278	22.88
के.सी.सी. खातों में निवेश गतिविधि के लिए 10 प्रतिशत की स्वीकृति सीमा (₹10,000 – ₹30,000 से)	64,491	487.43
मछुआरों सहित पीएम किसान निधि के लाभार्थियों के लिए के.सी.सी. संतृप्ति	50,410	892.04
कुल	1,32,321	1405.39

स्रोत: वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

सारणी 3.6
कोविड –19 संकट के लिए केंद्रीय सहायता

जनवरी तक सहायता, 2021	(₹करोड़ में)
लॉकडाउन के लिए पहली प्रतिक्रिया	1,405
प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना	472
ए.एन.बी. ट्रेंच –1	1,465
ए.एन.बी. ट्रेंच –2	101
डिस्कॉम	275
तरलता समर्थन	3,443
कुल	**7,161**

स्रोत: वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

3.6 राज्य सरकार द्वारा तत्काल राहत

1. जून 2020 में समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान प्रत्येक माह 5.69 लाख व्यक्तियों को अग्रिम सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान किया गया।

2. मासिक पेंशन को ₹850 से बढ़ाकर ₹1,000 बुजुर्गों और विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अप्रैल, 2020 तक भुगतान किया गया।
3. सभी राशन कार्ड धारकों को चावल, गेहूं का आटा और दाल चना को लक्षित पीडीएस कोटा से अग्रिम रूप से दिया गया।
4. अप्रैल,2020 से आंगनवाड़ी वर्कर्स/ हेल्पर्स और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स/ मिड डे मील वर्कस/ सिलाई टीचर्स/ पंचायत चौकीदार/पैरा फिटर/पैरा पंप ऑपरेटर्स/जल रक्षक/नम्बरदारों को बढा हुआ मेहनताना दिया गया।
5. आशा कार्यकर्ताओं को अप्रैल, मई, जून 2020 के लिए ₹1,000 (₹3.13 करोड़) का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया। जुलाई से दिसंबर 2020 तक, प्रति माह प्रोत्साहन को बढ़ाकर ₹2,000 (₹9.44 करोड़) कर दिया गया। इस प्रकार आशा कार्यकर्ताओं को कुल राहत ₹12.57 करोड़ दी गई।
6. तदर्थ कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी ग्रेड पे के 25 प्रतिशत के बराबर की गई।
7. नेत्रहीन और अस्थाई रूप से दिव्यांग कर्मचारियों के संवहन भत्ते में ₹500 से ₹750 की वृद्धि की गई।
8. अप्रैल,2020 से विभिन्न श्रेणियों के लिए दैनिक मजदूरी में वृद्धि ₹250–₹520 से ₹275–₹572 की गई।
9. 1 अप्रैल, 2020 से अंशकालिक श्रमिकों की प्रति घंटे की दर में ₹31.25 प्रति घंटे से ₹34.50 तक की वृद्धि की गई।
10. दैनिक वेतन भोगी, पार्ट टाइम वर्कर, वॉटर गार्ड आदि को मजदूरी और मानदेय आदि का अग्रिम भुगतान।
11. पहले से ही कवर किए गए स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के अलावा कोविड–19 को कार्यरत गैर–स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मचारियों के लिए ₹50.00 लाख एक्स ग्रेसिया प्रस्तावित। यह सेवा में एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में दिए गए सामान्य एक्स–ग्रेसिया (₹35,000 से ₹1,00,000) के अतिरिक्त है।
12. राज्य सरकार ने कमजोर वित्तीय स्थिति और कोविड –19 संकट के बावजूद 15.05.2003 से 21.09.2017 के बीच सेवानिवृत्त/मृत्यु होने वाले एन.पी.एस. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी के लाभों को जारी करने का निर्णय लिया। चालू वित्त वर्ष के दौरान ₹110.00 करोड़ की राशि जारी की गई है।

3.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता

- राज्य सरकार ने चालू वर्ष के लिए बजट अनुदान ₹258.00 करोड के अलावा हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एच.आर.टी.सी.) को कुल ₹570.00 करोड़ की कुल सब्सिडी जारी की।
- राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एच.पी.टी.डी.सी.) को ₹40.49 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की है, जिसमें कोरोना–19 महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखा गया है।

सारणी 3.7
राज्य आपदा प्रतिक्रिया और कोविड फंड (₹ करोड़ में)

शीर्षक	एस.डी.आर.एफ.	कोरोना फंड	कुल
स्वास्थ्य, एन.एच.एम.	15.00	16.20	31.20
एच.आर.टी.सी.	.	13.16	13.16
पुलिस	0.50	12.89	13.39
अन्य	.	3.09	3.09
राज्य चुनाव आयोग	.	1.41	1.41
यू.एल.बी,/ एम. सी.	.	1.20	1.20
उपायुक्त	51.40	1.05	52.45
कुल	**66.90**	**49.00**	**115.90**

स्रोत: राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, हि. प्र. सरकार

3.8 प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत

क) उद्योगों और होटल के लिए एनर्जी डिमांड चार्जेज छह महीने के लिए टाल दिए गए जिस पर कुल राशि लगभग ₹35.00 करोड़ खर्च की गई।

ख) उद्योगों और होटलों से 6 महीने के लिए पानी की आपूर्ति के लिए घरेलू दर पर शुल्क लिया गया जिस पर कुल कीमत लगभग ₹1.00 करोड़ थी ।

ग) मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति, 2019–20 को 31 मई, 2020 तक बढ़ाने और 1 जून, 2020 से 31 मई, 2021 तक आबकारी नीति 2020–21 के संचालन के लिए कार्योत्तर स्वीकृति देने का भी फैसला किया। खुदरा उत्पाद शुल्क लाइसेंसधारियों को 22 मार्च, 2020 के बाद कोरोना–19 लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानें बंद रहने की अवधि के लिए किसी भी उत्पाद शुल्क को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

घ) मंत्रिमंडल ने 31 मई, 2020 तक टोल नीति 2019–20 के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दी और 1 जून, 2020 से 31 मई, 2021 तक टोल नीति 2020–21 के संचालन की अनुमति दी। टोल संचालकों को टोल फीस के अपने वास्तविक संग्रह के आधार पर अप्रैल और मई, 2020 के लिए मासिक टोल शुल्क जमा करने की अनुमति दी गई थी।

3.9 धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण

- भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत 1.26 लाख श्रमिकों को प्रति माह अप्रैल से जून 2020 तक ₹2,000 दिए गए जिस पर कुल राशि ₹75.00 करोड़ लगभग खर्च की गई। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने श्रमिकों के बच्चों के स्वास्थ्य, विवाह और शिक्षा पर ₹7.33 करोड खर्च किये।
- गोविंद सागर, कोल बांध, रणजीत सागर, चमेरा और पोंग डैम जलाशयों के पंजीकृत 5,350 मछुआरों को ₹2,000 प्रति मछुआरे के लिए (कुल ₹1.07 करोड़) की वित्तीय सहायता जारी की।
- फूल उत्पादकों को ₹4.00 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की जिससे 592 किसान लाभान्वित हुए।

सतत विकास लक्ष्य तथा सुशासन के लिए पहल

04 अध्याय

4.1 परिचय

कोफी अन्नान, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव के अनुसार **"सुशासन गरीबी उन्मूलन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है।"** सितम्बर, 2015 में, विश्व समुदाय ने नए विकास पर अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करने के लिए सहमति व्यक्त की थी और सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 बनाया गया था। "परिवर्तनशील विश्वः सतत विकास के लिए एजेंडा 2030", सतत विकास के लिए 17 महत्वाकांक्षी महालक्ष्यों, 169 लक्ष्यों, 300 से अधिक संकेतक के साथ एक अंतर–सरकारी संग्रह है। सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.), आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से अपेक्षा की जाती है कि अगले 15 वर्षों के लिए अपनी राजनीतिक नीतियों को बनाने के लिए इसे विकास की रूपरेखा के रूप में उपयोग करेंगे। सतत विकास लक्ष्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर विस्तृत स्वरूप है, जिस पर 2001 में देशों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी और 2015 में वह समाप्त हो गया था। सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) 1 जनवरी, 2016 को अस्तित्व में आया और 31 दिसम्बर, 2030 को समाप्त होगा।

सतत विकास–2030 के एजेंडे, का लक्ष्य "Leaving No One Behind" के तहत विकास के लाभ को सांझा करना है। सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) मे गरीबी,

असमानता को कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, वन और जैव विविधता सहित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा आदि विषय शामिल है। इसका यह प्रारूप वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को एकीकृत करने के लिए तैयार किया गया है।

सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को भारत सरकार द्वारा जिम्मेदारी के साथ अपनाया गया है। इसके अन्तर्गत 17 मुख्य लक्ष्यों और 169 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वन मंत्रालय, भारत सरकार ने 309 संकेतक विकसित किए हैं। ये संकेतक मापने योग्य और निगरानी योग्य हैं। नीति आयोग, भारत मे सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। नीति आयोग ने भारत के सतत विकास सूचकांक के लिए 62 प्राथमिक संकेतक का चयन किया है ताकि सभी राज्य सतत विकास के लक्ष्यों को अपनी नीति और नियोजन में शामिल कर उनकी प्रगति का आंकलन कर सके। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है और एस.डी.जी. सूचकांक रिपोर्ट 2018–19 के दौरान केरल के साथ प्रथम रैंक हासिल की है, जबकि एस.डी.जी इंडिया इंडेक्स 2.0, 2019–20 रिपोर्ट में देश में द्वितीय रैंक हासिल की है। राज्य ने एसडीजी को बजटीय और नियोजन प्रक्रिया में एकीकृत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकार 2017–18 के बाद से बजट भाषणों को सतत विकास के लक्ष्यों से नई दिशा मिली है। इनमें से कुछ लक्ष्यों को वर्ष 2022 तक योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त कर लिया जायेगा।

राज्य में, योजना विभाग सतत विकास लक्ष्य ढांचे के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है और सतत विकास लक्ष्य को लागू और निगरानी करने के लिए "दृष्टि हिमाचल प्रदेश–2030 सतत विकास लक्ष्यों" नामक राज्य दृष्टि दस्तावेज प्रकाशित किया है। 17 लक्ष्यों की पहचान की गई है संकेतकों पर प्रगति की निगरानी की जा रही है और हर तीन साल में इसे अद्यतन किया जा रहा है। इस दस्तावेज 2022 तक प्राप्त किए जाने वाले संकेतकों की पहचान की है। कोविड महामारी के कारण, 2020 सामाजिक अव्यवस्था का वर्ष था, इसके बावजूद कि योजना विभाग ने एस.डी.जी. पर लाइन विभागों के लिए एक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कि 23 से 27 नवंबर 2020 तक राज्य के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (हिपा) में आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया।

राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति की निगरानी के लिए 138 प्रमुख संकेतकों और लक्ष्यों को चयनित किया है, जिनमें से 12 को हासिल किया गया है, 38 को 2022 तक हासिल किया जाना है और 2030 तक 87 को प्राप्त करने की योजना है। संकेतकों पर प्रगति की निगरानी के लिए सरकार डैशबोर्ड के विकास पर भी विचार कर रही है। इन संकेतकों को लाइन विभागों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नोडल विभाग घोषित किए गए हैं और निम्नानुसार सारणी 4.1 में वर्णित हैं

सारणी 4.1

सतत विकास लक्ष्य	लक्ष्य	नोडल विभाग
लक्ष्य 1	गरीबी की पूर्णतः समाप्ति	ग्रामीण विकास
लक्ष्य 2	भूखमरी का अन्त	कृषि
लक्ष्य 3	अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर	स्वास्थ्य
लक्ष्य 4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	शिक्षा
लक्ष्य 5	लैंगिक समानता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
लक्ष्य 6	साफ पानी और स्वच्छता	हिमाचल जल शक्ति
लक्ष्य 7	सस्ती ओर स्वच्छ ऊर्जा	एम.पी.पी. और पावर
लक्ष्य 9	उद्योग, नवाचार ओर बुनियादी ढांचे का विकास	इंडस्ट्रीज
लक्ष्य 11	सतत शहरी और सामुदायिक विकास	शहरी विकास
लक्ष्य 12 और 13	जिम्मेदारी के साथ उपभोग, उत्पादन और जलवायु परिवर्तन	पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
लक्ष्य 15	वनों और जैव विविधता	गृह
लक्ष्य 16	शांति और मज़बूत न्याय के लिए संस्थान	वित्त
लक्ष्य 8 और 10	सभ्य कार्य और आर्थिक विकास असमानता में कमी	योजना

स्रोत: दृष्टि हिमाचल प्रदेश –2030, योजना विभाग

4.2 सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय सीमा

हिमाचल प्रदेश सरकार सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत निम्न लक्ष्यों को 2022 तक प्राप्त करना चाहती है:–

सतत विकास लक्ष्य	2022 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य
लक्ष्य 01 गरीबी की पूर्णतः समाप्ति	• गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का प्रतिशत मौजूदा स्तर 8.1 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करना। • 100 प्रतिशत आवासों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया जाना। • 8.14 लाख लाभार्थी (बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं) स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत लाना • ₹1,750 करोड़ बैंक क्रेडिट के साथ 20,000 स्वयं सहायता समूहों की स्थापना । • मातृत्व लाभ के तहत पात्र जनसंख्या का सार्वभौमिक कवरेज। • सभी वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थागत सहायता देना। • 100 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को बेहतर स्रोतों से पीने के पानी/70 एल.पी.सी.डी. (राष्ट्रीय मानक) तक पहुंच बनाना। • खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) स्थिति को बनाए रखना। • शहरी आबादी के 30 प्रतिशत को बेहतर स्रोतों से / 135 एल.पी.सी.डी. पीने का पानी उपलब्ध करवाना। • 90 प्रतिशत शहरी आबादी को सीवरेज सेवाएं प्रदान करना। • आवश्यक वोल्टेज के साथ सभी के लिए 24×7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना (राज्य ने पहले ही 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर लिया है)। • 100 प्रतिशत आवासों को पहले ही बैंकों के साथ जोड़ा जा चुका है और इस स्थिति को बनाए रखना। • 100 प्रतिशत आबादी तक टेलीफोन की पहुंच बनाना। • इंटरनेट तक बेहतर पहुंच बनाना (मोबाइल / लैंडलाइन)। • जलवायु संबंधी विषम घटनाओं और अन्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय झटकों और आपदा के कारणों को कम करना। • कुल सरकारी खर्चों में से 38 प्रतिशत आवश्यक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संरक्षण) पर खर्च किया जा रहा है। खर्च का मौजूदा स्तर बेहतर सेवा गुणवत्ता के साथ बनाए रखना।

लक्ष्य 02 **भूखमरी का अन्त**	• 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनापन में 15.78 प्रतिशत कमी और निर्बलता में 8.22 प्रतिशत तक की कमी करना। • 15–49 वर्ष की गर्भवती महिलाओं में एनीमिया में 30.12 प्रतिशत कमी और 6–59 महीने की आयु के बच्चों में एनीमिया में 32.2 प्रतिशत की कमी करना। • वर्तमान स्तर से खाद्यान्नों की कृषि उत्पादकता बढ़ाकर 2.4 मीट्रिक टन /हेक्टेयर, सब्जियों को 24 मीट्रिक टन /हेक्टेयर और फलों को 15 मीट्रिक टन /हेक्टेयर करना। • 100 प्रतिशत किसानों के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाना। • 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत लाया जाना। • 18 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र संरक्षित खेती (फसल लचीला कृषि) के तहत लाना। • अनुसंधान और विकास पर व्यय का मौजूदा स्तर (योजना व्यय का 2 प्रतिशत हिस्सा) अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से बनाए रखना। • कुल मंडियों का 70 प्रतिशत ई–मार्केट में नामांकित किया जाना।
लक्ष्य 03 **अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर**	• 100 प्रतिशत संस्थागत प्रसव, 100 प्रतिशत टीकाकरण और टीबी की घटना को कम करना (< 70 /लाख)। • मातृ मृत्य संख्या की संख्या < 40 से कम करना। • शिशु मृत्यु दर में मौजूदा स्तर से 23 की कमी करना। • मां से बच्चे में एच.आई.वी. संचरण को शून्य करना। • एन.सी.डी. जोखिम कारकों के प्रसार 1/3 की कमी (एक तिहाई) करना । • पी.एच.सी. स्तर तक समर्पित आघात देखभाल सेवाएं उपलब्ध करवाना। • आवश्यकताओं के अंतराल को 8 प्रतिशत तक कम करना। • पूरी आबादी को शत–प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाना। • तंबाकू के उपयोग में 15 वर्ष तथा अधिक आयु और वर्तमान स्तर (22 प्रतिशत) से 17 प्रतिशत तक की कमी करना।
लक्ष्य 04 **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा**	• प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर 100 प्रतिशत शुद्ध नामांकन अनुपात बनाए रखना। • शैक्षणिक उद्देश्य के लिए कंप्यूटर का उपयोग 25 प्रतिशत प्राथमिक, 30 प्रतिशत उच्च प्राथमिक और 100 प्रतिशत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पहुंचाना। • माध्यमिक शिक्षा में शुद्ध नामांकन अनुपात 70 प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 60 प्रतिशत तक लाना। • उच्च शिक्षा में महिला–पुरुष नामांकन का वर्तमान स्तर में 40 प्रतिशत और व्यावसायिक शिक्षा में 100 प्रतिशत की वृद्धि करना। • तृतीयक शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात वर्तमान स्तर से 37 प्रतिशत तक बढ़ाना। • माध्यमिक, और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए इंटरनेट का उपयोग 70 प्रतिशत बढ़ाना। • विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शौचालयों की वर्तमान स्तर से 50 प्रतिशत तक उपलब्धता बढ़ाना।
लक्ष्य 05 **लैंगिक समानता**	• बाल लिंगानुपात (0–6) 915 प्रति 1,000 पुरुष तक बढ़ाना। • सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रथागत कानूनों में संशोधन करना। • सभी महिलाओं को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में 190 दिनों के मातृत्व अवकाश और 90 दिनों के पितृत्व अवकाश का लाभ देना। • हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए तीन और जिलो में महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर स्थापित करना । • प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का शत–प्रतिशत नामांकन करना। • पूरे जिले में महिला पुलिस थाने स्थापित करना। • एच.आर.टी.सी.की बसों में महिला ड्राइवर और कंडक्टरों की संख्या में 3 प्रतिशत की वृद्धि करना। • रात्रि बसों में शत–प्रतिशत सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाना। • किन्नौर, लाहौल और स्पीति को छोड़कर, सभी जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिटों का संचालन करना। • राज्य विधानसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना।
लक्ष्य 06 **साफ पानी और स्वच्छता**	•शहरी आबादी के 30 प्रतिशत लोगों को बेहतर स्रोतों से पीने के पानी 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मानक) तक पहुंचना और 70 प्रतिशत आवासों में पानी की आपूर्ति पाइपों से करना। • 100 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के पास उन्नत स्रोतों से पानी 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (राष्ट्रीय मानक) तक पहुंच बनाना और 100 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन देना। • 90 प्रतिशत शहरी आबादी सुरक्षित रूप से प्रबंधित सीवरेज सेवाओं का उपयोग सुनिश्चित करना। • शहरी क्षेत्रों में घरों में आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न 70 प्रतिशत अपशिष्ट जल का सुरक्षित उपचार किया जाना।

	• कुल ठोस अपशिष्ट का 44 प्रतिशत राज्य के सभी स्थानीय नगरीय निकायों में वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित करना। • सभी 3,615 ग्राम पंचायतों को ठोस–तरल कचरे से मुक्त करना। • शहरी क्षेत्रों में वॉल्यूमेट्रिक टैरिफ पर 70 प्रतिशत कनेक्शनों से पानी की सिंचाई क्षेत्र में वर्वादी को वर्तमान स्तर से 25 प्रतिशत कम करना। • भू–जल के निष्कर्षण के नियमन और नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले एक्वीफर्स के आंकड़े परिसीमन करना। • विकास के लिए राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वेटलैंड्स को पूरा करना।
लक्ष्य 07 **सस्ती ओर स्वच्छ ऊर्जा**	• सभी के लिए 24×7 आवश्यक गुणवत्ता वोल्टेज की विद्युत उपलब्ध करवाना। • टी और डी घाटे को वर्तमान स्तर से 11 प्रतिशत तक नीचे लाना। • 10,400 मेगावॉट के वर्तमान स्तर से हाइड्रो पावर के माध्यम से 8.9 प्रतिशत की अतिरिक्त क्षमता वृद्धि करना। • ऊर्जा कुशल घरेलू बल्बों का 100 प्रतिशत उपयोग करना। • 30 प्रतिशत ऊर्जा कुशल उपकरण लगाना।
लक्ष्य 08 **अच्छा कार्य और आर्थिक विकास**	• जी.एस.डी.पी. की वार्षिक वृद्धि दर को 8.5 प्रतिशत तक बढ़ाना। • प्रति व्यक्ति वास्तविक जी.एस.डी.पी. में 8 प्रतिशत तक की वृद्धि करना। • जी.वी.ए. में वर्तमान स्तर से 8 प्रतिशत की वृद्धि करना। • 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति के लिए एल.एफ.पी.आर. बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करना। • राज्य की कुल बेरोजगारी को 10.6 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से 6 प्रतिशत से कम करना। • 2012 के स्तर से 10 प्रतिशत से CO_2 उत्सर्जन में कमी करना। • महिलाओं की डब्ल्यू.पी.आर. 30 प्रतिशत तक बढ़ाना। • 44.37 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से 60 प्रतिशत तक विकलांगता वाले व्यक्तियों की श्रमिक आबादी में वृद्धि करना। • मानव तस्करी के सभी प्रकार में 100 प्रतिशत उन्मूलन करना। • राज्य में सभी प्रकार के बाल श्रम का उन्मूलन करना और कुछ कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन द्वारा स्तर को बनाए रखना। • वर्तमान स्तर से पर्यटकों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करना। • राज्य में कुल रोजगार सृजन का 12 प्रतिशत पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना। • राज्य जी.एस.डी.पी. में पर्यटन की हिस्सेदारी को 8.5 प्रतिशत तक बढ़ाना। • पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज और बैंक के साथ शत–प्रतिशत परिवारों को जोड़ना।
लक्ष्य 09 **उद्योग, नवाचार ओर बुनियादी ढांचे का विकास**	• वर्तमान स्तर से सभी मौसम की सड़क के लिए 2 कि.मी. में रहने वाली आबादी के लिए ग्रामीण सड़क संपर्क में 4.40 प्रतिशत की वृद्धि करना। • वर्तमान स्तर से यात्री बसों में 16 प्रतिशत वृद्धि और माल ढुलाई में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि करना। • एम.एस.एम.ई. और एल. एंड एम. में रोजगार में 30 प्रतिशत की वृद्धि करना। • मौजूदा स्तर से अतिरिक्त विपणन यार्ड के विकास में 20 प्रतिशत की वृद्धि करना। • लघु उद्योगों को ऋण / ऋण देने वाले बैंकों में वर्तमान स्तर से 67.64 प्रतिशत की वृद्धि करना। • वर्तमान स्तर से CO_2 उत्सर्जन में 20 प्रतिशत की कमी करना। • औद्योगिक प्रवाह के निर्वहन में 30 प्रतिशत की कमी करना । • अनुसंधान एवं विकास में व्यय के रूप में कुल जी.एस.डी.पी. का 0.5 प्रतिशत करना। • मौजूदा स्तर से ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता में 5.58 प्रतिशत की वृद्धि करना।
लक्ष्य 10 **असमानता में कमी**	• जनसंख्या के गरीब वर्ग के पक्ष में आय का पुनर्वितरण और कम से कम 0.150 प्रतिशत अंकों के साथ गिनी गुणांक को नीचे लाना। • 972 (जनगणना 2011) से लिंगानुपात 980/1000 तक बढ़ाना। • समग्र लिंग समता सूचकांक में 5 अंकों का सुधार और 0–6 वर्षों में लिंगानुपात में अधिक सुधार करना। • महिलाओं के खिलाफ अपराध को मौजूदा स्तर से 25 प्रतिशत तक कम करना। • अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध की दर को न्यूनतम स्तर पर अधिमानतः शून्य स्तर तक करना। • ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति आबादी के बीच गरीबी को 2 प्रतिशत तक कम करना। • अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /महिलाओं से संबंधित भेदभावपूर्ण कानूनों, नीति और प्रथाओं और योजना के प्रावधान में संशोधन और अधिक प्रासंगिक प्रावधान पेश करना । • ग्रामीण श्रम शक्ति भागीदारी दर को 75 प्रतिशत से अधिक और शहरी श्रम शक्ति भागीदारी को 65 प्रतिशत तक बढ़ाना।

लक्ष्य 11 सतत शहरी और समुदायिक विकास	• 55 प्रतिशत मलिन बस्तियों /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को औपचारिक / किफायती आवास के माध्यम से कवर किया जाना। • 65 प्रतिशत स्लम क्षेत्रों को बुनियादी सेवाओं द्वारा कवर किया जाना • मलिन बस्तियों, अनौपचारिक बस्ती या अपर्याप्त आवास में रहने वाली शहरी आबादी के अनुपात को मौजूदा स्तर से 6 प्रतिशत तक लाना। • एकीकृत विकास योजनाओं की 80 प्रतिशत शहरों में व्यवस्था करना।
लक्ष्य 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन	• 2012 के स्तर से 10 प्रतिशत से CO2 उत्सर्जन में कमी करना। • 2012 के स्तर से 10 प्रतिशत तक एल.पी.जी. उपयोगकर्ता बढ़ाना। • वर्तमान स्तर से 10 प्रतिशत सौर पवन नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और खपत बढ़ाना। • वर्तमान स्तर से हाइड्रो पावर हार्नेस क्षमता में 10 प्रतिशत की वृद्धि करना। • जैविक खेती को बढ़ावा देने और अपनाने के लिए जिला स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बनाना। • कृषि / बागवानी में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों में 10 प्रतिशत की कमी करना। • सूक्ष्म स्तर पर खाद्यान्न के लिए कवर भंडारण में 10 प्रतिशत की वृद्धि करना। • 30 एफ.पी.ओ. को स्थापित करना। • नगरीय कचरे से 5 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करना। • 2012 के स्तर से औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट जल पुनः को 10 प्रतिशत तक बढ़ाना। • प्रकृति के साथ सद्भाव में सतत विकास और जीवन शैली के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए अद्यतन शिक्षा पाठ्यक्रम बनाना। • 10 किलोमीटर लंबाई के लिए मॉडल ग्रीन रोड बनाना • नयी नौकरियों और पारंपरिक ज्ञान के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना।
लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन	• हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग के साथ छह जिलों के जलवायु परिवर्तन भेद्यता मूल्यांकन करना। • राज्य के 5 गांव में जलवायु स्मार्ट इको गांवों के दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन करना। • 1,000 जल संचयन संरचना द्वारा कार्यात्मक और 500 वावडियां की बहाली करना। • 1 लाख किसानों को जलवायु लचीलापन आजीविका प्रौद्योगिकी के तहत कवर करना। • ब्यास और पार्वती नदियों के किनारे स्थित कुल्लू जिले के बाढ़ वाले गाँव प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली से सुसज्जित करना। • राज्य और केंद्र की सभी आगामी विकास योजना में एस.ए.पी.सी.सी. की सिफारिश का कार्यान्वयन करना। • 78 शिविरों कें माध्यम से प्रत्येक खण्ड में दत्तक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना।
लक्ष्य 15 वन और जैव–विविधता का (भूमि पर जीवन)	• 48,000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करना। • केंद्रीय और मॉडल नर्सरी, प्रत्येक वृत में स्थापित करना। • नजदीकी जलग्रहण क्षेत्र में शीत मरूस्थल वनस्पति के अंतर्गत वृक्षों, झाड़ियों जड़ी–बूटियों घास लगाकर नदी और धारा में गाद के भार को कम करना। • अल्पाइन चरागाह और चरागाह भूमि के सुधार के तहत 1000 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास करना। • पर्वतीय क्षेत्रों में तीन आर्द्रभूमि और 10 पारंपरिक जल संसाधनों की बहाली करना। • प्रजातियों की आबादी में वृद्धि के लिए दो राष्ट्रीय पाक उद्यानों और पांच वन्य जीव अभयारण्यों का विकास करना। • आक्रामक विदेशी मसालों से प्रभावित 16,000 हेक्टेयर क्षेत्रों का पुनर्वास करना। • वन्यजीव अवैध शिकार और मौजूदा स्तरों से अपराधों में 25 प्रतिशत की कमी करना।
लक्ष्य 16 शांति और मज़बूत न्याय के लिए संस्थान	• किन्नौर, लाहौल और स्पीति जिलों को छोड़कर सभी जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाइयाँ को कार्यात्मक बनाना। • पुलिस जनसंख्या अनुपात (278 प्रति 1,00,000) के वर्तमान स्तर को बनाए रखना और प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और आई.टी. पर निवेश करके पुलिस कार्यप्रणाली की गुणवत्ता को मजबूत करना। • पुलिस बल में पुरुष और महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व के संदर्भ में समानता प्राप्त करना। • अपराधों पर घटनाओं को कम करने के लिए समवर्ती निगरानी करना। • नागरिक पंजीकरण का सार्वभौमिकरण करना।
लक्ष्य 17 सभी के लिए साझेदारी	• कर राजस्व और गैर कर राजस्व संग्रह के अनुपात को 21.21 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना। • आय, लिंग, आयु, प्रवासी स्थिति, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगता, भौगोलिक स्थानों से अलग उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की उपलब्धता करवाना ।

स्रोत: दृष्टि हिमाचल प्रदेश – 2030, योजना विभाग

4.3 जिला सुशासन सूचकांक

सुशासन, लोक प्रशासन का आवश्यक घटक है और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसा संकेतक है जो सार्वजनिक सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने में मदद करता है। इस श्रृंखला में, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने 7 विषयों, 18 फोकस विषय और 45 संकेतक पर स्वमूल्यांकन प्रणाली के रूप में सुशासन के प्रदर्शन मापने के लिए जिलों की एक सूचकांक तैयार किया है।

जिला सुशासन सूचकांक का विचार तब उत्पन्न हुआ जब हिमाचल प्रदेश को पब्लिक अफेयर सेंटर (पी.ए.सी.), बेंगलुरु द्वारा जारी पब्लिक एफेयर इंडेक्स (पी.ए.आई.) पर 2016, 2017, 2018 और 2019 में लगातार 12 छोटे राज्यों में पहला स्थान प्रदान किया।

हिमाचल प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक को वार्षिक संकलन करने के लिए 19 जनवरी, 2019 को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि यह सूचकांक अर्थ और सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा संकलित किया जाएगा। तदानुसार, विभाग ने जिला सुशासन सूचकांक 2019 तैयार किया है। बजट 2020–21 में माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने इस सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन करने व जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावे के लिए शीर्ष तीन जिलों यानी प्रथम – 50 लाख, द्वितीय – 35 लाख और तृतीय – 25 लाख ईनाम राशि की घोषणा की थी। जिला सुशासन सूचकांक–2019 के आधार पर, शीर्ष निम्न जिलों को 13 अगस्त, 2020 को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया

जिला	स्थान	पुरस्कार
बिलासपुर	प्रथम	50,00,000
मंडी	द्वितीय	35,00,000
हमीरपुर	तृतीय	25,00,000

इस सूचकांक के आधार पर हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों का तुलनात्मक प्रदर्शन सारणी 4.2 में दर्शाया गया है:–

सारणी 4.2

डी.जी.जी.आई. (2019)		
जिला	अंक	रैंक
बिलासपुर	0.758	1
मंडी	0.702	2
हमीरपुर	0.645	3
ऊना	0.633	4
किन्नौर	0.625	5
कुल्लू	0.621	6
कांगड़ा	0.612	7
सिरमौर	0.575	8
सोलन	0.573	9
शिमला	0.568	10
चंबा	0.559	11
लाहौल–स्पीति	0.555	12

स्रोत: जिला सुशासन सूचकांक, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग

4.4 जीवनयापन में सुगमता

नीति आयोग की जीवनयापन में सुगमता पहल पर हिमाचल सरकार के योजना विभाग ने ''नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में हिमाचल सरकार के प्रयास'' नामक दस्तावेज प्रकाशित किया जो राज्य सरकार द्वारा आम जनता के लिए शासन, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता में सुधार, जनता के जीवन में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करता है। राज्य सरकार द्वारा लायी गई योजनाएं/कार्यक्रम जो स्थानीय आवश्यकताओं और न्यूनतम प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के साथ निवासियों के दैनिक जीवन से सीधे जुड़ी हुई हैं सारणी 4.3 में वर्णित हैं:–

सारणी 4.3

क्र.सं.	केंद्र–विषय	पहल
1	स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र	• लक्ष्य (लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव) • एंट–नटाल माताओं के लिए सुविधाएं प्रदान करना • हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना लागू करना • निजी क्षेत्र की भागीदारी– स्वास्थ्य में सौभाग्य योजना बनाना • मुख्यमन्त्री चिकित्सा कोष • मुख्यमंत्री निरोग योजना • विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू) की स्थापना • न्यू बोर्न केयर कॉर्नर, टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट, ई–अस्पताल स्थापित करना • अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (हिम्स), और सुगम्य भारत अभियान • राज्य में समग्र लिंगानुपात में सुधार और बाल कुपोषण में कमी लाने के उद्देश्य से कदम उठाना
2	राजस्व और भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन क्षेत्र	• भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण • भू–अधिकारों का ऑनलाइन रिकॉर्ड (आर.ओ.आर. जमाबंदी) • कार्यों का ऑनलाइन पंजीकरण • ई–स्टांपिंग सिस्टम, ई–सर्टिफिकेट • भूमि रिकॉर्ड से संबंधित निकटवर्ती सेवाएँ, राजस्व न्यायालय मामलों में निगरानी प्रणाली (आर.सी.एम.एस.)
3	पावर क्षेत्र	• ऑनलाइन पोर्टल, प्रक्रिया का सरलीकरण, समय–सीमा में कमी और उपभोक्ता शिकायतें।
4	परिवहन क्षेत्र	• इलेक्ट्रिक बसों और टैक्सियों को चलाना • बिना नकद परिवहन कार्यालय • राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए चैक पोस्ट पर समाधान • ई–चालान सुविधा का परिचय • डीलर प्वाइंट पंजीकरण प्रणाली • हॉर्न न बजाने का अभियान, एव इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, • बसों में स्वाइप / टैप मशीनें, मोबाइल स्वचालित वाहन निरीक्षण और प्रमाणन स्टेशन की स्थापना और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रूप में रोपवे और अन्य द्रुत परिवहन प्रणाली की स्थापना।
5	सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र	• ग्रामीण सड़कों का रखरखाव । • स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर, ब्लैक स्पॉट की पहचान और सुधार।

		• लोक शिकायत के निवारण के लिए मोबाइल ऐप। • थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म, पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड, कामों की निगरानी और हिमाचल रोड इंप्रूवमेंट योजना। • हर खेत को पानी, ऑनलाइन पानी के बिल और भूजल की खोज।
6	शिक्षा और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र	• मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र योजना (अटल आदर्श विद्यालय के रूप में बदला) के तहत मॉडल आवासीय विद्यालय, स्कूलों में उचित शिक्षा के माहौल में सुधार, डिजिटल शिक्षा, • अटल टिंकरिंग लैब्स। • रेमेडियल क्लासेस, GATE के लिए कोचिंग, इंडक्शन प्रोग्राम्स, स्वयं प्रभा / मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOCs), स्टार्टअप फेस्ट, इन्क्यूबेशन सेंटर और ऑनलाइन मुफ्त भुगतान।
7	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले क्षेत्र	• हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, राशन कार्डों का आधार और एस.एम.एस. आधारित कैश मेमो और कैशलेस लेनदेन के साथ लिंक।
	कृषि और पशुपालन क्षेत्र	• मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि उपकरण / मशीनरी, सौर बाड़ लगाना, सौर सिंचाई योजना और सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियां। • मवेशियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्ड।
8	वन और सामाजिक सुरक्षा और शिकायत निवारण क्षेत्र	• विद्यार्थी वन मित्र योजना, सामुदायिक वन संवर्धन योजना, और वन समृद्धि–जन समृद्धि योजना। • महिला पुलिस स्टेशन, सतर्कता शिकायत निगरानी प्रणाली (VCC) और जेल वार्ता (कैदी–रिश्तेदार, वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम)।
9	पर्यटन क्षेत्र	• नई राहें नई मंजिलें और हेली टैक्सी सेवाएँ।
	स्वरोजगार कौशल विकास के कार्यक्रम	• मुख्यमंत्री स्वावलंबन • रोजगार और कौशल विकास योजना
10	ग्रामीण विकास क्षेत्र और पंचायती राज	• मोक्ष धाम, • जन अधिकार पुस्तिका और परिवार का डिजिटलीकरण रजिस्टर और ऑनलाइन परिवार नकलें जारी करना

स्रोत: इज ऑफ लिविंग, योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

संस्थागत एवम् बैंक वित्त

5 अध्याय

5.1 परिचय

प्रदेश में तीन बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें पंजाब नैशनल बैंक को 6 जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू मण्डी तथा ऊना में, यूको बैंक को 4 जिलों बिलासपुर, शिमला, सोलन तथा सिरमौर में तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को 2 जिलों चम्बा तथा लाहौल स्पिति में यह कार्य आबंटित किया गया है। यूको बैंक राज्य स्तर बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) का संयोजक बैंक हैं। राज्य में कुल 2,195 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है और 77 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। अक्तूबर, 2019 से सितम्बर, 2020 तक 5 नई बैंक शाखाएं खोली गई हैं। वर्तमान में 1,693 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 396 शाखाएं अर्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 106 शिमला में स्थित हैं, जो राज्य में केवल एक ही शहरी क्षेत्र है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्गीकृत किया है।

जनगणना, 2011 के अनुसार प्रति शाखा औसत जनसंख्या 3,129 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,000 है। सितम्बर, 2020 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) की कुल 1,169 शाखाऐं हैं जो कि राज्य में बैंकिंग क्षेत्र का कुल शाखा नेटवर्क का 53 प्रतिशत है। पंजाब नैशनल बैंक (PNB) का सबसे बड़ा नेटवर्क 372 शाखाओं का है। उसके बाद स्टेट बैंक आफ इंडिया (SBI) की 324 शाखाएं हैं, यूको बैंक की 173 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 176 शाखाओं का नेटवर्क हैं जिसमें सबसे अधिक उपस्थिति एच.डी.एफ. सी. की 69 शाखाओं के साथ है उसके उपरान्त आई.सी.आई.सी.आई. बैंक है जिसकी 32 शाखाएं हैं। 3 लघु वित्तीय बैंक राज्य में कार्य कर रहे हैं और इनका नेटवर्क 6 शाखाओं का है। राज्य में भारतीय डाक पेमेंट बैंक एक पेमेंट बैंक है जिसकी 12 शाखाओं का नेटवर्क हर जिले में एक बैंक शाखा के रुप में है।

एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर. बी.) अर्थात् हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एच.पी.जी.बी.) को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है। जिसका सितम्बर, 2020 तक कुल 265 शाखाओं का शाखा नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंकों का कुल 545 शाखाओं का नेटवर्क है तथा राज्य एपैक्स सहकारी बैंक जोकि हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक (एच.पी.एस.सी.बी.) है, का 218 शाखाओं का नेटवर्क है कांगड़ा केन्द्रीय सैन्ट्रल बैंक (के.सी.सी.बी.) की 217 शाखाएं हैं। राज्य में 5 शहरी सहकारी बैंक भी 26 शाखाओं के साथ कार्य कर रहे हैं। जिला–वार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 423 बैंक शाखाएं तथा लाहौल स्पिति में सबसे कम 23 बैंक शाखाएं हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा अपनी बैंक सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए 2,076 ए.टी.एम. स्थापित किए गए हैं। अक्तूबर, 2019 से सितम्बर, 2020 तक बैंकों ने 23 नए ए.टी.एम. स्थापित किए हैं।

बैंकों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में जहां ढांचा आधारित शाखाएं आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं हैं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु व्यापार संवाददाता एजेंटों (जिन्हें बैंक मित्र के रूप में जाना जाता है) को तैनात किया है। वर्तमान में गांवों में मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा 4,162 बैंक मित्र तैनात किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में तथा नाबार्ड का भी क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में शिमला में स्थित है।

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित, एक तीन स्तरीय ऋण ढांचे का शीर्ष बैंक है जिसमें हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में के.सी.सी.बी. और जे.सी.सी.बी. केन्द्रीय बैंक हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की समस्त शाखाएं पूर्णतः सी.वी.एस. प्रणाली पर कार्यरत हैं। (लगभग 1,654 सोसाइटी बैंक के साथ संबद्ध हैं और बैंक अपने लाभ में से उन्हें लाभांश भी दे रहा है)

राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास के पहिये को बढ़ाने के लिए बैंक भागीदार के रूप में ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। ऋण का प्रवाह सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बढ़ाया गया है। सितम्बर, 2020 तक राज्य के बैंकों ने आर.बी.आई. द्वारा तय सात में से पाँच राष्ट्रीय मानकों जिस में प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कमजोर वर्ग तथा महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया है। वर्तमान में बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र जैसे कृषि, एम.एस.एम.ई., शिक्षा ऋण, आवास ऋण, लघु ऋण आदि गतिविधियों करने के लिए कुल ऋण का 56.14 प्रतिशत ऋण दिया है।

बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में से सितम्बर, 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 18 प्रतिशत के राष्ट्रीय मानकों के विरूद्ध 17.06 प्रतिशत कृषि अग्रिम राशि प्रदान की है। बैंको द्वारा कुल ऋण में कमजोर वर्गों तथा महिलाओं का क्रमशः 36.09 प्रतिशत तथा 10.77 प्रतिशत अग्रिम राशि का भाग है जोकि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत होनी चाहिए। राज्य में बैंकों का सितम्बर, 2020 तक क्रेडिट जमा अनुपात 42.33 प्रतिशत पर स्थिर रहा। राष्ट्रीय मानकों की स्थिति नीचे सारणी 5.1 में दर्शाई गई है।

सारणी 5.1
हिमाचल प्रदेश में बैंकों के व्यावसायिक राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क.सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2019	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2020	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत
1.	प्राथमिकता के क्षेत्र में अग्रिम	58.37	56.14	40
2.	कृषि अग्रिम	18.85	17.06	18
3.	लघु तथा सीमांत कृषकों को अग्रिम	11.81	12.10	8
4.	लघु उद्योगों को अग्रिम	10.19	10.78	7.5
5.	कमजोर वर्ग के लिए ऋण	24.37	36.09	10
6.	महिला ऋण	7.03	10.77	5
7.	जमा एवं अग्रिम अनुपात (थरोट)	44.33	42.33	60
8	डी.आर.आई. योजना के तहत अग्रिम	0.01	0.01	–
9	एम.एस.एम.ई. अग्रिम (पी.एस.सी.)	41.63	41.73	–
10.	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन–जाति ऋण (पी.एस.सी.)	9.05	7.95	–
11.	अल्पसंख्यक अग्रिम (पी.एस.सी.)	1.07	2.06	–

5.2 वित्तीय समावेशन पहलः

वित्तीय समावेश समाज के निम्न वर्गों और कम आय वाले समूहों के लिए सस्ती दर पर वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के वितरण को दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा देश भर में वित्तीय समावेश, व्यापक अभियान के अन्तर्गत "प्रधानमन्त्री जन–धन योजना" का शुभारंभ करके हिमाचल प्रदेश में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली वंचित वर्ग के लिए की गई। इस अभियान ने छः वर्ष पूरे कर लिए है। बैंकों द्वारा राज्य में प्रत्येक घर में कम से कम एक बुनियादी बचत जमा खाते के साथ समस्त परिवारों को सम्मिलित किया गया है। बैंकों द्वारा कुल 16.03 लाख बुनियादी बचत जमा खाते (बी. एस.बी.डी.ए.) सितम्बर, 2020 तक खोले गए है। प्रधानमन्त्री जन–धन योजना के अन्तर्गत खोले गए कुल 16.03 लाख खातों में से 13.09 लाख बुनियादी बचत जमा खाते ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 2.94 लाख शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। राज्य में बैंकों द्वारा पी.एम.जे.डी.वाई. खाताधारकों को 13. 16 लाख रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड जारी किए गए, जिससे पी.एम.जे.डी.वाई. के अन्तर्गत खोले गए खातों को 82 प्रतिशत तक शामिल कर लिया गया है। सितम्बर, 2020 तक बैंकों द्वारा 83 प्रतिशत पी.एम.जे. डी.वाई. खातों को आधार संख्या तथा मोबाइल नंबर के साथ जोड़ने की पहल की है।

5.3 प्रधानमन्त्री जन–धन योजना के अन्तर्गत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहलः

प्रधानमन्त्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन के द्वितीय चरण के अन्तर्गत भारत सरकार ने गरीबों तथा दलित वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू

किया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित हैः–

i) प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.)

इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को प्रति वर्ष ₹12.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीनीकरण पर आकस्मिक मृत्यु सह दिव्यांगता के लिए ₹2.00 लाख (आंशिक स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹1.00 लाख) प्रदान किए जाते हैं तथा हर वर्ष 1 जून को नवीनीकरण किया जाता है। प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 2020 तक बैंकों ने 14.24 लाख ग्राहकों को जोड़ा है। विभिन्न बीमा कम्पनियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 779 बीमा दावों का निपटारा 18 दिसंबर, 2020 तक किया गया है।

ii) प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई)

इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को बैंक प्रति वर्ष ₹330.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीनीकरण पर किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर ₹2.00 लाख प्रदान किए जाते हैं तथा हर वर्ष 1 जून को नवीनीकरण होता है। सितम्बर, 2020 तक बैंकों में 4.07 लाख ग्राहकों को प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) के अन्तर्गत जोड़ा है। 18 दिसंबर, 2020 तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 1,445 बीमा दावों का बीमा कम्पनियों द्वारा निपटारा किया गया है।

iii) अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.)

अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित है तथा इस योजना के अन्तर्गत ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु पर न्यूनतम पेंशन ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 और ₹5,000 प्रति माह उपलब्ध करवाई जाती है, यदि ग्राहक ने 18 वर्ष से 40 वर्ष के दौरान अंशदान विकल्प के आधार पर चुना हो। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत ग्राहक द्वारा 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि में अंशदान किया हो तो निर्धारित न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जायेगी। अटल पेंशन योजना में राज्य सरकार भी योगदान करती है। इसके अंतर्गत पात्र खाताधारकों को सह–योगदान के रूप में ग्राहक द्वारा कुल योगदान का 50 प्रतिशत हो या ₹2,000 की राशि, जो भी कम हो। राज्य सरकार मनरेगा श्रमिकों, मिड–डे मील कार्यकर्ताओं, कृषि एवं बागवानी श्रमिकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत लाने हेतु ध्यान दे रही है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा जोरदार अभियानों, शिविरों, मीडिया प्रचार, प्रैस इत्यादि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) के अर्न्तगत बैंकों द्वारा सितम्बर, 2020 तक 1,77,167 ग्राहकों को नामांकित किया गया है। ए.पी. वाई. योजना के अन्तर्गत डाक विभाग भी भाग ले रहा है।

5.4 प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.)

प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में चल रही है। इस योजना में उन सभी वित्त संस्थानों को

पोषित किया जाता है जो सुक्ष्म उद्योगों को विकसित एवं पुर्नवित्त करने में लगी हैं और मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार, सेवा और गैर–कृषि क्षेत्रों मे कार्यरत है। इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सभी अग्रिम जो 08.04. 2015 को या इसके बाद इस योजना के अधीन आए हो, को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में सितम्बर, 2020 तक चालू वित्त वर्ष 2020–21 में इस योजना के अन्तर्गत 20,317 नए लघु उद्यमियों को ₹304.18 करोड़ के नए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। सितम्बर, 2020 तक पी.एम.एम.वाई. के अन्तर्गत 1,66,096 उद्यमियों को ₹2,598.04 करोड़ के नए ऋण वितरित करते हुए बैंकों की संचयी स्थिति है।

5.5 स्टैण्ड अप इण्डिया योजना (एस.यू.आई.एस.)

स्टैण्ड अप इण्डिया योजना को देश भर में औपचारिक रूप से शुरू किया गया। स्टैण्ड अप योजना के अधीन समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला प्रतिनिधित्वों द्वारा असेवित तथा कम सेवित क्षेत्रों मे उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के अन्तर्गत कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता या कम से कम एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र (इसे ग्रीन फील्ड उद्यम भी कहा जाता है) में एक नए उद्यम की स्थापना के लिए ₹10.00 लाख से लेकर ₹1.00 करोड़ का ऋण स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक की शाखा द्वारा सुविधा दी जाती है। सितम्बर,2020 तक इस योजना के अर्न्तगत बैंकों द्वारा 494 नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए ₹94.23 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

5.6 वित्तीय जागरूकता और साक्षरता अभियानः

वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान, लक्षित समूहों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक हिमाचल प्रदेश में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफ.एल. सी.) तथा अपनी बैंक शाखाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता अभियान चला रहे है।

5.7 बैंकों की व्यापारिक स्थितिः

राज्य के सभी बैंकों द्वारा जमा राशि सितम्बर, 2019 से ₹1,23,113 करोड़ से बढ़कर ₹1,39,352 करोड़ सितम्बर, 2020 तक दर्ज की गई। बैंकों की जमा राशि में वर्ष दर वर्ष 13.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। कुल अग्रिम सितम्बर, 2019 में ₹52,209 करोड़ से बढ़ कर सितम्बर, 2020 तक ₹56,308 करोड़ हो गए। इस प्रकार सितम्बर, 2020 तक वर्ष दर वर्ष वृद्धि 7.85 प्रतिशत रही। कुल बैंकिंग कारोबार ₹1,95,660 करोड़ तक बढ़ गया तथा वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.60 प्रतिशत दर्ज की गई।

बैंकिग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) का सबसे अधिक 65 प्रतिशत भाग है, आर.आर.बी. का 5 प्रतिशत भाग है, निजी बैंक का 10 प्रतिशत तथा सहकारी बैंक का 20 प्रतिशत भाग है। तुलनात्मक आंकड़े नीचे सारणी 5.2 में दर्शाए गए है।

सारणी 5.2
हिमाचल प्रदेश में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	30.09.2019	30.09.2020	सितम्बर, 2019 से सितम्बर, 2020 में परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष)	
				सम्पूर्ण	प्रतिशत
1.	**जमा राशि (पी.पी.डी.)**				
	ग्रामीण	74113.99	85300.62	11186.63	15.09
	शहरी/अर्ध शहरी	48999.01	54051.68	5052.67	10.31
	कुल	**123113.00**	**139352.30**	**16239.30**	**13.19**
2.	अग्रिम (ओ/एस)				
	ग्रामीण	29173.67	31358.65	2184.98	7.49
	शहरी/अर्ध शहरी	23035.02	24949.06	1914.04	8.31
	कुल	**52208.69**	**56307.71**	**4409.02**	**7.85**
3.	**कुल बैंकिंग व्यापार (जमा+अग्रिम)**	**175321.69**	**195660.01**	**20338.32**	**11.60**
4.	बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बॉड़/प्रतिभूतियों में निवेश	233.09	2693.80	2460.71	1055.69
5.	जमा उधार अनुपात थरोट कमेटी के आधार पर	44.33	42.33	(-) 2.00	(-) 4.51
6.	**प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:**	**30473.41**	**31612.47**	**1139.06**	**3.74**
	(i) कृषि	9841.32	9603.96	(-) 237.36	(-) 2.41
	(ii) एम.एस.एम.ई.	12686.06	13192.82	506.76	3.99
	(iii) ओ.पी.एस.	7946.03	8815.69	869.66	10.94
7.	कमजोर वर्ग को अग्रिम	12723.14	20322.94	7597.80	59.71
8.	डी.आर.आई.अग्रिम	3.66	3.23	(-) 0.43	(-)11.75
9.	अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	21735.28	24695.24	2962.96	13.63
10.	शाखाओं की संख्या	2191	2195	4	0.18
11.	महिलाओं के लिए अग्रिम	3668.02	6062.55	2393.53	65.24
12.	अल्प–संख्यकों को ऋण	557.79	649.94	92.15	16.52
13.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अग्रिम	2757.99	2513.44	(-)244.55	(-)8.87

5.8 वार्षिक जमा योजना 2020–21 के अन्तर्गत प्रदर्शनः

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बैंकों ने नाबार्ड की सहायता से, क्षमता के आधार पर विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्र की गतिविधियों के लिए वार्षिक जमा योजना तैयार कर नए ऋण अदा किए गए हैं। वार्षिक जमा योजना 2020–21 के अधीन पिछली योजना के वित्तीय परिव्यय में 9.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा ₹27,702 करोड़ परिव्यय का लक्ष्य तय किया गया। सितम्बर, 2020 तक बैंकों ने वार्षिक जमा योजना के अन्तर्गत ₹14,256 करोड़ के नए ऋण वितरित किए तथा 51.46 प्रतिशत की वार्षिक प्रतिबद्धता हासिल की। क्षेत्रवार लक्ष्य तथा उपलब्धि 30.09.2020 तक सारणी 5.3 में दर्शाई गई है।

सारणी 5.3
सितम्बर–2020 तक स्थिति पर एक दृष्टि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य 2020 21	लक्ष्य सितम्बर, 2020	उपलब्धि सितम्बर, 2020	प्रतिशत उपलब्धि सितम्बर, 2020
1.	कृषि प्रत्यक्ष	11310.93	5655.46	3396.77	60.06
2.	एम.एस.एम.ई.	8513.88	4256.94	6677.72	156.87
3.	शिक्षा	456.68	228.34	35.93	15.73
4.	आवास	1656.03	828.01	434.01	52.42
5.	अन्य प्राथमिक क्षेत्र	1687.22	843.61	83.27	9.87
6.	**कुल प्राथमिक क्षेत्र (1 से 5)**	**23624.74**	**11812.36**	**10627.70**	89.97
7.	कुल गैर प्राथमिक क्षेत्र	4077.02	2038.51	3628.11	177.99
	कुल योग(6+7):	27701.76	13850.88	14256.11	102.93

5.9 सरकारी प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयनः

i) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एन.आर.एल.एम.)

ग्रामीण मन्त्रालय द्वारा भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम में गरीबी कम करने के लिए मजबूत संस्थानों का निर्माण, महिलाओं को समर्थ करना, नई वित्तीय सेवाओं और आजीविका सेवाओं को पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना को राज्य में हि.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। राज्य में इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ₹91.30 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य 10,270 लाभार्थियों में आवंटित करके अर्जित किया है। बैंक ने एन.आर.एल.एम. योजना में 10 दिसम्बर, 2020 तक ₹39.16 करोड़ के 2,471 ऋणों की स्वीकृति दी है।

ii) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम (एन.यू.एल.एम.)

भारत सरकार, आवास मन्त्रालय और शहरी गरीबी उन्मूलन (एम.ओ.एच.यू.पी.ए.)

ने मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) को पुनर्गठित किया और राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) को शुरू किया। स्वयं रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.) एन.यू.एल. एम. के घटकों (4 घटकों) में से एक है जो व्यक्तिगत और समूह उद्यमों तथा शहरी गरीबों के स्वयं सहायता समूहों (एस.एच. जी.) की स्थापना के लिए ऋणों पर ब्याज अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। एन. यू.एल.एम. हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंको ने 31 अक्तूबर, 2020 तक एन.यू. एल.एम. के अन्तर्गत ₹3.33 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं।

iii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)एक क्रेडिट लिंक्ड अनुदान कार्यक्रम है जोकि भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मन्त्रालय द्वारा प्रशासित है। इस योजना के कार्यन्वयन के लिए खादी एवं ग्रामोउद्योग (के.वी.आई.सी.) राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है। राज्य स्तर पर के.वी.आई.सी., के.वी.आई.बी. तथा जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से यह योजना कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 1,215 नई इकाइयों के वित्तपोषण का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन शाखाओं ने ₹36.43 करोड़ का मार्जिन राशि के वितरण का लक्ष्य रखा है। 479 इकाइयों के लिए उद्यमियों को ₹28.97 करोड़ सितम्बर, 2020 तक की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है।

iv) डेयरी उद्यमी विकास योजना (डी.ई.डी.एस.)

नाबार्ड के माध्यम से डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डी.ई.डी.एस.) कृषि और किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा डेयरी क्षेत्र की गतिविधियों के लिए लागू की गई है। नाबार्ड के माध्यम से इस योजना के अन्तर्गत पूंजीगत अनुदान वितरित किया जाता है। बैंकों द्वारा सितम्बर, 2020 तक ₹4.76 करोड़ की राशि से 356 प्रस्तावों को (डी.ई.डी.एस.) स्वीकृति दी है।

5.10 किसान क्रेडिट कार्ड

किसानों को बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत् अल्पकालिक ऋण, फसलों की खेती तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए एक ही स्थान एवं समय पर पर्याप्त ऋण बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के माध्यम से दिया जा रहा है। सितम्बर, 2020 तक बैंकों द्वारा 87,402 किसानों को ₹1,336 करोड़ की राशि नये के.सी.सी. के माध्यम से वितरित की गई है। सितम्बर, 2020 तक बैंकों द्वारा कुल 4,22,168 किसानों को के.सी.सी. योजना के अन्तर्गत् ₹6,670 करोड़ की राशि से वित्तपोषित किया गया हैं।

5.11 ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.)

जिला स्तर पर ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने, कौशल उन्नयन के लिए एवं उद्यमिता विकास हेतु बुनियादी ढाचे के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय (एम.ओ.आर. डी.) की पहल पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.) चलाए जा रहे है। राज्य के 10 जिलों (लाहौल–स्पिति, किन्नौर छोड़कर) में अग्रणी

बैंक, जिनमें यूको बैंक, पी.एन.बी. व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शामिल हैं, द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर.एस.ई.टी. आई.) का गठन किया है। यह ग्रामीण स्वंय रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी. आई.) प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन (पी.एम.ई. जी.पी.) योजना व विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

5.12 बैंक खातों के साथ आधार लिंकेज के लिए विशेष अभियान तथा सभी मौजूदा बैंक खातों में आधार का सत्यापनः

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न बैंकों द्वारा आधार नामांकन और अद्यतन (अपडेट) के लिए 95 केन्द्रों को चिन्हित किया है।

5.13 नाबार्ड

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, ऋण वितरण व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण व विस्तृतीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास प्रक्रिया में निरन्तर सहयोग दिया है, जैसे कि किसान उत्पादक संगठन, ग्रामीण खेत तथा गैर कृषि क्षेत्र, कौशल विकास, पुर्नवित्त की सुविधा राज्य में ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण युक्त अनुदान योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

5.14 ग्रामीण अधोसंरचना

ग्रामीण अधोसंरचना विकास (आर.आई.डी.एफ.) निधि के माध्यम से ग्रामीणक्षेत्रों व बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है, 1995–96 में इसकी शुरुआत से ही, राज्य सरकारों की साझेदारी में नाबार्ड के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं। वर्षों से, समय के साथ–साथ इस निधि के उपयोग से वित्तीय सहायता का क्षेत्र, विस्तृत करके 37 कार्यकलापों से जिनमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा ग्रामीण सम्पर्क सम्बन्धित आधारभूत कार्यकलाप भी शामिल है।

इस निधि के अन्तर्गत् वर्ष 1995–96 में आर.आई.डी.एफ–I में ₹15.00 करोड़ का बजट प्रावधान था जो अब बढ़कर आर.आई.डी.एफ–XXV में (वर्ष 2019–20) में ₹844.20 करोड़ हो गया है। आर.आई.डी.एफ. ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिंचाई, सड़कें तथा पुल निर्माण, बाढ़ नियन्त्रण, पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा, पशुधन सेवाएं, जलागम विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही के वर्षो में पॉली हाउस व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आदि नवीन परियोजनाओं के विकास के लिए भी सहायता प्रदान की है। आर.आई.डी.एफ. निधि के अन्तर्गत राज्य को 31.12.2020 तक 12,151 परियोजनाओं को लागू करने

के लिए ₹8,886.17 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें मुख्यतः ग्रामीण सड़कें, पुल, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, पशुपालन आदि की परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन्हें स्वीकृति दी है। राज्य सरकार को ₹326.20 करोड़ की राशि 31.12.2020 तक वितरित की गई है। स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन/पूर्ण होने के बाद, 11,790 कि.मी. सड़क मोटर योग्य हो जाएगी, 25,743 मीटर पुलों का निर्माण किया जाएगा और 1,58,030 हेक्टैयर भूमि को सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक स्कूलों में 2,921 कमरे, 64 विज्ञान प्रयोगशालाएं, 25 आई. टी. केन्द्रों और 397 पशु चिकित्सा अस्पतालों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

5.15 भण्डारण अधोसंरचना निधि

नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए राज्य सरकार को ₹418.02 लाख की राशि मंजूर की गई है। एक 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली नियंत्रित तापमान की भण्डार योजना चुराह, चम्बा में एच.पी.एम.सी. द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। रोहडू, ओडडी तथा पतलीकूहल में ₹855.00 लाख में 3,480 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोर को सीए स्टोर्स में आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए 31.12.2020 को मंजूरी दी गई है।

5.16 फूड प्रोसेसिंग फंड

नाबार्ड ने निर्दिष्ट खाद्य पार्कों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और व्यक्तिगत भोजन/कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 2014–15 में ₹2,000 करोड़ के साथ एक खाद्य प्रसंस्करण कोष (EPF) की स्थापना की है। मेसर्ज क्रेमिका मेगा फूड पार्क को राज्य में कुल परियोजना लागत ₹103.85 करोड़ में से ₹32.94 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है।

5.17 पुर्नवित्त सहायता

नाबार्ड दीर्घ अवधि के लिए पुर्नवित्त सहायता विभिन्न कार्य–कलाप, जिनमें ग्रामीण आवास, लघु सड़क परिवहन आपरेटरों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, स्वंय सहायता समूह, कृषि यंत्रीकरण, मुर्गी पालन, वृक्षारोपण एवं बागवानी, भेड़/बकरी/सुअर पालन, पैकिंग ग्रेडिंग व अन्य शामिल क्षेत्रों के विभिन्न कार्यो के लिए बोर्ड ने सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए ₹615.41 करोड की वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2020–21 में प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों ने फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए ₹269.55 करोड़ की दीर्घ अवधि ऋण सीमा तथा व्यवसायिक बैंकों ने ₹59.00 करोड़ का पुर्नवित्त सहायता नाबार्ड से 31.12.2020 तक प्राप्त की है। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और आर.आर.बी. के प्रयासों को भी पूरक किया है, राज्य में फसल ऋण संवितरण के लिए लघु अवधि (एस.टी.) के लिए ₹1,015.00 करोड़ की ऋण सीमा को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत बैंकों की 2019–20 के दौरान ₹1,015.00 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष में ₹1,660.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से ₹1,380.00 करोड़ 31.12.2020 आहरित किए

गए हैं। कोविड–19 के प्रभाव को कम करने के लिए, नाबार्ड ने सहकारी बैंकों को ₹550.00 करोड़ की विशेष तरलता सुविधा प्रदान की है।

5.18 विशेष पुनर्वित योजनाएं

पोस्ट कोविड युग में कृषि ओर ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने 4 नई योजनाएं शुरु की।

क) एम.एस.सी. (बहु सेवा केन्द्र) के रुप में पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों) का परिवर्तन

इस योजना के अन्तर्गत्, राज्य में 13 पैक्स को 31.12.2020 तक ₹3.17 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

ख) नाबार्ड वाटरशैड और वादी परियोजना क्षेत्रों में विशेष योजना

इस योजना का उद्देश्य अंतिम आर्थिक लाभार्थियों को सस्ता ऋण देने के लिए बैंकों को रियायती पुनर्वित्त सुविधा 3 प्रतिशत की दर से प्रदान करके, नाबार्ड वाटरशैड ओर वादी क्षेत्रों में स्थायी आर्थिक गतिविधियों,आजीविका ओर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।

ग) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पुनर्वित्त योजना।

इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के प्रधानमंत्री औपचारिक के लिए एक विकल्प प्रदान करना है। नाबार्ड सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों में पूंजी निर्माण में तेजी लाने के लिए सभी पात्र बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को 4 प्रतिशत दर से दीर्घकालिक पुनर्वित्त का विस्तार करेगा।

घ) जल स्वच्छता और स्वच्छ गतिविधियों के लिए योजनाबद्ध पुनर्वित्त

इस योजना का उद्देश्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करना है ताकि वे पात्र लाभार्थियों/उद्यमियों को समय पर ओर परेशानी मुक्त क्रेडिट प्रदान कर सकें ताकि स्वच्छता (Wash) सम्बन्धित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया जा सके।

5.19 सरकारी प्रायोजित योजनाएं

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत् ₹1.48 करोड़ की सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2019–20 में और ₹98.79 लाख सब्सिडी वर्ष 2020–21 के लिए राज्य में 31.12.2020 को जारी की गई है। नई कृषि विपणन अवसंरचना योजना के अन्तर्गत, राज्य के लिए 31.12.2020 को ₹3.41 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

5.20 लघु ऋण

स्वंय सहायता समूह (एस.एच.जी.) कार्यक्रम अब सारे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च शिखर पर पहुंचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश में 58,872 क्रेडिट लिंक्ड स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगभग 13,063 ग्रामीण परिवारों को 31 मार्च, 2020 तक ₹15491.49 लाख का कुल ऋण दिया जा चुका है। केन्द्रीय बजट

2014–15 में संयुक्त कृषि समूहों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड द्वारा किए गए वित्तपोषण के प्रयासों से संयुक्त देयता समूह साधन से "भूमिहीन किसानों" तक वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए नूतन पहल हुई है। प्रदेश में 31.12.2020 तक 8,424 संयुक्त देयता समूहों को ₹11,174.58 लाख का कुल ऋण दिया जा चुका है। वर्ष 2020–21 के दौरान नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूको बैंक को प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि में 1000 JLG के प्रचार ओर ऋण लिंकेज के लिए ₹40.00 लाख की मंजूरी दी है।

5.21 कृषक उत्पादन संगठन का प्रचार

कृषक उत्पादक संगठन एक वैध संस्था (एफ.पी.ओ) है, जिसका गठन प्राथमिक उत्पादकों जैसे कि किसान, दुग्ध उत्पादकों तथा मछुआरों द्वारा किया जाता है। एफ.पी.ओ. एक निर्माता कंपनी, सहकारी समिति या कोई अन्य वैध रुप में हो सकती है, जो सदस्यों के बीच लाभ/सुविधाओं का बंटवारा करती है। एफ.पी.ओ. का मुख्य उद्देश्य स्वंय संगठित होकर उत्पादकों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने पूरे देश में एफ. पी.ओ. के प्रचार और पोषण के लिए अपना कोष बनाया है। हिमाचल प्रदेश राज्य में नाबार्ड ने सभी 12 जिलों में 99 एफ.पी.ओ. के गठन/प्रचार के लिए ₹10 करोड़ के अनुदान को स्वीकृत किया है। यह एफ.पी. ओ. संयुक्त रुप से सब्जियों, औषधियों और सुगंधित पौधों और फूलों के उत्पादन, प्राथमिक प्रसंस्करण ओर विपणन का कार्य करेंगे। 31.12.2020 तक इन एफ.पी.ओ. के लिए ₹4.55 करोड़ की राशि जारी की गई है।

5.22 वाटरशैड डेवलपमेंट

नाबार्ड ने 31 वाटरशैड, 9 स्प्रींगशैड और 3 क्लाइमेंट प्रूफिंग प्रोजेक्ट सहित प्रोजेक्टस को 31.12.2020 तक मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत् रखे गए कुल ₹13.87 करोड़ में से 2020–21 के ₹10.89 करोड़ वितरित किए गए तथा 31.12.2020 तक ₹80.00 लाख जारी किए जा चुके हैं। यह परियोजनाएं पानी की उपलब्धता, पर्यावरण संरक्षण, उत्पादकता किसानों की आय में वृद्धि, घटती हुई चरागाहों का संरक्षण और पशुपालन की सुविधा प्रदान करेंगी।

5.23 जनजातीय विकास निधि के माध्यम से जनजातीय लोगों का विकासः (टी.डी.एफ.)

नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने जनजातीय विकास निधि के अर्न्तगत् 07 परियोजनाओं में कुल वित्तीय सहायता 31.12.2020 तक ₹14.68 करोड़ से 2,782 परिवारों को समाविष्ट किया गया है। इन गांवों में वादी (छोटे उद्यानों) और डेयरी इकाइयों की स्थापना करना है। इनके अर्न्तगत् 1,842 एकड़ भूमि में आम, किन्नू, नींबू, सेब, अखरोट, नाशपाती और जंगली खुबानी के पौधे लगाए गए हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत छोटे उद्यानों और डेयरी के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं।

5.24 कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन कोष के माध्यम से सहायताः (एफ.एस.पी.एफ.)

एफ.एस.पी.एफ. के अन्तर्गत अब तक 15,387 किसानों को लाभान्वित करने के लिए ₹3.03 करोड़ की संचयी अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है। वर्ष 2020–21 के दौरान 31.12.2020 तक चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है यह परियोजनाएं स्वदेशी शहद के संरक्षण, शहद मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने, एकीकृत कृषि प्रणाली, फूलों के मूल्य संवर्धन और जलवायु लचीला तकनीक के माध्यम से स्थायी सब्जी उत्पादन से संबंधित हैं।

5.25 नाबार्ड (Nabcons) की परामर्श सेवाएं

नैबकॉन्स नाबार्ड की परामर्श हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है और यह कृषि, ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करती है। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में विशेषकर बहु–विषयी परियोजनाएं, जैसे बैंकिंग, संस्थागत विकास, बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षण आदि के लिए नैबकॉन्स, नाबार्ड की विशेष योग्यता का लाभ उठाती है। नैबकॉन्स ने निम्नलिखित प्रमुख कार्य किये हैं:

- पराला और खड़ापत्थर में एकीकृत कोल्ड चेन परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श और हिमाचल प्रदेश में JICA के अन्तर्गत राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवहार्यता रिपोर्ट।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना और हथकरघा क्षेत्र का व्यापक अध्ययन।
- नैबकॉन्स अब राज्य में डी.डी.यू–जी. के.वाई. के लिए केन्द्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी है।
- एस.जे.वी.एन. द्वारा निर्मित शौचालयों का तीसरा पक्ष सर्वेक्षण।
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का तीसरा पक्ष निरीक्षण।

5.26 हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड की पहल

नाबार्ड को अनुकूलन निधि (AF), हरित जलवायु निधि (GCF) के लिए राष्ट्रीय कार्यान्यवन इकाई (नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी) नामित किया गया है, जिसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन की संरचना (फ्रेमवर्क कन्वेंशन) के अन्तर्गत् पर्यावरण, वन ओर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। नाबार्ड ने परियोजना के समाधान के लिए जलवायु स्मार्ट समाधानों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सूखा ग्रस्त जिले में कृषि निर्भर समुदायों की सत्त आजीविका पर परियोजना के लिए ₹20.00 करोड़ मंजूर किए हैं। सिरमौर जिले के लिए ₹14.56 करोड़ की राशि 31.12.2020 तक नाबार्ड द्वारा जारी की गई है।

मूल्य संचलन और खाद्य प्रबन्धन

6 अध्याय

6.1 परिचय

कोविड–19 महामारी द्वारा उत्पन्न वैश्विक सामाजिक संकट द्वारा वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने की वजह से वर्ष 2020 अभूतपूर्व था। घरेलू स्तर पर, दो विपरीत शक्तियां सक्रिय रही। एक तरफ, तो निम्न आर्थिक गतिविधियों के कारण मांग की दर कम हो गई थी। दूसरी तरफ, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न होने की वजह से, खाद्य मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई जो अर्थव्यवस्था के खुलने के दौरान भी जारी रही, हालाँकि हाल के महीनों में इसका प्रभाव मंद हुआ है। कुल मिलाकर, लॉकडाउन अवधि के दौरान और बाद में भी सी.पी.आई. मुद्रास्फीति की दर अधिकतम बनी रही, और इसका कारण आपूर्ति के पक्ष में व्यवधान उत्पन्न होना था प्रायः उपभोग मांग और भाव हमेशा मांग व पूर्ति के नियम पर निर्भर करते है। भाव के व्यवहार को समझने के साथ–साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण में हेराफेरी पर निगरानी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई आदशों/अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है। वर्ष के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों पर निगरानी आर्थिक व सांख्यिकी विभाग द्वारा रखी गई ताकि भावों में अनावश्यक बढ़ोतरी को समय पर अंकुश के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सके।

सारणी 6.1

सामान्य मुद्रास्फीति विभिन्न कीमत सूचकांक के आधार पर (प्रतिशत में)

सूचकांक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20*	2020-21
थोक मूल्य सूचकांक (समस्त भारत)	-3.7	1.7	3.0	4.3	1.7	1.5	-0.1(अ)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)	4.8	4.7	4.5	-0.4	3.1	2.0	4.8
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी)	2.1	4.1	5.4	4.9	5.4	4.7	7.6
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(संयुक्त)	4.4	4.6	4.6	0.5	3.5	2.5	5.3
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(औद्योगिक श्रमिक)	4.4	4.7	4.1	3.1	4.9	4.7	5.0
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि श्रमिक)	4.4	4.8	2.7	1.2	4.3	3.6	4.8
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण श्रमिक)	4.2	5.6	2.6	1.3	4.3	3.7	4.8

स्रोतः आर्थिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार, (थोक मूल्य सूचकांक) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त,ग्रामीण, शहरी), और श्रम व्यूरो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण श्रमिक)

* अप्रैल से दिसम्बर तक (अ)अस्थिर

6.2 मुद्रास्फीति में वर्तमान रुझान

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा उपभोक्ता द्वारा चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के वहन किए जाने वाले औसत मूल्य में समय के साथ बदलाव को मुद्रास्फीति भी कहते हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता है। मुद्रास्फीति आम व्यक्ति को उसकी आय को कीमतों के अनुरूप न बढ़ने के कारण आहत करती है। मुद्रास्फीति के उतार–चढ़ाव को विभिन्न सूचकांकों के द्वारा मापा जाता है जैसे थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिकों के लिए), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि श्रमिकों के लिए), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण श्रमिकों के लिए) आदि। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विगत 5 दशकों से मुद्रास्फीति में तीव्र कमी के साक्ष्य उपलब्ध है (विश्व बैंक रिपोर्ट–2019) और मुद्रास्फीति में कमी विश्व के सभी देशों में दर्ज की गई।

6.3 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) मुद्रास्फीति

हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति 2014 से ही मन्द रही है यद्यपि हाल ही में इसमें कुछ इजाफा देखा गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित मुद्रास्फीति वर्ष 2015–16 में 4.4 प्रतिशत थी जोकि 2019–20 में 3.5 प्रतिशत हो गई। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में (अप्रैल से दिसम्बर, 2020) यह दर 5.3 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष इसी दौरान (अप्रैल से दिसम्बर, 2019) यह दर 2.5 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति की यह बढ़ोतरी खाद्य पदार्थ के मूल्यों वद्वि के कारण थी जो अर्थव्यवस्था के खुलने के दौरान भी जारी रही, हालाँकि हाल के महीनों में इसका प्रभाव मंद हुआ है।(चित्र 6.1)

6.4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) मुद्रास्फीति

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) के आधार पर वर्ष 2015–16 में मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत थी जोकि 2019–20 में 3.1 प्रतिशत रही। चालू वित्त वर्ष 2020–21 में (अप्रैल से दिसम्बर 2020) के दौरान मुद्रास्फीति की दर 4.8 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष इसी दौरान (अप्रैल से दिसम्बर 2019) यह 2.0 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति की यह बढ़ौतरी ग्रामीण मांग व आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को दर्शाती है। (चित्र 6.1)

6.5 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) मुद्रास्फीति

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) वर्ष 2015–16 में मुद्रास्फीति 2.1 प्रतिशत थी जोकि बढ़कर 2019–20 में 5.4 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2020–21 के अप्रैल से दिसम्बर महीने के दौरान मुद्रास्फीति की दर 7.6 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष इसी दौरान यह 4.7 प्रतिशत थी। (चित्र.6.1)

चित्र 6.1 मुद्रास्फीति में रुझान (संयुक्त, ग्रामीण, शहरी)

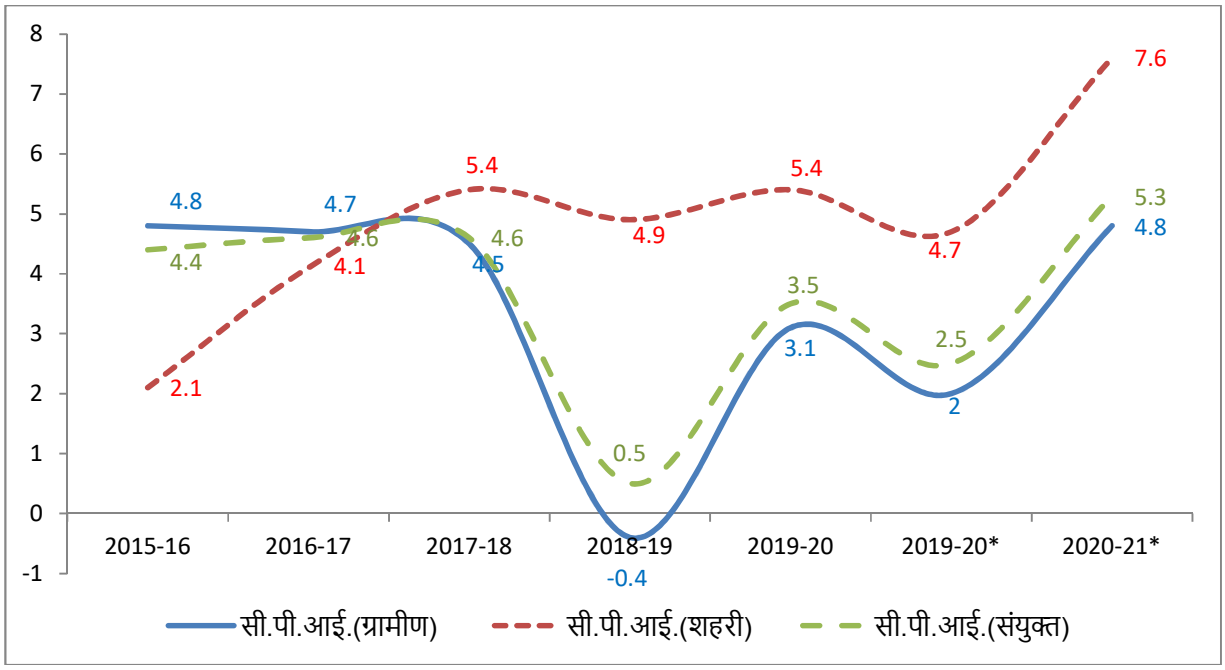

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार

चित्र 6.2 समूह–वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (शहरी और ग्रामीण) 2020–21 (अप्रैल से दिसम्बर)

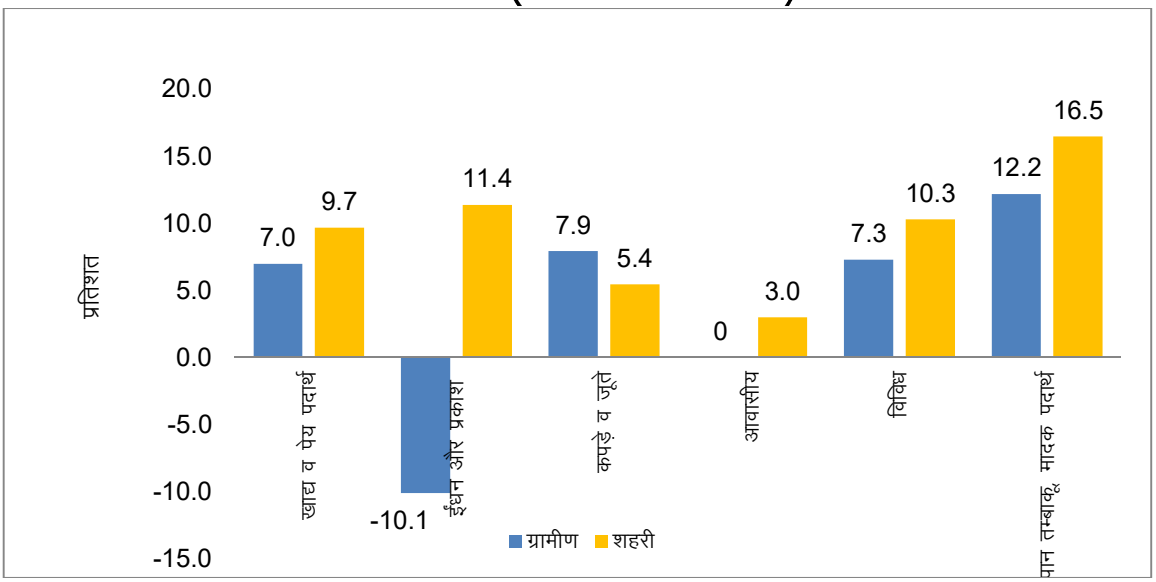

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार

चित्र 6.3: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) मुद्रास्फीति में विभिन्न समूहों का अंशदान

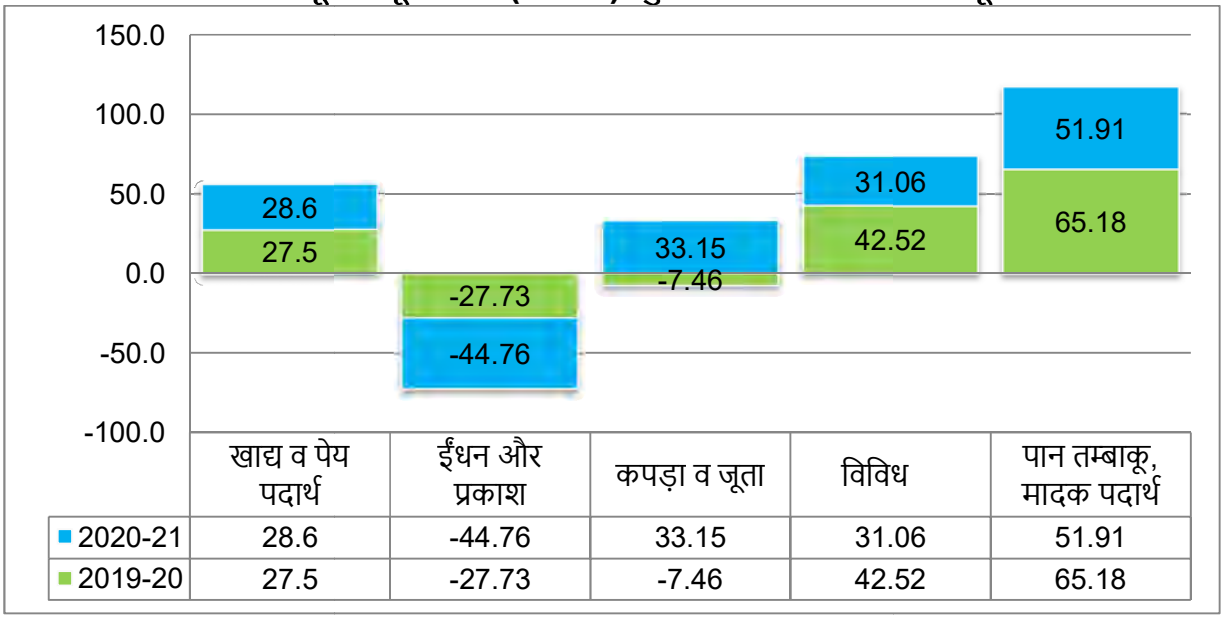

	खाद्य व पेय पदार्थ	ईंधन और प्रकाश	कपड़ा व जूता	विविध	पान तम्बाकू, मादक पदार्थ
2020-21	28.6	-44.76	33.15	31.06	51.91
2019-20	27.5	-27.73	-7.46	42.52	65.18

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार

6.6 समूह–वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति शहरी एवं ग्रामीण (अप्रैल से दिसम्बर) 2020

ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति में परिवर्तन न केवल एक घटक के कारण बल्कि विभिन्न घटकों द्वारा आया है। चित्र 6.2 घटक–वार ग्रामीण और शहरी प्रवाह को दर्शाता है। राज्य भर में ग्रामीण मुद्रास्फीति की समग्र परिवर्तनशीलता पूरे शहरी मुद्रास्फीति की परिवर्तनशीलता से अधिक थी। वर्ष 2020–21 के अप्रैल से दिसम्बर महीने के दौरान अध्ययन से यह देखने में आया है कि शहरों में मंहगाई दर अधिक है जिसका कारण ईंधन व प्रकाश समूह और पान तम्बाकु व मादक पदार्थ समूह रहे।

6.7 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) मुद्रास्फीति में विभिन्न समूहों का अंशदान व संचालक

ग्रामीण मुद्रास्फीति में संचालक अन्य घटकों की तुलना में पान, तंबाकू और मादक पदार्थों का योगदान 51.91 प्रतिशत और कपड़े और जूते–चप्पल का दूसरा सबसे बड़ा योगदान रहा जोकि 33.15 प्रतिशत था। (चित्र 6.3)

चित्र 6.4 :उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) मुद्रास्फीति में विभिन्न समूहों का अंशदान व संचालक

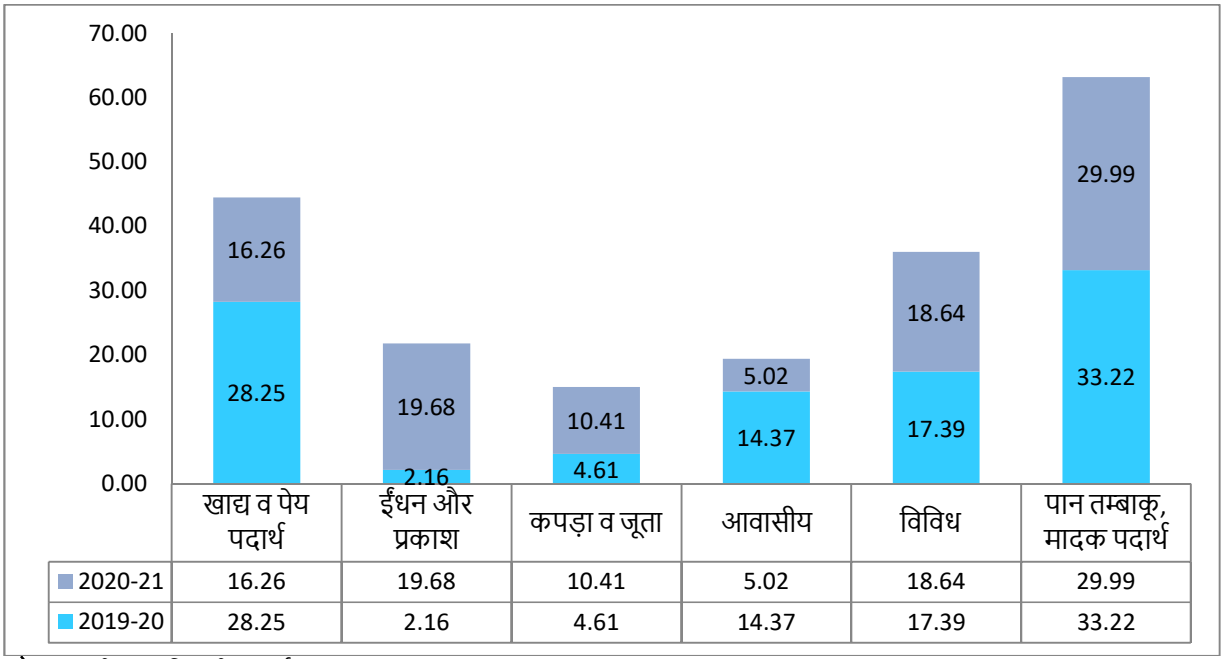

	खाद्य व पेय पदार्थ	ईंधन और प्रकाश	कपड़ा व जूता	आवासीय	विविध	पान तम्बाकू, मादक पदार्थ
2020-21	16.26	19.68	10.41	5.02	18.64	29.99
2019-20	28.25	2.16	4.61	14.37	17.39	33.22

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

6.8 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) मुद्रास्फीति में विभिन्न समूहों का अंशदान व संचालक

वर्ष 2020–21 में विभिन्न समूहों में से पान तम्बाकू व मादक पदार्थों का अंशदान 29.99 प्रतिशत रहा और दूसरा महत्वपूर्ण योगदान ईंधन और प्रकाश समूह का रहा जोकि 19.68 प्रतिशत है। चित्र 6.4

6.9 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष–2016)

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण सूचकांक है, जो कुछ चुनिंदा उद्योगों में फैले श्रमिक के लिए रहने की लागत में मूल्य वद्धि के प्रभाव को मापने के लिए जारी किया जाता है। सितम्बर,2020 से हिमाचल प्रदेश में आधार वर्ष को 2001 से 2016 के लिए संशोधित किया गया है। नई श्रृंखला में सात वर्गों के औद्योगिक श्रमिकों को इस सूचकांक में सम्मिलित किया गया है जिसमें कारखानों, खान, वृक्षारोपण, रेलवे, सार्वजनिक मोटर परिवहन उमक्रम, विद्युत उत्पादन और वितरण प्रतिष्ठान, बंदरगाहें आदि शामिल हैं प्रदेश में इस सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी राष्ट्रीय स्तर से अधिक रही जोकि चित्र 6.5 और तालिका 6.2 और 6.3 में प्रदर्शित है।

चित्र 6.5 परिवर्तनशीलता हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिकों के लिए) में राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2020–21 (अप्रैल से नवम्बर, 2020) आधार वर्ष 2016=100

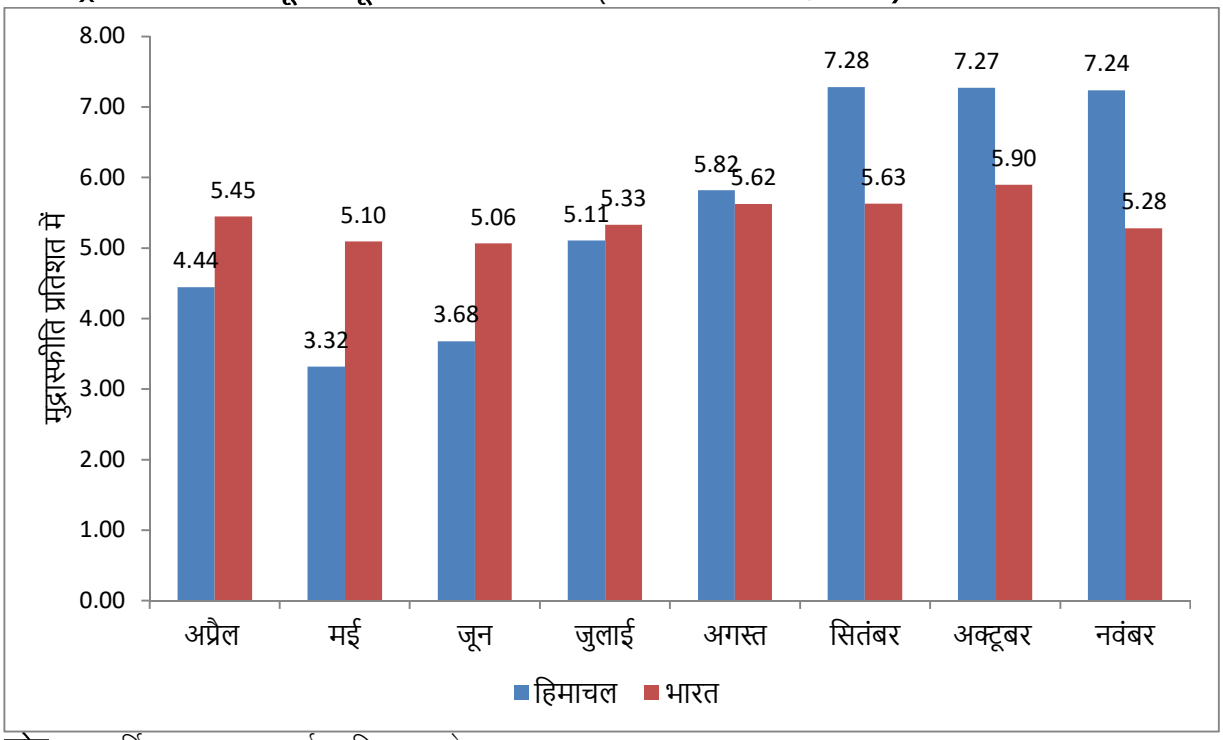

स्रोतः आर्थिक सलाहकार कार्यालय,हिमाचल प्रदेश

सारणी 6.2
हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक)
(आधार वर्ष 2001 व 2016*)

माह	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
अप्रैल	227	237	248	257	270	282	4.44
मई	229	238	247	256	271	280	3.32
जून	230	241	250	258	272	282	3.68
जुलाई	233	246	257	265	274	288	5.11
अगस्त	234	246	259	267	275	291	5.82
सितम्बर	236	245	258	266	277	120.8	7.28
अक्तूबर	239	248	258	267	280	122.1*	7.27
नवम्बर	241	248	260	266	281	122.5*	7.24
दिसम्बर	238	246	259	265	283	..	..
जनवरी	237	251	258	266	282	..	..
फरवरी	237	252	256	266	280	..	..
मार्च	236	253	256	267	281	..	..
औसत	**235**	**246**	**256**	**264**	**277**	..	..

स्रोतः श्रम व्यूरो, भारत सरकार
* अस्थाई

सारणी 6.3
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक)
(आधार वर्ष 2001 व 2016*)

माह	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
अप्रैल	256	271	277	288	312	329	5.45
मई	258	275	278	289	314	330	5.10
जून	261	277	280	291	316	332	5.06
जुलाई	263	280	285	301	319	336	5.33
अगस्त	264	278	285	301	320	338	5.63
सितम्बर	266	277	285	301	322	118.1	5.63
अक्तूबर	269	278	287	302	325	119.5*	5.90
नवम्बर	270	277	288	302	328	119.9*	5.28
दिसम्बर	269	275	286	301	330	..	..
जनवरी	269	274	288	307	330	..	..
फरवरी	267	274	287	307	328	..	..
मार्च	268	275	287	309	326	..	..
औसत	**265**	**276**	**284**	**300**	**323**	..	..

स्रोतः श्रम ब्यूरो, भारत सरकार
* अस्थाई

6.10 थोक मूल्य सूचकांकः

थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं को उपभोक्ता तक पंहुचने से पूर्व भाव में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। थोक मूल्य सूचकांक का सीधा सम्बन्ध थोक में वस्तुओं व सेवाओं के सीधे व्यापार से व्यापार तक (बी 2 बी) भावों के व्यवहार पर नजर रखना होता है। यह सूचकांक देश की मुद्रास्फीति के स्तर मापने का एक संकेतक भी है। थोक मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2018–19 में 4.3 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2019–20 में 1.7 प्रतिशत रही। वित्तीय वर्ष 2020–21 में (अप्रैल से दिसम्बर) घटकर (–) 0.1 प्रतिशत हो गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में थोक मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्य रूप से ईंधन और बिजली के कारण से है। वर्ष के दौरान वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार–चढ़ाव के कारण प्रमुख ईंधन उत्पादों की मुद्रास्फीति में तेज गिरावट आई, जिसकी वजह से ईंधन और बिजली समूह के लिए थोक मुद्रास्फीति की दर 2018–19 के 11.6 प्रतिशत के स्तर से गिरकर 2019–20 में (–) 1.8 प्रतिशत और 2020–21 में (–) 12.2 प्रतिशत पर पहुंच गई। वर्ष 2020–21 में (अप्रैल–दिसम्बर) खाद्य वस्तुओं के लिए 2019–20 के 6.9 प्रतिशत के स्तर से घटकर 2020–21 (अप्रैल–दिसम्बर) में 4.2 प्रतिशत हो गई, हालांकि गैर खाद्य उत्पादों में मुद्रास्फीति 2020–21 में (अप्रैल–दिसम्बर) 0.8 प्रतिशत तक बढ़ गई, जबकि 2019–20 में यह (–) 0.4 प्रतिशत थी। (तालिका 6.4)

6.11 थोक मूल्य सूचकांक (मासिक)

राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2019 के दौरान 123.0 था जो बढ़कर दिसम्बर, 2020 में 124.5 (अ) हो गया जो मुद्रास्फीति में 1.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी

को दर्शाता है। वर्ष 2020–21 में थोक मुद्रास्फीति की दर सारणी 6.4, चित्र 6.6 में दर्शाई गई है। वर्ष 2020–21 के दौरान अप्रैल से जुलाई, 2020 तक ऋणात्मक रही और दिसम्बर में बढ़कर 1.2 प्रतिशत दर्ज की गई।

चित्र 6.6: थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (मासिक)

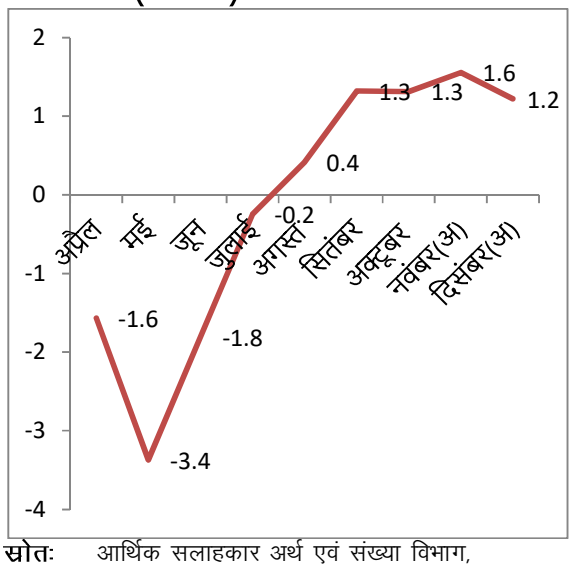

स्रोत: आर्थिक सलाहकार अर्थ एवं संख्या विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी 6.4

थोक कीमत सूचकांक के चुनिंदा समूह में मुद्रास्फीति–आधार वर्ष 2011–12

(प्रतिशत में)

विवरण	भार	2018–19	2019–20	2020–21*	जुलाई–20	अगस्त–20	सितम्बर–20	अक्तूबर–20	नवम्बर–20 (अ)	दिसम्बर–20 (अ)
सभी वस्तुएं	100.0	4.3	1.7	-0.1	-0.2	0.4	1.3	1.3	1.6	1.2
खाद्य सूचकांक	24.4	0.6	6.9	4.2	4.7	4.8	7.2	6.2	4.3	0.9
खाद्य वस्तुएं	15.3	0.4	8.4	3.9	4.5	4.4	8.4	7.1	3.9	-1.1
अनाज	2.8	5.5	7.5	-1.4	0.7	-1.6	-3.7	-5.2	-5.5	-6.5
दालों	0.6	-9.4	15.9	12.1	10.2	9.9	12.5	16.1	13.0	9.7
सब्जियों	1.9	-8.4	31.2	7.1	8.2	7.2	38.1	26.7	12.2	-13.2
फलों	1.6	-1.7	3.2	-1.3	-3.0	-0.3	-4.6	-4.3	-3.8	1.4
दूध	4.4	2.4	2.5	5.1	4.7	4.4	5.6	5.7	5.5	3.9
अंडा, मीट और मछली	2.4	1.7	6.5	3.4	5.3	6.2	4.1	4.2	0.6	1.4
खाद्योत्पाद	9.1	0.9	4.1	5.0	5.0	5.5	4.9	4.4	4.9	4.9
वनस्पति और पशु तेल तथा वसा	2.6	7.5	1.4	17.3	15.9	17.7	18.7	20.6	23.2	21.8
चीनी	1.1	-10.7	3.9	0.1	3.3	0.5	-0.8	-1.5	-0.8	-0.3
इंधन और बिजली	13.2	11.6	-1.8	-12.2	-9.8	-9.1	-8.6	-11.1	-9.9	-8.7
गैर खाद्य विनिर्मित उत्पाद(मुख्य)	55.1	4.2	-0.4	0.8	-0.2	0.6	1.3	1.8	2.6	4.1

अअस्थिर

* अप्रैल से दिसम्बर, 2020 तक

स्रोतः एन.एस.ओ

चित्र 6.7 मोटा आनाज थोक मूल्य जिनमें मूल्य का परिवर्तन अधिक हुआ

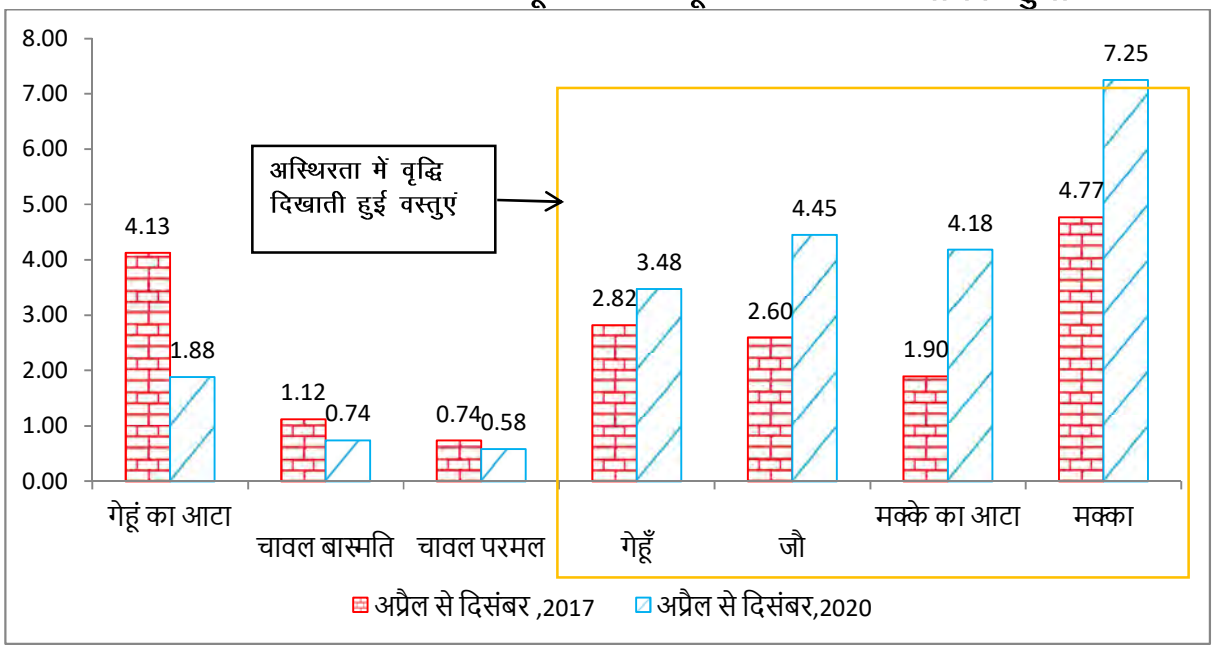

स्रोतः आर्थिक सलाहकार कार्यालय,हिमाचल प्रदेश

चित्र 6.8 दालों का थोक मूल्य गुणांक का परिवर्तन

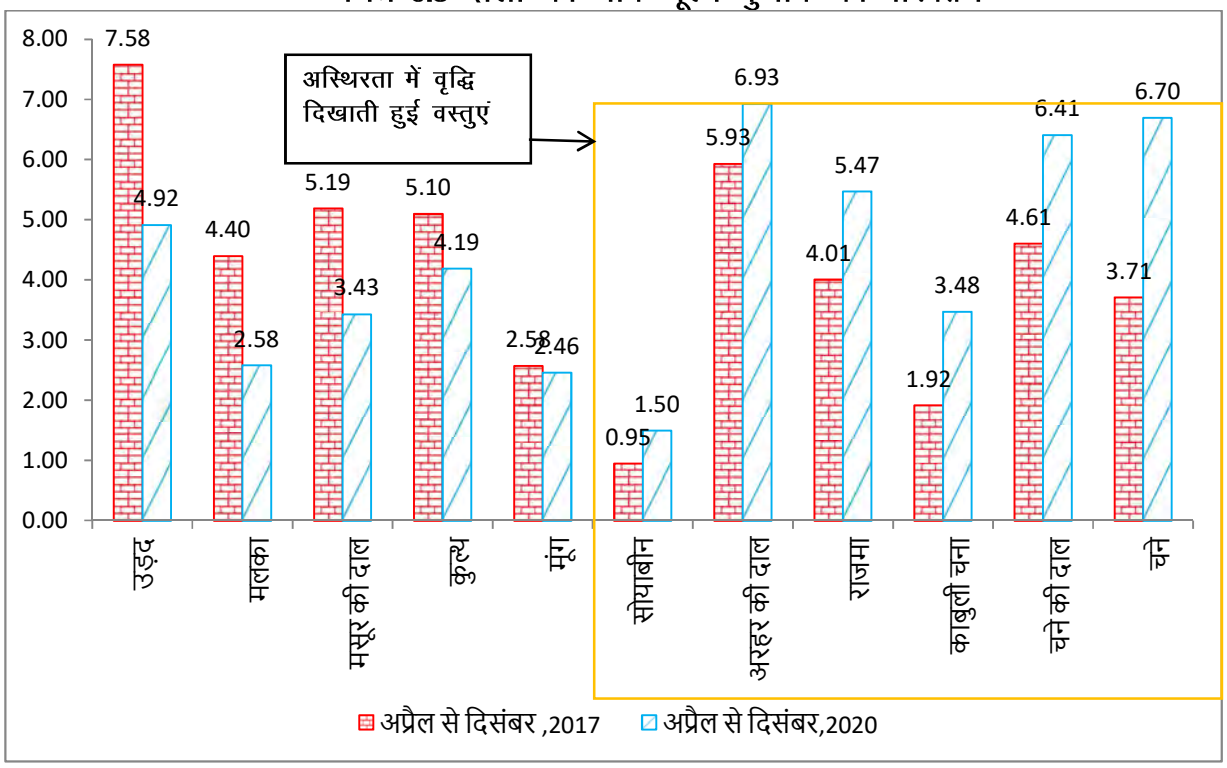

स्रोतः आर्थिक सलाहकार कार्यालय, हिमाचल प्रदेश

6.12 थोक मुद्रास्फीति के चालक

मुद्रास्फीति में तीव्र कमी के कई सहायक कारण हो सकते है जैसेः समायोजनशील मौद्रिक और राजकोषीय नीति को अपनाना, श्रम और उत्पाद बाजार में संरचनात्मक सुधार जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाए और मुद्रास्फीति को काबु करने में सक्ष्म हो इत्यादि। 24 उभरते और विकासशील अर्थव्यवस्था कम खाद्य मुद्रास्फीति के कारण 2014 से सामान्य मुद्रास्फीति की साक्ष्य बनी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ईंधन और बिजली, गैर खाद्य विनिर्मित पदार्थों की मुद्रास्फीति का व्यवहार अलग रहा है खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी सब्जियों, दालों के भाव के कारण रही है। मुद्रास्फीति में अस्थिरता का एक छुपा कारण कम और अधिक उत्पादन भी है अत्याधिक सरकारी व कानूनी हस्तक्षेप के कारण भी मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। सभी राज्यों में मुद्रास्फीति घट रही है, परन्तु परिवर्तनशीलता में बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2012 से मुद्रास्फीति की गति में परिवर्तन हुआ है। सामान्य मुद्रास्फीति से गैर खाद्य मुद्रास्फीति की तरफ के बदलाव के प्रत्यक्ष साक्ष्य मिले हैं। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य 5 अगस्त, 2016 को पांच वर्षों के लिए परिलक्षित किए गए थे, जो 31 मार्च, 2021 तक रहेंगे।

6.13 मासिक थोक मूल्य

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मासिक आधार पर पूरे जिला सांख्यिकीय कार्यालयों के माध्यम से 104 वस्तुओं का थोक मूल्य का संकलन और विश्लेषण करता है जिसके लिए जिला के चुनिंदा दुकानों से महीने के प्रथम शुक्रवार को कीमतें एकत्रित करने के उपरांत मुख्यालय प्रेषित की जाती है और मुख्यालय स्तर पर विभिन्न हितधारकों के लिए उपलब्ध करवायी जाती है। (चित्र 6.7, 6.8, 6.9)

(चित्र 6.7) वर्ष 2017 (अप्रैल से दिसम्बर) और 2020(अप्रैल दिसम्बर) के बीच मोटे अनाजों के थोक मूल्यों में अस्थिरता के गुणांक को दर्शाया गया है और मोटे अनाजों के थोक मूल्य जैसे गेंहू जौ मक्की का आटा और मक्का की कीमतों में इस अवधि के दौरान अधिक अस्थिरता देखी गई।

(चित्र 6.8) वर्ष 2017 (अप्रैल से दिसम्बर) और 2020 (अप्रैल दिसम्बर) के बीच दलहन की थोक मूल्य अस्थिरता के गुणांक को दर्शाया गया और सोयाबीन, अरहर, राजमाह, काबली चना, चना दाल, चने में अधिक अस्थिरता रही।

(चित्र 6.9) सब्जियों के थोक मूल्य गुणांक को वर्ष 2017 (अप्रैल से दिसम्बर) और 2020 (अप्रैल दिसम्बर) के बीच दर्शाया गया है। गाजर, प्याज, अदरक, पालक, शलगम, हरी धनिया, आलू कद्दू, बैंगन, लहसून, गोभी, खीरा, मेथी, फ्रेंच बीन, फूलगोभी, पेठा और मटर मे अधिक विविधता देखी गई।

चित्र 6.9 सब्जियों के थोक मूल्य की गुणांक का परिवर्तन

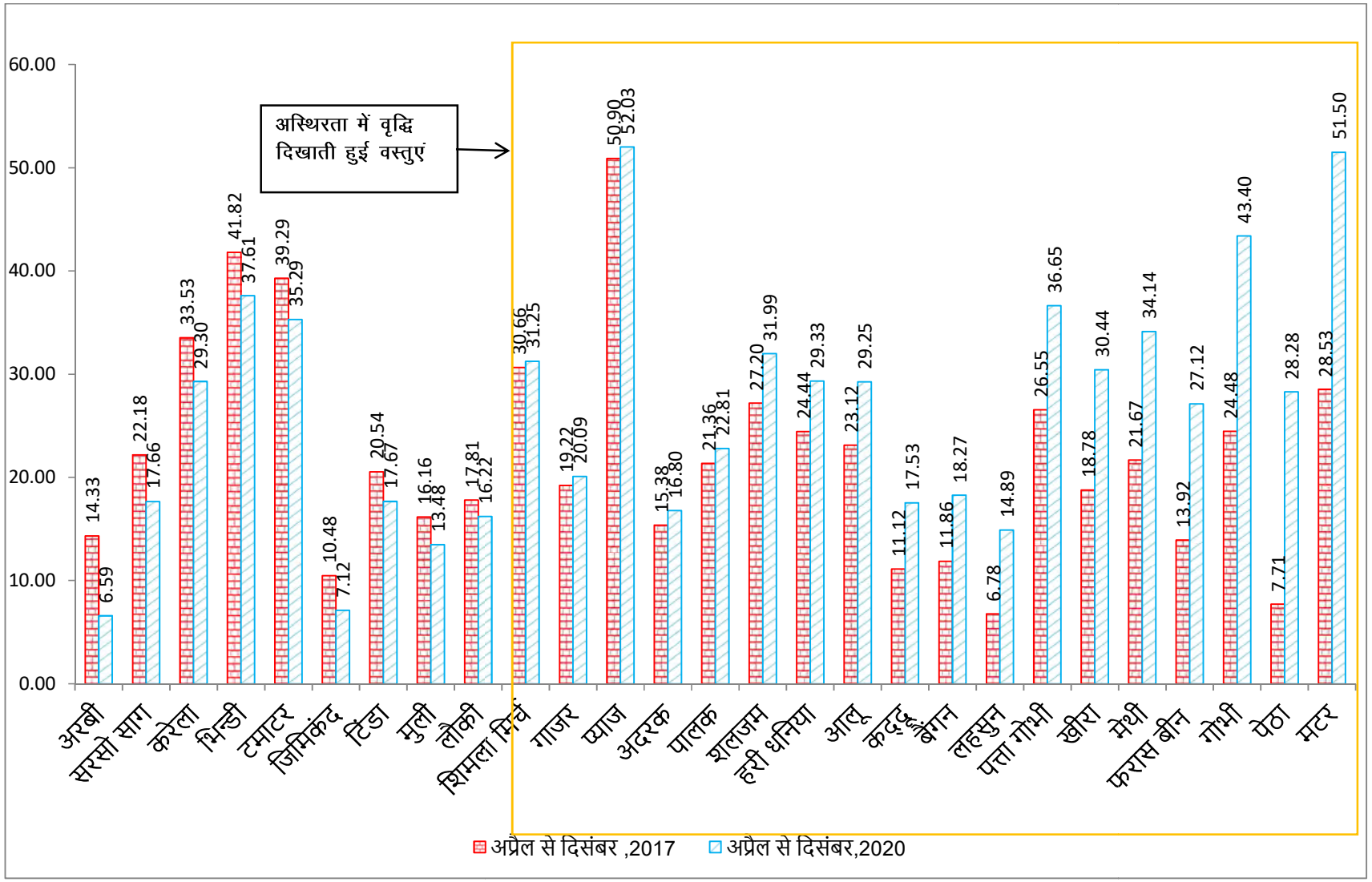

स्रोतः आर्थिक सलाहकार कार्यालय,हिमाचल प्रदेश

6.14 साप्ताहिक खुदरा मूल्य

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग सभी जिला कार्यालयों के माध्यम से सोलह आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का संकलन एव ंविश्लेषण प्रत्येक शुक्रवार को विशिष्ठ दुकानों से एकत्र करने के उपरांत किया जाता है। जांच के उपरान्त इसे विभाग की वैबसाइट weeklyprices.hp.gov.in पर अपलोड किया जाता है। मुख्यालय स्तर पर इसका विवेचन उपरान्त इसे निदेशक खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग व वित्त सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी जाती है वर्ष के दौरान प्याज, दाल चना, मुंगफली का तेल, सीमेंट, वनस्पति घी, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, आलू और खुली चाय की परचून कीमतों में अधिक अस्थिरता देखी गई। (चित्र 6.10)

6.15 आवश्यक वस्तु की कीमतों में परिवर्तनशीलता

मूल्य में अस्थिरता कोविड–19 के दौरान प्रतिबन्ध व श्रमिकों की कमी के कारण भी हुई। आवश्यक वस्तुओं के भाव में अस्थिरता अप्रैल से दिसम्बर, 2017 और अप्रैल से दिसम्बर, 2020 के मध्य गुणांक के द्वारा की गई है। इसके लिए साधारण विश्लेषण प्रणाली को अपनाया गया। निदर्शन की यह प्रणाली मध्य से मदों की दूरी को दर्शाती है, इससे यह प्रतीत हुआ कि गुड़, उड़द, दाल, गेहूं आटा,और चावल परमल के भाव अप्रैल, 2017 से प्रर्याप्त आपूर्ति व अधिक घरेलू उत्पादन के साथ–साथ चावल व गेहूं के प्रर्याप्त वफर स्टॉक जो खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी थे जिसके चलते मुद्रास्फीति नहीं बढ़ी परन्तु मुंगफली का तेल, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, वनस्पति घी, प्याज, सीमेंट, और आलू की कीमतों में अधिक अस्थिरता देखी गई जोकि मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के कारक भी बने।

चित्र 6.10 आवश्यक वस्तु की खुदरा कीमतों में गुणांक का परिवर्तन

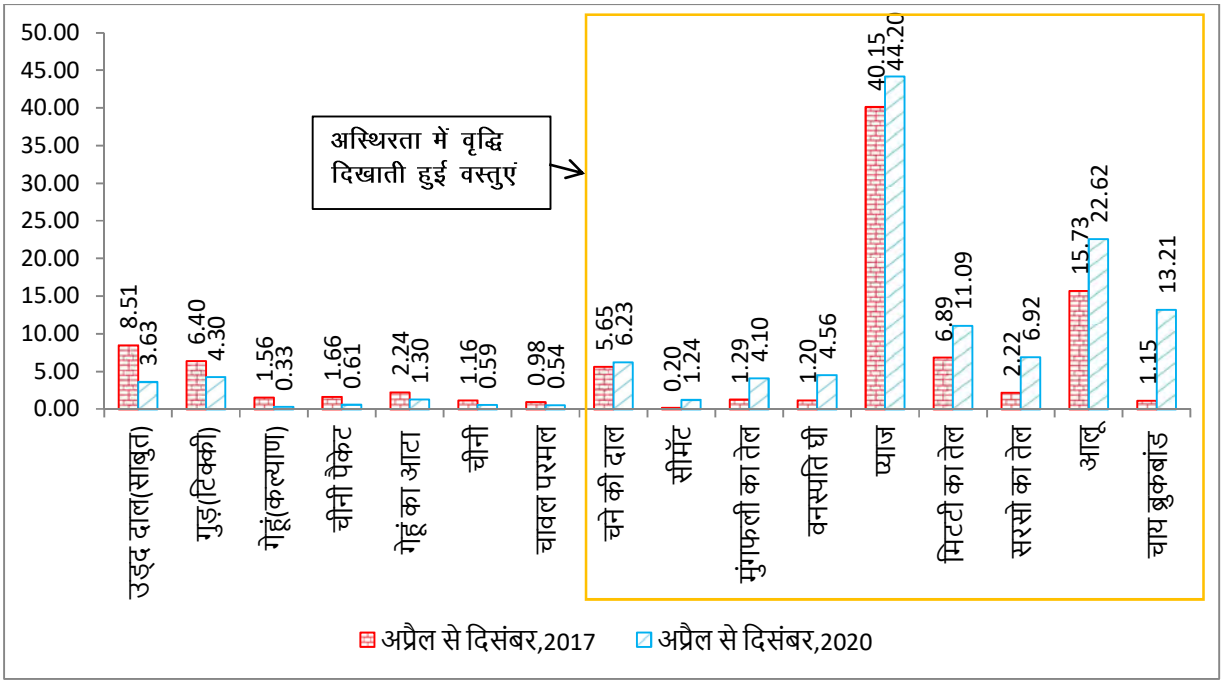

स्रोतः आर्थिक सलाहकार कार्यालय, हिमाचल प्रदेश

6.16 2020–21 में मुद्रास्फीति की विधियों द्वारा आर्थिक गतिविधियों का मापन

इस वर्ष देखा गया है कि अप्रैल से जुलाई, 2020 के बीच थोक मुद्रास्फीति की दर नाकारात्मक रही जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त की दर 5.3 प्रतिशत थी। इन दोनों सूचकांकों में अन्तर कम उत्पादन /कमजोर मांग/आपूर्ति में व्यावधान रहा अन्तर का दूसरा कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) में खाद्य समूह का अधिक भार होना और सरकार द्वारा अपनाई गई कठोर मौद्रिक नीति रहा है।

सारणी 6.5 वर्ष–वार विभिन्न मुद्रा स्फितियों में सह–सम्बन्ध

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
थोक मूल्य सूचकांक	-3.7	1.7	3.0	4.3	1.7	-0.1
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त)	4.4	4.6	4.6	0.5	3.5	5.3
थोक मूल्य सूचकांक व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) की मुद्रास्फीति का सहसंबंध है ***-0.557***						
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)	4.8	4.7	4.5	-0.4	3.1	4.8
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी)	2.1	4.1	5.4	4.9	5.4	7.6
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) की मुद्रास्फीति का सहसंबंध है***-0.043***						
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि श्रमिकों)	4.4	4.8	2.7	1.2	4.3	4.8
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण श्रमिकों)	4.2	5.6	2.6	1.3	4.3	4.8
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि श्रमिकों) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण श्रमिकों) की मुद्रास्फीति सहसंबंध है ***0.975***						
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त)	4.4	4.6	4.6	0.5	3.5	5.3
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक)	4.4	4.7	4.1	3.1	4.9	5.0
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) के बीच मुद्रास्फीति का सहसंबंध है***0.832***						

*** स्रोतः** आर्थिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार, (थोक मूल्य सूचकांक) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त,ग्रामीण, शहरी) और श्रम व्यूरो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण श्रमिक)/ अप्रैल से दिसम्बर तक (अ) अस्थिर

सारणी 6.5 वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) और थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीयों में सहसम्बन्ध (–) 0.557 रहा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति शहरी व ग्रामीण के बीच (–) 0.043 सहसम्बन्ध रहा जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि श्रमिकों) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण श्रमिकों) के बीच का सहसम्बन्ध 0.975 रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिकों) के बीच मुद्रास्फीति में सहसम्बन्ध 0.832 रहा।

6.17 खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सरकार की नीति का एक विशेष घटक है, जो उचित मूल्य की 5,001 दुकानों द्वारा जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूँ, गेहूँ का आटा, चावल, लेवी चीनी इत्यादि की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। खाद्य पदार्थों के वितरण करने हेतु सभी परिवारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

1) एन.एफ.एस.ए.(पात्र गृहस्थियां)
   - i) अन्तोदय अन्न योजना
   - ii) प्राथमिक गृहस्थियां
2) नॉन–एन.एफ.एस.ए.(ए.पी.एल.)

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 19,08,607 डिजीटल राशन कार्ड हैं, 73,35,095 आबादी की

आवश्यकताओं को 5,001 उचित मूल्य की दुकानों जिसमें 3,245 सहकारी समितियां, 12 पंचायत, 69 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के आउटलेट, 1,656 व्यक्तिगत आउटलेट और 18 महिला मण्डल और 1 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में दिसंबर, 2020 तक वर्तमान में आवश्यक राज्य अनुदानित वस्तुओं का वितरण का ब्यौरा निम्न प्रकार से सारणी 6.6 में किया गया है।

सारणी 6.6
आवश्यक वस्तुओं का वितरण

क्र0सं0	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण दिसम्बर, 2019 तक
1.	गेहूँ/गेहूँ का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	1,20,253
2.	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	56,147
3.	गेहूँ/ आटा (बी.पी.एल.)/(पी.एच.एच.)/ए.ए.वाई/एन.एफ.एस.ए.	मी. टन	1,01,650
4.	चावल (बी.पी.एल.)/ (पी.एच.एच.)/.ए.ए.वाई/एन.एफ.एस.ए./ए.	मी. टन	74,127
5.	चावल अन्नपूर्णा	मी. टन	3
6.	चीनी	मी. टन	32,748
7.	दालें	मी. टन	39,341
8.	आयोडीन नमक	मी. टन	9,635
9.	रिफाइन्ड तेल	कि. लीटर	3,912
10.	सरसों का तेल	कि. लीटर	26,973

स्रोतः खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले, हि.प्र. सरकार

सारणी 6.7

वस्तुओं की मात्रा का वितरण व रेट प्रति राशन कार्ड/ प्रति परिवार /प्रति सदस्य/ प्रति माह

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 01.04.2007 से सभी राशन कार्ड धारको के लिए राज्य विशेश अनुदानित योजना भुरु की है जिसे समय–2 पर संशोधित किया गया है। उपभोक्ताओं को 4 मे से 3 दालों का विकल्प दिया गया है ।

क्र.स.	वस्तु का नाम	एनएफ.एस.ए. रेट	ओ.टी.एन.एफ.एस.ए. (ए.पी.एल.) रेट	ओ.टी.एन.एफ.एस.ए. (ए.पी.एल.) आयकरदाता रेट	स्केल
1	दाल चना	मूल्य, ₹35 प्रति कि.ग्रा.	मूल्य, ₹45 प्रति कि.ग्रा.	मूल्य, ₹68 प्रति कि.ग्रा.	1 किलोग्राम सभी राशन कार्ड धारको के लिए प्रति माह प्रति परिवार
2	दाल उड़द साबुत	मूल्य, ₹45 प्रति कि.ग्रा.	मूल्य, ₹55 प्रति कि.ग्रा.	मूल्य, ₹76 प्रति कि.ग्रा.	1 किलोग्राम सभी राशन कार्ड धारको के लिए प्रति माह प्रति परिवार
3	मूंग साबुत	मूल्य, ₹55 प्रति कि.ग्रा.	मूल्य, ₹65 प्रति कि.ग्रा.	मूल्य ₹89 प्रति कि.ग्रा.	1 किलोग्राम सभी राशन कार्ड धारको के लिए प्रति माह प्रति परिवार
4	दाल मलका	मूल्य, ₹40 प्रति कि.ग्रा.	मूल्य, ₹50 प्रति किलो ग्राम	मूल्य, ₹72 प्रति कि.ग्रा.	1 किलोग्राम सभी राशन कार्ड धारको के लिए प्रति माह प्रति परिवार
5	खाद्य तेल (फॉटी फाईड मर्स्टड ऑयल)	मूल्य, ₹98 प्रति लीटर	मूल्य, ₹103 प्रति लीटर	मूल्य, ₹117 प्रति लीटर	1 किलो लीटर 1 व 2सदस्य तक, 2 लीटर 3 व 3 से ज्यादा वाले परिवार को प्रति राशन कार्ड
6	खाद्य तेल (फॉर्टी फाईड सोया रिफांईड ऑयल)	मूल्य, ₹78 प्रति लीटर	मूल्य, ₹83 प्रति लीटर	मूल्य, ₹96 प्रति लीटर	1 किलो लीटर 1 व 2सदस्य तक, 2 लीटर 3 व 3 से ज्यादा वाले परिवार को प्रति राशन कार्ड
7	(डबल फॉर्टी फाईड आयोडीन नमक	मूल्य, ₹8 प्रति कि.ग्रा.	मूल्य, ₹8 प्रति किलो ग्राम	मूल्य, ₹15 प्रति किलो ग्राम	1 किलोग्राम सभी राशन कार्ड धारको के लिए प्रति माह प्रति परिवार
8	**एन.एफ.एस.ए. के अलावा**				
ए.पी.एल. और ए.पी.एल. आयकर दाता		13.5 किलोग्राम गदमं आटा ₹9.30 प्रति किलो की दर से, 6 किलोग्राम चावल ₹10 प्रति किलो की दर से			
9	**एन.एफ.एस.ए.**				
(1)	ए.ए.वाई. कार्ड धारकों को	18.8 किलोग्राम गन्दम आटा ₹3.20 प्रति किलो की दर से व 15 कि. चावल ₹3 प्रति किलो की दर से प्रति परिवार प्रति माह			
(2)	प्राथमिकी गृहस्थियां	2.8 किलोग्राम गंदम आटा ₹3.20 प्रति किलो की दर से व 2 कि. चावल ₹3 प्रति किलो की दर से प्रति सदस्य प्रति माह			
	बी.पी.एल.	बी.पी.एल. परिवारों (6 सदस्य तक) को पहले की तर्ज पर 35 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न बी.पी.एल. दरों पर (गदमं ₹ 5.25 प्रति किलोग्राम व चावल ₹6.85 प्रति किलोग्राम की दर से) उपलब्ध करवाए जा रहे है। अब, बी.पी.एल. परिवारों को (6 सदस्य तक) अतिरिक्त फॉर्टीफाईड गंदम आटा ₹7 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा हैं । परिवार के सदस्यो की संख्या अनुसार वितरित की जा रही गन्दम/गंदम आटाव चावल का विवरण निम्न प्रकार से हैः			
	अन्नपूर्णा कार्ड धारकों को	10 किलो चावल मुफ्त में			
10	चीनी	ए.पी.एल. कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 500 ग्राम प्रतिमाहः ₹30 प्रति किलो की दर से ए.पी.एल. आयकरदाता कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 500 ग्राम प्रतिमाहः ₹39 प्रति किलो की दर से नान–ए.पी.एल. कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 500 ग्राम प्रतिमाहः ₹13.00 प्रति किलो की दर से **नोटः**– अन्तोदय परिवार के एक व दो सदस्य वाले लाभार्थी परिवार को 1 किलोग्राम चीनी प्रति माह व दो से ज्यादा सदस्य वाले लाभार्थी परिवार को 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी प्रति माह ₹13.00 प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है।			

स्कीम	1 सदस्य वाले परिवार के लिए	2 सदस्य वाले परिवार के लिए	3 सदस्य वाले परिवार के लिए	4 सदस्य वाले परिवार के लिए	5 सदस्य वाले परिवार के लिए	6 सदस्य वाले परिवार के लिए
गन्दम/ गंदम आटा	17 किलोग्राम	14	11	8	5	2
चावल	13 किलोग्राम	11	9	7	5	3

6.18 हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम हिमाचल प्रदेश सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत नियन्त्रित व अनियन्त्रित वस्तुओं के प्रापण एवं वितरण की एक नोडल एजैन्सी के रुप में सन्तोषजनक कार्य कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2020 तक निगम ने विभिन्न वस्तुएं जिनका मूल्य ₹1,221.38 करोड़ था, का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष में इसी अवधि में ₹1,035.52 करोड़ था।

6.19 राज्य के जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में खाद्य व्यवस्थाः

निगम आवश्यक वस्तुएं, जैसे पैट्रोलियम उत्पाद, मिट्टी तेल व एल.पी.जी. जन–जातीय एवं अगमय क्षेत्रों में जहां कारोबारी व्यवसाय को चलाने में घाटे के दृष्टिगत आगे नहीं आते है, जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2020 तक निगम ने सरकार की जनजाति कार्य योजना के अनुसार जनजातीय व हिमाच्छादित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं व पैट्रोलियम उत्पादों की व्यवस्था सारणी 6.8 के अनुसार सुनिश्चित की है।

सारणी 6.8

जन–जातीय क्षेत्र के लिए वस्तुओं का वितरण व प्रेषण दिसम्बर, 2020

क.सं.	वस्तु का नाम	इकाई	मात्रा
1	गेहूँ/गेहूँ का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	5,855
2	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	4,735
3	गेहूँ (बी.पी.एल.)	मी. टन	578
4	चावल (बी.पी.एल.)	मी. टन	505
5	गेहूँ (ए.ए.वाई./ एन.एफ.एस.ए.)	मी. टन	2,448
6	चावल (ए.ए.वाई./एन.एफ.एस.ए.)	मी. टन	1,829
7	चावल अन्नपूर्णा	मी. टन	0
8	चीनी	मी. टन	1,054
9	मिट्टी का तेल	कि.ली.	530
10	रसोई गैस 14.2 कि.ग्रा	संख्या	1,25,782
11	आयोडीन नमक	मी. टन	470
12	दालें	मी. टन	1073
13	खाद्य तेल	कि.लीटर	928

वर्तमान में निगम अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे कि रसोई गैस, डीजल/पैट्रोल/मिट्टी का तेल और जीवन रक्षक दवाईयों को उचित मूल्यों पर 118 थोक बिक्री केन्द्रों, 69 उचित मूल्यों की दुकानों/अपनास्टोर, 54 गैस एजेंसियों, 4 पेट्रोल पम्प और 32 दवाईयों की दुकानों के माध्यम से प्रदेश के कोने–कोने में वितरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त निगम थोक व परचून बिक्री केन्द्रों के माध्यम से

अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे चीनी, दालें, चावल, आटा, डिटरजैंट पाउडर व साबुन, चाय पत्ती, कापियां, सीमेंट, सी.जी.आई. शीट्स, दवाईयां, विशेष पोषाहार स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुएं, मनरेगा सीमेन्ट व पट्रोलियम पदार्थों इत्यादि का प्रापण एवं वितरण कर रहा है जिससे निश्चित रुप से इन वस्तुओं के लिए प्रदेश में महंगाई स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2020 तक निगम द्वारा ₹687.81 करोड़ विभिन्न वस्तुओं की प्रापण एवं वितरण किया गया है जो पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए ₹477.27 करोड़ की थी।

निगम दोपहर के भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक व अपर प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा आवंटित चावल एवं अन्य खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2020 तक निगम ने 10,054.32 मी.टन चावल जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 9,889 मी.टन था का वितरण किया है। निगम सरकार की विशेष अनुदानित स्कीम के अंतर्गत चिन्हित वस्तुओं (दालें, खाद्य सरसों का तेल व रिफाईड तेल और नमक) की सरकार द्वारा गठित प्रापण कमेटी के निर्णयानुसार आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2020 तक ₹513.31 करोड़ की विभिन्न वस्तुएं सभी राशनकार्ड धारकों को तय मानकों के अनुसार का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना मे इस अवधि में ₹384.00 करोड़ थी। इस योजना को लागू करने के लिए वर्ष 2020–21 में ₹220.00 करोड़ राज्य अनुदान के रुप में बजट में प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान निगम का कारोबार ₹1,500 करोड़ रहने की संभावना है, जो गतवर्ष 2019–20 के दौरान ₹1,450.00 करोड़ का था।

6.20 सरकारी आपूर्ति

हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सरकारी अस्पतालों को आयुर्वेदिक दवाईयां, सरकारी विभागों/ बोर्डों/ उपक्रमों/ अन्य सरकारी संस्थाओं को सीमेंट और जी.आई./ डी.आई/सी.आई. पाईपें, जल शक्ति विभाग को आपूर्ति कर रहा है। वर्ष 2020–21 में सरकारी आपूर्ति (अनन्तिम स्थिति) निम्न प्रकार रहेगी:–

(₹करोड़ में)

1	आयुर्वेदिक दवाईयां	3.26
2	सीमेंट की आपूर्ति	186.63
3	स्कूल की वर्दी और बैग जी.आई./डी.आई/ सी.आई.	55.25
4	पाईप	282.79
	जोड़	**527.93**

6.21 मनरेगा सीमेंट की आपूर्ति

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक निगम ने प्रदेश की विभिन्न पंचायतों के विकास कार्य में प्रयोग के लिए 43,36,820 बैग सीमेंट जिसकी राशि ₹108.07 करोड़ बनती है का सीमेंट फैक्ट्रियों से प्रापण व आपूर्ति सुनिश्चित की।

6.22 पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पाद

वित्त वर्ष 2020–21 दिसम्बर, 2020 तक राज्य में 26 थोक केरोसिन डीलर, 477 पैट्रोल पम्प और 189 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं।

6.23 लाभांश

निगम अपनी स्थापना वर्ष 1980 से लगातार लाभ अर्जित कर रहा है। निगम ने वर्ष 2019–20 के दौरान ₹1.12 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया तथा ₹35.15 लाख हिमाचल सरकार को लाभांश के रूप में देना प्रस्तावित है।

6.24 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन

भारत सरकार द्वारा राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार सौंपे गये कार्य व उत्तरदायित्व के अन्तर्गत हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इस योजना के कार्यान्वयन में आबंटित खाद्यानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में प्रापण/भण्डारण व आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपरान्त, अपने 118 थोक बिक्री केन्द्रों द्वारा चयनित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 59,936 मी. टन चावल व 411 मी.टन गेहूँ चयनित लाभार्थियों को क्रमशः ₹3.00 व ₹2.00 प्रति किलो प्रतिमाह की दर से वितरित करना सुनिश्चित किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश सरकार के अलग से राज्य भण्डारण निगम न होने की स्थिति में निगम अपने स्तर पर 22,095 मी.टन का भण्डारण व 37,848 मी.टन किराये पर लिए गए गोदामों में भण्डारण का प्रबन्धन कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के सफल कार्यान्वयन को देखते हुए पर्याप्त खाद्यान्न भण्डारण हेतु नेरवा, जिला शिमला में 550 मी.टन, सिद्धपुर सरकारी, जिला कांगड़ा में 1,000 मी.टन व राजगढ़ जिला सिरमौर में 300 मी.टन के खाद्यान्न भण्डारण गोदाम बन कर तैयार कर लिए गए हैं तथा सम्बन्धित कार्यकारी एंजैसी से कब्जा ले लिया गया है।

6.25 सेल यार्ड

वर्तमान वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण से सरिया व सम्बन्धित अन्य उत्पाद इत्यादि को शिमला में भट्टाकुफर से सभी विभागों, निगमों तथा बोर्डों को उपलब्ध करवाने में पहल करने पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने सेल यार्ड का दायित्व भी निगम को सौंपा है। इसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2020 तक निगम द्वारा 425.34 मी.टन अच्छी गुणवत्ता के सरिये की आपूर्ति की है।

कृषि, बागवानी और सम्बद्ध सेवांए

7 अध्याय

7.1 परिचय

कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हिमाचल प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 89.96 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए कृषि व बागवानी पर प्रदेश के लोगों की निर्भरता अधिक है और कृषि से राज्य के कुल कामगारों में से लगभग 70 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध होता है।

कृषि राज्य आय (जी.एस.डी.पी.) का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 13.62 प्रतिशत कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.44 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 9.97 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। प्रदेश में औसतन जोत 0.95 हैक्टेयर है। कृषि गणना 2015–16 के अनुसार भू–जोतों के वर्गीकरण नीचे दी गई सारणी 7.1 से स्पष्ट है कि कुल जोतों में से 88.86 प्रतिशत जोतें लघु व सीमान्त किसानों की है। लगभग 10.84 प्रतिशत अर्ध–मध्यम/मध्यम व केवल 0.30 प्रतिशत जोतें बड़े किसानों की है।

सारणी 7.1
भू–जोतों का वर्गीकरण

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	वर्ग (किसान)	जोतों की संख्या (लाख)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	जोत का औसत आकार(है0)
1.0 से कम	सीमान्त	7.12 (71.41%)	2.86 (30.30%)	0.40
1.0–2.0	लघु	1.74 (17.45%)	2.42 (25.63%)	1.39
2.0–4.0	अर्ध–मध्यम	0.82 (8.23%)	2.23 (23.62%)	2.72
4.0–10.0	मध्यम	0.26 (2.61%)	1.46 (15.47%)	5.62
10.0 व अधिक	बड़े	0.03 (0.30%)	0.47 (4.98%)	15.67
जोड़		**9.97**	**9.44**	**0.95**

स्रोतः कार्यालय, आर्थिक सलाहकार हि0प्र0।

कुल जोते गए क्षेत्र में से 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। चावल, गेंहू, तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल, सरसों और तोरिया रबी मौसम की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। उड़द, बीन, मूंग, राजमाश राज्य में खरीफ की तथा चना मसूर रबी की प्रमुख दालें है। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे

- उपोष्णीय, उप पर्वतीय तथा निचले पहाड़ी क्षेत्र।
- उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र।
- नमी वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र।
- शुष्क तापमान वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरूस्थल।

प्रदेश की कृषि जलवायु नकद फसलों जैसे बीज आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त राज्य सरकार, समयानुसार तथा प्रचुर मात्रा में कृषि संसाधनों की उपलब्धता, उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी, पुराने किस्म के बीजों को बदल कर एकीकृत कीटाणु प्रबन्ध से उन्नत करना, जल प्रबन्धन के अंतर्गत अधिक से अधिक भूमि को शामिल करना एवं जल संरक्षण कर बेकार जमीन का विकास करके बेमौसमी सब्जियों आलू, अदरक, दालों व तिलहन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वर्षा के अनुसार चार विभिन्न मौसम है। लगभग आधी वर्षा बरसात में ही होती है तथा शेष बाकी मौसमों मे होती है। राज्य में औसतन 1,251 मि.मी. वर्षा होती है। जिसमें सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा जिले में होती है और उसके बाद चम्बा, सिरमौर और मण्डी जिला आते हैं।

7.2 मौनसून 2020

कृषि कार्यकलापों का मौनसून के स्वरूप से गहन सम्बन्ध है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020 के मौनसून के मौसम (जून–सितम्बर) में कुल्लू, बिलासपुर तथा ऊना में सामान्य चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, मण्डी, शिमला, सिरमौर तथा सोलन में न्यूनतम और लाहौल स्पिति में कम बारिश हुई है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में मौनसून मौसम में सामान्य वर्षा की तुलना में 26 प्रतिशत कम वर्षा हुई। सारणी 7.2 व 7.3 में विभिन्न जिलों में दक्षिण पश्चिम मौनसून मौसम में वर्षा की स्थिति को दर्शाया गया है:

सारणी 7.2
वर्षा के आंकड़े
(जून–सितम्बर 2020)
मौनसून

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			मि.मी.	प्रतिशतता
बिलासपुर	957	874	83	9
चम्बा	477	1052	(-)574	(-)55
हमीरपुर	819	1019	(-)200	(-)20
कांगड़ा	1219	1596	(-)377	(-)24
किन्नौर	115	252	(-)137	(-)54
कुल्लू	528	504	24	5
लाहौल–स्पिति	106	395	(-)289	(-)73
मण्ड़ी	816	1062	(-)246	(-)23
शिमला	459	644	(-)185	(-)29
सिरमौर	854	1350	(-)496	(-)37
सोलन	789	983	(-)202	(-)21
ऊना	741	820	(-)79	(-)10
औसत	567	764	(-)196	(-)26

सारणी 7.3
मौनसून बाद वर्षा के आंकड़े
अक्तूबर–दिसम्बर, 2020

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			मि.मी.	प्रतिशतता
बिलासपुर	75	65	11	16
चम्बा	98	132	(-)34	(-)26
हमीरपुर	52	69	(-)17	(-)25
कांगड़ा	64	85	(-)21	(-)25
किन्नौर	54	75	(-)21	(-)28
कुल्लू	121	89	32	36
लाहौल–स्पिति	95	114	(-)19	(-)16
मण्ड़ी	53	64	(-)11	(-)17
शिमला	70	79	(-)9	(-)11
सिरमौर	63	64	0	0
सोलन	65	70	(-)5	(-)7
ऊना	47	53	(-)6	(-)12
औसत	**78**	**92**	**(-)14**	**(-)15**

टिप्पणी:

सामान्य = (–)19 % से +19 %
अधिक = 20 % से अधिक
न्यून = (–)20 % से (–) 59 %
अपर्याप्त = (–)60 %से (–)99 %

7.3 फसल निष्पादन 2019–20

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है। खाद्यान्न उत्पादन में तनिक भी उतार–चढ़ाव अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। वर्ष 2019–20 कृषि के लिए सामान्य वर्ष रहा तथा खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2018–19 के 16.92 लाख मी.टन की तुलना में वर्ष 2019–20 में 15.94 लाख मी.टन उत्पादन हुआ। वर्ष 2019–20 में आलू उत्पादन 1.97 लाख मी.टन हुआ जबकि पिछले वर्ष 2018–19 में ये 1.87 लाख मी.टन था। सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2019–20 में 18.61 लाख मी.टन हुआ जबकि वर्ष 2018–19 में यह 17.22 लाख मी.टन था।

7.4 फसल संभावनाएं 2020–21

वर्ष 2020–21 में कुल उत्पादन का लक्ष्य 16.74 लाख मी.टन है। खरीफ उत्पादन मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मौनसून पर निर्भर करता है क्योंकि राज्य के कुल जोते गए क्षेत्र में से लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। खरीफ सीजन में बुआई अप्रैल अंत में शुरू होती है और जून मध्य तक जाती है। मक्की और धान खरीफ सीजन की मुख्य फसलें हैं। रागी, छोटे अनाज तथा दालें कम मात्रा में होती हैं। खरीफ सीजन के अन्तर्गत 384.26 हजार हेक्टेयर क्षेत्र पर बीजाई की गई। लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र अप्रैल–मई तथा शेष क्षेत्र जून–जुलाई के महीने में बोया गया जो कि खरीफ सीजन का शीर्ष समय होता है। राज्य के अधिकांश हिस्से में सामान्य वर्षा होने के कारण बीजाई समय पर की जा सकी और कुल मिलाकर फसल की स्थिति सामान्य थी। यद्यपि मानसून 2019 के दौरान अच्छा होने के कारण खरीफ उत्पादन वर्ष 2019 में 9.17 लाख मी.टन लक्ष्य की तुलना में 8.93 लाख मी.टन हुआ। रबी सीजन 2019–20 के दौरान अक्तूबर से दिसम्बर, 2019 की अवधि में वर्षा 33 प्रतिशत अधिक हुई। दिसम्बर, 2019 में रवी उत्पादन 7.53 लाख मी.टन हुआ है। फसलबार खाद्यानों एवं वाणिज्य फसलों का उत्पादन सारणी 7.4 में दर्शाया गया है:–

7.5 खाद्यान्न उत्पादन का विकास

क्षेत्र विस्तार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी सीमाएं हैं। जहां तक कृषि योग्य भूमि का प्रश्न है पूरे देश की तरह हिमाचल भी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां कृषि के अन्तर्गत भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के साथ विविधता पूर्ण उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने का प्रयास आवश्यक है। नकदी फसलों की तरफ बदले हुए रूझान की वजह से खाद्यान्न उत्पादन/फसलों के अंतर्गत क्षेत्र धीरे–धीरे कम हो रहा है। जैसे कि यह 1997–98 में 853.88 हजार हैक्टेयर था जो घटते हुए वर्ष 2019–20 में 735.04 हजार हैक्टेयर रह गया। खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन का सारणी 7.5 से पता चलता है।

सारणी 7.4
खाद्यान्न उत्पाद

('000 मी.टन में)

फसले	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (संभावित)
I. खाद्यान्न				
चावल	141.37	146.68	143.66	135.20
मक्की	750.91	771.11	729.73	762.00
रागी	1.92	1.82	2.06	2.55
छोटा अनाज	3.36	4.12	4.77	4.50
गेंहू	598.32	682.63	627.96	672.00
जौं	28.19	32.08	30.83	35.30
चना	0.37	0.40	0.42	0.45
दालें	56.99	53.60	54.80	62.72
कुल खाद्यान्न	**1581.42**	**1692.44**	**1594.23**	**1674.72**
II.वाणिज्यिक फसलें				
आलू	198.66	186.80	196.71	196.30
सब्जियां	1691.56	1722.14	1860.67	1658.00
अदरक (हरा)	33.70	33.74	33.99	34.40

सारणी 7.5
खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्ष	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
2017–18	748.72	1581.42	2.11
2018–19	732.62	1692.44	2.31
2019–20	735.04	1594.23	2.17
2020–21 (लक्ष्य)	763.40	1674.72	2.19

7.6 अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में संबंधित कार्यक्रम (एच.वाई.वी.पी.)

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया। अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की, धान, गेहूं के अंतर्गत 2018–19, 2019–20 में लाया गया क्षेत्र तथा 2020–21 के लिए लक्षित क्षेत्र सारणी 7.6 में दिया गया है।

सारणी 7.6
अधिक उपज देने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

('000 हैक्टेयर)

वर्ष	मक्की	धान	गेहूं
2018–19	280.69	74.32	343.62
2019–20	205.00	62.00	330.00
2020–21 (लक्ष्य)	205.00	62.00	330.00

प्रदेश में बीज उत्पादन के 20 फार्म केन्द्र स्थापित किए गए है जिनसे पंजीकृत किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 3 सब्जी विकास केन्द्र, 12 आलू विकास केन्द्र तथा 1 अदरक विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

7.7 पौध संरक्षण कार्यक्रम

फसलों की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से पौध संरक्षण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रत्येक मौसम में फसलों की बीमारियों, इनसैक्ट तथा पैस्ट इत्यादि से लड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आई.आर.डी.पी. परिवारों, पिछड़े क्षेत्रों के किसानों तथा सीमान्त व लघु किसानों को पौध संरक्षण रसायन व उपकरण, 50 प्रतिशत कीमत पर उपलब्ध करवाएं गए। विभाग का दृष्टिकोण है कि पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग कम करके धीरे धीरे कीटों/ रोगों के जैविक नियन्त्रण पर बढ़ावा दिया जाये। रसायनों के वितरण में संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य सारणी 7.7 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.7
संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य

वर्ष	पौध संरक्षण के अधीन लाया गया क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	रसायनों का वितरण (मी.टन)
2016–17	111.58	205.76
2017–18	103.26	180.71
2018–19	77.14	135.00
2019–20	558.00	558.80
2020–21 (लक्ष्य)	115.00	197.30

7.8 मिट्टी की जांच कार्यक्रम

प्रत्येक मौसम में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किसानों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं तथा मिट्टी जांच प्रयोगशाला में इनका विश्लेषण किया जाता है। (लाहौल–स्पिति को छोड़कर) सभी जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं और चार मोबाईल मिट्टी परीक्षण वैन/प्रयोगशालाएं जिनमें से एक विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लिए है जो मौके पर मिट्टी के नमूनों के लिए प्रचालन में है। वर्तमान में 11 मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया, 9 मोबाईल प्रयोगशालाएं व 47 छोटी प्रयोगशालाएं विभाग द्वारा स्थापित की गई इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा एक नई योजना जिसमें मिट्टी के नमूने जी.पी.एस. की मद्द से इकट्ठे किये जाएंगे और वर्ष 2019–20 में लगभग 19,872 मिट्टी के नमूने विश्लेषण के लिए इकट्ठे किए गए हैं।

7.9 प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शून्य बजट के अन्तर्गत प्राकृतिक खेती

राज्य सरकार ने राज्य में 'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान' नाम से एक नई योजना आरम्भ की है। सरकार का उद्देश्य शून्य बजट प्राकृतिक खेती से प्रोत्साहित करना है ताकि खेती की लागत में कमी लाई जा सके। रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाएगा। कृषि और बागवानी विभाग को दिया जाने वाला बजट जैव उर्वरकों एवं कीटनाशक प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

7.10 उर्वरक उपभोग तथा उपदान

उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 1985–86 के 23,664 मी.टन से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 61,778 मी.टन हो गया। रसायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित उर्वरक पर ₹1,000 प्रति मी.टन तथा बड़े पैमाने पर घुलनशील उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 25 प्रतिशत मूल्य सीमा उपदान स्वरूप केन्द्रीय योजना के अंतर्गत् दिया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में लगभग 51,500 मी.टन उर्वरक पोषक तत्वों के रूप में वितरित किया जाएगा।

7.11 कृषि ऋण

संस्थागत ऋण को व्यापक रूप देना विशेषकर उन फसलों मे जो कि बीमा योजना के अंतर्गत आती है, बढ़ाने की जरूरत है। सीमान्त तथा लघु किसानों और अन्य पिछड़े वर्ग को संस्थागत ऋण सही तरीके से उपलब्ध करवाना और उनके द्वारा नवीनतम तकनीकी तथा सुधरे कृषि तरीकों को अपनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

7.12 फसल बीमा योजना

राज्य में 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इस बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम के दौरान मक्का, धान तथा रबी मौसम में गेंहू तथा जौ फसलों को शामिल किया गया है। फसलों के नुकसान के विभिन्न अग्रणी जोखिम जो बुआई में देरी, कटाई के बाद नुकसान, स्थानीय आपदाओं और खड़ी फसलों को नुकसान (बुआई से कटाई तक) के कारण पैदा होते हैं, को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह योजना में खरीफ 2020 से ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए उनकी मर्जी पर आधारित है। पी.एम.एफ.बी.वाई. योजना के अंतर्गत् 350 प्रतिशत से अधिक एकत्रित प्रीमियम राशि अथवा 35 प्रतिशत से अधिक बीमाकृत राशि, जो भी राष्ट्रीय स्तर पर सभी कम्पनियों को मिलाकर, अधिक हो उसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार बराबर भागीदारी में भुगतान करेगी। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक अन्य कृषि बीमा योजना खरीफ मौसम, 2016 से "पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरु की है ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ बीमा सुरक्षा प्रदान की जा सके जो कि खरीफ खेती के दौरान फसलों को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ, 2019 और रबी, 2019–20 में 3,02,961 किसानों को शामिल किया

गया है। इस योजना के अन्तर्गत ₹7.00 करोड़ का बजट परिव्यय 2020–21 के लिए प्रस्तावित किया गया है जो कि प्रीमियम सब्सिडी के राज्य हिस्सेदारी के भुगतान के लिए उपयोग किया गया है।

7.13 बीज प्रमाणीकरण

कृषि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें उपलब्ध कराने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए "हिमाचल राज्य बीज रासायनिक खाद उत्पाद प्रमाणीकरण एजैंसी" उत्पादकों को पंजीकृत कर रही हैं।

7.14 कृषि विपणन

कृषि विपणन तथा कृषि उत्पादन को राज्य में व्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट, 2005 लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य स्तर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश को 10 अधिसूचित विपणन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषक समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। व्यवस्थित स्थापित मण्डियां किसानों को लाभदायक सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सोलन में कृषि उत्पादों हेतु एक आधुनिक मण्डी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा अन्य स्थानों पर भी मार्केट यार्डों का निर्माण हुआ है। वर्तमान में 10 मण्डी कमेटियां कार्य कर रही हैं। 58 मण्डियों को कार्यात्मक बनाया गया है। बाजार की जानकारी अलग अलग मीडिया के माध्यम से जैसे AIR आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रिंट मीडिया और इंटरनेट के द्वारा किसानों को पहुंचाई जा रही है।

7.15 चाय विकास

चाय उत्पादन के अन्तर्गत 2,314.71 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें वर्ष 2019–20 के दौरान 10.02 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ। लघु एवं सीमांत कृषकों को कृषि औजारों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

7.16 भू एवं जल संरक्षण

राज्य सैक्टर के अन्तर्गत मिट्टी एवं जल संरक्षण दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।
यह योजनाएं हैं:–

i) भू संरक्षण कार्य
ii) जल संरक्षण और विकास

कृषि विभाग द्वारा वर्षा जल दोहन के लिए टैंक, तालाब, चैक डैम व भण्डार संरचनाओं के निर्माण के लिये योजना तैयार की है। इस के अलावा कम पानी उठाने वाले उपकरण व फव्वारों के माध्यम से कुशल सिंचाई प्रणाली को भी लोकप्रिय किया जा रहा है।

7.17 मुख्यमन्त्री नूतन पॉली हाऊस योजना

कृषि क्षेत्र में अधिक व शीघ्र विकास हेतु नकदी फसलों का उत्पादन पौली गृह

के द्वारा खेती करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नूतन पौली हाऊस योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत 100 हैक्टेयर भूमि को लाया जाएगा तथा 5000 पॉलीहाऊस का निर्माण किया जाएगा यह योजना दो चरणों में लागू की जाएगी। प्रथम चरण 2020–21 से 2022–23 तक होगा जिसके अन्तर्गत ₹78.57 करोड़ रुपये की लागत से 2,522 पॉलीहाऊस का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के तहत स्वीकृत माडल के पॉलीहाऊस बनाने के लिए 85 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी।

7.18 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार वर्ष 2007 में कृषि व सम्बन्धित क्रियाकलापों के सम्पूर्ण विकास के लिए एक छत्रीय योजना शुरु की गई। इस परियोजना में वर्ष 2020–21 के लिए ₹27.02 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। इस योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैः–

1. कृषि विकास नीति के अन्तर्गत सरकार द्वारा कृषि फसल हेतु बुनियादी ढांचा संरचना के माध्यम से किसानों को कृषि फसल से पूर्व और पश्चात गुणवत्ता, आदान–प्रदान भण्डारण व बाजार आदि से सम्बन्धित प्रयासों के विकल्प अपनाने में सक्षम बनाता है।
2. राज्यों को कृषि एवम् समवर्गी क्षेत्र योजना के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन करने के लिए लचीलापन और स्वतन्त्रता देना।
3. किसानों को अपनी आय व उत्पादन सक्षमता को बढ़ाने हेतु मूल्य श्रृंखला/सारणी के अतिरिक्त उत्पादन लिंकड (उत्पादन से सम्बन्धी) मूल्य पद्वति अपनाने में प्रोत्साहित करता है।
4. अतिरिक्त आय सृजन गतिविधियों जैसे एकीकृत खेती, मशरुम उत्पादन, मधु–मक्खी पालन, सुगंधित पौधों की खेती, फुलों की खेती आदि पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ किसानों के जोखिम को कम करने के लिए।
5. उपयोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भाग लेना।
6. युवाओं को कौशल विकास, नवाचार, और कृषि–उद्यमिता आधारित कृषि माडल के माध्यम से सशक्त बनाना तथा उन्हें कृषि के लिए आकर्षित करना।

7.19 कृषि विस्तार एंव प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (NMAET)

इस योजना के दौरान कृषि विस्तार एंव प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन (NMAET) के अन्तर्गत तकनीक की प्रसार प्रणाली किसान आधारित बनाने के लिए शुरू की गई है। इस मिशन को तीन उप–मिशन में विभाजित किया गया है।

1. कृषि विस्तार उप–मिशन (SAME)
2. बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन (SMSP)
3. कृषि यंत्रीकरण उप–मिशन(SMAM)

वर्ष 2020–21 के लिए ₹33.49 करोड़ के परिव्यय का अनुमान है।

7.20 स्थाई कृषि पर राष्ट्रीय मिशन(NMSA)

वर्षा सिचिंत क्षेत्रों में सतत कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एन.एम.एस.ए. का गठन किया गया है।

इस मिशन के तहत निम्न मुख्य मुद्दे हैं:–

1. बारिश वाले क्षेत्र का विकास करना।
2. मिट्टी की गुणवत्ता का प्रबंधन।
3. परम्परागत कृषि विकास योजना (जल उपयोग दक्षता बढ़ाना)।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के लिए ₹16.70 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

7.21 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना वर्ष 2012 में रवी सीजन के दौरान प्रदेश में शुरू की गई है। इसके दो मुख्य घटक एन.एफ.एस.एम. चावल और एन.एफ. एस.एम. गेहूं है। योजना का मुख्य उद्देश्य चावल और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना तथा मिट्टी की उर्वरता बनाये रखना और उत्पादकता, रचनात्मकता तथा रोजगार के अवसर लक्षित जिलों में अर्जित करना है। वर्ष 2020–21 के लिए राज्य योजना में ₹15.01 करोड़ के व्यय का अनुमान है।

7.22 प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना

कृषि उत्पादकता में सुधार करने के प्रयास में भारत सरकार ने एक नई योजना "प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना" के नाम से शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं (हर खेत को पानी) और अन्तिम छोर तक सिंचाई समाधान पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। पी.एम.के.एस.वाई. का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्त करना, सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विकास करना, खेत में सिंचाई की विधि में सुधार करना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके, सही सिंचाई एवम् पानी की अन्य बचत तकनीकें शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के लिए राज्य योजना में ₹9.00 करोड़ रखे गए हैं।

7.23 कुशल सिंचाई के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना

कुशल सिंचाई प्रणाली के लिए सरकार ने राज्य में एक महत्वपूर्ण परियोजना "कुशल सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई योजना" का शुभारम्भ किया है। 2015–16 से 2018–19 के शुरू में 4 वर्षो की अवधि के लिए ₹154.00 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान रखा था। इस परियोजना के अन्तर्गत 8,500 हैक्टेयर क्षेत्र ड्रिप/ छिड़काव सिंचाई प्रणाली के तहत लाया गया तथा 14,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। ड्रिप, माईक्रो, छोटे पोर्टेवल छिड़काव, अर्ध–स्थायी छिड़काव

और बड़ी मात्रा में छिड़काव के लिए 80 प्रतिशत की दर पर अनुदान किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्ष 2020–21 के लिए इस घटक के अन्तर्गत ₹30.00 करोड़ के बजट का प्रावधान है।

7.24 उत्तम चारा उत्पादन योजना

राज्य में चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने "उत्तम चारा उत्पादन योजना" शुरू की है जिसके अन्तर्गत 42,000 हैक्टेयर क्षेत्र चारा उत्पादन के लिए लाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत् किसानों को रियायती दरों पर उत्तम घास बीज, कलमें तथा उत्तम गुणवता के चारे की किस्मों में सुधार के लिए बीजों की आपूर्ति की जाएगी। भूसा कटर पर अनुदान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति और बी.पी.एल. किसानों को उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत् वर्ष 2020–21 के लिए ₹5.60 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

7.25 मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना

बंदर और जंगली जानवरों से फसलों को भारी नुकसान होता है। हि.प्र. सरकार ने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना नाम से एक योजना आरम्भ की है। इस योजना के तहत किसानों की 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी और सौर ऊर्जा की मदद से बाड़ लगाई जाएगी। इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 के लिए ₹40.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिससे लगभग 2,000 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि को जंगली /आवारा जानवरों और बंदरों के खतरे से बचाने का लक्ष्य रखा है।

7.26 मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना

किसानों तथा कृषि मजदूरों को कृषि मशीनरी के संचालन के कारण चोट या मृत्यु की स्थिति में बीमा कवर प्रदान करने की दृष्टि में वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना" आरम्भ की है जिसमें किसान की मृत्यु पर ₹3.00 लाख एवं दिव्यांगता के मामले में ₹1.00 लाख तथा आंशिक दिव्यांगता होने पर ₹10,000 से ₹40,000 प्रदान किए जाएंगे।

7.27 लिफ्ट सिंचाई एवं बोरवेल योजना

राज्य के अधिकांश भागों में सिंचाई के उद्देश्य से पानी को लिफ्ट किया जाता है। सरकार ने सिंचाई योजनाओं के निर्माण और सिंचाई के लिए किसानों के व्यक्तिगत या समूहों द्वारा बोरवेल की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रोत्साहन के रूप में देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत निम्न और मध्यम लिफ्ट सिंचाई प्रणाली, उथले कुएं, उथले बोरवेल, विभिन्न क्षमता के जल भण्डारण टैंक, पम्पिंग मशीनरी, जल सचय पाईप के निर्माण के लिए किसानों एवं किसानों के समूहों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। वर्ष 2020–21 के लिए इस योजना के तहत ₹10.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।

7.28 सौर सिंचाई योजना

राज्य सरकार ने फसलों के लिए सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई योजना

अर्थात् सौर सिंचाई योजना शुरू की है। जहां सौर पी.वी. पम्पों की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली की पहुंच मंहगी है। इस योजना के तहत सौर पम्पिंग मशीनरी की स्थापना के लिए 85 प्रतिशत सहायता प्रदान की तथा 5,850 कृषि सौर पंम्पिगं मशीनरी उपलब्ध करवाई तथा 2020–21 में इस योजना के लिए ₹25.00 करोड़ रखे गए हैं।

7.29 जल से कृषि को बल योजना

सरकार ने "जल से कृषि को बल" योजना शुरु की है। इस योजना के अन्तर्गत चैक डैम और तालाबों का निर्माण किया जाएगा। अगले 5 वर्षों के लिए इस योजना में ₹250.00 करोड़ का बजट प्रावधान है तथा वर्ष 2020–21 में इस योजना के लिए ₹25.00 करोड़ रखे गए हैं। समुदाय आधारित जल बचत योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 100 प्रतिशत व्यय वहन किया जाएगा।

7.30 कृषि कोष

किसान उत्पादक संगठन जो संसाधन जुटाने में कमजोर है और अपने दम पर बुनियादी ढांचा बनाने में समस्याओं का सामना कर रहा वे कृषक, बागवानी किसानों डेयरी किसानों और मछुआरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें बुआई, कटाई और कटाई के बाद बुनियादी ढांचे जैसे ग्रेडिंग और पैकेजिंग मशीन, परिवहन वाहन, भण्डारण गोदाम और पैक हाऊस आदि के लिए बुनियादी इनपुट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दीघ्रकालिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक नई योजना का शुरु की है, बीज धन का समर्थन करने के लिए कृषि कोष, ब्याज और उपनगरों के लिए ऋण की गारंटी। वर्ष 2022 तक इस योजना से 75,000 से 90,000 किसान लाभान्वित होंगे। वर्ष 2020–21 के लिए ₹20.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

7.31 कृषि से सम्पन्नता योजना

हिमालयन बायो टेक्नोलॉजी संस्थान (IHBT) पालमपुर द्वारा हींग की एक नई किस्म की पहचान की गई है जिसे लाहौल–स्पिति, किन्नौर तथा चम्बा के ऊंचाई वाले क्षेत्र में उगाया जा सकता है। इसी प्रकार केसर की खेती के लिए राज्य के कुछ हिस्सों में जलवायु परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल है। दोनों फसलों के महत्व और अनुकूल खेती की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 से एक नई योजना कृषि से सम्पन्नता योजना लागू करने का प्रस्ताव दिया है। वर्ष 2020–21 के लिए ₹5.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

7.32 कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (एंटी हेल नेट)

फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 से एक नई योजना कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (एंटी हेल नेट) शुरु की है। इस योजना के अन्तर्गत् राज्य सरकार किसानों को एंटी हेल नेट खरीदने पर 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी। राज्य के सभी सब्जी उत्पादक किसानों को अपनी फसलों को ओलावृष्टि, आवारा जानवरों और बंदरों जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए एंटी हेल नेट

प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2020–21 के लिए इस योजना में ₹10.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

7.33 किसान सम्मान निधी योजना

यह योजना भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसमें किसानों को जिनके पास 2 हैक्टेयर से कम भूमि है को ₹6,000/– की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2021 तक प्रदेश के 9,26,830 किसान लाभान्वित हुए है जिसके लिए ₹1,169.37 करोड़ की राशि खर्च की गई है।

7.34 राष्ट्रीय बांस मिशन

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 25.04.2018 राष्ट्रीय बांस मिशन के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गैर–वन सरकारी और निजी भूमि में बांस के रोपण के तहत क्षेत्र में वृद्वि करना है ताकि कृषि आय को पूरक बनाया जा सके और जलवायु परिवर्तन में लचीलापन लाने में योगदान दिया जा सके, साथ ही उद्योगों की गुणवत्ता वाले कच्चेमाल की आवश्यकता की उपलब्धता हो सके, कौशल विकास, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन के स्त्रोत के पास नवीन प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना करना है। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश को समन्वय विभाग और कृषि निदेशक, हिमाचल प्रदेश को राज्य मिशन निदेशक के रुप में नामित किया गया है। वन विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग, उद्योग विभाग और राज्य कृषि विश्वविद्यालय (stakeholder) हितधारक विभाग है। वर्ष 2020–21 के लिए ₹4.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

7.35 बागवानी

हिमाचल प्रदेश की विविध जलवायु, भौगोलिक क्षेत्र तथा उसकी स्थिति में भिन्नता, उपजाऊ, गहन तथा उचित जल निकास व्यवस्था वाली भूमि समशीतोष्ण तथा ऊष्ण कटिबन्धीय फलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यह क्षेत्र अन्य गौण उद्यान उत्पादन जैसे फूल, खुम्ब, शहद तथा हॉप्स की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त है।

प्रदेश की इस अनुकूल स्थिति के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में भूमि उपयोग अब कृषि से फलोत्पादन की ओर स्थानान्तरित होता जा रहा है। वर्ष 1950–51 में फलों के अधीन कुल क्षेत्र 792 हैक्टेयर था जिसमें कुल उत्पादन 1,200 टन होता था अब यह बढ़ कर वर्ष 2019–20 में 2,33,300 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया तथा कुल फल उत्पादन 8.45 लाख टन हुआ तथा वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक कुल फल उत्पादन 4.82 लाख टन आंका गया है। वर्ष 2020–21 में 1,340 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फल पौधों के अंतर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 2020 तक 2,588.52 हैक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया तथा वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक फलों के 7.69 लाख पौधे वितरित किए गए।

हिमाचल प्रदेश में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है जिसके अंतर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 49 प्रतिशत है तथा उत्पादन कुल फल उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत है। वर्ष 1950–51 में सेबों के अंतर्गत 400 हैक्टेयर

क्षेत्र था जोकि 1960–61 में बढ़कर 3,025 हैक्टेयर तथा वर्ष 2019–20 में 1,14,144 हैक्टेयर हो गया।

सेब के अतिरिक्त समशीतोषण फलों के अंतर्गत वर्ष 1960–61 में 900 हैक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 2019–20 में 27,956 हैक्टेयर हो गया। सूखे फल तथा मेवों का क्षेत्र 1960–61 के 231 हैक्टेयर से बढ़कर 2019–20 में 10,070 हैक्टेयर हो गया तथा नीम्बू प्रजाति एवं उपोषण कटिबंधीय फलों का क्षेत्र वर्ष 1960–61 के 1,225 हैक्टेयर तथा 623 हैक्टेयर से बढ़कर 2019–20 में क्रमशः 25,051 हैक्टेयर तथा 56,079 हैक्टेयर हो गया।

गत कुछ वर्षों से सेब उत्पादन में आ रहे निरन्तर उतार–चढ़ाव से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश के विशाल फलोत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए अब विभिन्न कृषि पारिस्थितक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

वर्ष 2020–21 में बागवानी में मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु "बागवानी विकास योजना" के अर्न्तगत् बागवानों को 1,565 शक्ति चलित स्प्रैयर, 2,084 पॉवर टिल्लरों(<8BHP) व 114 पॉवर टिल्लरों (>8BHP) उपदान पर बांटे जा रहे है।

कृषि यांत्रिकीकरण (एस.एम.ए.एम.) के उप–मिशन को राज्य में लागू किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत किसानों को अंत में सब्सिडी के प्रावधान से विभिन्न आधुनिक कृषि उपकरण और मशीनरी खरीदने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राज्य कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश, योजना का नोडल विभाग है। वर्ष 2019–20 के दौरान ₹14.83 करोड़ की राशि बागवानी विभाग को आबंटित की गई है। वर्ष 2019–20 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत ₹12.32 करोड व्यय किये गए तथा 1,530 किसानों को लाभान्वित किया गया।

फलोत्पादकों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रदेश में मण्डी मध्यस्थता योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में सेब का प्रापण मूल्य बढ़ाकर ₹8.50 प्रति किलो ग्राम निर्धारित किया गया है। ग्राफ्टिड आम के लिए प्रापण मूल्य ₹8.50 प्रति किलो ग्राम 250 मी.टन तक, ₹8.50 प्रति किलोग्राम कलमी आम के लिए 500 मी.टन तक और ₹8.50 प्रति किलोग्राम आचारी आम 500 मी.टन तक इन दरों से प्रापण किया गया। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में बागवानों से ₹32.24 करोड़ का 37,931 मी. टन सी–श्रेणी सेब प्रापण किया गया। नींबू प्रजातीय फलों के लिए प्रदेश में मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत् ₹7.50 प्रति किलो ग्राम (बी–ग्रेड) एवं ₹7.00 प्रति किलो ग्राम (सी–ग्रेड) किन्नू/माल्टा/ सन्तरा तथा ₹6.00 प्रति किलो ग्राम गलगल (सभी ग्रेड) प्रापण मूल्य निर्धारित किया गया है। दिसम्बर 31.12.2020 तक 0.60 मी.टन नींबू प्रजातीय फलों का प्रापण हुआ है।

प्रदेश के गर्म क्षेत्रों में आम एक मुख्य फसल के रूप में उभरा है। कुछ क्षेत्रों में लीची भी महत्व प्राप्त कर रही है। आम तथा लीची की बाजार में बेहतर कीमतें मिल रहीं है। मध्यम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में नए फलों जैसे कीवी, जैतून, पीकैन, अनार तथा स्ट्राबैरी की खेती लोकप्रिय हो रही है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के माह दिसम्बर, 2020 तक के फल उत्पादन आंकड़ें सारणी 7.8 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.8
फल उत्पादन

(*000 टन)

मद	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (31 दिसम्बर, 2020 तक)
सेब	446.57	368.60	715.25	407.11
अन्य समशीतोश्ण फल	45.15	37.15	49.85	27.14
सूखे मेवे	3.38	3.65	4.24	1.99
नींबू प्रजाति	26.85	29.34	32.11	13.05
अन्य उपोष्णीय फल	43.35	56.62	43.97	32.29
कुल	**565.30**	**495.36**	**845.42**	**481.58**

प्रदेश में बागवानी उद्योग में विविधता लाने हेतु दिसम्बर, 2020 तक 399.49 हैक्टेयर क्षेत्र पुष्प खेती के अर्न्तगत लाया गया है। पुष्प खेती को बढ़ावा देने हेतु दो टिशू कल्चर प्रयोगशालाएं, आर्दश पुष्प केन्द्रों, महोगबाग, (चायल जिला सोलन) तथा पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थापित की गई है। फूलों के उत्पादन तथा विपणन हेतु प्रदेश में 10 किसान को–ओपरेटिव सोसाईटियां जिला शिमला में–3, कांगड़ा में 2, लाहौल–स्पिति–2, कुल्लू में 1, सोलन में 1 तथा चम्बा में 1 कार्य कर रही है। प्रदेश में खुम्ब उत्पादन एवं मौन पालन जैसी सहायक उद्यान गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक रामपुर, बजौरा तथा पालमपुर स्थित विभागीय खुम्ब विकास परियोजनाओं में 298.44 मीट्रिक टन पास्चूराईजड खाद तैयार कर खुम्ब उत्पादकों को बांटी गई। प्रदेश में दिसम्बर, 2020 तक कुल 1,309 मीट्रिक टन खुम्ब उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020–21 में मौन पालन गतिविधि के अंतर्गत दिसम्बर, 2020 तक प्रदेश में 393.01 मीट्रिक टन शहद का भी उत्पादन हुआ।

हिमाचल प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना को रबी सीजन वर्ष 2009–10 में प्रायोगिक आधार पर 6 विकास खण्डों में सेब फसल के लिए तथा 4 विकास खण्डों में आम फसल हेतु लागू किया गया था। इस योजना की लोकप्रियता के दृष्टिगत अगले वर्षो में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया। वर्ष 2017–18 में 36 विकास खण्डों में सेब फसल के लिए, 41 विकास खण्डों में आम फसल के लिए, 15 विकास खण्डों में निम्बू वर्गीय फसल के लिए, 13 विकास खण्डों में पलम फसल के लिए तथा 5 विकास खण्डों में आडू फसल के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत लाया गया। इसके अतिरिक्त सेब की फसल को ओलावृष्टि से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए बीमा हेतु 19 विकास खण्डों को Add-on cover के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2016–17 से इस योजना का नाम बदल कर Restructured Weather Based Crop Insurance किया गया है और बीमित राशि को संशोधित कर इसमें बोली प्रणाली लागू की गई है। वर्ष 2019–20 में 84,623 बागवानों को सेब, आम, पलम, आडू व निम्बू वर्गीय फसल के लिए R-WBCIS में सम्मिलित किया गया है जिनके द्वारा 63,61,540 वृक्षों को बीमित किया गया जिसके लिए 25 प्रतिशत प्रीमियम भाग लगभग ₹20.31 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किये गए।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAAR) के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2020–21 में ₹83.33 लाख भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं तथा यह राशि जिला अधिकारियों में आंवटित कर और कार्य प्रगति पर है। इस योजना में "आधारभूत संरचना स्ट्रीम" के अंतर्गत

₹101.24 लाख "बागवानी यान्त्रिकरण, ₹42.00 लाख खुम्ब ईकाई स्थापना, ₹73.70 लाख जल संसाधन संरचना, ₹60.00 लाख पैक हाऊस, ₹80.00 लाख किसानों को वितरण हेतु सेब के स्वच्छ संयन्त्र स्टाक की स्थापना और वायरस परीक्षण संयन्त्र सामग्री के उत्पादन के लिए नैदानिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रावधान है तथा फलैक्सी फंडस स्ट्रीम के अन्तर्गत ₹43.00 लाख हिमाचल प्रदेश के उपोष्कटिबंधीय क्षेत्रों में फलों की फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय पौधे नर्सरी की स्थापना हेतु प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2020–21 में हिमाचल प्रदेश में खुम्ब उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु हिमाचल खुम्ब विकास योजना का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत् ₹5.00 करोड़ की राशि क्षेत्राधिकारियों में आबंटित की गई है। वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक हिमालयन अनुसंधान समूह (HRG) ने 120 मी.टन बटन मशरुम कम्पोस्ट का उत्पादन किया और शिमला, मण्डी तथा कुल्लू जिला के मशरुम उत्पादकों को प्रदान किया। इसमें औसतन 20 प्रतिशत रुपातंरण का अनुमान था कि इस अवधि के दौरान 24 मी.टन मशरुम का उत्पादन करने वाले कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया। वर्ष 2020–21 में फल–फसलों को ओलों से बचाव हेतु एक नई स्कीम 'ओला अवरोधक जालियों की स्थापना के अन्तर्गत ₹20.00 करोड़ की राशि आबंटित की गई है। दिसम्बर, 2020 तक इस योजना के अन्तर्गत ₹11.68 करोड़ व्यय किये गए तथा 1,231 किसानों को लाभान्वित किया गया।

वर्ष 2020–21 में खुम्ब विकास योजना के अन्तर्गत की गई उपलब्धियां सारणी 7.9 में गई हैं:

सारणी 7.9

क्रम संख्या	जिलों के नाम	HKVY के अन्तर्गत् बनाई गई ईकाइयां	HKVY के अन्तर्गत् लाभार्थियों की संख्या
1.	बिलासपुर	11	11
2.	चम्बा	0	0
3.	हमीरपुर	14	14
4.	कांगड़ा	28	28
5.	किन्नौर	0	0
6.	कुल्लू	0	0
7.	लाहौल–स्पिति	0	0
8.	मण्ड़ी	18	18
9.	शिमला	0	0
10.	सिरमौर	5	5
11.	सोलन	57	57
12.	ऊना	12	12
	Total	**145**	**145**

स्रोत : उद्यान विभाग, हि.प्र.

प्रदेश में व्यवासायिक पुष्प खेती को बढ़ावा देने तथा प्रदेश के कुशल व अकुशल युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत वर्ष 2020–21 में ₹10.00 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार वर्ष 2019–20 में प्रदेश में फसलों के गुणवत्ता युक्त उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, शहद तथा सम्बन्धित उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने, ग्रामीण व शहरी युवाओं को रोजगार तथा उनकी आजीविका अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मधु विकास योजना आरम्भ की गई है। वर्ष 2019–20 के लिए इस योजना के तहत ₹5.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसे हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजनाओं के अन्तर्गत किसानों/ बागवानों के विकास हेतु विभिन्न गतिविधियां जैसे फूलों, सब्जियों, मसालों की खेती, खुम्ब उत्पादन, हरित गृह में संरक्षित खेती, ओला अवरोधक जालियां, बागवानी उपकरण, मौन पालन, पैकिंग हाऊस, सी.ए. स्टोर फल विधायन ईकाइयां, फल पौधशाला, टिशू कल्चर ईकाइयां इत्यादि स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत दर से अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत् वर्ष 2020–21 में भारत सरकार द्वारा ₹50.81 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से ₹22.22 करोड़ की धनराशि प्रथम व द्वितीय किस्त के रूप में राज्य को प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत् वर्ष 2003–04 से दिसम्बर, 2020 तक कुल 2,56,843 बागवानों को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा पॉली हाऊस में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए जिसके अन्तर्गत उपदान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया गया है। वर्ष 2020–21 में 87,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पॉली हाऊस खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

7.36 केन्द्र प्रायोजित योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "प्रति बूँद अधिक उत्पादन"

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2015–2016 से कार्यान्वित की जा रही है। सूक्ष्म सिंचाई योजना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने लघु एवं सीमान्त किसानों/बागवानों को 80 प्रतिशत अनुदान (55 प्रतिशत भारत सरकार +25 प्रतिशत प्रदेश सरकार) तथा बड़े किसानों/ बागवानों को 45 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया है। इस परियोजना के अन्तर्गत 2020–21 में भारत सरकार द्वारा ₹720.80 लाख स्वीकृत किये गए। वर्ष 2015–16 से लेकर दिसम्बर, 2020 तक कुल 2,879.74 हैक्टेयर क्षेत्रफल तथा 5,843 बागवानों को लाभान्वित किया जा चुका है।

7.37 हिमाचल प्रदेश विपणन निगम

एच.पी.एम.सी. राज्य का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना ताजे फलों व सब्जियों के विपणन, अतिरिक्त उत्पादन जो बाजार तक नहीं पहुंच सका उस से तैयार किए गए उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से की गई है। एच.पी.एम.सी. आरम्भ से ही बागवानों को उनके उत्पादन की लाभप्रद प्राप्तियां उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है।

वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक एच.पी.एम.सी. ने ₹88.96 करोड़ के उत्पाद, ₹80.02 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में अपने संयंत्रों से तैयार करके घरेलू बाजार में बेचें। मण्डी मध्यस्थ योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आम, सेब और नीम्बू प्रजाति के फलों के लिए समर्थन मूल्य जारी रखा, जो निम्न प्रकार से हैं:–

सारणी 7.10

क्र0 सं0	फलों के नाम	समर्थन मूल्य ₹ प्रति कि.ग्रा.
1.	आम (ग्राफ्टिड किस्म)	8.50
2	आम (सीडिंग किस्म)	8.50
3.	आम आचारी	8.50
4.	सेब	8.00
5.	किन्नू,माल्टा और संतरा (ग्रेड बी)	7.50
6.	किन्नू,माल्टा और संतरा (ग्रेड सी)	7.00
7.	गलगल (सभी ग्रेड)	6.00

i) निगम ने सफलतापूर्वक पांच नियंत्रित वातानुकूलित भण्डार सेब उत्पादन क्षेत्रों में जैसे जिला शिमला तथा कुल्लू के अन्तर्गत जरोल–टिक्कर (कोटगढ़) 640 मी.टन, गुम्मा (कोटखाई) 640 मी. टन, ओडी (कुमारसेन) 700 मी. टन, तथा पतलीकुहल (कुल्लू) में 700 मी. टन क्षमता सहित कुल 3380 मी.टन क्षमता के स्थापित किए है।

ii) नादौन (हमीरपुर) आधुनिक सब्जियों के लिये पैक हाउस व कोल्ड रुम प्रोजक्ट के लिए तथा घुमारवी जिला बिलासपुर में फलों व सब्जियों तथा जड़ी बुटियों के लिए पैकिंग व ग्रेडिंग तथा वातानुकुलित स्टोरेज के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता ₹7.89 करोड़ की लागत से स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका कार्य मार्च 2021 तक पूर्ण होने का अनुमान है।

iii) सरकार ने एच.पी. एम.सी. के फल विधायन संयंत्र परवाणू का उन्नतिकरण तथा आधुनिकीकरण करने के लिए ₹8.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की थी। यह कार्य वर्ष 2018 में पूर्ण हो चुका है तथा वर्ष 2019 को इसी उन्नत मशीनरी से सेब रस सार (एप्पल जूस कन्संट्रैट) का उत्पादन भी प्रारम्भ हो चुका है। जिस कारण निगम 1,012 मी.टन सेब रस सार (एप्पल जूस कन्संट्रैट) के उत्पादन में सफल हो पाया है। वर्ष 2020 में 703 मी.टन सेब रस सार तथा 5.7 मी.टन सेब सुगन्ध का उत्पादन फल विद्यमान संयंत्र परवाणू द्वारा किया गया। जरोल (सुन्दरनगर) जिला मण्डी में निगम के संयंत्र में वर्ष में (2019) रिकार्ड 235 मी.टन सेब रस सार (एप्पल जूस कन्संट्रैट) का उत्पादन हुआ है तथा वर्ष 2020 में 112 मी.टन सेब रस सार का उत्पादन हुआ है

iv) निगम द्वारा मै. पी.एच.–4 तथा माउटेन बेरल से क्रमशः एप्पल साईडर तथा रेड वाईन उत्पादित करने हेतु अनुबंध प्रतिपादित किया है जिससे आने वाले वर्षों में निगम की आय में बढ़ोतरी होगी।

v) निगम की योजना है, कि विभिन्न फलों की ग्रैडिंग/पैंकिग, प्रसंस्करण का उनके उत्पादन क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से वर्तमान भण्डारण क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में सी.ए. स्टोर जरोल–टिक्कर, गुम्मा तथा रोहडू की वर्तमान क्षमता 1980 मी. टन से 6000 मी.टन करने का लक्ष्य है। इस हेतु टैंडर/निविदा की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, तथा उन्नयन कार्य को शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा। वर्तमान में पराला जिला शिमला में 200 मी. टन प्रतिदिन क्षमता वाला आधुनिक सेब रस सार संयंत्र की स्थापना प्रारम्भिक दौर में है। जो कि वर्ष 2022 के सेब सीजन में प्रारम्भ होना अनुमानित है। इससे सेब रस सार (एप्पल जूस कन्संट्रैट) की लागत कम करने में सहायता मिलेगी तथा निगम अर्न्तदेशीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धा कर पाएगा।

7.38 पशुपालन और डेरी

पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश में पशुधन एवं फसलों तथा सांझी सम्पति साधन जैसे वन, पानी, चरने योग्य भूमि, में बहुत गहन सम्बन्ध है।

हिमाचल प्रदेश में पशुधन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने में विशेष सहायक है। वर्ष 2019–20 में 15.31 लाख टन दूध, 1,516 टन ऊन, 106.62 मिलियन अंडे, 4,601 टन मांस का उत्पादन हुआ। वर्ष 2020–21 में 15.80 लाख टन दूध, 1,467 टन ऊन, 106 मिलियन अंडे तथा 4,200 टन मांस का उत्पादन होने की संभावना है। सारणी 7.11 दूध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दर्शाती है।

सारणी 7.11
उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	दूध उत्पादन (लाख टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम प्रति दिन)
2019–20	15.31	612
2020–21 (अनुमानित)	15.80	630

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उभारने में पशु पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा राज्य में पशुधन विकास कार्यक्रम के तहत निम्न पर ध्यान दिया जा रहा है।

i) पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
ii) पशु विकास
iii) भेड़ प्रजनन तथा ऊन विकास
iv) कुक्कट विकास
v) पशु आहार व चारा विकास
vi) पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा
vii) पशु गणना

दिसम्बर, 2020 तक पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 1 राज्य स्तरीय पशु– चिकित्सालय, 3 क्षेत्रीय पशु–चिकित्सालय 10 पोलीक्लीनिक, 60 उप–मण्डलीय– पशु–चिकित्सालय, 361 पशु–चिकित्सालय, 30 केन्द्रीय पशु औषधालय तथा 1,759 पशु औषधालय हैं इसके अलावा 6 पशु निरीक्षण चौकियां हैं जो तुरन्त पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाते हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2020 तक 1,234 पशु औषधालय कार्यरत थे।

राज्य में भेड़ व ऊन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला), ताल (हमीरपुर) कड़छम (किन्नौर) द्वारा भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़ें प्रदान की जा रही है। एक नर मेढ़ केन्द्र नगवाई मण्डी जिला में कार्यरत है जहां पर उन्नत किस्म के नर मेढ़ों का पालन तथा क्रॉस ब्रीडिंग की सुविधा के लिए, भेड़ पालकों को प्रदान किए जाते है, वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक इन प्रक्षेत्रों में 1,275 भेड़ें पाली गई और प्रदेश में शुद्व नस्ल के मेंढ़ों, सोवियत मैरिनों तथा अमरिकन रैम्बूलैट की उपयोगिता को देखते हुए राजकीय प्रक्षेत्रों पर शुद्व नस्ल से प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 9 भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र भी कार्यरत हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान 1,467 टन ऊन के उत्पादन होने की सम्भावना हैं। खरगोशों के प्रजनन के लिए खरगोश प्रदान करने हेतु जिला कांगडा में कन्दबाड़ी तथा जिला मण्डी में नगवाईं में अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत हैं।

हिमाचल प्रदेश में डेरी उत्पादन पशुपालन का एक अभिन्न अंग है तथा

छोटे व सीमान्त किसानों की आय वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। पिछले वर्षों में बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो कि शहरी उपभोक्ता केंद्रों के दायरे में आते है, विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इससे किसानों को पुरानी स्थानीय नस्ल की गऊओं को क्रॉसब्रीड गऊओं में बदलने के लिए प्रोत्साहन मिला है। स्वदेशी नस्ल की गायों को जर्सी व होस्टन से क्रौसब्रीड करवा कर बेहतर समझा जाता है भैंसों को भी अधिक दूध देने वाली मूरल बैल से क्रास ब्रीड़िंग करवाकर अच्छी नस्ल विकसित की जा रही है। आधुनिक तकनीक द्वारा जमे हुए वीर्य स्ट्रा से गायों तथा भैंसो में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में 8.46 लाख गायों के व 3.00 लाख भैंसों के वीर्य तृणों का उत्पादन, वीर्य केन्द्रों पर किया गया। वर्ष 2020–21 के लिए 11.50 लाख गायों और 3.50 लाख भैंसों के लिए वीर्य तृणों के उत्पादन होने की संभावना है। 2019–20 में 3.78 लाख लीटर तरल नाईट्रोजन (एल.एन.2) गैस उत्पादित की गई और 2020–21 में 9.00 लाख लीटर का उत्पादन किया जाएगा। वर्ष 2019–20 के दौरान 7.17 लाख गायों व 2.40 लाख भैंसो का कृत्रिम गर्भाधान किया गया और 3,220 औषधालयों द्वारा 2020–21 में 9.20 लाख गायों व 3.37 लाख भैंसों का कृत्रिम गर्भदान किया जाएगा। क्रॉस ब्रिडिंग गायों को पालने के लिए अधिक महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इनमें शुष्क रहने का समय कम व दूध देने की क्षमता व समय अधिक रहता है। वर्ष 2020–21 में पूरे प्रदेश में ₹21.00 लाख के बजट से "उत्तम पशु पुरस्कार योजना" आरम्भ की जाएगी।

बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में 4.10 लाख चूजों का वितरण होने की संभावना है तथा 2,000 कुक्कट पालकों को प्रशिक्षण का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत रियायती दर पर 7,306 परिवारों के लिए 3,06,749 चूजे दिसम्बर, 2020 तक बांटे गए।

जिला लाहौल–स्पिति के लरी नामक स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है जिससे स्पिति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखा जा सके। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक इस प्रक्षेत्र में 59 घोड़े–घोड़ियों को रखा गया है। इसी भवन में याक प्रजनन प्रक्षेत्र भी हैं जहां पर वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 62 याक भी पाले गए हैं। दाना व चारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में 15.00 लाख चारा जड़ों 68,000 चारा पौंधों का वितरण किया गया है।

7.39 दूध उद्यम विकास योजना (दूध गंगा योजना)

दुध गंगा योजना 25 सितम्बर, 2009 से नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना के मुख्य घटक निम्न प्रकार से हैं:–

- छोटे डेयरी यूनिट स्थापित करना (एक यूनिट में 2 से 10 दुधारु पशु) 10 पशुओं को खरीदने के लिए ₹6.00 लाख का बैंक ऋण का प्रावधान है।
- दूध निकालने वाली मशीनों की खरीद व दूध ठण्डा करने की यूनिटों के लिए ₹20.00 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।

- देसी दूध उत्पादों के निर्माण के लिए व डेयरी प्रोसैसिंग उपकरणों के खरीद के लिए ₹13.20 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।
- डेयरी उत्पादों के परिवहन व कोल्डचेन के लिए ₹26.50 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।
- दूध व दूग्ध पदार्थो के लिए कोल्ड स्टोरेज मुहैया करवाने के लिए ₹33.00 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।
- दूध विपणन केन्द्रों हेतु ₹1.00 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।

सहायता का पैटर्नः–

i) कुल प्रोजैक्ट लागत का 25 प्रतिशत सामान्य श्रेणी व 33.33 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसानों को बैंक समर्थित अनुदान का प्रावधान हैं।

ii) एक लाख से अधिक ऋण राशि पर 10 प्रतिशत अंशदान राशि बैंक में जमा करवानी होती है।

iii) उपरोक्त के अलावा डी.ई.डी.एस. लाभार्थियों को जर्सी/ देसी नस्ल के गाय खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा 10/20 प्रतिशत क्रमशः का अतिरिक्त उपदान प्रदान करने का प्रावधान है।

7.40 आंगनबाड़ी कुक्कट पालन

हिमाचल प्रदेश में कुक्कट क्षेत्र के विकास के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह योजनाएं चलाई जा रही है। आंगनबाड़ी कुक्कट परियोजना के अन्तर्गत

1. **बैकयार्ड पोल्ट्री योजनाः–** इस योजना के तहत तीन सप्ताह आयु के चुजे लागत के आधार पर कुक्कुट पालकों को वितरित किये जाते हैं।
2. **200 चिक योजनाः–** इस योजना के तहत 585 कुक्कुट पालकों को जो अनुसूचित जाति श्रेणी के बी.पी.एल. परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं को प्रति लाभार्थी 200 दिन के एल.आई.टी. पक्षी, प्रारम्भिक भोजन, फीडर और ड्रिंकर लागत मूल्य के रुप में ₹10,000 प्रदान किए जाते हैं। लाभार्थियों के लिए पोल्ट्री प्रबधंन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण का भी प्रावधान है।
3. **हिम कुकुक्ट पालन योजनाः–** इस योजना के तहत ₹214.00 लाख के बजट का प्रावधान है। जिस से राज्य में 54 ब्रायलर पोल्ट्री युनिट स्थापित किये जाने है, लाभार्थियों को 3000 एक दिन के ब्रायलर चुजे, चारा फीडर और ड्रिंकर प्रदान किया जाता है। लाभार्थियों को कैपटिल लागत (जैसे शेड, फीडर और ड्रिंकर आदि) और आवर्ती लागत (जैसे चूजों, फीडर आदि) दोनो पर 60 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।
4. **इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट (आई पी पी पी) लिट पक्षी योजनाः–** लिट पक्षी (एन एल एम) इस योजना के तहत 200 लाभार्थियों को 400 चूजे 4 सप्ताह के आयु के चुजे को दो किस्तों में (72 सप्ताह के अंतराल पर प्रत्येक 200 चूजे) और ₹15,000 की सहायता लाभार्थियों को आश्रय, चारा और विविध व्यय के लिए प्रदान की जाती है।

5. **इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट (आई पी पी पी) ब्रायलर पक्षी योजनाः**– ब्रायलर पक्षी (एन एल एम) इस योजना के तहत 200 लाभार्थियों को 600 ब्रायलर चूजे चार सप्ताह की आयु के (चार किस्तों में 150 चूजे प्रति किस्त) और चारा व शेड निर्माण के लिए ₹15,000 की राशि भी प्रदान की जाती है।

7.41 राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आर.जी.एम.)

राष्ट्रीय गोकुल मिशन निम्न उद्देश्यों के लिए चलाया जा रहा हैः–

1. देसी पशुओं का विकास एवं सरक्षंण।
2 देसी पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम उनके आनुवांशिक सुधारते हुए पशुधन को बढ़ाना।
3 दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्वि करना।
4 उप–वर्गीकृत पशुओं का स्वदेशी नस्लों का उपयोग करते हुए उन्नयन करना जैसे साईवाल और रैड़ सिंधी।
5 रोग रहित उच्च अनुवांशिक बैलों का प्राकृतिक गर्भद्धान के लिए वितरण।
6 राज्य में गोकुल ग्राम की स्थापना करना।
7 मुराह भैंस फार्म की स्थापना करना।

7.41.1 गोजातीय प्रजनन के लिए भ्रूण स्थानांतरण और इन–विटरो निशेचन प्रौद्योगिकी

इस परियोजना को पालमपुर में एम्ब्रिया ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के माध्यम से साहीवाल और लाल सिंधी नस्लों के संरक्षण और प्रसार के लिए मंजूरी दी गई है और भारत सरकार द्वारा ₹195.00 लाख जारी किए गए हैं।

7.41.2 जिला कांगड़ा में जर्सी पी.टी. परियोजना

भारत सरकार द्वारा उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले जर्सी बैल के उत्पादन के लिए ₹1,166.54 लाख स्वीकृत किए है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उपरोक्त धनराशि जिला कांगड़ा को जारी करने का प्रस्ताव है।

- संतान परीक्षण के माध्यम से वीर्य स्टेशनों के लिए आवश्यक उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले बैल का चयन करना।
- युवा बैलों, बछड़ों और सांडो के आनुवांशिक मूल्यांकन की एक प्रणाली स्थापित करना और निरंतर आनुवांशिक सुधार के लिए उनका चयन करना।
- भैंसों और गायों में दूध, वसा, एस. एन.एफ. और प्रोटीन के लिए और आनुवांशिक प्रगति हेतु उस गांव में जहां पर संतान परीक्षण कार्यक्रम लागू है।

7.41.3 राष्ट्रव्यापी AI कार्यक्रम (NAIP)

इस परियोजना के तहत ₹519.43 लाख की 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायक पैर्टन पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित किया जाना हैः–

- घर द्वार विश्वसनीय प्रजातियां प्रदान करना।
- अनुवांशिक रुप से बेहतर नस्लों को बढ़ावा।
- दूध उत्पादन में वृद्वि
- किसानों को एआई तकनीक अपनाने के लिए शिक्षित करना।
- किसानों की आय में वृद्वि।

7.42 राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन.एल.एम.)

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन.एल.एम.) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो कि वर्ष 2014–15 से शुरू की गई है। पशुपालन विभाग राष्ट्रीय पशुधन मिशन के प्रस्तावों को कार्यान्वयन करने वाला एकमात्र विभाग है। मिशन का उद्देश्य पशुधन उत्पाद व किस्म का विकास करने के साथ पशुपालकों की क्षमता में सुधार करना है। छोटे जुगाली करने वाले जैसे कि भेड़ व बकरी, चारा विकास, जोखिम प्रबन्धन व कुक्कड़ विकास की गतिविधियां इस योजना में सम्मिलित है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य का हिस्सा अलग–अलग मदों के लिए अलग–अलग है।

7.43 पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता

पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में अन्तर्राज्यीय आवाजाही व पौष्टिक दाना व चारा की कमी और पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण पशु विभिन्न पशु बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ने संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को एस्काड स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की है जिसमें 90 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार का तथा 10 प्रतिशत भाग राज्य सरकार का है, जिन रोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण सुविधा प्रदान की जाती है उनमें मुंहखुर, एच.एस.बी.क्यू. एन्टरोटोम्सेमिया, पीपीआर, रानीखेत, मारक्स और रैबीज रोग इस परियोजना में सम्मिलित हैं।

7.44 भेड़ पालक योजना

स्थानीय भेड़ों की अच्छी नस्ल के मेढ़ जैसे रैम्बोल्ट व रशियन मैरिनों द्वारा क्रासब्रीड से नस्ल सुधारी जा रही है। ताकि उन की गुणवत्ता व उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसीलिए इन मेढ़ों को 60 प्रतिशत सब्सिडी पर भेड़पालकों को उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

7.45 बी.पी.एल. कृषक बकरी पालन योजना

इस योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत अनुदान पर भूमिहीन बी.पी.एल. श्रेणी के किसानों को उनकी आय बढ़ाने हेतु निम्नलिखित यूनिटों/ किस्मों का वितरण प्रस्तावित है। 11 बकरियां (10 मादा+1 नर), 5 बकरियां (4 मादा+1 नर), 3 बकरियां (2 मादा+1 नर), जोकि क्रमशः बैटलीस सिरोही/ जमनापरी/ वाईट हिमालयन किस्म की है।

7.46 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)

आर.के.वी.वाई. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बुनियादी ढ़ाचे को मजबूत, पशु चिकित्सा

सेवाएं, विस्तार गतिविधियां, कुक्कड़ विकास व छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का विकास, पशुधन के पोषण की स्थिति में सुधार, पशुधन के स्वास्थ्य स्थिति में सुधार और राज्य के पशुधारकों की दूसरी गतिविधियों में सुधार लाना है। वितीय वर्ष 2020–21 में इस योजना के अन्तर्गत ₹138.89 लाख की राशि कृषि विभाग द्वारा जो नोडल ऐजंसी है ने जारी की है।

7.47 प्रमुख पशुधन उत्पादों के आंकलन हेतु एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षणः–

एकीकृत नमूना सर्वेक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (AHS Division) नई दिल्ली के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में किया जाता है। यह पशुधन उत्पादों व पशुधन संख्या का विश्वसनीय डाटाबेस प्रदान करता है। वर्ष 1977–78 से लगातार प्रत्येक वर्ष निम्न उद्देश्य से किया जा रहा हैः–

1. ऋतुवार व वार्षिक दूध, ऊन, मांस व अण्डों की मात्रा का अनुमान करना।
2. पशुओं की औसत संख्या व उत्पादन अनुमान।
3. गोबर उत्पादन का अनुमान।
4. औसत दाना व चारा के उपभोग का अनुमान।
5. पशुओं की संख्या व औसत उत्पादन की प्रवृति का अध्ययन करना।

7.48 पशुगणना

भारत सरकार द्वारा हर पांच वर्ष के अन्तराल पर पशुगणना का कार्य करवाया जाता है। अभी तक भारत में ऐसी 20 पशुगणनाएं की जा चुकी हैं। प्रदेश में पशुपालन के विकास व उत्थान हेतु पशुगणना का विशेष महत्व है। प्रदेश में पाले जाने वाले पशुधन व कुक्कुट आदि की सही संख्या के आधार पर भारत सरकार एवं हिमाचल सरकार द्वारा पशु विकास सम्बन्धी नई नीतियां तैयार की जाती है। इस योजना के लिए शत प्रतिशत पैसा भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है।

सारणी 7.12
पशु और कुकुक्ट (हजार में)

कम संख्या	श्रेणी	वर्ष 2019
1	पशु	1828
2	भैंसे	647
3	भेंड़े	791
4	बकरी	1108
5	घोड़े व घोड़े के बच्चे	9
6	खच्चर और गधे	25
7	सुअंर	2
8	अन्य पशु	3
9	कुल पशु	4413
10	कुकुक्ट	1342

स्रोतः निदेशक पशुपालन विभाग, हि.प्र.
निदेशालय भू–अभिलेखाकार विभाग, हि.प्र.

7.49 दूध पर आधारित उद्योग

हिमाचल प्रदेश में डेयरी विकास गतिविधियां 'आनन्द पद्धति के टू–टायर' ढ़ाचे पर आधारित है। आनन्द पद्धति की मूल इकाई ग्रामीण दुग्ध उत्पादन सहकारी सभा है जहां पर दुग्ध उत्पादकों से अतिरिक्त दूध एकत्रित किया जाता है और इस दूध का परिक्षण किया जाता है। दुग्ध उत्पादकों को दूध का भुगतान दूध की

गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ राज्य में डेरी विकास कार्यक्रम चला रहा है। दूध महासंघ में 1,024 दुध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 46,687 है जिसमें 215 महिला डेरी सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों से गांवों का अतिरिक्त दूध एकत्रित किया जाता है तथा दुग्ध संघ इसे प्रसंस्करण करके बाजार में उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में दुग्ध संघ 22 दुग्ध अभिशीतल केंद्र चला रहा है जिनकी कुल क्षमता 91,500 लीटर दूध प्रतिदिन है और 11 दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट जिनकी कुल क्षमता 1,00,000 लीटर दूध प्रतिदिन है तथा 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक मिल्क पाउडर प्लांट दत्तनगर, जिला शिमला में कार्यरत है और एक 16 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला पशु आहार संयंत्र भी भौर, जिला हमीरपुर में स्थापित किया गया और कार्यरत है। एक दिन में औसत दूध की खरीद लगभग 1,30,000 लीटर है। दूग्ध अभिशीतन केन्द्रों से दुग्ध को दुग्ध संयन्त्रों में भेजा जाता है जहां इस का विधायन करके इसे थैलियों में बन्द करके व खुले रुप में कैनों में उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ प्रतिदिन लगभग 27,397 लीटर दूध का विपणन कर रहा है जिसमें प्रतिष्ठित डेरीयों को थोक मात्रा में तथा सैनिक युनिट डगशाई, शिमला, पालमपुर, धर्मशाला (योल) और चंडी मंदिर भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ दुग्ध से बने पदार्थ जैसे कि दुग्ध पाउडर, घी मक्खन, दही, पनीर, मीठा सुगंधित दूध व खोया हिम ब्राण्ड के नाम से बना रही है। दूध की खरीद की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी डेयरी सहकारी समितियों केस प्लांट स्तर पर fat/snf और मिलावट के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम डेयरी विकास NPDD (National Programme for Diary Development) के तहत 15 एएमसीयू (स्वचालित दूध संग्रह इकाई) और 11 Milko Screen प्रदान किए है। वर्ष 2020–21 में दुग्ध प्रसंघ ने दिवाली त्यौहार के दौरान लगभग 410 किवंटल मिठाई का निर्माण किया है। दुग्ध प्रसंघ ने बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सी.एस.सी. ई–गवर्नेंस सेवा इंडिया लिमिटिड के माध्यम से दूध और दूध उत्पादों की बिक्री शुरु की है। प्रसंघ ने आकर्षक स्थानों में नए मिल्क बार भी खोले हैं।

हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ग्रामीण क्षेत्रों में संगोष्ठियां व कैम्प लगाकर ग्रामीणों को डेरी के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी से भी जागरूक करवाती है। इसके इलावा किसानों के घर द्वार पर, पशु–चारे व साफ दुग्ध उत्पादन की क्रिया से भी अवगत करवाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1.04.2020 से दुग्ध के मूल्य में ₹2.00 प्रति लीटर की वृद्वि करके 46,687 दुग्ध संघ परिवारों को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचाया है।

7.50 मिल्कफेड के नवाचार

कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. प्रोजेक्ट की जरूरत को पूरा करने हेतु हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड ने पंजीरी का उत्पादन पंजीरी उत्पाद संयंत्र चक्कर (मण्डी) में किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में 23,341 क्विंटल पंजीरी, 3,985 क्विंटल स्कीमड मिल्क पाउडर और 18,250 क्विंटल बेकरी बिस्किुट और 5,649 क्विंटल गेंहू सेवियॉ को निर्मित कर उसकी आपूर्ति

महिला एवं बाल कल्याण विभाग को जा रही है।

- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादकों को अच्छी गुणवता वाला दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने किसानों के लगभग 10,000 के.सी.सी. फार्म भरकर संबंधित बैंकों में जमा किए हैं और लगभग ₹2.00 करोड़ के ऋण दुग्ध उत्पादकों/किसानों को के.सी.सी. के माध्यम से वितरित किए हैं।
- दुग्ध प्रसंघ ने राष्ट्रीय कार्यक्रम डेयरी विकास (NPDD) गुणवत्ता कार्यक्रम के तहत अपनी प्रयोगशालाओं को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया है।
- वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य में डेयरी गतिविधियों में सुधार करने के लिए दुग्ध प्रसंघ दत्तनगर में एक 50,000 एल.पी.डी. क्षमता का दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगा जिससे दूध प्रसंस्करण करने की क्षमता 70,000 एल.पी.डी. बढ़ जायेगी जिससे शिमला, कुल्लू, किन्नौर और मण्डी जिले के कुछ भाग के डेयरी सहकारी समितियों को लाभ मिलेगा।
- इसी तरह दुग्ध प्रसंघ राष्ट्रीय कार्यक्रम डेयरी विकास (NPDD) कार्यक्रम के तहत 50,000 एल.पी.डी. का एक नया संयंत्र मण्डी चक्कर में कार्यरत कर दिया जाएगा जिससे मण्डी, कुल्लू, बिलासपुर और अन्य जिलों डेयरी सहकारी समितियों को लाभ मिलेगा।
- दुग्ध प्रसंघ अगले वित्त वर्ष में रक्षा इकाइयों को माल्टेड मिल्क फूड की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है।
- दुग्ध प्रसंघ कल्याण विभाग के आंगनवाड़ियों में गेंहूं पास्ता और चॉकलेट स्वाद के पेय उत्पादन की योजना बना रहा है।
- प्रसंघ मौजूदा बुनियादी ढांचे में कमी को पूरा करने के लिए 60:40 के अनुपात में ₹225.00 लाख की एक राज्य परियोजना को लागू कर रहा है और राज्य परियोजना के अंतर्गत् प्रसंघ के संयंत्रों को प्रयोगशाला उपकरण प्रदान किए हैं।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने छैना खीर बनाना आरम्भ की है।
- प्रसंघ ने राज्य में खासतौर पर कोविड–19 के इस महामारी के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला “हिम हल्दी दूध” लॉन्च कर दिया है।
- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रोत्साहन राशि ₹2,000 का वितरण डिजिटल प्लेटफॉम के माध्यम से राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत मंडी, शिमला और कुल्लू जिलों के 835 दुग्ध उत्पादकों को दिनांक 12.08.2020 को किया है।
- मंडी, शिमला और कुल्लू जिलों के 1,000 दूध उत्पादकों को स्टेनलेस स्टील (5 लीटर) की बाल्टियों का वितरण स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए किया है।

सारणी 7.13
हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की उपलब्धियां

क्र. सं.	विवरण	2019–20	30.11.20 तक
1	संगठित डेरी सहकारी सभाएं	1011	1024
2	दुग्ध उत्पादक सदस्य	46280	46687
3	दुग्ध संकलन की मात्रा (लाख ली0)	300.24	256
4	बेचा गया दूध(लाख ली0)	188.62	70.02
5	घी की बिक्री(मी0टन)	198.35	168.50
6	पनीर की बिक्री(मी0टन)	121.83	100.98
7	मक्खन की बिक्री(मी0टन)	22.39	20.22
8	दही की बिक्री(मी0टन)	131.53	120.40
9	पशु आहार बिक्री(क्विंटलों में)	22335	25931

7.51 ऊन एकत्रीकरण एवं विपणन संघ

ऊन संघ का मुख्य उद्धेश्य हिमाचल प्रदेश में ऊनी उद्योग को बढ़ावा एवं विकास करना तथा ऊन उत्पादकों को बिचौलियों/व्यापारियों के शोषण से मुक्त करना है। ऊन संघ अपने उपरोक्त उद्धेश्यों का अनुसरण करते हुए भेड़ व अंगोरा ऊन की खरीद, भेड़ों की चारागाह स्तर पर कर्तन की मशीन, ऊन की धुलाई (स्कावरिंग) और ऊन के विक्रय के लिए प्रयासरत है। भेड़ कर्तन, आयातित स्वचालित मशीनों द्वारा करवाई जाती है। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 70,695 किलोग्राम भेड़ ऊन की खरीद की गई है जिसका मूल्य ₹43.64 लाख है।

संघ द्वारा कुछ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश के भेड़ व अंगोरा पालकों के लाभ व उत्थान के लिए भी किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं से लगभग 25,000 अंगोरा एवं भेड़ पालकों को इसका लाभ प्राप्त होने की संभावना है। ऊन संघ, ऊन उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित पारिश्रामिक मूल्य, स्थापित ऊनी बाजार में विपणन करवा कर उपलब्ध करवा रहा है। ऊन संघ द्वारा प्रदेश के भेड़ पालकों को गांव/चारागाह स्तर पर आधुनिक शीप शियरिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है तथा दिसम्बर, 2020 तक 46,385 भेड़ों की शियरिंग की गई तथा 274 भेड़ पालक लाभान्वित हुए। ऊन संघ, ऊन उत्पादकों को उनके उत्पादों का लाभप्रद मूल्य उपलब्ध करवा रहा है तथा इसका विपणन, स्थापित ऊनी बाजार में किया जा रहा है।

7.52 मत्स्य एवं जलचर पालन

हिमाचल प्रदेश भारत वर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाडों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जाल प्रदान किया है जो कि राज्य के पहाडी क्षेत्रों अर्द्ध मैदानी क्षेत्रों से गुजरती हुई मैदानों में जाती है और इन नदियों के पानी में आक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। राज्य में बारहमासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती है जिनमें मत्स्य की शीतल जलीय प्रजातियां जैसे साइजोयरैक्स, सुनैहरी महाशीर व ट्राऊट पाई जाती है। शीतल जलीय मत्स्य संसाधनो के दोहन के लिए महत्वकांक्षी "इन्डो–नॉर्वेयन ट्राऊट फॉर्मिंग" परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य में वाणिज्यिक ट्राऊट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के जलाशय गोविन्दसागर, पौंग डैम, चमेरा, तथा रणजीत सागर में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई है। प्रदेश में

लगभग 5,567 मछुआरे अपनी रोजी के लिए जलाशयों के मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रुप से निर्भर हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक प्रदेश के विभिन्न जलाशयों से 9811.00 मीट्रिक टन मछली उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ₹122.86 करोड़ है। चालू वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2020 तक राज्य मे ट्राऊट फार्मो से 4.74 टन ट्राऊट मछली उत्पादन से ₹71.50 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ हैं। पिछले वर्षों के उत्पादन को सारणी संख्या 7.14 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.14
ट्राउट उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (टन)	राजस्व (₹लाख में)
2017–18	10.32	129.75
2018–19	8.34	118.22
2019–20	7.71	91.16
2020–21 दिसम्बर, 2020 तक	4.74	71.50

मत्स्य विभाग द्वारा ग्रामीण व्यवसायिक जलाशयों, तलाबो जो कि सरकारी व निजी क्षेत्र में है उन जलाशयों की मांग को पूरा करने के लिए कार्प तथा ट्राऊट बीज फार्मो की स्थापना की है। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक राज्य में 70 मी.मि. से ऊपर की कुल 12.96 लाख कॉमन कार्प अंगुलिकायें, 3.67 लाख इसी आकार की IMC तथा 4.76 लाख रेनवों ब्राऊन ट्राऊट की फिंगरलिंगस का उत्पादन किया हैं। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक उत्पादित इस बीज का मूल्य लगभग ₹40.43 लाख है। प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र होने पर भी मत्स्य पालन पर अधिक बल दिया है।

राज्य सरकार द्वारा **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** के अन्तर्गत ₹100.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया है:–

सारणी 7.15

क्र.सं	योजना का नाम	परिव्यय राशि ₹लाख
1.	निजी क्षेत्र में कार्य एक्वाकल्चर क्लस्टर का निर्माण	55.00
2.	प्रदेश के मत्स्य कृषकों की आय को एक्वाकल्चर के माध्यम से दोगुना करना	15.00
3.	राज्य के जलाश्यों में एक मछली अवतरण केन्द्र का निर्माण	30.00
	कुल	**100.00**

विभाग द्वारा जलाशय मछली दोहन में लगे मछुआरों के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई है। इस वर्ष मछुआरों **जीवन सुरक्षा निधि** के अंतर्गत लाया गया है जिसके तहत मृत्य/ स्थाई अपंगता की दशा में संतप्त परिवार को ₹5.00 लाख प्रदान किए जाते है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण **आपदा कोष योजना** के अंतर्गत मत्स्य उपकरणों के नुकसान की भरपाई के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। वर्जित काल के दौरान मछुआरों के लिए जीवन यापन हेतु **अंशदाई बचत योजना** चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत मछुआरों के अंशदान के बराबर राशि केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा मछुआरों में दो किश्तों में वितरित की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान **बचत तथा राहत निधि योजना** के अन्तर्गत 3,557 मछुआरों को कुल ₹160.00 लाख की राशि दी जाएगी (₹53.30 लाख मछुआरों द्वारा एकत्रित किए गये हैं तथा ₹106.70 लाख केंन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान) चालू वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के शीतल जल के मछली उत्पादकों के पशुधन को बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना

(ट्राउट पशुधन बीमा योजना) शुरू की है। इस योजना की प्रीमियम राशि 65:35 के अनुपात में राज्य सरकार व लाभार्थी के बीच सांझा की जा रही है। यह बीमा कवच युनाईटिड इंडिया इनशोरेंस कम्पनी लिमिटिड के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष विभाग ने 29 मत्स्य पालकों द्वारा 43 ट्राउट इकाईयों को बीमाकृत किया है। प्रत्येक ट्राउट इकाईयों को ₹19175 के प्रीमियम के साथ प्रति वर्ष अधिकतम ₹2.50 लाख की इनपूट लागत के लिए बीमा कवच प्रदान किया गया है। यह राज्य के ट्राउट उत्पादकों की लम्बे समय से लम्बित मांग थी । यह योजना प्रदेश के ट्राउट सम्भावित क्षेत्रो में ट्राउट पालन बनाये रखने के अलावा नये ट्राउट उत्पादको को प्रौत्साहित करेगा तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। मत्स्य पालन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने में अपना विषेष योगदान दे रहा है तथा विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही जा रही है जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा 317 रोजगार के अवसर पैदा किए गए है।

प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई नई **"प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना"** को चालू वित्त वर्ष 2020–21 में प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) तथा केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सीएस) के अन्तर्गत ₹5,914.59 लाख की विभिन्न परियोजनाएं भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। भेजी गई योजनाओं में से ₹3,579.72 लाख केन्द्र भाग, ₹348.93 लाख राज्य भाग तथा ₹1,985.94 लाख लाभार्थी भाग है। भारत सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए ₹4,063.00 लाख की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है जिसमें से ₹1,877.99 लाख केन्द्र भाग, ₹208.67 लाख राज्य भाग तथा ₹1,976.34 लाख लाभार्थी भाग है। भारत सरकार ने स्वीकृत कुल केन्द्र भाग में से ₹300.00 लाख की प्रथम किश्त जारी भी कर दी गई है जिसका प्रयोग प्रदेश में निम्न कार्यों के लिए उपदान सहायता प्रदान हेतु किया जाएगा :–

- निजी क्षेत्र में 06 मत्स्य कियोस्क (Fish Kiosk) स्थापना की जानी है।
- निजी क्षेत्र में 01 बैकयार्ड सजावटी मछलियों की ईकाइयां स्थापना की जानी है।
- निजी क्षेत्र में 01 मध्यम सजावटी मछलियों की ईकाइयां स्थापना की जानी है।
- निजी क्षेत्र में 03 मध्यम बायोफलोक स्थापना की जानी है।
- निजी क्षेत्र में 01 इन्सौलेटिड वाहन क्रय किए जाने है।
- निजी क्षेत्र में 20 मछली विक्रय हेतु मोटर साईकिल क्रय किए जाने है।
- निजी क्षेत्र में 06 लघु मत्स्य आहार संयन्त्र स्थापना की जानी है।
- निजी क्षेत्र में 10 बायोफलोक तालाब स्थापना की जानी है।
- निजी क्षेत्र में 12 लघु बायोफलोक टैंक स्थापना की जानी है।
- निजी क्षेत्र में 01 ट्राऊट पुनः परिचालन एक्वाकल्चर प्रणाली (Recirculatory Aquaculture System) की स्थापना की जानी है।

विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक प्राप्त उपलब्धियां तथा वर्ष का निर्धारित लक्ष्यों का विवरण सारणी संख्या 7.16 में दर्शाया गया है:–

सारणी 7.16

क्र0 सं0	विवरण	दिसम्बर, 2020 तक की उपलब्धियां	प्रस्तावित लक्ष्य 2020–21
1	मत्स्य उत्पादन (टन) (सभी साधनों से)	9811.05	14721.15
2	कार्प बीज उत्पादन(लाख)	252.31	758.00
3	खाने योग्य ट्राउट उत्पादन सरकारी क्षेत्र (टन)	4.74	16.00
4	खाने योग्य ट्राउट उत्पादन निजी क्षेत्र(टन)	221.68	706.50
5	रोजगार सृजन (संख्या)	317	550
6	विभागीय राजस्व (लाखों में)	212.98	478.71

7.53 वन

हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 68.16 प्रतिशत अर्थात् 37,948 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आता है। राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) वर्ष 2030 को प्राप्त करने के लिए वर्तमान वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र के 27.72 प्रतिशत (भारतीय भारत के राज्य वन रिपोर्ट, 2019 के अनुसार) से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक करने की एक परिकल्पना की है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही कुछ कार्यक्रम योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैं:–

7.54 वन पौधारोपण

पौधारोपण का कार्य विभाग की विभिन्न राज्य योजनाओं जैसे कि "वृक्षावरण में सुधार," "भू सरंक्षण" "कैम्पा" तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम" में किया जा रहा है। हरित भारत का राष्ट्रीय मिशन तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की चरागाहों को राज्य सरकार की योजना "चरागाह व गोचर भूमि विकास" के अन्तर्गत विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की जनता को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने तथा राज्य स्तरीय, वृत्तस्तरीय व मंडलस्तरीय वन महोत्सव का आयोजन नई वानिकी योजना (सांझी वन योजना) के अन्तर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग 2018–19 के बाद से महिला मंडलों, युवक मंडल, स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों जैसे स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए वृक्षारोपण अभियान चला रहा है। परन्तु कोविड–19 महामारी के कारण वृक्षारोपण अभियान वर्तमान वर्षा ऋतु में आयोजत नहीं किया जा सका। हालांकि वर्ष 2020–21 में विभाग ने 12,000 हैक्टेयर में पौधारोपण का सत्त विकास लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे 30.09.2020 तक प्राप्त कर लिया गया है। सरकार द्वारा एक पुरस्कार योजना शुरु की गई है जिसमें वन विभाग के कर्मचारियों स्थानीय लोगों तथा स्कूली बच्चों द्वारा नर्सरी, वृक्षारोपण और वन संरक्षण में किए गए विशेष कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए

सर्वश्रेष्ठ वृक्षारोपण तथा सर्वोतम वृक्षारोपण प्रबंधन के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं।

7.55 वन प्रबंधन (वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना

राज्य में जनसंख्या में बढ़ोतरी, पशुपालन पद्धतियों में बदलाव और विकास सम्बंधी गतिविधियों के कारण वनों पर जैविक दबाव बढ़ रहा है। साथ ही वनों को आग, अवैध कटान, अतिक्रमण और अन्य वन अपराधों का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उपयुक्त स्थानों पर चेकपोस्ट की स्थापना की जाए, संवेदनशील स्थानों पर सी.सी.टी.वी. स्थापित किए जाएं ताकि वन अपराधों की रोकथाम सुनिश्चत की जा सके। उन सभी वन मण्डलों में जहां आग एक प्रमुख विनाशकारी तत्व है, अग्निशमन उपकरण और आधुनिक तकनीकी उपलब्ध करवाई जाए। वनों के कुशल प्रबन्धन एवं सुरक्षा हेतु एक अच्छे संचार तंत्र की आवश्यकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र प्रायोजित योजना– वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना तथा राज्य की "**वन अग्नि प्रबंधन**" नामक योजना को लागू किया जा रहा है।इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों 2,500 कि.मी. लम्बी मौजूदा फायर लाईनों को रख रखाव/नई फायर लाइनों का निर्माण, अग्निशमन यंत्रों की खरीद, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं।

7.56 प्रयोगात्मक वन संवर्धन तथा कटान में सहायक संचालन

हिमाचल प्रदेश की वन संपदा अनुमानितः ₹1.50 लाख करोड़ से अधिक है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन वृक्ष प्रजातियों (खैर, चील व साल) की वन संवर्धन हरित कटान हेतू राज्य के तीन वन परिक्षेत्रों नुरपूर, नुरपूर वन मण्डल, भराड़ी बिलासपुर वन मण्डल एवं पांवटा, पांवटा साहिब वन मण्डल को प्रयोगात्मक रुप से अनुमति प्रदान की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई निगरानी समिति की सिफारिशों के अनुसार पेड़ों की कटाई का कार्य वर्ष 2018–19 के दौरान किया गया और चालू वित्त वर्ष 2020–21 के इस समिति की सिफारिशों के अनुसार इन क्षेत्रों में पौधरोपण, बाड़बंदी एवं पुर्नस्थापन का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान इस योजना में ₹10.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे सिफारिश की है कि स्वस्थ्य युवा और जैव विविधता समृद्व जंगलों को बनाए रखने के लिए आवश्यक वन संवर्धन के संचालन को पुर्नजीवित करने की आवश्यकता है जैसे कि सफाई और मृत सूखे पेडों के निस्तारण तथा सहायक वन कटान के कार्य जैसे काटे हुए जंगलों को जलाने से बचाने के लिए अन्य वैज्ञानिक उपायों का अनुसरण करना है जैसे कि स्वीकृत योजना का प्रारूप है। इस योजना में वर्ष 2020–21 में ₹3.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

7.57 नई योजनाएं

स्थानीय समुदायों, छात्रों और आम जनता को जंगलों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए ओर गैर–काष्ठ वन उत्पादों के सतत पैदावार सुनिश्चित

करने और उनके मूल्य संर्वधन के लिए निम्नलिखित नई योजनाओं को शुरु किया गया है:–

i) सामुदायिक वन संवर्धन योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण के माध्यम से वनों के संरक्षण और विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जंगलों की गुणवत्ता में सुधार और वन आवरण में वृद्वि करना है। यह योजना मौजूदा संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों/ग्राम वन विकास समितियों (JFMC/VFDS) के माध्यम से लागू की जाएगी। वर्ष 2018–19 के दौरान 29 स्थानों को चयन किया गया था और वर्ष 2020–21 के लिए 5 नए स्थानों को चुनने का लक्ष्य रखा गया है। चयनित सभी 34 स्थानों में अनुमोदित माइक्रो प्लान के अनुसार पौधरोपण एवं भू–संरक्षण कार्य किये जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में ₹4.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है और 31.12.2020 तक ₹63.47 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

ii) विद्यार्थी वन मित्र योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वनों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना, छात्रों में प्रकृति संरक्षण के प्रति लगाव की भावना पैदा करना, वनों के संरक्षण के प्रति स्थानीय समुदायों को प्रेरित करना और वन आवरण को बढ़ाना है। वर्ष 2020–21 के दौरान इस योजना के तहत ₹1.75 करोड का बजट प्रावधान रखा गया है और वर्ष 2020–21 में 110 नये स्कूलों का चयन करने का लक्ष्य रखा गया था जबकि 114 स्कूलों का चयन कर लिया गया है, जिनके द्वारा 106.25 हेक्टेयर भूमि में पौधरोपण किया जाएगा। परन्तु कोविड–19 के कारण स्कूल बंद थे और अब यह लक्ष्य वर्ष 2021–22 में प्राप्त किया जाएगा।

iii) वन समृद्वि जन समृद्वि योजना

यह योजना स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राज्य में उपलब्ध गैर काष्ठ वन उत्पाद संसाधनों को सुदृढ़ करने, वन उत्पादों की सतत पैदावार सुनिश्चित करने और मूल्य संवर्धन तकनीक अपनाकर अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए शुरु की गई है। शुरुआत में यह योजना प्रदेश के सबसे अधिक जैव विविधता सम्पन्न 7 जिलों जैसे चम्बा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, किन्नौर तथा लाहौल और स्पिति में सामुदायिक उपभोक्ता समूहों, जो कि जैव विविधता प्रबंधन कमेटी द्वारा निर्धारित और संचालित होते हैं द्वारा लागू की जा रही है। वर्ष 2019–20 में 138 सामुदायिक उपभोक्ता समूह बनाए जा चुके हैं तथा वर्ष 2020–21 में 53 सामुदायिक उपभोक्ता समूहों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2020–21 में इस योजना के अन्तर्गत ₹2.00 करोड़ का बजट रखा गया है।

iv) एक बूटा बेटी के नाम (वर्ष 2019–20 से आरम्भ)

लोगों को बेटियों और वन संरखण के महत्व के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से वर्ष 2019–20 में एक नई योजना (एक बूटा बेटी के नाम) शुरु की गई है। ऐसा विश्वास है कि बालिकाओं के नाम पर एक पौधा लगाने और उसकी समुचित देखभाल करने से समाज लड़कियों के समग्र विकास ओर उनके अधिकारों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होगा। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में कहीं भी बालिका–शिशु के जन्म पर वन विभाग उसके माता पिता को चयनित वानिकी प्रजाति के पांच स्वस्थ्य लम्बे पौधे एवं एक किट परिवार को भेंट करेगा। पौधारोपण लड़की के माता पिता द्वारा उनकी निजी भूमि अथवा वन भूमि में मानसून तथा शीत ऋतु में किया जायेगा। दिसम्बर, 2019 से नवम्बर, 2020 तक 13,389 नवजात कन्याओं के माता पिता को पौधे एवं किटें भेंट की जा चुकी है।

v) पर्वत धारा

राज्य में विलुप्त और घटते जल स्रोतों को फिर से जीवंत करने के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान सरकार ने एक नई योजना "पर्वत धारा" की शुरू की है। इससे खेतों तक सिंचाई सुविधा प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। उपग्रह चित्रों के आधार पर चयनित स्थानों पर जल संग्रहण ढांचों का निर्माण किया जाएगा। इससे भू–जलस्तर सुधार में मदद मिलेगी और संग्रहीत पानी से खेतों की सिंचाई भी होगी। यह योजना जल शक्ति विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है लेकिन वन भूमि में यह योजना वन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। वन विभाग इस योजना के जल शक्ति विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों पर तालाब निर्माण, जल संग्रहण ढांचों का निर्माण, वृक्षारोपण, soak pits, चैक डैम का निर्माण करेगा जिसके लिए वर्ष 2020–21 में अन्तर्गत ₹2.94 करोड़ व्यय किये जाएंगे।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

7.58 हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम्स क्लाईमेट प्रूफिंग परियोजना (के.एफ.डब्लयू. द्वारा सहायता प्राप्त)

हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम्स क्लाईमेट प्रूफिंग परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू बैंक), जर्मनी के सहयोग से 7 वर्षो की अवधि के लिए वर्ष 2015–16 से प्रदेश के चम्बा और कांगड़ा जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत ₹308.45 करोड़ की है, जिसे जर्मन सरकार के 85.10 प्रतिशत ऋण व 14.90 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाना है। इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने, जैव विविधता बढ़ाने, वन संसाधनों के स्थाई प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोत को बढ़ाना है और वन आधारित उत्पादों एवं सेवाओं के प्रवाह को बढ़ाना ताकि ऐसे समुदायों को लाभ मिल सके जो वनों पर आधारित रहते हैं। दीर्घ अवधि में वन पारिस्थितिक तन्त्र को मजबूत करना ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सहन कर सके, यह जैव विविधता की सुरक्षा

बढ़ाने, जलग्रहण क्षेत्र के स्थिरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के सरंक्षण के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बेहतर आजीविका के साधन पैदा करने में सहायक हो। चालू वित्त वर्ष 2020–21 में इस परियोजना के लिए ₹49.00 करोड का प्रावधान रखा गया है तथा दिसम्बर, 2020 तक ₹18.16 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

7.59 हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना

जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) के साथ ₹800 करोड़ की एक नई परियोजना "हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम्स प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना" 8 वर्ष की अवधि के लिए (2018–19 से 2025–26) शुरू की जा चुकी है जिसमें जापान सरकार के 80 प्रतिशत ऋण व 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाना है। यह परियोजना बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी, शिमला, किन्नौर, लाहौल–स्पिति जिलों और चम्बा जिले के पांगी तथा भरमौर उप–मण्डलों के आदिवासी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएगी। इस परियोजना का मुख्यालय कुल्लू (शमशी) और क्षेत्रीय कार्यालय रामपुर जिला शिमला में होगा। इस परियोजना का उद्देश्य वन और पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र को सरंक्षित करना, वनों के घनत्व और उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाना, उनका वैज्ञानिक एवं आधुनिक प्रबंधन और चारागाह पर निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार लाने के साथ जैव विविधता को बढ़ाना व वन संसाधनों पर दबाव को कम करने के लिए ग्राम समुदाय को वैकल्पिक आजीविका का अवसर प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, सरकार ने इस परियोजना के लिए ₹40.00 करोड प्रदान किए हैं तथा दिसम्बर, 2020 तक ₹23.50 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।

7.60 विश्व बैंक पोषित स्रोत स्थिरता लचीली जलवायु व वर्षा पर निर्भर कृषि हेतु एकीकृत विकास परियोजना

विश्व बैंक, ₹650.00 करोड़ की लागत वाली इस नई परियोजना (सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएन्ट रेन फेड एग्रीकल्चर परोजेक्ट) को पोषित करने पर सहमत हो गया है जिसमें विश्व बैंक के 80 प्रतिशत ऋण व 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाना है। इस परियोजना की अवधि 7 वर्ष है जो कि प्रदेश की 900 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित की जाएगी जो शिवालिक और मध्य पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न जलागमों के कृषि–जलवायु क्षेत्र में फैले है। इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 2 लाख हैक्टेयर गैर–कृषि भूमि और 20 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि के व्यापक उपचार के साथ–साथ जल उत्पादकता, दूध उत्पादन में वृद्धि और आजीविका में सुधार के कार्य शामिल है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना के प्रारंभिक चरण के लिए ₹50.00 करोड स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से दिसम्बर, 2020 तक ₹31.16 करोड़ व्यय कर लिए हैं।

7.61 पर्यावरण वानिकी एवं वन्यप्राणी

हिमाचल प्रदेश विविध और अद्वितीय वन्यप्राणी प्रजातियों के लिए प्रसिद्व है जिसमें से कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं। पर्यावरण वानिकी एवं वन्यप्राणी के संरक्षण एवं संबर्धन, वन्यप्राणी शरणस्थलों एवं राष्ट्रीय उद्यानों के विकास तथा लुप्तप्राय पशु एवं

पक्षियों की प्रजातियों के सरक्षंण हेतु प्रावधान इस परियोजना के अन्तर्गत किया जाता है। चालू वित्त वर्ष के लिए ₹25.73 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से दिसम्बर, 2020 तक ₹4.52 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।

7.62 हिमाचल प्रदेश में वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं:

2017–18 के दौरान, यह देखा गया कि लकड़ी की अनुमानित सेवाओं का मूल्य राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.31 प्रतिशत था, जबकि गैर–इमारती लकड़ी वन उत्पाद (एन.टी.एफ.पी.) अनुमानित सेवाओं का योगदान 0.27 प्रतिशत था। वर्ष 2017–18 के दौरान कार्बन दृष्टिकोण से सामाजिक लागत और प्राप्त कार्बन अवधारण सेवा का मूल्य राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 11.14 प्रतिशत के बराबर था, जोकि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र योगदान का लगभग तीन गुना है। वर्ष 2017–18 के लिए कार्बन अवधारण सेवा का मूल्य ₹15,532 करोड़ अनुमानित है। इन पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का आर्थिक मूल्य राज्य–स्तरीय अनुमान के अनुसार सारणी 7.17 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.17 हिमाचल में जंगलों से चयनित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का सारांश 2017–18

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं	कुल मूल्य ₹करोड़	राज्य सकल घरेलु उत्पाद से प्रतिशतता
1. इमारती लकड़ी	429.24	0.31
2. गैर इमारती लकड़ी वन संसाधन	374.68	0.27
3. कार्बन अवधारणा	15531.65	11.14
वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का कुल मूल्य	**16335.01**	**11.72**

स्रोतः EnviStat (भारत 2020), भाग–II : पर्यावरण लेखा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार

बिन्दु–7.1
कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का अवलोकन

वर्तमान मूल्य पर देश के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी 2015–16 में 15.89 प्रतिशत से घटकर 2020–21 में 13.62 प्रतिशत रह गई है। देश के कुल GVA में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी गैर कृषि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च विकास प्रदर्शन के कारण घट रही है। यह विकास प्रक्रिया का एक स्वाभाविक परिणाम है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण गैर–कृषि क्षेत्रों में तेज़ी से वृद्धि करते हैं।

कुल प्रचलित आधार कीमतों पर राज्य के GVA में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का योगदान

मद	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का GVA (₹करोड़ में)	17047	18007	16105	17464	21891	19916
कुल अर्थव्यवस्था के GVA में कृषि और सम्बन्ध क्षेत्रों के GVA का योगदान (प्रतिशत)	15.89	15.33	12.72	12.48	14.33	13.62
फसलों का योगदान	8.99	8.23	7.63	7.22	8.53	7.91
पशुधन का योगदान	1.31	1.26	1.31	1.61	1.52	1.78
वन उत्पादों का योगदान	5.49	5.73	3.65	3.51	4.16	3.79
मत्स्य उत्पादों का योगदान	0.10	0.11	0.13	0.13	0.12	0.14

जल संसाधन प्रबन्धन तथा पर्यावरण

8 अध्याय

8.1 पीने का पानी

हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। 20 जनवरी, 2021 तक राज्य में कुल 55,279 बस्तियां हैं जिनमें से 33,752 को पूर्ण रूप से (55 लीटर या इससे अधिक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) और 21,527 बस्तियों को आंशिक रूप से (55 लीटर से कम) स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया गया है, 20 जनवरी, 2021 तक इन बस्तियों की अंतिम स्थिति नीचे दी गई है:–

बस्तियों की संख्या	बस्तियां जिनमें जनसंख्या को लाभान्वित किया गया				ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या >0तथा<100 % सम्मिलित किया गया
	>0 to <25%	>25 to <50%	>50 to <75%	>75 to <100%	
55,279	1,360 (2.46%)	5,342 (9.66 %)	7,818 (14.14%)	7,007 (12.67%)	33,752 (61.06%)
	21,527 (38.94%)				

8.2 शहरी जलापूर्ति योजनाएँ

हिमाचल प्रदेश में कुल 61 नगर /शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमे से 59 नगर / शहरी स्थानीय निकायों की जलापूर्ति योजनाएँ जल शक्ति विभाग के अधीन हैं। शिमला नगर की जलापूर्ति योजना शिमला जलप्रबंधन निगम एवं परवाणू नगर की जलापूर्ति योजना हिमुडा के अधीन है। शिमला शहर को मिला कर कुल 53 नगर/शहरी स्थानीय निकायों की जलापूर्ति योजनाओं में सुधार का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 6 नगर/शहरी स्थानीय निकायों में कार्य प्रगति पर है।

8.3 जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.)

भारत सरकार ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ ₹3.5 लाख करोड़ की लागत के साथ आरम्भ किया है, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश ने जुलाई, 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को कार्यत्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत प्रदेश के 17,03,626 ग्रामीण आवासों में से 12,86,832 आवासों को 1 जनवरी, 2021 तक कार्यत्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए है। इस वितीय वर्ष में 2,44,351 आवासों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय औसत 33.64 प्रतिशत के समकक्ष प्रदेश में 75.53 प्रतिशत परिवारों को घरेलू कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

8.4 हैण्डपम्प कार्यक्रम

सरकार द्वारा प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में पेयजल की कमी के चलते हैण्डपम्प लगाने का कार्य निरन्तर चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2020 तक प्रदेश में कुल 40,624 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं।

8.5 सिंचाई

हिमाचल प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 5.83 लाख हैक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की

सिंचाई की क्षमता लगभग 3.35 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 0.50 लाख हैक्टेयर मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत लाया जा सकता है। दिसम्बर, 2020 तक 2.85 लाख हैक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

8.6 मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

राज्य में कांगड़ा जिले में शाहनहर परियोजना ही एकमात्र मुख्य सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत 15,287 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। अब इस परियोजना में कमांड क्षेत्र के विकास का कार्य प्रगति पर हैं और 15,287 हैक्टेयर भूमि में से 9,998.50 हैक्टेयर भूमि दिसम्बर, 2020 तक कमांड क्षेत्र विकास के अन्तर्गत लाई जा चुकी है। मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत चंगर क्षेत्र बिलासपुर 2,350 हैक्टेयर, सिद्धाता कांगड़ा 3,150 हैक्टेयर तथा बल्ह घाटी लेफ्ट बैंक 2,780 हैक्टेयर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मध्यम सिंचाई योजना सिधांता का सी.ए.डी. कार्य प्रगति पर है तथा दिसम्बर, 2020 तक 2,635.10 हैक्टेयर भूमि को सी.ए.डी. के अन्तर्गत लाया जा चुका है। वर्तमान में फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना (सी. सी.ए. 4,025 हैक्टेयर) तथा नादौन क्षेत्र जिला हमीरपुर (सी.सी.ए. 2,980 हैक्टेयर) का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2020–21 में मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत 1000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से दिसम्बर, 2020 तक 700 हैक्टेयर कमांड क्षेत्र को सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाया गया है।

8.7 लघु सिंचाई

वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत् 4,437.98 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए ₹302.05 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। दिसम्बर, 2020 तक 3,256.18 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है तथा नवम्बर, 2020 तक 85.70 करोड़ व्यय किए गए।

8.8 कमांड क्षेत्र विकास

वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ₹99.01 करोड़ का प्रावधान किया है जिसमें एच.आई.एम.सी.ए. डी. की गतिविधियों के लिए ₹45.01 करोड़ भी शामिल है जो पूरी तरह लघु सिंचाई योजनाओं के क्षमता निर्माण एवं उपयोग के लिए है तथा शेष राशि केन्द्रीय भाग सहित राज्य में प्रमुख/मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं को चलाने के लिए है। इस वर्ष 1,870.80 हैक्टेयर सी.सी.ए. का लक्ष्य रखा गया हैं जिसमें से दिसम्बर, 2020 तक 1,117.74 हैक्टेयर क्षेत्र को सी.ए.डी. के अन्तर्गत नवम्बर, 2020 तक ₹139.46 करोड़ व्यय करके लाया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा कमांड क्षेत्र विकास जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत् सी.ए.डी. गतिविधियों के लिए प्रमुख सिंचाई शाहनहर तथा मध्यम सिंचाई सिधांता परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

8.9 बाढ़ नियन्त्रण

वर्ष 2020–21 में 983.36 हैक्टेयर भूमि में बाढ़ नियंत्रण कार्य के अन्तर्गत् लाने के लिए ₹87.37 करोड़ का प्रावधान किया

गया है। नवम्बर, 2020 तक ₹23.39 करोड़ व्यय के उपरान्त 255.29 हैक्टेयर क्षेत्र को दिसम्बर, 2020 तक सुरक्षित किया गया है। स्वां नदी चरण–IV तथा छोंच खड्ड के तटीयकरण का कार्य प्रगति पर है।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

8.10 प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन

राज्य सरकार ने समय समय पर हिमाचल प्रदेश गैर पुर्नचक्रीय कूड़ा नियन्त्रण अधिनियम, 1995 के अनुसार प्लास्टिक वस्तुओं के इस्तेमाल एवं कूड़े पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ष 2020–21 में 654 उल्लंघन कर्त्ताओं से ₹7.00 लाख का जुर्माना एकत्रित किया गया है। गैर–पुर्ननवीकरण प्लास्टिक कचरे की पुनः खरीद योजना के अन्तर्गत् वर्ष 2020–21 में ₹19.65 लाख का भुगतान 31,751 किलो ग्राम की प्लास्टिक कचरे खरीद पर किया गया जिसे आवासों से कूड़ा इक्ट्ठा करने वालों और 566 पंजीकृत कूड़ा बीनने वालों को दिया गया। राज्य सरकार पौधों की पत्तियों से बने प्राकृतिक तरीके से सड़नशील (बायोडिग्रेडैबल) पत्तलों ओर डोनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। कारीगरों/गरीब परिवारों का समर्थन करने के लिए पारम्परिक पत्तल और डोना बनाने की मशीनें सी.ई.आर. के तहत दी जा रही हैं। सी.ई.आर. के तहत अभी तक 82 पत्तल और डोना बनाने की मशीनें उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है।

8.11 राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ

हिमाचल प्रदेश में राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ को पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने ₹2.73 करोड़ की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय हिमालयन पारिस्थितिक तंत्र मिशन (NMSHE) के अन्तर्गत स्थापित किया है। ब्यास नदी घाटी की जलवायु अतिसंवेदनशीलता का निर्धारण पूरा किया जा चुका है और दूसरा अध्ययन सतलुज नदी घाटी जिसमें किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मण्डी और बिलासपुर शामिल हैं, ₹88.50 लाख रुपये के वित्तीय परिव्यय से शुरु किया जा चुका है।

8.12 जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के तहत स्वीकृत परियोजना का कार्यान्वयन (एन.ए.एफ.सी.सी.)

इस परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर जिले के तीन विकास खण्डों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को ₹20.00 करोड़ की वित्तीय परिव्यय के साथ समाविष्ट किया गया है। ग्रामीण छोटे और सीमान्त किसानों तथा ग्रामीण महिलाओं को आवश्यक सामाजिक इंजीनियरिंग और क्षमता निर्माण के साथ–साथ जलवायु पर आधारित (स्मार्ट) नई खेती तकनीकों का एक पैकेज प्रदान किया जा रहा है जिससे खाद्य सुरक्षा में सुधार व आजीविका के विकल्प में वृद्वि शामिल है। यह परियोजना कोविड–19 महामारी के कारण एक वर्ष और बढ़ाकर वर्ष 2021–22 में पूरी होने की सम्भावना है।

8.13 जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय अनुकूलन कोष एवं द्विपक्षीय निधि के तहत प्रस्ताव

इस योजना के अन्तर्गत पर्यावरण, वन, और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में ग्लेशियर का प्रकोप और बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए ₹20.49 करोड़ की एक परियोजना के लिए सैद्वान्तिक रूप से मंजूरी प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य परियोजना का प्रस्ताव ''जैव विविधता सरंक्षण और ग्रामीण आजीविका को सुरक्षित रखने'' पर है जो कि ₹250.00 करोड़ का है उसे आर्थिक मामले, विभाग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और जर्मन बैंक (के.एफ.डब्लू.) तथा ए.एफ.डी को अग्रेषित की गई है। इसके लिए ₹1.00 करोड़ की राशि ए.एफ.डी. (फ्रांस विकास एजेंसी) को विस्तृत योजना रिपोर्ट बनाने के लिए स्वीकृत दी गई है। एक अन्य योजना जलवायु अनुकूलता तथा ग्रामीण भारत में अर्थव्यवस्था, वर्ष 2020–21 में प्रदेश में शुरु की जा चुकी है।

8.14 सीमांत कृषकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण

भारत सरकार ने एक परियोजना "हिमाचल प्रदेश के सीमांत कृषकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी सम्बन्धी हस्तक्षेप का जलवायु परिवर्तनशीलता के लिए अनुकूलता से सत्त आजीविका हेतु" स्वीकृति दी है। यह जिला मण्डी के सिराज विकास खण्ड की लाम्बा और थाच पंचायत के लिए हैं। सिराज विकास खण्ड के पांच वार्डों (सुनाह, निहरी, क्योली, लेह तथा बलेन्डा) के लिए कुल ₹59.00 लाख दो वर्षों के लिए स्वीकृत किये गए हैं।

8.15 राज्य स्तरीय पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार

हिमाचल प्रदेश पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार योजना पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की नियमित योजना हैं। वर्ष 2020–21 के लिए कुल ₹20.00 लाख की राशि सुनिश्चित की गई है और वर्ष 2020 के दौरान 13 विजेताओं को पुरस्कार दिए जा चुके हैं।

8.16 आदर्श पर्यावरण ग्रामों का निर्माण

राज्य सरकार पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से आदर्श पर्यावरण ग्राम योजना को लागू कर रही है। यह योजना पर्यावरण को प्रभावित न करने वाली जीवन शैली को अपनाने पर ध्यान केद्रित कर ''पारिस्थितिक पर प्रभावों'' को 50 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत 5 वर्षों की अवधि में ₹50.00 लाख की राशि के साथ निर्धारित ग्राम में कार्यान्वित की जाएगी। अब तक प्रदेश के 15 गावों में यह योजना लागू की ला रही है जिसे इको विलेज डेवेलप्मेंट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है।

8.17 कुफरी, शिमला में जैव–मेथनेशन संयत्र स्थापित करना

विभाग द्वारा कुफरी, शिमला में बायोगैस/बायो सी.एन.जी. बनाने के लिए घोड़ों के गोबर/होटलों और रिहायशी इलाकों से बायोडीग्रेडेवल कचरे का उपयोग कर 2.5 एम.टी.पी.डी. बायो मेथनेशन प्लांट की स्थापना की जा रही है। इस संयंत्र के

लिए कुल ₹1.40 करोड़ का बजट प्रावधान है। विशेषज्ञ एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये गये है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹25.00 लाख मंजूर किए गए हैं तथा कार्य प्रगति पर है।

8.18 सूक्ष्म नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना

पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 10 नगरपालिकाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं को विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से स्थापित करेगा, जिनकी लगभग 0.5 टन से 5 टन कचरे का निपटान करने की क्षमता है इन्हें हिमाचल प्रदेश में 10 अलग–अलग स्थानों पर पी.पी.पी. मोड पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार के एम.ओ.ई.एफ. और सी.सी. द्वारा एन.एम.एच.एस. (नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज) के अन्तर्गत् ₹4.48 करोड़ के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार द्वारा ₹3.38 करोड़ की पहली किश्त जारी की गई है।

उद्योग और खनन

9 अध्याय

9.1 परिचय

औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ पिछले और आगे के सम्पर्क के माध्यम से राज्य उत्पादन और रोज़गार के समग्र विकास को निर्धारित करने में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। वर्तमान औद्योगिक नीति का उद्देश्य एक ऐसा इको सिस्टम बनाना है जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे, समावेशी विकास सुनिश्चित करे तथा औद्योगिक व सेवा क्षेत्र के विकास में संतुलन पैदा करे जिससे हिमाचल निवेश के लिए एक पसंदीदा जगह बने। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए है।

9.2 पिछली यात्रा

पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है।

- नगण्य से प्रांरभ कर हिमाचल की औद्योगिक यात्रा शानदार रही है और इसका उद्देश्य शिखर पर जाना है। भौगोलिक दृष्टि से कठिन प्रदेश होने के बावजूद, हिमाचल एक ऐसा उदाहरण बनकर उभरा है जिसने एक पिछड़े राज्य से निकलकर देश के एक अग्रणी राज्य के रूप में कम समय में अपनी पहचान बनाई है।
- पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले केवल कुछ औद्योगिक उद्यम जैसे नाहन फाउंडरी (नाहन) मोहन मीकिनस ब्रुरी (सोलन) कसौली, मण्डी में द्रंग स्थित नमक की खाने, पालमपुर की रेशम मिल, बिलासपुर व नाहन की बिरोजा व तारपीन इकाईयां, पालमपुर सहकारी चाय फैक्टरी व मण्डी में 4 लघु स्तर के बंदूक बनाने के कारखाने ही औद्योगिकरण के नाम पर प्रदेश में थे।
- पूर्ण राजस्व का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात पूर्ण ढांचागत विकास पर बल दिया गया जिससे कि परवाणू, बरोटीवाला, बिलासपुर शमशी, नगरोटा बगवां, मैहतपुर, चंबाघाट, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर में औद्योगिक क्षेत्र/ बस्तियां बसाई गईं।
- 1978 के पश्चात औद्योगिक विकास ने गति पकड़ी जब जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना शत–प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान से हुई।
- 2003–04 तक औद्योगिक विकास की दर सुस्त रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रदेश को औद्योगिक पैकज 2003 में घोषित किया गया जिससे औद्योगिक क्षेत्र के विकास को गति मिली।
- बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ क्षेत्र पूरे देश में दवा उद्योग के रूप में उभर कर आया।

- 1970 में 7 प्रतिशत से आज सकैंडरी क्षेत्र का प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़कर 39.66 प्रतिशत हो गया है।
- राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व उद्यमियों का विश्वास बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति की महता को पहचाना। प्रारंभ में 1971 में उद्योगों को प्रोत्साहन अधिसूचित किए गए व समय–समय पर इनमें संशोधन किया गया। वर्तमान औद्योगिक नीति अगस्त, 2019 में घोषित की गई। इस नीति के माध्यम से कठिन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए अधिक प्रोत्साहन दिए गए हैं।

9.3 औद्योगिकरण की स्थिति

- 28,000 से अधिक उद्यमों की उपस्थिति।
- औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) की 99 प्रतिशतता, कुल औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) क्षेत्र की रोजगार सृजन में 93 प्रतिशत भागीदारी।
- 60 से अधिक देशों को ₹10,000 करोड़ के मूल्य का वार्षिक निर्यात।

9.4 फार्मा हब

हिमाचल प्रदेश दवा निर्माण इकाईयों केन्द्र के रूप में उभरा है और एशिया में फार्मा उत्पादों की मांग का 35 प्रतिशत पूरा करता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के कारण, बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र को पूरे विश्व में दवाओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र 150 से अधिक सूत्रीकरण दवाओं का निर्माण कर रहा है, जिनकी 200 से अधिक देशों में मांग है।

9.5 खादी और ग्रामोद्योग

हि.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भी ग्रामीण कारीगरों/उद्यमियों को अपने दरवाजे पर सूक्ष्म/ग्राम उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और कौशल का उपयोग करके ग्रामीण औद्योगिकरण और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बोर्ड **''प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम''** को लागू कर रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के जन–जातीय क्षेत्र के भेड़ पालकों को ऊन कताई व इसके उत्पाद तैयार करने की सुविधा प्रदान करते हुए 13 ऊन कताई और इससे सम्बन्धित उत्पादों को तैयार करने के लिए एक प्लांट जन–जातीय और दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। बोर्ड खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन में भी लगा हुआ है।

9.6 औद्योगिक क्षेत्र का रूझान

औधोगिक क्षेत्र का प्रदर्शन इसके सकल राज्य मूल्यवर्धन (जी.वी.ए.) में इसके योगदान के रूप मे वर्ष 2020–21 में वर्ष 2019–20 से घटा है। वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन (जी.एस.वी.ए.) में विर्निमाण क्षेत्र का योगदान वर्ष 2016–17 में 28.94 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 29.18 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2020–21 में यह घटकर 26.94 प्रतिशत हुआ है, यह कोविड–19 के अन्तर्गत किए

गए लॉकडाउन उपायों के कारण हुआ, जिससे औद्योगिक उत्पादन बाधित हुआ। राज्य सरकार इसके योगदान को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें जैसे कि निवेशकों के लिए प्रोत्साहन, व्यापार करने में सुगमता इत्यादि अम्ल में ला रही है। वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में खनन और उत्खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2016–17 में 0.64 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 में 0.25 प्रतिशत रह गया है यह कोविड–19 के प्रभाव के कारण तथा अर्थव्यव्यस्था में अन्य क्षेत्रों के अधिक योगदान करने के कारण हुआ है। यह राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन की जांच के लिए कठोर कार्यवाही के कारण भी हुआ है। इसका विवरण निम्न सारिणी में दिखाया गया है।

सारणी 9.1

वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग एवं खनन का योगदान (प्रतिशत) में

क्षेत्र	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
विर्निमाण	28.94	30.78	31.85	29.18	26.94
खनन और उत्खनन	0.64	0.29	0.27	0.25	0.25

स्रोतः कार्यालय आर्थिक सलाहकार, हिमाचल प्रदेश

9.7 औद्योगिक क्षेत्रों / सम्पदाओं का विकास

प्रदेश के अस्तित्व में आने के पश्चात अब तक उद्योग विभाग के पास औद्योगिक विकास के लिए लगभग 3,000 एकड़ भूमि ही थी, परन्तु चालू वित्त वर्ष में सरकार ने उद्योग विभाग को लगभग 2,800 एकड़ भूमि का लैण्ड बैंक, भविष्य में होने वाले औद्योगिक विकास के लिए बनाया है।

9.8 निवेश को आकर्षित करना

प्रदेश की आर्थिकी को बढ़ाने व रोजगार के नए अवसरों के सृजन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 को प्रथम वैश्विक निवेशक सम्मेलन व प्रथम ग्रांउड ब्रेकिंग समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹13,600 करोड़ के निवेश के साथ 236 उद्यम सफलतापूर्वक स्थापित हुए।

9.9 प्रधानमंत्री फौरमलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्यम योजना

आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत Prime Minister Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFMFPE) योजना आरंभ की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य आधारित असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान कर संगठित क्षेत्र में लाना है। विभाग द्वारा इस योजना को हिमाचल में कार्यान्वित करने के लिए तत्तपरता से कार्य किया जा रहा है।

9.10 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना

मुख्यमंत्री स्वावलबंन योजना के अंतर्गत अब तक 3,000 प्रोजेक्ट बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह हिमाचली युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए चलाई गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना अत्यधिक लोकप्रिय हुई व कोविड आपदा के बावजूद इसमें होने वाले स्वीकृत केसों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। योजना को अब ऑनलाइन किया गया है। अनुदान की 60 प्रतिशत फ्रंट लोडिंग का प्रावधान भी कर दिया गया है।

9.11 खनन

पारदर्शिता व समय की बचत के लिए खनन पट्टा स्वीकृति की समस्त प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अवैध खनन को रोकने के लिए प्रावधान कड़े किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जुर्माना ₹25,000 से बढ़ाकर ₹5,00,000 व सजा 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष या दोनों एक साथ करने का प्रावधान किया गया है। पिछले नियमों के अनुसार प्रदेश के नदी नालों में मशीनों द्वारा किए गए अवैध खनन के लिए न्युनतम ₹25,000 की जुर्माना राशि वसूल किए जाने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब ₹50,000 कर दिया गया है। अवैध खनन की रोकथाम हेतु जहां एक ओर सरकार नियमों में संशोधन करने के उपरांत अवैध खनन में संलिप्त दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए पग उठा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में वैध तरीके से खनिज सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण प्रयास कर रही है। प्रदेश के सीमावर्ती जिले, जिनमें कांगड़ा, ऊना, सोलन व सिरमौर प्रमुख रूप से आते हैं, अवैध खनन के लिए संवेदनशील बने रहते है। सरकार द्वारा आरम्भ में उक्त सीमावर्ती जिलों के संवेदनशील कुछ क्षेत्रो में 10 खनन चौकियां/ भारोत्तोलक चौकियां स्थापित करने का निर्णय लिया। इसी निर्णय के अनुरूप प्रदेश में सोलन में 1 एवं ऊना में 5 खनन / भारोत्तोलक चौंकियां स्थापित कर दी गई हैं। अवैध खनन को रोकने की दिशा में सभी पट्टा धारकों को अपने पटटा क्षेत्र में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

9.12 व्यापार करने में सुगमता

हिमाचल प्रदेश अपने मूल्यांकन के विभिन्न मापदंडों पर अपने प्रदर्शन में सुधार करके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर नई प्रगति कर रहा है। हाल ही में, सरकार ने कई उद्योगों के लिए विशिष्ट सुधार की पहल की है, जैसे कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम, ई.सी. जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और अनुच्छेद–118 (यू/एस 118) के तहत भूमि खरीदने की अनुमति, एच.पी. एम.एस.एम.ई. (स्थापना और संचालन की सुविधा) अधिनियम, 2019 आदि शामिल है। इसके साथ–साथ परियोजना कार्यान्वयन निगरानी ''हिम प्रगति पोर्टल'' के माध्यम से की जा रही है जिससे समग्र कारोवारी माहौल में काफी सुधार किया है। सरकार द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग के अन्तर्गत राज्य ने देश में 7वां स्थान हासिल किया है। यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, क्योंकि राज्य की पिछली रैंकिंग 16वीं थी। राज्य देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इस बेहतर रैंकिंग से प्रदेश में औद्योगिक निवेश का अच्छा वातावरण बनेगा।

9.13 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) औद्योगिक विकास को मापने के लिए एक पैमाना है, इसमें पिछली अवधि की तुलना में विशिष्ट अवधि के दौरान उद्योग के क्षेत्र मे भौतिक उत्पादन के सापेक्ष परिवर्तन शामिंल हैं। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक

क्षेत्र के योगदान का अनुमान लगाना है। राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) आधार वर्ष 2011–12 पर संकलित किया जा रहा है। विनिर्माण, खनन, उत्खनन और बिजली की चयनित इकाईयों से आंकड़ों को एकत्रित करके औद्योगिक उत्पादन के त्रैमासिक अनुमान तैयार किए जाते हैं, त्रैमासिक सूचकांको के आधार पर वार्षिक सूचकांक तैयार किए गए हैं, जिन्हें निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

सारणी 9.2
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

वर्ष	खनन	विनिर्माण	बिजली	सामान्य
2018–19	88.2	155.2	335.6	192.3
2019–20	89.1	157.8	478.0	223.9
2020–21*	85.0	139.2	719.8	259.5

- सूचकांक दो तिमाहियों के औसत हैं अर्थात जून और सितम्बर,2020.

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

वर्ष 2019–20 में सामान्य सूचकांक 192.3 से बढ़कर 223.9 हो गया है, जोकि 16.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, विद्युत उत्पादन मुख्य रूप से इस वृद्धि का कारक है जिससे कि औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास हुआ है। वर्ष 2020–21 के सूचकांकों को दो तिमाहियों (जून और सितम्बर, 2020) के आधार पर तैयार किया गया है। 2019–20 के जून तिमाही सूचकांकों की तुलना में 2020–21 की समान तिमाही के साथ खनन और विनिर्माण सूचकांकों में गिरावट देखी गई है यह कोविड–19 के अन्तर्गत किए गए लॉकडाउन उपायों के कारण हुआ, जिससे औद्योगिक उत्पादन बाधित हुआ, इसके बाद 2020–21 की सितम्बर तिमाही में खनन और विनिर्माण दोनों क्षेत्रों में मामूली वृद्धि हुई है, जो एक V प्रकार की आर्थिक प्रगति का संकेत है।

आकृति–। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

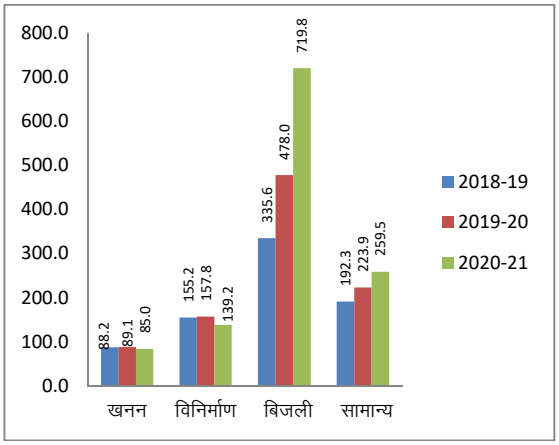

श्रम और रोजगार

10 अध्याय

10.1 रोजगार

2011 जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 30.05 प्रतिशत मुख्य कामगार, 21.80 प्रतिशत सीमांत कामगार तथा शेष 48.15 गैर कामगार थे। कुल कामगारों (मुख्य+सीमांत) में से 57.93 प्रतिशत काश्तकार, 4.92 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 1.65 प्रतिशत गृह उद्योग इत्यादि तथा 35.50 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में कार्यरत थे। राज्य में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 विश्वविद्यालयों में रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र और 65 उप–रोजगार कार्यालय, विकलांगों के लिए निदेशालय में एक विशेष रोजगार कार्यालय, एक केन्द्रीय रोजगार कक्ष निदेशालय में जो पूरे प्रदेश के युवाओं को व्यावसायिक एवं रोजगार परामर्श सम्बन्धित जानकारी के साथ–साथ रोजगार बाजार की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु कार्यरत है। सभी 77 रोजगार कार्यालयों को कम्पयूटराईज किया जा चुका है।

10.2 न्यूनतम मजदूरी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अन्तर्गत कामगारों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। राज्य सरकार ने दिनांक 01.04.2020 से अकुशल कामगारों का वेतन ₹250 से ₹275 प्रतिदिन अथवा ₹7,500 से ₹8,250 प्रतिमाह किया गया है। वर्तमान में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सभी 19 अनुसूचित व्यवसायों के लिए निर्धारित कर दिया गया है।

10.3 रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

वर्ष 1960 से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार आंकड़े जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं। प्रदेश में 30.06.2019 तक सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कामगारों की संख्या 2,75,419 है जिनमें निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 1,80,410 और सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 4,407 व निजी क्षेत्र में कुल 1,814 उद्यम है।

10.4 व्यावसायिक मार्गदर्शन

श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं को व्यावसायिक /आजीविका मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इन व्यावसायिक/आजीविका कार्यक्रमों में श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों/सक्षम कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य विभागों/संस्थानों के अधिकारी/प्रतिनिधियों आदि द्वारा युवाओं के हितों में क्रियान्वित योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे मे जानकारी प्रदान करने के साथ साथ कौशल विकास, आजीविका विकल्पों, रोजगार एवं स्वरोजगार अवसरों आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 404 कैम्प आयोजित किए गए जिसमें 47,202 युवाओं ने भाग लिया। इस वित्तीय वर्ष में 31.12.2020 तक कोविड–19 की

वजह से व्यवसायिक/आजीविका मार्गदर्शन कैंपों का आयोजन नहीं किया जा सका। परन्तु वित्तीय वर्ष रोजगार कार्यालय में आने वाले 3,447 युवाओं को व्यक्तिगत परामर्श प्रदान किया गया हैं ।

10.5 केन्द्रीय रोजगार कक्ष

हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकी रूप से कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में श्रम एवं रोजगार निदेशालय में गठित केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष 2020–21 में भी अपनी सेवाएं देता रहा है। इस प्रकार इस योजना द्वारा एक ओर रोजगार इच्छुक लोगों को उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है तथा दूसरी ओर नियोक्ता को बिना धन व समय बर्बाद किए उचित कामगार उपलब्ध होते हैं। केन्द्रीय रोजगार कक्ष निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की अकुशल कामगारों की मांग हेतु कैम्पस साक्षात्कार करवाता है। इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2020 तक केन्द्रीय रोजगार कक्ष के माध्यम से 55 कैंम्पस साक्षात्कार करवाये गये, जिसमें से 574 आवेदकों की नियुक्तियां की गई है केन्द्रीय रोजगार कक्ष राज्य में रोजगार मेलों का आयोजन करता है परन्तु कोविड–19 की वजह से 31 दिसम्बर, 2020 तक किसी भी मेले का आयोजन नही किया गया।

10.6 विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगों हेतु)

सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोजगार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी के अधीन वर्ष 1976 से विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यागों हेतु) की स्थापना की गई। यह कक्ष दिव्यागों को आवेदन करने पर व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता करता है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधाएं/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड जोकि जिला एवं राज्य स्तर पर गठित है द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षा, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, ऊपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 4 प्रतिशत का आरक्षण इत्यादि शामिल है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2020 तक सक्रिय पंजिका में 1,321 दिव्यांगों को पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या 18,936 हो गई है तथा 11 दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाए गए है।

10.7 कर्मचारी भविष्य निधि एवं बीमा योजना

राज्य कर्मचारी बीमा योजना सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, नालागढ़, बद्दी जिला सोलन, मैहतपुर, गगरेट, बाथरी जिला ऊना, पांवटा साहिब, काला अम्ब जिला सिरमौर, गोलथाई जिला बिलासपुर, मण्डी, रती, नैर चौक, भंगरोटू, चक्कर व गुटकर, जिला मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र शोघी व शिमला नगर–निगम क्षेत्र जिला शिमला में लागू हैं। राज्य के लगभग 11,794 संस्थानों में 3,14,720 बीमा कामगार/ कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए गए तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत 20,511 संस्थानों में कार्यरत 17,09,604 कामगारों को मार्च, 2020 लाया गया।

10.8 भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियम) अधिनियम–1996 व उपकर अधिनियम–1996

इस अधिनियम के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाओं जिसमें मातृत्व/ पैतृत्व लाभ, सेवानिवृति पेंशन, पारिवारिक पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, स्वयं व दो बच्चों तक की शादी हेतु आर्थिक सहायता, कौशल विकास भत्ता, महिला कामगारों को साईकल व वॉशिंग मशीन, इंडक्शन हीटर, सोलर कूकर व सोलर लैम्प इत्यादि देने का प्रावधान किया गया है। दिसम्बर, 2020 तक 2,199 संस्थान व 2,88,766 लाभार्थी हि.प्र. भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत किये गये हैं तथा कुल ₹257.54 करोड़ की राशि बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को बांटी गयी है और लगभग ₹632.01 करोड़ की धनराशि हि.प्र. भवन एंव सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड शिमला के पास जमा हुई है।

10.9 कौशल विकास भत्ता योजना

कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में ₹100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के पात्र बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल विकास हेतु भत्ते का प्रावधान है ताकि उनकी कौशल विकास व रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़ सके। यह भत्ता बेरोजगार व्यक्ति को ₹1,000 प्रतिमाह देय है और 50 प्रतिशत या इसके अधिक स्थायी दिव्यांग आवेदकों को ₹1,500 प्रति माह की दर से कौशल विकास प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2020 तक 42,859 अभियार्थियों को ₹19.28 करोड़ कौशल विकास भत्ता दिया गया। विभाग **औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना,2018** को भी लागू कर रहा है। इस योजना के तहत कौशल उन्नयन और बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए राज्य के निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे, रोजगार प्राप्त युवाओं को औद्योगिक कौशल विकास भत्ते का प्रावधान है। इस योजना के तहत वितरण मापदंड कौशल विकास भत्ता योजना के अनुरूप है और इसके तहत इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर,2020 तक 297 लाभार्थियों को ₹10.95 लाख की राशि का वितरण किया गया।

10.10 बेरोजगारी भत्ता योजना

बेरोजगारी भत्ता योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹40.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिमाचली बेरोज़गारों को बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। यह भत्ता ₹1,000 प्रतिमाह देय है तथा 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी विकलांग आवेदकों को ₹1,500 प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्ष तक देय है। दिसम्बर,2020 तक कुल 65,288 बेरोजगारों को ₹34.09 करोड़ का भत्ता दिया गया।

10.11 रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी सूचना

इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2020 तक कुल 96,026 आवेदक रोजगार सहायता हेतु पंजीकृत हुए तथा इस अवधि में 867 नियुक्तियां सरकारी क्षेत्र में 3,266 अधिसूचित रिक्तियों के समकक्ष हुई व 637 नियुक्तियां निजी क्षेत्र में 4,438 अधिसूचित रिक्तियों के समकक्ष हुई। सभी रोजगार कार्यालयों में दिसम्बर, 2020 तक

सक्रिय पंजिका में कुल संख्या 8,27,712 थी। इस वित्त वर्ष में जिलावार रोजगार केन्द्रों में अप्रैल से दिसम्बर, 2020 तक पंजीकरण एवं नियुक्तियां निम्न सारणी संख्या 10.1 में दर्शाई गई है:–

सारणी 10.1

जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियां	नियोजन		सकिय पंजिका
			सरकारी	निजी	
बिलासपुर	6,654	0	8	0	55,255
चम्बा	6,619	1,878	9	184	60,648
हमीरपुर	7,757	24	81	0	64,044
कांगड़ा	19,793	226	135	61	1,77,404
किन्नौर	2,822	0	0	0	8,235
कुल्लू	5,859	0	12	28	52,788
लाहौल स्पिति	140	0	0	0	5,028
मण्डी	20,600	124	136	122	1,54,693
शिमला	7,100	1,763	20	23	73,921
सिरमौर	6,186	778	78	77	57,493
सोलन	6,000	2,559	22	53	53,935
ऊना	6,496	352	366	89	64,268
हिमाचल प्रदेश	**96,026**	**7,704**	**867**	**637**	**8,27,712**

नोटः नियुक्ति आंकडों में वे नियुक्तियां आंकड़े सम्मलित नहीं है जोकि अन्य विभागों बोर्डो, निगमों एवं हि.प्र. लोक सेवा आयोग व हि.प्र. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधे एवं प्रतियोगिता आधार पर की गई है।

10.12 रोजगार परिदृश्यः हिमाचल प्रदेश, पड़ोसी राज्य और भारत

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल. एफ.एस.) एक नई श्रृंखला है जिसे भारत सरकार ने 2017 में पंचवार्षिक रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.), जो की अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) के अंतर्गत, बंद करके शुरू किया जो वार्षिक आधार पर श्रम बल डेटा प्रदान करता है। पी.एल.एफ.एस. डेटा अब राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। भारत सरकार ने मई 2019 में पहली आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण(पी.एल.एफ.एस.) 2017–18 रिपोर्ट जारी की, जो कि एन. एस.ओ. द्वारा जुलाई 2017 से जून 2018 तक किए गए सर्वेक्षण और जून 2020 में दूसरी पी.एल.एफ.एस. 2018–19 रिपोर्ट, जो एन.एस.ओ. द्वारा जुलाई 2018 से जून 2019 तक आयोजित किया गए सर्वेक्षण पर आधारित है। गतिविधि की स्थिति द्वारा जनसंख्या के वर्गीकरण के लिए सर्वेक्षण में अपनाई गई सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस) दृष्टिकोण और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण के आधार पर श्रम बल संकेतकों का अनुमान। सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) दृष्टिकोण के लिए संदर्भ अवधि एक वर्ष है और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण के लिए एक सप्ताह है।

10.13 हिमाचल प्रदेश में लेबर फोर्स

हिमाचल प्रदेश में श्रम बल की स्थिति का अंदाजा, श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ. पी.आर.), श्रमिक जनसंख्या दर (डब्लू.पी. आर.), दैनिक मजदूरी दर और औद्योगिक संबंधों में रुझानो से लगाया जा सकता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018–19 (पी.एल.एफ.एस.) के अनुसार, श्रम बल का गठन वे व्यक्ति जो काम कर रहे थे (या कार्यरत हैं) या 'काम की खोज या काम के लिए उपलब्ध (या बेरोजगार) हैं करते हैं। श्रम बल या दूसरे शब्दों में, आर्थिक रूप से सक्रिय 'आबादी, उस आबादी को संदर्भित करती है जो उत्पादन के लिए श्रम की आपूर्ति करती है या आपूर्ति करना चाहती है और इसलिए यह 'नियोजित 'और 'बेरोजगार' दोनों व्यक्तियों को शामिल करती है। श्रम बल भागीदारी दर को ´आबादी में व्यक्तियों के बीच श्रम बल में व्यक्तियों का प्रतिशत´ के रूप में परिभाषित किया गया है।

सारिणी 10.2 पी.एल.एफ.एस. के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और भारत में 2017–18 और 2018–19 में एल.एफ.पी.आर. प्रस्तुत करता है। 2017–18 की तुलना में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और भारत में 2018–19 में सभी उम्र के एल.एफ.पी.आर. में वृद्धि हुई है। 2018–19 में, हिमाचल प्रदेश (52.8) के लिए एल.एफ.पी.आर. (सभी उम्र) उत्तराखंड (34.3), पंजाब (37.4), हरियाणा (34.3) और सभी भारत (37.5) की दर से अधिक है।

सारिणी 10.2: हिमाचल प्रदेश के लिए सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.) (प्रतिशत में)

क्रम संख्या	आयु के अनुसार समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी			ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी		
		पी.एल.एफ.एस.(2017–18)									पी.एल.एफ.एस.(2018–19)								
		हिमाचल प्रदेश									हिमाचल प्रदेश								
		पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति
1	15–29 वर्ष	54.2	36.6	45.2	61.9	17.6	44.4	55.4	34.7	45.1	53.1	45.5	49.5	55.1	25.4	42.2	53.3	43.1	48.6
2	15–59 वर्ष	81.5	56.7	68.5	80.3	26.0	56.2	81.4	53.8	67.1	80.3	67.5	73.8	78.4	34.1	58.0	80.1	64.1	72.1
3	15 वर्ष या अधिक	75.9	52.0	63.5	75.3	24.7	52.9	75.8	49.6	62.4	76.1	62.1	68.9	73.4	31.4	53.8	75.8	59.2	67.4
4	सभी उम्र	**58.7**	**41.6**	**50.0**	**58.7**	**19.5**	**41.5**	**58.7**	**39.7**	**49.1**	**59.1**	**49.0**	**54.0**	**56.7**	**25.8**	**42.7**	**58.8**	**46.9**	**52.8**
		उत्तराखंड									उत्तराखंड								
1	15–29 वर्ष	43.1	12.2	27.4	47.2	13.5	31.1	44.4	12.6	28.5	48.9	15.4	31.5	56.4	18.1	40.1	51.3	16.1	33.9
2	15–59 वर्ष	74.3	22.3	48.0	75.3	13.8	45.5	74.6	19.8	47.2	74.9	23.2	48.4	77.7	17.4	49.2	75.8	21.6	48.6
3	15 वर्ष या अधिक	69.1	20.3	44.5	71.3	12.3	42.5	69.8	18.1	43.9	71.3	20.8	45.4	72.7	15.5	45.6	71.7	19.4	45.4
4	सभी उम्र	**51.1**	**15.4**	**33.3**	**55.3**	**9.5**	**32.9**	**52.3**	**13.7**	**33.2**	**52.3**	**16.1**	**34.2**	**54.6**	**11.8**	**34.3**	**53.0**	**15.0**	**34.3**
		पंजाब									पंजाब								
1	15–29 वर्ष	59.3	9.3	36.8	65.4	18.5	44.6	61.5	12.7	39.7	59.7	13.8	39.0	65.4	19.7	45.2	61.9	16.0	41.4
2	15–59 वर्ष	78.3	15.4	47.9	82.7	20.3	53.3	80.0	17.2	49.9	77.9	20.9	50.5	83.1	21.3	54.2	80.0	21.1	51.9
3	15 वर्ष या अधिक	72.9	14.0	44.5	78.2	18.2	49.6	74.9	15.5	46.5	72.0	18.9	46.3	77.0	19.3	50.0	73.9	19.1	47.7
4	सभी उम्र	**58.6**	**11.1**	**35.6**	**60.2**	**14.2**	**38.4**	**59.2**	**12.3**	**36.7**	**56.7**	**15.0**	**36.6**	**59.1**	**15.0**	**38.6**	**57.7**	**15.0**	**37.4**
		हरियाणा									हरियाणा								
1	15–29 वर्ष	60.1	12.8	38.8	61.1	11.5	38.2	60.5	12.3	38.6	61.5	8.2	37.9	58.8	15.5	40.3	60.6	10.6	38.7
2	15–59 वर्ष	78.9	16.5	49.5	79.8	15.3	49.3	79.2	16.0	49.4	80.0	15.1	49.3	79.3	21.0	52.5	79.7	17.1	50.4
3	15 वर्ष या अधिक	73.9	14.7	45.5	74.8	13.7	45.5	74.3	14.3	45.5	74.7	13.7	45.3	73.9	18.5	48.0	74.4	15.3	46.2
4	सभी उम्र	**52.6**	**10.8**	**32.8**	**55.9**	**10.5**	**34.5**	**53.7**	**10.7**	**33.4**	**53.7**	**10.1**	**32.9**	**56.8**	**14.4**	**37.2**	**54.8**	**11.5**	**34.3**
		भारत									भारत								
1	15–29 वर्ष	58.9	15.9	38.1	58.5	17.5	38.5	58.8	16.4	38.2	58.8	15.8	37.8	58.6	17.1	38.7	58.8	16.2	38.1
2	15–59 वर्ष	80.2	26.6	53.6	80.1	22.3	51.6	80.2	25.3	53.0	80.6	28.3	54.5	79.6	22.5	51.6	80.3	26.5	53.6
3	15 वर्ष या अधिक	76.4	24.6	50.7	74.5	20.4	47.6	75.8	23.3	49.8	76.4	26.4	51.5	73.7	20.4	47.5	75.5	24.5	50.2
4	सभी उम्र	**54.9**	**18.2**	**37.0**	**57.0**	**15.9**	**36.8**	**55.5**	**17.5**	**36.9**	**55.1**	**19.7**	**37.7**	**56.7**	**16.1**	**36.9**	**55.6**	**18.6**	**37.5**

स्रोत : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2017–18 और 2018–19

10.14 श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर.)

डब्ल्यू.पी.आर. एक संकेतक है जिसका उपयोग रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने और आबादी का अनुपात जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय योगदान देता है, को जानने के लिए किया जाता है। डब्ल्यू. पी.आर. को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। सारिणी 10.3 हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात को दर्शाता है। यह सभी उम्र वर्ग में स्पष्ट है कि 2018–19 में हिमाचल प्रदेश का प्रर्दशन (50.1) उत्तराखंड (31.2), पंजाब (34.6), हरियाणा (31.1) और पुरे भारत (35.3) से बेहतर है। सर्वेक्षण के नतीजों से स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाएं (44.6 प्रतिशत) अखिल भारतीय स्तर पर और पड़ोसी राज्यों में अपने समकक्षों की तुलना में आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले रहीं हैं। 2017–18 में कर्मचारी जनसंख्या अनुपात (डब्लू.पी. आर.) सामान्य स्थिति (पी.एस+एस.एस.) में लगभग 46.4 प्रतिशत था जो कि 2018–19 में 50.1 प्रतिशत हो गया है। 2017–18 में ग्रामीण क्षेत्रों में यह 47.4 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 37.9 प्रतिशत था, जो एक साथ बढ़कर 51.4 प्रतिशत और 39 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण पुरुषों के लिए सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस) में डब्ल्यू.पी.आर. 2017–18 में 55.1 प्रतिशत से बढ़ कर 2018–19 में 56 प्रतिशत हो गया है और ग्रामीण महिलाओं के लिए यह 2017–18 में 40 प्रतिशत से बढ़ कर 2018–19 में 46.9 प्रतिशत हो गया है ।

चित्र 10.1 सभी उम्र वर्ग में महिला कार्य सहभागिता दर (ग्रामीण+शहरी) 2018–19

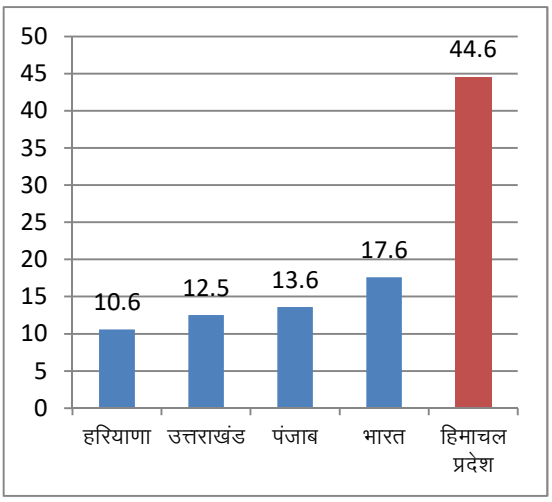

सारिणी 10.3: हिमाचल, पड़ोसी राज्यों और सभी भारत के लिए सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) के अनुसार श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू.पी.आर.) (प्रतिशत में)

क्रम संख्या	आयु के अनुसार समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी			ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी		
		पी.एल.एफ.एस.(2017–18)									पी.एल.एफ.एस.(2018–19)								
		हिमाचल प्रदेश									हिमाचल प्रदेश								
		पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति
1	15–29 वर्ष	42.7	32.0	37.2	50.4	9.5	34.2	43.9	29.7	36.8	42.1	38.2	40.3	46.7	17.2	33.9	42.7	35.7	39.5
2	15–59 वर्ष	75.8	54.2	64.5	74.1	22.2	51.1	75.6	51.2	63.0	75.4	64.2	69.8	73.0	28.8	52.6	75.1	60.6	67.9
3	15 वर्ष या अधिक	71.2	50.0	60.2	69.8	21.3	48.3	71.0	47.5	58.9	72.1	59.4	65.6	68.6	26.7	49.0	71.7	56.3	63.9
4	सभी उम्र	**55.1**	**40.0**	**47.4**	**54.3**	**16.9**	**37.9**	**55.0**	**37.9**	**46.4**	**56.0**	**46.9**	**51.4**	**53.0**	**21.9**	**39.0**	**55.6**	**44.6**	**50.1**
		उत्तराखंड									उत्तराखंड								
1	15–29 वर्ष	31.7	8.4	19.9	36.6	7.1	22.5	33.3	8.0	20.7	42.3	9.0	25.0	43.5	8.0	28.4	42.7	8.8	26.0
2	15–59 वर्ष	68.9	20.5	44.4	69.8	10.5	41.1	69.2	17.6	43.4	70.6	19.9	44.6	69.5	12.1	42.4	70.3	17.8	44.0
3	15 वर्ष या अधिक	64.5	18.8	41.5	66.2	9.4	38.5	65.0	16.1	40.6	67.6	18.1	42.1	65.3	10.8	39.5	66.9	16.2	41.4
4	सभी उम्र	**47.7**	**14.2**	**31.0**	**51.4**	**7.3**	**29.8**	**48.8**	**12.3**	**30.7**	**49.6**	**14.0**	**31.8**	**49.1**	**8.2**	**29.7**	**49.4**	**12.5**	**31.2**
		पंजाब									पंजाब								
1	15–29 वर्ष	47.1	5.3	28.3	54.5	12.6	35.9	49.9	8.0	31.1	47.0	9.1	29.9	55.1	14.7	37.3	50.1	11.2	32.7
2	15–59 वर्ष	72.1	13.7	43.8	77.0	17.4	48.9	74.0	15.1	45.8	71.5	19.1	46.2	77.8	18.8	50.2	74.0	19.0	47.8
3	15 वर्ष या अधिक	67.2	12.5	41.1	73.1	15.7	45.8	69.8	13.7	42.9	66.6	17.3	42.7	72.4	17.1	46.5	68.8	17.3	44.2
4	सभी उम्र	**54.3**	**9.9**	**32.8**	**56.3**	**12.3**	**35.5**	**55.1**	**10.8**	**33.8**	**52.4**	**13.8**	**33.8**	**55.5**	**13.3**	**35.9**	**53.6**	**13.6**	**34.6**
		हरियाणा									हरियाणा								
1	15–29 वर्ष	46.9	9.0	29.8	53.1	7.3	32.0	49.1	8.4	30.6	45.9	6.3	28.4	49.5	12.5	33.7	47.1	8.3	30.1
2	15–59 वर्ष	71.4	14.8	44.7	74.9	13.4	45.8	72.6	14.3	45.1	71.4	14.0	44.3	72.1	19.1	47.8	71.7	15.7	45.5
3	15 वर्ष या अधिक	67.2	13.2	41.3	70.3	12.1	42.4	68.3	12.8	41.7	67.2	12.8	41.0	67.5	16.8	43.8	67.3	14.1	41.9
4	सभी उम्र	**47.8**	**9.6**	**29.7**	**52.3**	**9.3**	**32.0**	**49.4**	**9.5**	**30.5**	**48.3**	**9.4**	**29.8**	**51.9**	**13.2**	**34.0**	**49.5**	**10.6**	**31.1**
		भारत									भारत								
1	15–29 वर्ष	48.6	13.8	31.8	47.6	12.8	30.6	48.3	13.5	31.4	49.1	13.6	31.7	47.6	12.7	30.9	48.6	13.3	31.5
2	15–59 वर्ष	75.2	25.5	50.5	74.2	19.8	47.3	74.9	23.8	49.5	75.8	27.2	51.5	73.7	20.2	47.5	75.1	25.0	50.3
3	15 वर्ष या अधिक	72.0	23.7	48.1	69.3	18.2	43.9	71.2	22.0	46.8	72.2	25.5	48.9	68.6	18.4	43.9	71.0	23.3	47.3
4	सभी उम्र	**51.7**	**17.5**	**35.0**	**53.0**	**14.2**	**33.9**	**52.1**	**16.5**	**34.7**	**52.1**	**19.0**	**35.8**	**52.7**	**14.5**	**34.1**	**52.3**	**17.6**	**35.3**

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2017–18 और 2018–19

10.15 बेरोजगारी दर

बेरोजगारी दर (यू.आर.) को श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे पी.एल.एफ.एस. सर्वेक्षणों में सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस. एस.) और साप्ताहिक स्थिति के संदर्भ में मापा जाता है जिसे सारणी 10.4 में दर्शाया गया है। यह श्रम बल के उस हिस्से को दर्शाता है जो सक्रिय रूप से काम की तलाश में हैं या उपलब्ध हैं । आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ. एस.) 2018–19 के अनुसार सभी राज्यों और अखिल भारत में सामान्य स्थिति (पी.एस+एस.एस.) के तहत हिमाचल में बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत (सबसे कम) है, जबकि अखिल भारतीय 5.8 प्रतिशत, उत्तराखंड 8.9 प्रतिशत, पंजाब 7.4 प्रतिशत, हरियाणा 9.2 प्रतिशत है (चित्र 10.2)

चित्र 10.2: बेरोजगारी दर (यू.आर.) सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) के अनुसार सभी आयु के व्यक्तियों के लिए प्रतिशत में

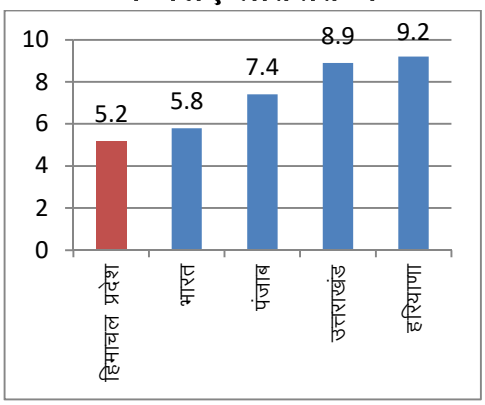

हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 2017–18 में 5.5 प्रतिशत से घटकर 2018–19 में 5.2 प्रतिशत हो गई है। सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर पुरुषों के बीच 5.3 प्रतिशत और महिलाओं में 4.3 प्रतिशत थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में यह दर 6.5 प्रतिशत और महिलाओं में 14.9 प्रतिशत थी।

सारिणी 10.4 : हिमाचल, पड़ोसी राज्यों और अखिल भारतीय के लिए सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) के अनुसार बेरोजगारी दर (यू.आर.) (प्रतिशत में)

क्रम संख्या	आयु के अनुसार समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी			ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण+शहरी		
		पी.एल.एफ.एस.(2017–18)									पी.एल.एफ.एस.(2018–19)								
		हिमाचल प्रदेश									हिमाचल प्रदेश								
		पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति
1	15–29 वर्ष	21.3	12.7	17.7	18.6	46.0	22.9	20.8	14.4	18.4	20.7	15.9	18.6	15.2	32.2	19.6	20.0	17.0	18.8
2	15–59 वर्ष	7.0	4.3	5.9	7.8	14.5	9.2	7.1	4.8	6.2	6.1	4.8	5.5	6.9	15.7	9.3	6.2	5.4	5.8
3	15 वर्ष या अधिक	6.2	3.9	5.2	7.4	13.7	8.7	6.3	4.3	5.5	5.3	4.3	4.8	6.5	14.9	8.8	5.4	4.8	5.1
4	सभी उम्र	**6.2**	**3.9**	**5.2**	**7.4**	**13.7**	**8.7**	**6.4**	**4.3**	**5.5**	**5.3**	**4.3**	**4.8**	**6.5**	**14.9**	**8.8**	**5.4**	**4.8**	**5.2**
		उत्तराखंड									उत्तराखंड								
1	15–29 वर्ष	26.3	30.8	27.4	22.4	47.8	27.7	25.0	36.1	27.5	13.5	41.3	20.6	22.9	55.8	29.2	16.8	45.3	23.5
2	15–59 वर्ष	7.2	7.9	7.4	7.3	23.9	9.7	7.2	11.1	8.0	5.7	14.0	7.8	10.5	30.2	13.8	7.2	17.5	9.5
3	15 वर्ष या अधिक	6.7	7.6	6.9	7.1	23.8	9.5	6.8	10.7	7.6	5.2	13.3	7.1	10.2	30.2	13.4	6.7	16.8	8.9
4	सभी उम्र	**6.7**	**7.6**	**6.9**	**7.1**	**23.8**	**9.5**	**6.8**	**10.7**	**7.6**	**5.3**	**13.3**	**7.2**	**10.2**	**30.0**	**13.4**	**6.7**	**16.8**	**8.9**
		पंजाब									पंजाब								
1	15–29 वर्ष	20.5	43.5	23.1	16.6	32.2	19.5	18.9	37.4	21.6	21.3	34.3	23.4	15.7	25.2	17.5	19.0	30.2	21.0
2	15–59 वर्ष	7.9	11.0	8.4	6.9	14.2	8.2	7.5	12.4	8.3	8.3	8.9	8.4	6.4	11.8	7.4	7.5	10.0	8.0
3	15 वर्ष या अधिक	7.2	10.3	7.6	6.5	13.5	7.7	6.9	11.7	7.7	7.6	8.3	7.7	6.0	11.3	7.0	6.9	9.4	7.4
4	सभी उम्र	**7.4**	**10.3**	**7.8**	**6.5**	**13.5**	**7.7**	**7.0**	**11.7**	**7.8**	**7.6**	**8.3**	**7.7**	**6.1**	**11.3**	**7.0**	**7.0**	**9.4**	**7.4**
		हरियाणा									हरियाणा								
1	15–29 वर्ष	22.0	29.4	23.1	13.1	36.1	16.3	18.9	31.6	20.7	25.3	22.9	25.1	15.9	19.4	16.5	22.2	21.2	22.1
2	15–59 वर्ष	9.5	10.3	9.7	6.2	12.2	7.1	8.4	11.0	8.8	10.7	7.3	10.2	9.0	9.0	9.0	10.1	8.0	9.8
3	15 वर्ष या अधिक	9.0	9.9	9.2	6.0	12.0	6.9	8.0	10.6	8.4	10.0	6.7	9.6	8.7	8.9	8.7	9.6	7.6	9.3
4	सभी उम्र	**9.0**	**11.0**	**9.3**	**6.5**	**12.0**	**7.3**	**8.1**	**11.4**	**8.6**	**10.0**	**6.7**	**9.5**	**8.6**	**8.9**	**8.7**	**9.6**	**7.6**	**9.2**
		भारत									भारत								
1	15–29 वर्ष	17.4	13.6	16.6	18.7	27.2	20.6	17.8	17.9	17.8	16.6	13.8	16.0	18.7	25.7	20.2	17.2	17.7	17.3
2	15–59 वर्ष	6.3	4.0	5.7	7.3	11.3	8.2	6.6	6.0	6.5	6.0	3.8	5.4	7.4	10.3	8.0	6.5	5.5	6.2
3	15 वर्ष या अधिक	5.7	3.8	5.3	6.9	10.8	7.7	6.1	5.6	6.0	5.5	3.5	5.0	7.0	9.8	7.6	6.0	5.1	5.8
4	सभी उम्र	**5.8**	**3.8**	**5.3**	**7.1**	**10.8**	**7.8**	**6.2**	**5.7**	**6.1**	**5.6**	**3.5**	**5.0**	**7.1**	**9.9**	**7.7**	**6.0**	**5.2**	**5.8**

स्रोत : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2017–18 और 2018–19

सारिणी 10.5: प्रमुख श्रम बल संकेतकों की वास्तुकला नीचे दी गई है

गतिविधि प्रोफाइल	प्रमुख श्रम बल संकेतक
श्रमिक	• श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.)= कार्यरत व्यक्तियों की संख्या + बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या / कुल जनसंख्या X 100
	• श्रमिक जनसंख्या अनुपात(डब्ल्यू.पी.आर.)= नियोजित व्यक्तियों की संख्या / कुल जनसंख्या X 100
बेरोजगार	• आनुपातिक बेरोजगार (पी.यू.)= बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या /कुल जनसंख्या X 100
श्रम बल में नहीं	• बेरोजगारी दर (यू.आर.)= बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या / नियोजित व्यक्तियों की संख्या + बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या / कुल जनसंख्या X 100

चित्र 10.3: पी.एल.एफ.एस. (2017–18) और पी.एल.एफ.एस. (2018–19) के दौरान सामान्य स्थिति (पी.एस.+एस.एस.) के अनुसार बेरोजगारी दर (प्रतिशत)

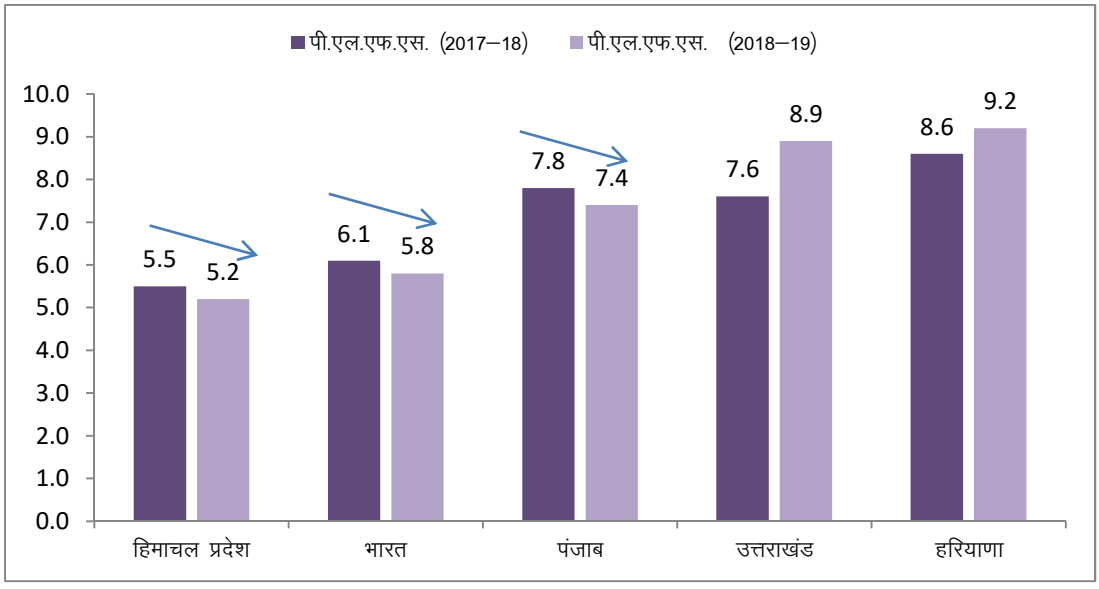

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2017–18 और 2018–19

10.16 हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम राज्य सरकार का निगम है जो राज्य कौशल मिशन के रूप में 14 सितम्बर, 2015 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत शामिल किया गया। यह ''राज्य की युवा पीढ़ी (15–35 वर्ष) के रोजगार योग्य कौशल और आजीविका क्षमता को बढ़ाने के मिशन के साथ स्थापित किया गया है और उन्हें भारत

और विश्व में बदलते रोज़गार और उद्यमशीलता के माहौल में निरन्तर विकास और सीखने के लिए तैयार करना है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एच.पी.के.वी.एन.) हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना की प्राथमिक कार्यान्वयन एजैन्सी है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्य रोज़गार और आजीविका योजना है। यह राज्य में प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए भागीदार एजेन्सी भी है। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुरूप ये योजनाएं राज्य में शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं के व्यावसायिक और तकनीकी कौशल को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। तात्कालिक लक्ष्य 2018–22 की अवधि में एक लाख से अधिक युवा पुरूषों और महिलाओं को प्रशिक्षण देना है संगठन का व्यापक उद्देश्य भारत और दुनिया भर में उभरते श्रम बाजारों के लिए राज्य की युवा आबादी को तैयार करना है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार क्षमता को बढ़ाने और उन्हें बेहतर स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए योजना बनाई है। प्रशिक्षण का लक्ष्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और छोटे पैमाने पर व्यवसाय की स्थापना करना भी है।

10.17 एशियन विकास बैंक की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस वित्तीय वर्ष में परियोजना के तहत अनुबंध और संवितरण की राशि के रूप में क्रमशः ₹180.00 करोड़ और ₹155.00 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

1. उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना (सी.ओ.ई.)

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अन्तर्गत, एशियन विकास बैंक की सहायता से राज्य में दीर्घकालीन कौशल विकास की आवश्यकताओं के अन्तर्गत संस्थागत ढांचा बनाने के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.ई.) वाकनाघाट, सोलन में ₹68.00 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है यह संस्थान आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में उच्च गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

2. प्रतिष्ठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौते

उच्च श्रेणी के प्रशिक्षणों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों जैसे राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सीडैक, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान, भारतीय अधिकृत लेखापाल संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, उद्यान एवं वाणिकी विश्वविद्यालय, के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं जिसके अन्तर्गत 7,370 हिमाचली युवाओं को उच्च कौशल वाली नौकरियां जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग, उन्नत कर कानून के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

3. अंग्रेज़ी, रोज़गार एवं उद्यमिता कौशल, बी.एफ.एस.आई. प्रशिक्षण कार्यक्रम

कौशल को रोजगार से जोड़ने की बहुत अधिक जरूरत को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम

द्वारा हिमाचली युवाओं के व्यावहारिक कौशल के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा शैक्षणिक सत्र 2020–21, से हिमाचल प्रदेश के सरकारी कॉलेजों/ राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में अंग्रजी, रोज़गार और उद्यमिता कौशल, बैंकिग वित्तीय और बीमा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंग्रजी, रोजगार और उद्यमिता कौशल कार्यक्रम के तहत 4,700 छात्र/छात्राएं और वी.एफ.एस.आई. क्षेत्र में तीन वर्षों में 5,000 छात्र शामिल होंगे।

4. 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, महिला पोलिटैक्निक, रैहन तथा राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालयों के उन्नयन के लिए औजार एवं उपकरण उपलब्ध करवाना

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना, 50 आई.टी.आई. के उन्नयन में भी मदद कर रहा है, जहां 23 ट्रेड राज्य कौंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से राष्ट्रीय कौंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में परिवर्तित होंगे। इससे 23,000 छात्रों को लाभ होगा। परियोजना के तहत इस वित्तीय वर्ष के दौरान ₹93.00 करोड़ की राशि खर्च की जानी है। अपेक्षित प्रकरणों की खरीद की प्रक्रिया विभिन्न ट्रेडों जैसे (मकैनिकल, इलैक्ट्रीकल, इलैक्ट्रॉनिक्स, हैण्ड टूल्स, कढ़ाई, सूचना और प्रौद्योगिकी और सौंदर्य कल्याण आदि) के उपकरण शामिल तथा कार्य प्रगति पर है।

5. सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से लघु अवधि के राष्ट्रीय कौशल योग्यता प्रशिक्षण कोर्स

हिमाचल प्रदेश कौशल निगम ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अन्तर्गत 38 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लघु अवधि के प्रशिक्षण कोर्स शुरु किये हैं जिसमें 4,500 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में जैसा कि मोटर वाहन, निर्माण, प्लंबिंग, सूचना प्रौद्योगिकी की सक्षम सेवाएं, परिधान, इलैक्ट्रोनिक एवं हार्डवेयर, सौन्दर्य, स्वास्थ्य, लोह एवं स्टील, मीडिया एवं मनोरंजन आदि क्षेत्रों में प्रवेश दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहु कौशल मानव शक्ति का उद्योगों एवं स्वयं रोजगार क्षेत्रों में उपलब्ध करवाना है।

6. स्नातक युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

रोज़गार क्षमता को बढ़ाने के लिए 13 सरकारी डिग्री कॉलेजों के अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों की हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क मुख्य अध्ययन के पूरक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना तय किया है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, इलैक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, सौंदर्य कल्याण और परिधान क्षेत्र शामिल हैं। वर्तमान में राज्य भर के 1,590 विद्यार्थी 13 महाविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शैक्षणिक वर्ष 2020–21 में 15 से अधिक महाविद्यालयों में 5,500 स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन लाया जायेगा।

7. वोकेशन डिग्री कार्यक्रम में स्नातक शिक्षा

व्यवसाय में स्नातक कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम तथा उच्च शिक्षा विभाग का संयुक्त कार्यक्रम है। यह 3 साल का पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रम राज्य के 12 डिग्री कॉलेजों में शैक्षिक वर्ष 2017–18 से 2 क्षेत्रों (खुदरा, पर्यटन तथा

अतिथ्य) में चल रहा है। वर्तमान में 2,691 से अधिक छात्रों का नामांकन हुआ है।

8. प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अन्य लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों जिसमें ऑटोमोबाइल सेवा, विनिर्माण, बिजली निर्माण और प्लबिंग, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, इलैक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन और आतिथ्य के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं को नियुक्त किया है। इस कार्यक्रम में अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 12,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किए जाएगें।

9. दिव्यांग व्यक्तियों की आजीविका आधारित कौशल प्रशिक्षण

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों में रोज़गार और उद्यमिता कौशल के पोषण के लिए **''नव धारणा''**एक आजीविका आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अन्तर्गत खुदरा, अतिथ्य, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में लगभग 300 दिव्यांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सेवा प्रदाता के चयन की प्रक्रिया जारी है।

10. शहरी आजीविका केन्द्र(सी.एल.सी.), ग्रामीण आजीविका केन्द्र (आर.एल.सी.) और मॉडल कैरियर केन्द्र (एम.सी.सी.)

राज्य भर में कौशल विकास गतिविधियों के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए शहरी आजीविका केन्द्र (सी.एल.सी.), ग्रामीण आजीविका केन्द्र (आर.एल.सी.) और मॉडल कैरियर केन्द्र (एम.सी.सी.) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मण्डी मण्डल में शहरी आजीविका केन्द्र (सी.एल.सी.) सुन्दरनगर व शमशी तथा ग्रामीण आजीविका केन्द्र (आर.एल.सी.) सदियाना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इन सी.एल.सी. एवं आर.एल.सी. केन्द्रों में शीघ्र प्रशिक्षण कार्य शुरू किया जाना है। ज्यूरी में एक कौशल केन्द्र और नगरोटा बगवां (कांगड़ा) तथा बंगाणा (ऊना) में (आर.एल.सी.) स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की गई है और निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त हिमाचली युवाओं को उनकी आकांक्षाओं के साथ उनको उचित परामर्श प्रदान करने और उन्हें नौकरी के लिए राष्ट्रीय कैरियर पोर्टल तक पहुँच प्रदान करने के लिए 9 मॉडल केन्द्रों का निर्माण/पुनर्निर्माण श्रम एवं रोजगार विभाग के सहयोग से किया जा रहा है।

10.18 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के तहत राज्य घटक

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 राज्य घटक के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी है। उक्त शासनादेश को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 22 क्षेत्रों में नौकरी के लिए 13,000 से अधिक युवाओं को नामांकित किया जिनमें से 9,000 से अधिक युवाओं का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। मार्च, 2021 तक कार्यक्रम के तहत 18,000 से अधिक युवाओं के नामांकन करने का लक्ष्य रखा गया है।

10.19 जागरूकता सृजन और प्रचार

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने व्यवसायिक शिक्षा के इच्छुक सभी हिमाचली युवाओं के लिए विस्तृत प्रचार योजना तैयार की है। सूचना, शिक्षा तथा संचार सामग्री के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए एफ.ए.क्यू., परामर्श पुस्तिका, कार्यक्रम विवरणिका, विडियो, पोस्टर और पत्रिका को लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित टी.वी. और रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सोशल नैटवर्किंग साईटों को भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।

ऊर्जा

11 अध्याय

11.1 परिचय

ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी होती है। यह आधुनिक दुनिया की लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण इनपुट है। पहाड़ी राज्य होने के नाते, हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा के पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोत जैसे कि पनबिजली, सौर और ईंधन की लकड़ी मौजूद हैं। यह अध्याय ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या करता है। 1948 में राज्य के गठन के समय बिजली की आपूर्ति केवल तत्कालीन रियासतों की राजधानियों तक ही उपलब्ध थी और कुल क्षमता 500 किलोवाट से कम थी। इस प्रकार राज्य में संगठनात्मक दृष्टि से बिजली उपयोगिता पर कार्य लोक निर्माण विभाग के तहत अगस्त 1953 में पहला विद्युत विभाग बनाने से आरम्भ हुआ। इस कड़ी में अप्रैल 1964 में एम.पी.पी. और पावर का एक विभाग बनाया गया।

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के नाते जल विद्युत शक्ति के दोहन मामले में प्रकृति से भरपूर आर्शीवाद मिला है। राज्य में जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं है इसे देश के पनबिजली हब के रूप में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलापों में उत्प्रेरक की भूमिका स्वीकार्यता के साथ–साथ विद्युत राजस्व अर्जन, रोजगार के अवसर बढ़ाने व लोगों के रहन–सहन के स्तर व जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रदेश ने जल विद्युत क्षेत्र में कुल 27,436 मैगावाट क्षमता का आंकलन किया है। परन्तु इसमें से 24,000 मैगावाट को ही दोहन योग्य पाया है, शेष क्षमता को पर्यावरण को बचाने, पारिस्थितिक संतुलन एवं विभिन्न सामाजिक कारणों से त्याग कर दिया गया है। राज्य जल विद्युत के विकास को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से गति प्रदान हो रही है।

सारणी 11.1

राज्य के भीतर बिजली की खपत (एम.यू. में)

खपत	2019-20	2020–21 (अक्टूबर 2020 तक)
घरेलू	2193.69	1450.23
गैर–घरेलू गैर–वाणिज्यिक	159.68	69.54
वाणिज्यिक	623	301.64
औद्योगिक	5322.87	2841.77
सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	10.75	6.49
कृषि	56.73	47.55
थोक और विविध	150.92	76.46
सरकारी सिंचाई और जलापूर्ति योजना	560.47	376.85
अस्थायी आपूर्ति	45.88	27.17
राज्य के भीतर कुल बिजली की खपत	9123.99	5197.69

11.2 ऊर्जा निदेशालय की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां वित्त वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक और 31 मार्च 2021 तक प्रत्याशित)

क) 5 मेगावाट क्षमता से अधिक एच.ई.पी. टांडी (104), राशिल (130) और साच खास (267) परियोजनाओं का

आवंटन एस.जे.वी.एन.एल. को किया गया है।

ख) 31 दिसंबर 2020 तक हिमाचल प्रदेश सरकार का बिजली हिस्सेदारी की बिक्री से प्राप्त राजस्व ₹610.00 करोड़ है और जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक अनुमानित राजस्व ₹66.00 करोड़ होगा, जबकि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹900 करोड़ राजस्व का अनुमानित था।

ग) ऊर्जा संरक्षण (ई.सी.) अधिनियम 2001 के अनुसार, सभी राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन ने राज्य के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों को समन्वित करने, विनियमित करने और लागू करने के लिए एक राज्य स्तरीय एक एजेंसी (एस.डी.ए.) गठित की है जो मौजूदा विभागों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपकर राज्य सरकार के ऊर्जा दक्षता के लिए एक समर्पित एजेंसी के तौर पर कार्यरत होगी। इस उद्देश्य के लिए ऊर्जा विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि जैसे एस.डी.ए. के तहत विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें 100 उद्योगों के लिए एक प्रोत्साहन योजना, सरकारी प्रतिष्ठान में 6 एल. पी.डी. क्षमता के सौर ऊर्जा हीटर की अनुमति दी गई है। ऊर्जा–संरक्षण सप्ताह पर रेडियो–जिंगल्स के माध्यम से प्रचार और जागरूकता भी शुरू की गई है।

11.3 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 1 सितम्बर, 1971 को विद्युत आपूर्ति अधिनियम (1948) के प्रावधानों के अनुसार किया गया था और इसे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड के रूप में 14.06.2010 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पुनर्गठित किया गया। एच.पी.एस.ई. बी.एल. हिमाचल प्रदेश में सभी उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। राज्य में बिछाए गए ट्रांसमिशन, सब–ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के नेटवर्क के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। अपनी स्थापना के बाद से, बोर्ड ने इसे सौंपे गए लक्ष्यों को निष्पादित करने में अभूतपूर्व प्रगति की है।

सारणी 11.2
एच.पी.एस.ई.बी.एल. के पावर हाउसों से बिजली का जिला वार उत्पादन(एम.यू.में)

जिले का नाम	2019–20	2020–21 (मार्च 2021 तक प्रत्याशित)
बिलासपुर	–	–
चम्बा	4.88	7.61
हमीरपुर	–	–
कांगड़ा	178.59	174.51
किन्नौर	594.12	495.03
कुल्लू	671.05	628.92
लाहुल और स्पीति	7.69	10.10
मंडी	330.93	318.41
शिमला	234.05	209.22
सिरमौर	224.88	186.74
सोलन	–	–
ऊना	–	–
कुल	**2246.18**	**2030.53**

एच.पी.एस.ई.बी.एल. के तहत परियोजनाएं नीचे सारणी में दी गई हैं:

सारणी 11.3
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और विभागीय योजनाएं

क.सं.	केंद्र प्रायोजित और विभागीय योजनाएं	
	योजनाएं	स्थिति
1.	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)	ग्रामीण परिवारों के विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार ने 2014 में यह योजना शुरू की थी। चार जिलों का काम पूरा हो गया है और शेष मार्च,2021 तक पूरा होने की संभावना है।
2.	एकीकृत बिजली विकास योजना (IPDS)	भारत सरकार ने ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने और कुशल मापन के लिए 2014 में शहरी क्षेत्रों के लिए यह योजना शुरू की थी। जनवरी 2021 तक सभी 12 आईपीडीएस सर्कल में काम पूरा हो चुका है।
3	हिमाचल जल विद्युत और नवीकरणीय विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	एच.पी.एस.ई.बी.एल. ने हिमाचल प्रदेश के 13 शहरों में 24X7 गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए इस परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है और डीईए द्वारा 104 वीं बैठक में इसे अनुमोदित किया गया था।
4.	राज्य के कम वोल्टेज क्षेत्रों में एस.आई. योजना	यह योजना 2019–20 में राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में कम वोल्टेज की समस्या को हल करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 896 डी.टी.आर. की स्थापना, 1133 किलोमीटर एच.टी. लाइनों के निर्माण और कम वोल्टेज से प्रभावित क्षेत्रों में 325 किलोमीटर एल.टी. लाइनों के निर्माण को पूरा किया है।
5.	मुख्यमंत्री रोशनी योजना	इस योजना की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री ने 2019–20 के बजट भाषण में राज्य के गरीब परिवारों को 17,550 बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए की थी। 2019–20 के दौरान 4,898 परिवारों को लाभान्वित किया गया है और 2020–21 के लिए 2,703 पात्र परिवारों को 30.11.2020 तक लाभान्वित किया गया है।
6.	एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) प्रोजेक्ट	13,500 कर्मचारियों के वेतन, 14,400 के पेंशन और 11,000 कर्मचारियों के जी.पी.एफ को एस.ए.पी.ई.आर.पी. सिस्टम के माध्यम से संसाधित की जा रही है।

11.4 पनबिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन

i) पनबिजली उत्पादन

एच.पी.एस.ई.बी.एल. में 489.35 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 27 पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं। एच.पी.एस.ई.बी.एल. की सहायक कंपनी बी.वी.पी.सी.एल. द्वारा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उहल स्टेज–III (100 मेगावाट) निर्माणाधीन है। वर्तमान वित्तीय वर्ष दिसम्बर, 2020 तक 1,791.86 मिलियन यूनिट ऊर्जा एच.पी.एस.ई.बी.एल के अपने बिजली घरों द्वारा उत्पन्न की गई है और अतिरिक्त 238.67 मिलियन यूनिट ऊर्जा वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत तक उत्पन्न होने की उम्मीद है।

ii) ट्रांसमिशन

एच.पी.एस.ई.बी.एल. की ट्रांसमिशन विंग ने वित्तीय वर्ष 2019–20 तक 4,789.19 एम.बी.ए. और 3,595.45 सी.के.टी. किलोमीटर ई.एच.वी. की परिवर्तन क्षमता के साथ 54 ई.एच.वी. सब–स्टेशन स्थापित किए हैं। वर्ष 2020–21 के दिसम्बर,2020 तक 20.326 सी.के.टी. किलोमीटर ई.एच.वी. लाइनों और 1 नंबर ई.एच.वी. सब–स्टेशनों को चालू कर दिया गया है।

11.5 विभाग की भविष्य योजनाएं:

- एच.पी.एस.ई.बी.एल. में सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण।
- राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सुनिश्चित व गुणवतापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए नए विद्युत उपकेन्द्रों का नई एच.टी. एवं एल.टी. लाईनों सहित निर्माण व संवर्धन।
- संचार व वितरण हानियों को कम करना।

सारणी 11.4

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड के अधीन परियोजनाएं

क.सं.	एच.पी.एस.ई.बी.एल. के तहत परियोजनाएं		
	परियोजनाएं	क्षमता मै.वा.	स्थिति
1.	साईकोठी स्टेज–1, 2 और देवी कोठी	67	इन परियोजनाओं के लिए सभी एफ.आर.ए. सहित एन.ओ.सी. प्राप्त किए गए हैं। साईकोठी–I के लिए एफ.सी.ए. चरण–I की मंजूरी दी गई है, जबकि, शेष परियोजनाओं के मामले लंबित हैं।
2.	राइसन और नई नोगली टिक्कर और कुठाहर	18, 11, 5,5	परियोजना की डी.पी.आर. को तकनीकी आर्थिक मंजूरी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न विभागों, ग्राम पंचायतों से एफ.आर.ए. और एफ.सी.ए. के लिए एन.ओ.सी. प्राप्त करने की प्रक्रिया षुरू की गई है।

11.6 एच.पी.पी.सी.एल. द्वारा मुख्य निर्माणाधीन/ निष्पादित/ अन्वेक्षित परियोजना

क) प्रारंभिक अध्ययन में तकनीकी व्यावसायिक दृष्टिकोण से त्रिवेणी महादेव एच.ई.पी. (78 मेगावाट) का प्रस्ताव व्यवहार्य पाया गया है, इसलिए हि.प्र.पॉ.का.लि. हिमाचल प्रदेष स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटिड के साथ मिलकर इस परियोजना की डी.पी.आर. तैयार कर रहा है।

ख) जिला किन्नौर में कषांग स्टेज– IV (48 मेगावाट) तथा बारा खंबा (45 मेगावाट) की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।

ग) प्र्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जांच कार्यों की अनुमति प्राप्त करने के लिए जिस्पा बांध परियोजना (300 मेगावाट) के लिए अनुरोध किया गया है। टी.ओ.आर. जारी होने के उपरान्त निविदा निकाली जाएगी।

सारणी 11.5

एच.पी.पी.सी.एल. के तहत परियोजनाएं नीचे तालिका में दी गई हैं:

क.स	एच.पी.पी.सी.एल. के माध्यम से संचालन/निष्पादन चरण के तहत परियोजनाएं		
	परियोजनाएं	क्षमता मै.वा.	स्थिति
1.	एकीकृत कशांग	243	यह सतलुज के कशांग और केरंग धाराओं के विकास की परिकल्पना करता है। 31.03.2021 तक चरण 1 की उत्पादन का लक्ष्य 585.64 मिलियन यूनिट है। II और III चरण के लिए परियोजना कार्य प्रगति पर है।
2.	सैंज	100	31.12.2020 तक इसमें 1,288.97 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई है।
3.	सावरा कुड्डू	111	परियोजना के सिविल कार्य जनवरी, 2021 तक पूरा होने की संभावना है। 31.03.2021 तक उत्पादन का लक्ष्य 22.00 मिलियन यूनिट है।
4.	शोंगटोंग करछम	450	कार्य प्रगति पर है और परियोजना में निर्धारित कार्य शुरू होने की तिथि दिसंबर, 2024 है।
5.	चांजू और देथल चांजू	48 30	फ्रांसीसी विकास एजेंसी ने इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अपनी सहमति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्य शुरु हो जाएंगा।
6.	रेणुका जी	40	राज्य कैम्पा खाते में वन मंजूरी निधि जमा करने के बाद परियोजना शुरू हो जाएगी।
7.	सुरगणी सुंडला	48	एच.पी.पी.सी.एल. डी.ओ.ई. को संशोधित डी.पी.आर. प्रस्तुत करेगा।
9.	थाना प्लौन	191	परियोजना का वन मंजूरी मामला जांच के दायरे में है और सी.ई.ए. में डी.पी.आर. अग्रिम चरण में है।
10	नकथान	460	डी.पी.आर. सी.ई.ए. में अनुमोदन के अग्रिम चरण में है। वन अधिकार दावों और एफ.आर.ए. प्रमाणपत्र के मामले डी.सी. द्वारा अंतिम निर्णय के लिए लंबित हैं।
11	किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना	660	एन.आई.एच. रुड़की और जी.एस.आई. के माध्यम से डी.पी.आर. और हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन का अपडेशन प्रक्रिया में है।

11.7 सौर ऊर्जा परियोजनाएं:–

हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटिड (एच.पी.पी.सी.एल) द्वारा 5 मैगावाट की बैराडोल सौर ऊर्जा सयंत्र को जिला बिलासपुर के श्री नयना देवी मन्दिर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश में पहली सौर ऊर्जा परियोजना है जिसे सरकारी क्षेत्र में बनाया गया था। एच.पी.पी.सी.एल. ने इस परियोजना से 16.97 एम.यू. बिजली का उत्पादन किया है और 31.12.2020 तक बिजली की बिक्री से उत्पन्न राजस्व ₹6.45 करोड़ था। 31.03.2021 तक की बिजली उत्पादन का लक्ष्य 19.29 एम.यू. है। एच.पी.पी.सी.एल. ने जिला ऊना में अघोर में 10 मेगावाट क्षमता का एक और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की भी योजना बनाई है। डी.पी.आर. तैयार कर ली गई है और एच.पी.पी.सी.एल. औद्योगिक विभाग के साथ भूमि के हस्तांतरण के मामले को आगे बढ़ा रहा है।

11.8 हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत निर्माण/कार्यान्वयन के संबंध में वित्तीय उपलब्धियां:

हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटिड के तहत निर्माण/कार्यान्वयन के

तहत परियोजनाओं की उपलब्धियां निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है:–

सारणी 11.6
वित्तीय उपलब्धियां

(₹करोड़ो में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बजट 2020-21	व्यय (अप्रैल से दिसम्बर 2020 तक)	उपयोग %
1	शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना	278.07	107.01	38.48
2	साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना	71.46	19.28	26.98
3	एकीकृत कशांग एच.ई.पी. स्टेज 2 और 3	81.88	14.37	17.55
जोड़		**431.41**	**140.66**	**32.60**

सारणी 11.7
बिजली की बिक्री से राजस्व सृजन

(₹करोड़ो में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	31.12.2020 तक बिजली की बिक्री से राजस्व उत्पादन
1	एकीकृत कशॉग जल विद्युत परियोजना चरण–।	0.16
2	सैंज जल विद्युत परियोजना	87.37
3	बेरा डोल सौर ऊर्जा परियोजना	2.56
जोड		**90.09**

एच.पी.पी.सी.एल. ने पिछले वर्ष 31.12.2019 तक ₹386.30 करोड़ अर्जित किए थे, जबकि, इस वर्ष 31.12.2020 तक बिजली की बिक्री से केवल ₹90.09 करोड़ राजस्व अर्जित किया । राजस्व सृजन में गिरावट का मुख्य कारण COVID–19 परिणाम देशव्यापी तालाबंदी है, जिसने उद्योगों से बिजली की मांग को कम कर दिया।

11.9 हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटिड

यह कार्पोरेशन और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक सरकारी उपक्रम है। इसका उद्देश्य प्रदेश के विद्युत संचार प्रणाली को मजबूत करने तथा भविष्य में बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं को विद्युत संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा निगम को सौंपे गए कार्यों में मुख्यतः प्रदेश में बनने वाली सभी नई 66 के.वी. की क्षमता से ऊपर की लाईनों व विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण करने के साथ–साथ विद्युत वोल्टेज में सुधार, वर्तमान संचार ढांचे में सम्बर्धन व मजबूती प्रदान करने तथा विद्युत उत्पादन केन्द्रों व संचार लाईनों का निर्माण करते हुए प्रदेश के मास्टर संचार प्लान को लागू करना सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त निगम को राज्य में ट्रांसमिशन यूटीलिटी का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है जिसके अन्तर्गत संचार व समन्वय से जुड़े सभी मुद्दों पर सैन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, केन्द्रीय व राज्य के ऊर्जा मंत्रालयों तथा हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से समन्वय रखने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त निगम की जिम्मेदारी आई.पी.पी.सी.पी.एस.यू., राज्य के सार्वजनिक उपक्रम, हि.प्र. पॉवर कार्पोरेशन लिमिटिड व अन्य केन्द्र व राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादक इकाईयों के लिए संचार व सम्नवय से जुड़ी योजना बनाना भी सम्मिलित है। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के पावर सिस्टम मास्टर प्लान (पी. एस.एम.पी.) में शामिल ट्रांसमिशन

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने की मंजूरी दे दी है। प्राप्त ऋण को क्रमशः ट्रेंच I, II और III में विभाजित किया गया था। ट्रेंच I और ट्रेंच II में कार्य सफलतापूर्वक 30.06.2020 तक कर लिया गया है। ट्रंच III में निम्नलिखित कार्य निष्पादन स्तर पर है।

सारणी 11.8
एच.पी.पी.टी.एल. के ट्रांसमिशन परियोजनाएं

क्र. सं.	ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स (ट्रेंचे–3) परियोजनाएँ	मूल्य(₹ करोड़)
1.	बरसैनी–चरोर,कुल्लू (132 के.वी. डी/सी)	43.67
2.	बाजोली होली– लाहल, चंबा (220 केवी डी / सी)	69.42
3.	लाहल–चमेरा, चंबा (400 केवी डी / सी)	115.46
4.	मजरा–करियन, चंबा (220 केवी डी / सी)	37.37
5.	बागीपुल–कोटला, शिमला (66 केवी डी / सी)	23.09
6.	सुंडा– हाटकोटी, शिमला (220 केवी डी / सी)	85.78
7.	उरनी– वांगटू, किन्नौर (66 केवी डी / सी)	20.19
8.	कुरथला–बाथरी, चंबा (132 केवी डी / सी)	11.97

उपरोक्त के अतिरिक्त (K.F.W.) द्वारा वित्तपोषित 57 मिलियन यूरो में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर–I (GEC-I) को अक्तूबर, 2015 में हस्ताक्षरित किया गया था। जी.ई.सी. में इंट्रा स्टेट और इंटर–स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम शामिल हैं, जो हिमाचल प्रदेश सहित आठ नवीकरणीय संसाधन संपन्न राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अलावा अन्य नियंत्रण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का काम करता है। कुल 10 परियोजनाएं मे से 3 पूरी हो चुकी हैं और शेष पर काम चल रहा है। निम्नलिखित तालिका ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत विभिन्न योजनाओं को दर्शाती हैः–

सारणी 11.9
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत योजनाएं

क्र. सं.	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जी.ई.सी.-I) परियोजनाएं	
	कार्य	लागत (₹करोड़)
1.	सुंडा और आंध्र से शिमला में समोली तक लाइनों का निर्माण	37.63
2.	सुंडा में टंगनु रोमाई में लाइनों का निर्माण	13.02
3.	हमीरपुर के देहन में लाइनों का निर्माण	196.36
4.	चंबा के बाजोली–होली लाहल में लाइनों का निर्माण	88.29
5.	कुल्लू, शिमला और मंडी के चरोर, गुम्मा और पंडोह में अतिरिक्त ट्रांसफार्म	99.69
6.	पलचान, कुल्लू में जीआईएस स्विचिंग स्टेशन	17.30
7.	ट्रांसमिशन लाइन, प्रीणी कुल्लू	8.13
8.	ट्रांसमिशन लाइन स्नेल, हाटकोटी, शिमला	25.44

11.10 हिमऊर्जा

हिमऊर्जा ने अक्षय ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने हेतु भरसक प्रयास किए हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया गया है। हिमऊर्जा सरकार को राज्य में लघु जल विद्युत (5 मै.वा. तक) के तीव्र दोहन हेतु भी सहायता प्रदान कर रही है। हिमऊर्जा द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए गए हैंः–

सारणी 11.10
हिमऊर्जा के कार्यक्रम

सौर तापीय और सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम		
क्र. सं.	कार्यक्रम	उपलब्धियां/संभावनाएँ
1	सोलर कुकर	चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2020 तक, 246 बॉक्स और 40 डिश के सोलर कुकर प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2021–22 के लिए 200 बॉक्स और 50 डिश प्रकार के सौर कुकर का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।
2	सौर जल तापन प्रणाली	2020–21 में 8,300 लीटर के सौर जल तापन प्रणाली प्रति दिन की क्षमता से स्थापित की गई है। वर्ष 2021–22 के लिए प्रति दिन 1,00,000 लीटर क्षमता सौर जल तापन प्रणाली स्थापना का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।
3	एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम	2020–21 में, दिसंबर, 2020 तक 24,389 नंबर एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। वर्ष 2021–22 के लिए 15,000 एसपीवी स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।
4	एस.पी.वी. घरेलू लाइट	2020–21 में, मार्च 2021 तक एस.पी.वी. घरेलू रोशनी की प्रत्याशित उपलब्धि लगभग 3,000 होगी। वर्ष 2021–22 के लिए 3,000 एस.पी.वी. डोमेस्टिक लाइट्स का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

11.11 सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्र/परियोजनाएंः

हिमऊर्जा पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर निम्न प्रकार के बिजली संयंत्र भी चलाता है।

सारणी 11.11
हिमऊर्जा के सौर ऊर्जा सयंत्र

क्र. सं.	सौर ऊर्जा संयंत्र	
	संयंत्र	उपलब्धियां
1.	**ऑफ–ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र**	दिसंबर, 2020 तक 702.50 के. डब्ल्यू.पी. क्षमता वाले एस.पी. वी. पावर प्लांट्स को चालू कर दिया गया है। वर्ष 2021–22 के लिए 1000 के. डब्ल्यू.पी. क्षमता वाले एस.पी.वी. पावर प्लांट्स का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।
2.	**ग्रिड से जुड़े सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट**	दिसंबर, 2020 तक 0.140 मेगावाट क्षमता वाले एसपीवी पावर प्लांटों को चालू कर दिया गया है और मार्च 2021 तक प्रत्याशित उपलब्धि लगभग 5.00 मेगावाट होगी। वर्ष 2021–22 के लिए 10.00 मेगावाट क्षमता वाले एस.पी.वी. पावर प्लांट्स का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।
3.	**ग्राउंड माउंटेड ग्रिड–कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स**	5.10 मेगावाट क्षमता वाले ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को दिसंबर, 2020 तक चालू कर दिया गया है। वर्ष 2021–22 के लिए 25 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

11.12 निजी क्षेत्र की सहभागिता से निष्पादित की जा रही 5 मैगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाएं

चालू वित्त वर्ष के दौरान, मार्च, 2021 तक, यह अनुमान है कि 14.00 मेगावाट क्षमता की पनबिजली परियोजनाओं हासिल की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, 20.00 मेगावाट की क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। आवंटित

परियोजनाओं बारे आरम्भ से लेकर दिसम्बर, 2020 तक की स्थिति (5 मेगावाट क्षमता तक) विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

सारणी 11.12

हिमऊर्जा की लघु जल विद्युत परियोजनाएं

परियोजनाएं	संख्या	क्षमता (मै0वा0)
कुल आंवटित परियोजनाएं (अस्तित्व में)	742	1781.58
क) कार्यान्वयन समझौते चरण पर	284	855.85
• स्थापित	88	326.25
• निर्माणाधीन	34	106.29
• हस्ताक्षरित जो अभी शुरू होनी हैं	162	423.31
ख) पूर्व–कार्यान्वयन समझौता चरण	458	925.73

11.13 हिमऊर्जा द्वारा निष्पादित की जा रही लघु (100 कि.वा.) और राज्य क्षेत्र के तहत जल विद्युत परियोजनाएं:

दिसंबर 2020 तक 55 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट आवंटित किए गए थे। जबकि, राज्य क्षेत्र के तहत 32.94 मेगावाट क्षमता की 12 परियोजनाओं को दिसंबर 2020 तक मंजूरी दे दी गई हैं। 12 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं को शुरू कर दिया गया है, 3 परियोजनाओं को बी.ओ.टी. आधार पर आवंटित किया गया है और 5 परियोजनाएं पूर्व कार्यान्वयन समझौते के चरण पर हैं। उपरोक्त के अलावा, चंबा जिले के पांगी घाटी के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्र में 1,000 बी.पी.एल. परिवारों के परिवारों को 250 वाट क्षमता (प्रत्येक घर) के सौर ऑफ–ग्रिड बिजली सयंत्र प्रदान किए गए हैं।

11.14 महत्वपूर्ण नीतिगत पहलः

- हाइड्रो पावर पॉलिसी में संशोधन किया गया।
- निःशुल्क बिजली रॉयल्टी को तर्क संगत किया।
- 10 मेगावाट तक की परियोजनाओं के एच.पी.एस.ई.बी.एल. द्वारा बिजली की अनिवार्य खरीद का प्रावधान किया गया।
- टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया।
- 25 मैगावाट तक की परियोजनाओं के लिए ओपन एक्सेस के लिए अतिरिक्त शुल्क में छूट प्रदान की गई।
- औद्योगिक इकाइयों के ही उपयोग के लिए 10 मैगावाट तक की परियोजनाओं का आवंटन किया गया।
- अग्रिम प्रीमियम और क्षमता वृद्धि शुल्क में कमी की गई।
- सरकार/वन भूमि के लिए नाम मात्र शुल्क का प्रावधान किया गया।
- परियोजना डेवलपर्स के लिए एक बार छूट प्रदान की गई है जो उन परियोजनाओं की शून्य तिथि को फिर से परिभाषित करती है जोकि जांच और अनुमोदन स्तर पर है जहां कार्यान्वयन समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। निर्माण चरण पर चल रही परियोजनाओं के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन तिथि (अ.वा.सं.ति) को फिर से परिभाषित किया गया हैं।

पर्यटन और परिवहन

12 अध्याय

12.1 पर्यटन

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की राज्य के आर्थिक विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान बनी है। क्योंकि पर्यटन को भविष्य में आर्थिक विकास के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा रहा है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (एस. जी.डी.पी.) में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 7 फीसदी है जोकि काफी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश अपनी विशाल पहाड़ियां खूबसूरत घाटियों और लोकप्रिय पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसिद्व है। हिमाचल प्रदेश बहुत सी आऊट डोर गतिविधियों जैसेः– रॉक क्लाइम्मींग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, राफटिंग, आइस स्केटिंग और हेली स्कींग पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण पर्यटकों के आने की संख्या में कमी पाई गई है, जो कि वर्ष 2019–20 में 1,72,12,107 (भारतीय–1,68,29,231 व विदेशी– 3,82,876) थी जो वर्ष 2020–21 में 32,13,379 (भारतीय–31,70,714 व विदेशी– 42,665) रह गई। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के लिए बुनियादी ढ़ांचा विकास निवेश कार्यक्रम के तहत एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) की सहायता से पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹258.00 करोड़ की लागत से 08 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया है। इन 08 परियोजनाओं के तहत बनाए गए बुनियादी ढांचे से पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी और राज्य में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। यह स्थानीय लोगों की आय में वृद्वि के अलावा राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।

12.2 ब्याज सबवैंशन योजना

सरकार द्वारा दिनांक 02.07.2020 को आतिथ्य उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण हेतु ब्याज सबवैंशन योजना को अधिसूचित किया गया जिससे व्यापार में निवेश और तत्कालिक आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करके अल्पावधि में दिन–प्रतिदिन के व्यवसाय, श्रमिकों की मज़दूरी, किराए आदि उपयोगिता का भुगतान किया जा सके, जो सुचारू कामकाज को सुविधाजनक बनाता है। दिनांक 21.12.2020 तक क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 105 मामलों की सिफारिश की गई है और 27 मामलें ₹4.94 करोड़ बैंक द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं।

12.3 प्रचार

पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री तैयार की जाती है, जिसमें ब्रॉशर, पैम्फलैट, पोस्टर, ब्लोअप इत्यादि शामिल हैं और देश व विदेश में विभिन्न पर्यटक उत्सवों/मार्ट इत्यादि में भाग लिया जाता है। विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक मंच पर

फेसबुक, टवीटर, तथा यू–टयूब के माध्यम से विज्ञापन द्वारा प्रचार किया जा रहा है।

12.4 नागरिक उडडयन

राज्य में उच्च श्रेणी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कांगड़ा, कुल्लू और शिमला हवाई पट्टी का विस्तार करेगी। आर.सी.एस. उड़ान–2 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 05 हेलीपोर्टस शिमला और रामपुर (जिला शिमला), बद्दी (जिला सोलन), कंगनीधार (जिला मण्डी) और सासे (मनाली जिला कुल्लू) का विकास किया जा रहा है। मण्डी ज़िले के नागचला में ग्रीनफिल्ड हवाई अड्डे के विकास हेतु सरकार गंभीरता से विचार कर रही है जिसके लिए 2,513 बीघा नागचला में भूमि की पहचान की गई है।

12.5 नई राहें नई मन्जिलें

प्रदेश में अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु प्रदेश सरकार ने ₹50.00 करोड़ से एक नई योजना "नई राहें नई मंजिलें शुरू की है। इस योजना के तहत मण्डी शहर की पुरानी संस्कृति के सरंक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी 12 शिव ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति, सांस्कृतिक केन्द्र, ध्यान के लिए खुला स्थान निर्मित करते हुए एक शिव धाम बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस योजना के अन्तर्गत ₹20.00 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। ज़िला कांगड़ा में बीड़ बिलिंग क्षेत्र (₹8.36 करोड़)को वन विभाग के सहयोग से पैराग्लाइडिंग गंतव्य के रूप में व जिला शिमला में चांशल क्षेत्र को स्की गंतव्य के रूप में (₹5.31 करोड़) विकसित किया जा रहा है। चूंकि झीलों आदि की उपलब्धता के कारण राज्य में जल क्रीड़ा की बहुत बड़ी सम्भावना है, इसलिए राज्य के तीन क्षेत्रों लारजी जलाशय (₹3.72 करोड़), पोंग डैम (₹1.72 करोड़) व कोल डैम (₹6.44 करोड़) से विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने अटल रोहतांग सुरंग (दक्षिण पोर्टल) के विकास के लिए ₹7.36 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय की स्वीकृति दे दी है। सरकार ने सिस्सु (अटल रोहतांग सुरंग ऊतर पोर्टल) को एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने लिए पर्यटक सूचना केन्द्र, स्मारिका दुकानें, भोजनालय, सार्वजनिक सुविधा आदि कार्यों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

12.6 रज्जू मार्ग परियोजनाएं

पर्यटकों/आगुन्तकों को सुविधा देने के उद्देश्य विभाग द्वारा रज्जु मार्ग परियोजना की स्थापना हेतु निम्न करारनामें पर हस्ताक्षर किए गए है :–

- ज़िला कांगड़ा में धर्मशाला रज्जु मार्ग
- जिला कांगड़ा आदि हिमानी–चामुंडा जी
- जिला कुल्लू में पलचान
- जिला कुल्लू के भुन्तर में बिजली महादेव

12.7 सतत पर्यटन

यूनेस्को द्वारा सतत पर्यटन को जो स्थानीय लोगों और यात्री, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण दोनों का सम्मान

करता है, के रूप में परिभाषित किया है। सतत पर्यटन लोगों को एक रोमांचक और शैक्षिक अवकाश प्रदान करना चाहता है जो मेजबान देश के लोगों के लिए भी फायदेमंद है। सभी पर्यटन गतिविधियां, जैसे अभिप्रेरण–छुटियां, व्यवसाय यात्रा, सम्मेलन, साहसिक यात्रा और इको–टूरिज्म को कायम रखने की आवश्यकता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह बहुत लोकप्रिय हो रहा है तथा विश्वास है कि एक दशक के अन्दर यह 'मुख्य धारा' में आ जायेगा।

12.8 हिमाचल प्रदेश में सतत पर्यटन

राज्य सरकार ने पारिस्थितिक संवेदनशीलता के साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संवर्धन करते हुए सम्बन्धित सभी क्षेत्रों के सतत विकास का संकल्प लिया है जिसमें राज्य के जल–विद्युत, पर्यटन, वन प्रबंधन नीति एवं पर्यावरण मास्टर प्लान शामिल है। राज्य उन निवेशकों को भी प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा है जो स्थिरता को एक व्यावहारिक आर्थिक उद्यम के रूप में देखतें हैं। राज्य की अनूठी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा में योगदान करने के लिए प्रदेश वासियों के लिए बेहतर रोजगार और अधिक व्यापार के अवसर प्रदान करने के लिए स्थायी पर्यटन के रूप में उपयोग करने के लिए वर्ष 2013 में, राज्य द्वारा सतत पर्यटन विकास नीति लागू की गई। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार की पर्यटन क्षेत्र नीति 2019 को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह आर्थिक विकास को गति प्रदान करे, सामाजिक असमानता को कम करे, गरीबी को कम करे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धरोहरों (कला तकनीकों के राज्य का उपयोग करके) को टिकाऊ तरीके से संरक्षित करे। इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य "स्थायी पर्यटन के लिए निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना" है। इस नीति को स्थायी विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.), विशेष रूप से एस.डी. जी. 8 और 12 को विभिन्न उद्देश्यों के माध्यम से मेजबान समुदायों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए निर्देशित किया गया है, यात्रियों को गुणवता का अनुभव प्रदान करने राज्य की प्राकृतिक–सांस्कृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और निजी निवेशकों के लिए निवेश के अनुकूल माहौल बनाना है।

12.9 हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एच.पी.टी.डी.सी.) हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी है। यह पर्यटन सेवाओं का पूरा पैकेज प्रदान करता है, जिसमें आवास, खानपान, परिवहन, सम्मेलनों और खेल गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें राज्य के बेहतरीन होटलों के रेस्तरां की सबसे बड़ी श्रृंखला है, जिसमें 54 होटल, 2,275 बेड वाले 983 कमरे हैं। कोरोना महामारी के कारण पर्यटन उद्योग को विश्व के साथ–साथ भारत को भी नुकसान उठाना पडा। इस महामारी से पर्यटन विकास निगम भी बहुत प्रभावित हुआ है । पर्यटन विकास निगम के कुछ होटलों को कोरोना सैंटर के लिए उपयोग में लाया गया जिससे निगम को बहुत कम आय अर्जित हुई है। पर्यटन विकास निगम के होटल पर्यटकों के लिए जुलाई, 2020 से

खोले गए लेकिन पर्यटकों की आवाजाही पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है, अप्रैल 2021 से पर्यटकों की आवाजाही सामान्य होने की सम्भावना है। एच.पी.टी. डी.सी. ने दिसंबर,2020 तक ₹31.14 करोड़ के लक्ष्य के समकक्ष ₹24.41 करोड़ की आय अर्जित की।

12.10 सड़कें तथा पुल (राज्य क्षेत्र)

सड़कें अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे के लिए आवश्यक घटक हैं। जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्रदेश में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके प्रदेश सरकार ने नवम्बर, 2020 तक 39,998 कि.मी. वाहन चलने योग्य सड़कें (जिसमें जीप योग्य एवम् ट्रैक भी सम्मिलित हैं) का निर्माण कर लिया है। प्रदेश सरकार सड़कों के विकास को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2020–21 का लक्ष्य एवं नवम्बर,2020 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा सारणी संख्या 12.1 में दर्शाया गया है:–

सारणी 12.1

मद	इकाई	लक्ष्य 2020–21	उपलब्धियां नवम्बर, 2020 तक	2020–21 सम्भावित (31.3.2021) तक
वाहन चलने योग्य सड़कें	कि.मी.	925	842	925
जल निकास	कि.मी.	900	659	900
पक्की सड़कें	कि.मी.	1800	1210	1800
जीप चलने योग्य सड़कें	कि.मी.	150	19	90
पुल	संख्या	75	39	75
सडकों से जुड़े गांव	संख्या	90	34	90

हिमाचल प्रदेश में 30 नवम्बर, 2020 तक 10,508 गांव सड़कों से जोड़े गये जिनका ब्यौरा सारणी संख्या 12.2 में दिया जा रहा है:–

सारणी 12.2

सडकों से जुडे गांव	2018–19	2019–20	2020–21 नवम्बर, 2020 तक
1500 से अधिक आबादी वाले गांव	217	217	217
1000–1499	292	295	295
500–999	1291	1306	1310
250–499	3574	3624	3634
250 से कम	4992	5032	5052
कुल	**10366**	**10474**	**10508**

12.11 राष्ट्रीय उच्च मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

वर्तमान में 19 राष्ट्रीय राजमार्ग जिनकी कुल लम्बाई 2,592 कि.मी. राज्य सड़क नेटवर्क की मुख्य जीवन रेखा है। जिसमें हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा 1,238 कि.मी. लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास और रखरखाव किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 5 राष्ट्रीय राजमार्गों के 785 कि.मी. और सीमा सड़क संगठन द्वारा 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के 569 कि.मी. का विकास व रख–रखाव किया जा रहा है।

12.12 रेलवे

दिसम्बर, 2020 तक प्रदेश में केवल दो छोटी लाईने शिमला–कालका (96 किलोमीटर) और जोगिन्द्रनगर–पठानकोट (113 किलोमीटर) तथा नंगल डैम–चरूडू (33 किलोमीटर) बड़ी लाईन है जोकि ऊना जिला में हैं।

12.13 पथ परिवहन

पथ परिवहन राज्य में आर्थिक कार्यकलाप हेतु यातायात का एक मुख्य साधन है क्योंकि अन्य परिवहन सेवाएं जैसे रेलवे, वायु सेवा, टैक्सी, ऑटो रिक्शा इत्यादि नगण्य के बराबर है। इसलिए पथ परिवहन को प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिमाचल पथ परिवहन निगम लोगों को राज्य में तथा राज्य के बाहर 3,161 बसें, 75 इलैक्ट्रिक बसें, 21 टैक्सियां व 50 इलैक्ट्रिक टैक्सियों द्वारा परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 3,267 बसें, 27,084 टैक्सियों और 12,394 मैक्सी कैव परिवहन सुविधाएं पहुंचाने में कार्यरत हैं।

12.13.1 यात्रियों के लाभ के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की योजनाएं

लोगों की सुविधा के लिए निम्नलिखित योजनाएं इस वर्ष भी लागू रहीः

i) **ग्रीन कार्ड योजनाः** ग्रीन कार्ड धारकों को किराये में 50 कि.मी. की दूरी के भीतर 25 प्रतिशत तक छूट प्रदान की गई है। इस कार्ड की वैधता दो वर्ष तक है तथा कार्ड की कीमत ₹50 है।

ii) **स्मार्ट कार्ड योजनाः** निगम द्वारा स्मार्ट कार्ड योजना आरम्भ की गई है। इस कार्ड की कीमत ₹50 है व वैधता दो वर्ष है। इस कार्ड पर किराये में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। यह कार्ड निगम की साधारण, सुपरफास्ट, सेमी डीलक्स व डीलक्स बसों में मान्य है। इस कार्ड पर यात्रियों को निगम की बोल्वो व ए.सी. बसों के किराये में 10 प्रतिशत की छूट का लाभ प्रति वर्ष 1 अक्तूबर से 31 मार्च तक दिया जाता है।

iii) **सम्मान कार्ड योजनाः** निगम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान कार्ड की सुविधा आरम्भ की गई है जिसके तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को निगम की साधारण बसों में किराये में 30 प्रतिशत की छूट दी गई है।

iv) **महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** महिलाओं को रक्षा बन्धन तथा भैया दूज और मुस्लिम महिलाओं को ईद तथा बकरीद के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही हैं।

v) **महिलाओं को किराये में छूटः** निगम द्वारा साधारण बसों में राज्य के भीतर यात्रा करने पर महिलाओं को किराये में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

vi) **सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले +2 कक्षा तक के छात्रों को हिमाचल परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है।

vii) **गम्भीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** निगम द्वारा कैंसर, रीड की हड्डी व किडनी डायलिसिस ग्रस्त मरीजों को एक अनुचर सहित निगम की साधारण बसों में इलाज के लिए चिकित्सक द्वारा जारी की गई पर्ची

के आधार पर राज्य व राज्य के बाहर निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है।

viii) **दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** निगम द्वारा 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को एक अनुचर सहित निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

ix) **शौर्य आवार्ड विजेताओं को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** शौर्य आवार्ड विजेताओं को हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर निगम की साधारण बसों के अतिरिक्त डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

x) **लग्जरी बसेंः** निगम द्वारा अपनी 51 तथा 28 बसें वेटलिजिंग आधार पर सुपर लग्जरी बसें (वोल्बो/सकेनियां) और 6 लग्जरी वातानुकुलित बसें अन्तर्राज्जीय मार्गों पर यात्रियों की सुविधा हेतु चलाई जा रही है।

xi) **24X7 हैल्पलाईनः** निगम व निजी बसों के यात्रियों की शिकायतों व समस्याओं के सामाधान के लिए 24X7 हेल्पलाईन सेवा 94180–00529 व 0177–2657326 शुरू की है।

xii) **प्रतिबन्धित मार्गो पर टैक्सियांः** शिमला शहर में लोगों की सुविधा हेतु टैक्सियां शहर के प्रतिबन्धित मार्गों पर निगम द्वारा चलाई जा रही है।

xiii) **युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को बसों में मुफ्त यात्रा सुविधाः** निगम उन सैनिकों तथा पैरा मिलिट्री सैनिकों को जो युद्ध के दौरान शहीद होते हैं कि विधवाओं, माता पिता व 18 वर्ष के बच्चों को निगम की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान कर रहा है।

xiv) **महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवाएंः** निगम द्वारा प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवाएं आरम्भ की गई है।

xv) **दिव्यागों की सुविधा हेतु बस अड्डों पर व्हील चेयर उपलब्ध करवानाः** दिव्यागों की सुविधा हेतु 30 बस अड्डों पर व्हील चेयर उपलब्ध करवाई गई है।

xvi) **महिलाओं की सुविधा हेतु सेनेटरी पैड वैंडिग मशीनों का लगवानाः** 30 बस अड्डों पर महिलाओं की सुविधा हेतु सेनेटरी पैड वैंडिग मशीनों को स्थापित किया गया है भविष्य में अन्य बस अड्डों पर भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

12.14 उपलब्धियां

परिवहन विभाग रोजगार सृजन के साथ यात्रियों को गुणात्मक, आरामदायक एवम स्वेच्छात्मक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने जैसे उद्देश्यों पर कार्य कर रहा है, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्वि हो रही है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में सड़क सुरक्षा तथा तुरन्त कार्यवाही विभाग की मुख्य प्राथमिकता है। दिसम्बर, 2020 तक प्रदेश में कुल 17,87,482 वाणिज्यक एवं निजी वाहन का पंजीकरण किया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर 2020 तक ₹247.69 करोड राजस्व अर्जित

किया है। इसके अतिरिक्त कुल 9,160 वाहनों के विभिन्न अपराधों के अंतर्गत चालान पेश किये गए जिनमें से ₹4.23 करोड़ की राशि प्राप्त की गई।

12.14.1 वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत परिवहन विभाग की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैः–

1. **जल परिवहनः**
   सामान एवं यात्रियों के आवागमन के लिए जल परिवहन कार्यकलाप जैसे यात्री, कारगो तथा पर्यटक जल–क्रीड़ा और शिकारा आदि चमेरा, कोल डैम और गोविंद सागर, झीलों में विकसित किये जाएगें। इस दिशा में चार स्थानों को अन्तिम रुप दिया गया जो निम्नलिखित है।
   i) राजकीय महाविद्यालय सुन्नी के समीप
   ii) होटल हाट स्प्रिंग तत्तापानी के समीप
   iii) गांव रंडोल, तत्तापानी
   iv) गांव कसौल, जिला मण्डी

2. **चालक प्रशिक्षण संस्थान(डी.टी.एस.) और प्रदूषण जांच केंद्रः**
   ईच्छुक उमीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभाग ने राज्य में 282 चालक प्रशिक्षण संस्थानों को लाईसैन्स दिए है जिनमे सें 8 चालक प्रशिक्षण संस्थान आई.टी. आई., 10 हिमाचल पथ परिवहन निगम और 264 निजी चालक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे है। इसके अलावा राज्य में 104 प्रदूषण जांच केंद निजी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहें है।

3. **स्कूली बच्चों को सुरक्षित परिवहन सुविधा हेतु दिशा निर्देशः**
   राज्य सरकार स्कूली बच्चों की सुरक्षा हेतु गंभीर है। परिवहन विभाग ने सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, के अंतर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार, सड़क सुरक्षा जागरुकता, प्रर्वतन तथा प्रचार किया जा रहा है।

4. **रोजगार सृजनः**
   परिवहन विभाग ने वर्ष 2020–21 में 14,500 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है जिस में से 8,600 व्यक्तियों को दिसम्बर, 2020 तक रोज़गार प्रदान किया जा चुका है।

5. **निरीक्षण एवं प्रमाणिता केन्द्रः**
   राज्य में वाहनों के निरीक्षण और प्रमाणन में सुधार के लिए सड़क एवं राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार ने ₹16.35 करोड़ की लागत से जिला सोलन के बद्दी में निरीक्षण एवं प्रमाणिकता केन्द्र को मंजूरी दी गई है।

6. **परिवहन नगर का सृजनः**
   राज्य में यातायात की समस्या को हल करने के लिए विभाग की राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में परिवहन नगर विकसित करने की योजना है।

7. **रज्जू मार्ग व तीव्र परिवहन निगम की स्थापनाः**
   हिमाचल प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के अधीन एक रज्जू मार्ग व

तीव्र परिवहन निगम की स्थापना की है। रज्जू मार्ग व तीव्र परिवहन निगम निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य करेगा:–

i) 21.4 कि.मी. साच दर्रा से पांगी क्षेत्र के लिए कनेकिटिविटी रज्जू मार्ग।

ii) यात्री रज्जू मार्ग पी.पी.पी. मोड पर नारकण्डा से हाटू पीक।

iii) यात्री रज्जू मार्ग –21 नजदीक पंडोह बांध से माता बगलामुखी मंन्दिर, भाखली, जिला मण्डी।

8. विद्युत वाहन नीतिः

हिमाचल प्रदेश सरकार विद्युत वाहन की हर श्रेणी (निजी, सांझी एवं व्यापारिक) में हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाने और सतत्, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल, समावेशी एवं समाकलित यातायात प्रदान करवाने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विद्युत वाहन नीति तैयार की गई है। जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं, निर्माताओं को लाभ तथा विद्युत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना होगा।

9. सड़क सुरक्षा उपायः

हिमाचल प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और दुर्घटनाओं को कम करने के साथ–साथ जानलेवा दुर्घटनाओं के लिए गहराई से चिंतित है। सड़क सुरक्षा का सामाजिक आंदोलन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर समाज की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। सभी हितधारकों की इस कार्य को क्रियान्वित करने हेतु समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष पूरे राज्य में मनाया जाता है। सम्पूर्ण प्रदेश में 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी, 2021 तक मनाया गया था। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष सड़क दुर्घनाओं की दर में कमी पाई गई है जोकि सारणी 12.3 में दशाई गई है।

सारणी 12.3

अवधि	दुर्घटनाएं	मृत्यु	चोट लगना
1.01.19 से 31.12.19	2,873	1,146	4,909
1.01.20 से 31.10.20	2,238	884	3,228

सामाजिक क्षेत्र

13 अध्याय

13.1 शिक्षा

जब हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया उस समय साक्षता दर 31.96 प्रतिशत थी जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 82.80 प्रतिशत है। राज्य में पुरूषों व स्त्रियों की साक्षरता दर में काफी अंतर है। पुरूषों की 89.53 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर 75.93 प्रतिशत है। निम्नलिखित आंकड़े राज्य में सरकारी, निजी और अन्य संस्थानों में बच्चों के नामांकन का चित्रण प्रस्तुत करते है।

चित्र 13.1: 2020 में आयु वर्ग और लिंग के आधार पर विभिन्न प्रकार के स्कूलों में बच्चों का नामांकन प्रतिशत ।

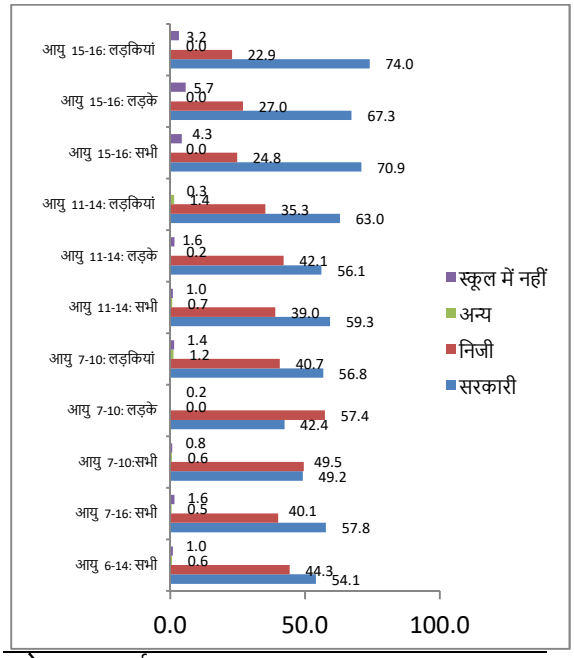

स्रोतः ए.एस.ई.आर., 2020

सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों की तुलना में बहुत अधिक है। 15–16 आयु वर्ग में लड़कियों का नामांकन सरकारी स्कूलों में अधिक (74.0 प्रतिशत) है, निजी स्कूलों में 7–10 आयु वर्ग के लड़कों 57.4 प्रतिशत और लड़कियों 40.7 प्रतिशत का नामांकन अन्य आयु वर्गों की तुलना में अधिक है। 15–16 आयु वर्ग में 5.7 प्रतिशत लड़कों और 3.2 लड़कियों का स्कूलों में नामांकन नहीं है।

चित्र 13.2: 2020 में घरेलू संसाधनों के आधार पर नामांकित बच्चों का वितरण

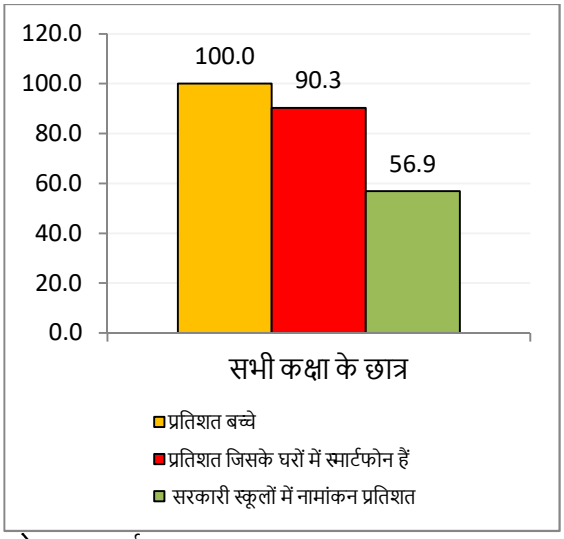

स्रोतः ए.एस.ई.आर., 2020

कुल नामांकित बच्चों में से, 90.3 लोगों के पास स्मार्ट फोन हैं परन्तु उनमें से केवल 56.9 प्रतिशत छात्र जिनका सरकारी स्कूलों में नामांकन हुआ है के पास स्मार्ट फोन हैं।

चित्र 13.3: वर्ष 2018 और 2020 में बच्चों का स्तर और लिंग के आधार पर नामांकन

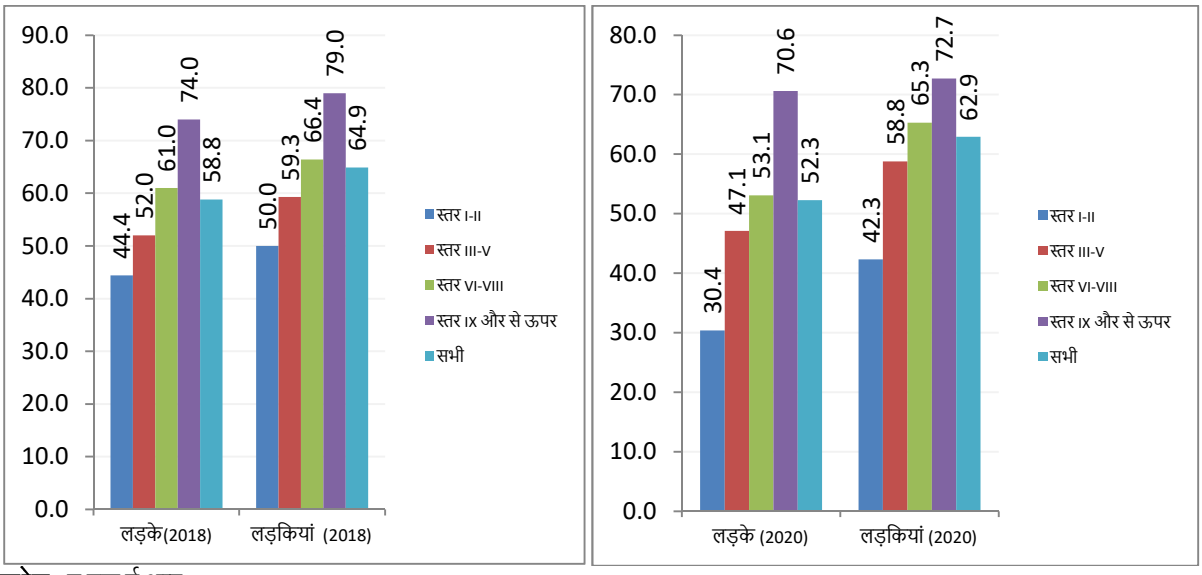

स्रोतः ए.एस.ई.आर., 2020

सरकारी स्कूलों में दाखिल हुए सभी मानकों में लड़कों का अनुपात 2018 के 58.8 प्रतिशत से घटकर 2020 में 52.3 प्रतिशत हो गया है इसी प्रकार सभी मानकों में से सरकारी स्कूलों में दाखिल हुई लड़कियों का अनुपात 2018 के 64.9 प्रतिशत से घटकर 62.9 रह गया है।

चित्र 13.4: 2020 तक स्कूलों के प्रकार से माता और पिता के शैक्षणिक स्तर द्वारा नामांकित बच्चों का वितरण

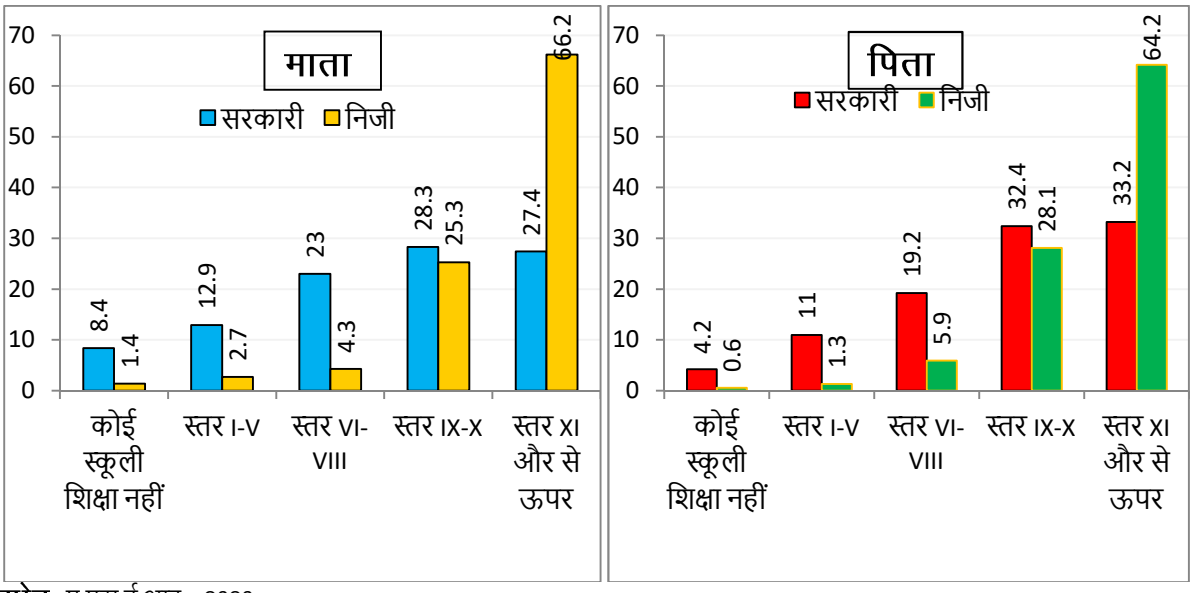

स्रोतः ए.एस.ई.आर., 2020

हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता–पिता का शैक्षणिक स्तर निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में कम है।

चित्र 13.5: वर्ष 2020 के लिए स्कूल प्रकार द्वारा अपने वर्तमान स्तर के लिए पाठ्य पुस्तक रखने वाले नामांकित बच्चे

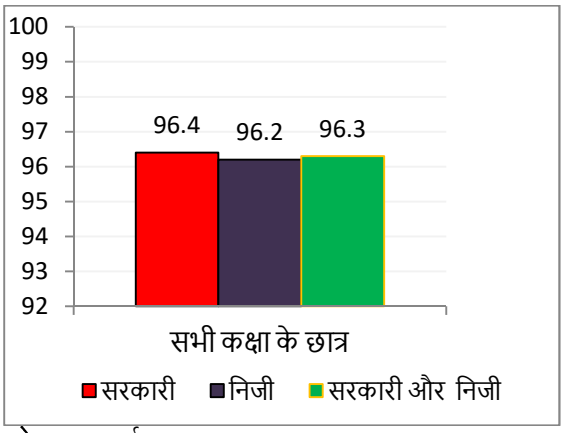

स्रोत: ए.एस.ई.आर., 2020

सभी स्तर के निजी स्कूलों में नामांकित 96.2 प्रतिशत बच्चों की तुलना में सरकारी स्कूलों में नामांकित 96.4 प्रतिशत छात्रों के पास पाठय पुस्तकें हैं। यह राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के कारण ही संभव हो पाया है और हिमाचल प्रदेश की स्थिति पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर है।

13.2 प्राथमिक शिक्षा

सरकारी क्षेत्र में 31.12.2020 में 10,723 प्राथमिक पाठशालाएं तथा 2,029 माध्यमिक पाठशालाएं हैं । प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा जरूरत वाले स्कूलों में नई नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सम्बन्धित जरूरतों को पूरा करने के लिए भी प्रयासरत है। प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धित सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन उद्देश्य :–

- प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण लक्ष्य प्राप्त करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवता प्रदान करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा की राज्य में सभी तक पहुंच बनाना।

13.3 राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं

वर्ष 2020–21 में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं:–

सारिणी –13.1 प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं

क्र. सं.	राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं	योजनाओं का विवरण	लाभान्वित विद्यार्थी
1	मेधावी छात्रवृति योजना	5 वीं कक्षा के छात्र जिन्होंने कम से कम ग्रेड बी हासिल किया है, वे छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 2 लड़कों और 2 लड़कियों को ₹800 प्रति वर्ष देने के लिए सुनिश्चित किया जाता है, जो सबसे अधिक अंक प्राप्त कर मेरिट में आतें हैं। उसे 7वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए नवीनीकृत किया जाता है।	.
2	आई.आर.डी.पी./ बी.पी.एल परिवार से संबंधित बच्चों को छात्रवृति	पहली से 5 वीं कक्षा के छात्रों को प्रति वर्ष ₹150 दिए जाते हैं और छठीं से 8वीं कक्षा के छात्रों को ₹250 प्रति छात्र प्रति वर्ष और ₹500 प्रति छात्रा प्रति वर्ष दिए जाते हैं ।	
3	छात्रा उपस्थिति योजना	पहली से पांचवीं कक्षा की उन छात्राओं की, जिनकी उपस्थिति कम से कम 90 प्रतिशत है, प्रति वर्ष ₹20 दिए जाते हैं।	
4	निर्धनता छात्रवृत्ति	पहली से पांचवीं कक्षा के उन छात्रों को जिनके माता–पिता की आय ₹11,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, उन्हें प्रति छात्र प्रति वर्ष ₹40 दिए जाते हैं।	
5	सशस्त्र बलों में काम करने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए	पहली से पांचवीं कक्षा के उन छात्रों को जिनके माता–पिता युद्ध के दौरान शहीद हुए या उन्हें 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगता प्राप्त हुई, उन्हें प्रति वर्ष ₹150 दिए जाते हैं।	

6	निःशुल्क पाठय पुस्तकें	पहली से आठवीं कक्षा के सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए निःशुल्क पुस्तकें हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं।	सभी विद्यार्थी
7.	**अटल वर्दी योजना**		
	(i) नि:शुल्क स्कूल की वर्दी	पहली से 12वीं कक्षा के लिए वर्दी के दो सेट प्रदान किए जा रहे हैं।	7,90,692
	(ii) स्कूल का बस्ता	पहली, तीसरी, छठी और 9वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल के बस्ते प्रदान किए गए हैं।	2,56,514
8	प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय का निर्माण और मुरम्मत	बुनियादी सुविधाओं के लिए।	
9	अटल आदर्श विद्यालय योजना	15 और नए अटल आदर्श विद्यालय अधिसूचित किए गए।	
10	मध्याहन भोजन योजना	यह योजना 2004 में प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए लागू की गई थी और 2008 में इस योजना को राज्य में 8वीं कक्षा तक बढ़ाया गया था।	4,89,330
11	स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना	100 चिहिन्त क्लस्टर विद्यालय	
12	पढ़ना लिखना अभियान	6 चिहिन्त जिले चम्बा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल–स्पिति, मंडी और सिरमौर जिसमे केंद्र – राज्य का योगदान 90:10 था।	

13.4 निष्ठा–प्राथमिक स्तर पर सेवारत अध्यापक प्रशिक्षणः

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर सिखने के प्रतिफल को प्राप्त करने हेतु समेकित अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा शुरू किया गया है। वर्ष 2019–20 भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 40,381 सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण होना था जिनमें से 33,064 अध्यापकों का प्रशिक्षण पूरा करवाया जा चुका है । वर्ष 2020–21 में शेष 8,982 अध्यापकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। एन.सी.ई.आर.टी. के निर्देशानुसार 18 निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

13.5 हर घर पाठशाला

कार्यक्रम को शिक्षा के एक ऑनलाइन मोड द्वारा हर घर पाठशाला के रुप में शुरु किया गया है। हर घर पाठशाला सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन अवधि के दौरान स्व–अध्ययन कार्यक्रम की सुविधा वाला एक गृह–आधारित शिक्षण कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1 से 12 कक्षाओं के लिए दैनिक आधार पर 2 घंटे के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए सार्थक निम्न शिक्षण गतिविधियां शुरू की गई हैं:–

- इस महामारी में स्कूलों को बन्द करने के कारण सीखने वाले छात्रों को बाधा नहीं पहुंचानी है।
- छात्रों की भावनात्मक देखभाल और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना ।
- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का वातावरण सुनिश्चित करना।
- शिक्षक इस समय का उपयोग शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण करने के लिए करते हैं।

13.6 ई–पी.टी.एम.

ई–पी.टी.एम. का अभियान बेहद उत्साहपूर्ण रहा जिससे चार दिनों के ई–पी.टी.एम. अध्ययन में प्रदेश भर के 98 प्रतिशत खण्डों की सक्रिय भागेदारी के कारण 48,000 शिक्षक 7.05 लाख छात्रों के माता पिता के साथ संवाद करने में सफल रहे। कुल मिलाकर लगभग 80 प्रतिशत माता–पिता ने बताया कि वे राज्य सरकार द्वारा हर घर पाठशाला के अन्तर्गत दी जाने वाली अध्ययन सामग्री उपयोगी रही।

13.7 प्री प्राइमरी प्रोग्राम

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्री प्राइमरी कक्षाएं चयनित 3,391 प्राथमिक स्कूलों में पिछले 3 वर्षों से सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं और 2020–21 में स्कूलों का आंकड़ा 3,840 हो गया है। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020–21 के लिए प्री प्राइमरी कक्षाओं में औपचारिक नामाकंन नहीं हो पा रहा था जिसके लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा 25 जुलाई, 2020 से नर्सरी व के.जी. कक्षाओं में प्रवेश हेतू एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम समग्र शिक्षा के अन्तर्गत शुरु किया है।

13.8 वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है प्रदेश में दिसम्बर, 2020 तक 932 उच्च पाठशालाएं, 1,869 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं तथा 139 सरकारी महाविद्यालय हैं जिसमें 7 संस्कृत महाविद्यालय, 1 एस.सी.ई.आर.टी, 1 बी.एड. महाविद्यालय और 1 ललित कला महाविद्यालय कार्यरत हैं।

13.9 प्रमुख छात्रवृति योजनाएं

प्रदेश में समाज के वंचित वर्ग की शिक्षा सुधार के लिए राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे विभिन्न वर्ग के छात्रों को अनेक छात्रवृतियां प्रदान की जा रही है। छात्रवृतियां निम्न प्रकार से हैं:–

सारिणी –13.2
उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राज्य/केन्द्रीय प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं 2019–20

क्र. सं.	राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं	छात्रवृत्ति और बुनियादी ढाँचा	लाभान्वित विद्यार्थी
1	डा0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजना	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धित स्कूलों के परिणाम के आधार पर 10वीं कक्षा की परीक्षा के शीर्ष 1,250 अनुसूचित जाति और 1,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को क्रमशः ₹12,000 और ₹10,000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं ।	कुल 1,285 छात्रों को लाभ हुआ है ।
2	स्वामी विवेकानन्द छात्रवृति योजना	10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए सामान्य श्रेणी के शीर्ष 2,000 मेधावी छात्रों को ₹10,000 (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध) दिए जाते हैं।	कुल 2,860 छात्र लाभान्वित हुए हैं ।
3	ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना	हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति से संबंधित रखने वाले शीर्ष 100 लड़कियां और 100 लड़कों को (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध) ₹11,000 दिए जाते हैं।	छात्रवृति आबंटन की प्रक्रिया अभी जारी है।
4	महर्षि बाल्मीकि छात्रवृति योजना	बाल्मीकि परिवारों से संबंधित हिमाचली लड़कियों को ₹9,000 मिलते हैं।	2 छात्र लाभान्वित हुए।
5	इंदिरा गांधी उत्कृष्ठ छात्रवृत्ति योजना	12 वीं की मेरिट सूची (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध) के शीर्ष 10 छात्रों को 12वीं के बाद के पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष ₹10,000 दिए जाते हैं।	19 छात्र लाभान्वित हुए।
6	सैनिक स्कूल छात्रवृति	यह छात्रवृति केवल सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा (हमीरपुर) में अध्ययनरत हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी विद्यार्थियों को देय है। यह छात्रवृति छठी कक्षा से जमा दो कक्षा तक प्रदान की जाती है।	–
7	एन.डी.ए. छात्रवृति योजना	यह छात्रवृति नेशनल अकादमी खडकवासला, पूना मे ट्रेनिंग ले रहे हिमाचल प्रदेश के छात्रों को विभिन्न दरों से प्रदान की जा रही है ।	–
8	कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना	प्रति वर्ष 10+2 की 2,000 छात्राओं को योग्यता के आधार पर ग्रुप वाईज सांईस, कला और वाणिज्य संकाय के आधार पर उतीर्ण अनुपात के अनुसार हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई मैरिट सूची के आधार पर ₹15,000 की राशि प्रदान की जाती है।	छात्रवृति आबंटन की प्रक्रिया अभी जारी है।
9	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	किसी भी भारतीय तकनीकी संस्थान और अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान में डिग्री कोर्स, भारतीय प्रबंधन अनुसन्धान, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स धनबाद, झारखंड और भारतीय विज्ञान अनुसंधान बैंगलोर के स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्राप्त होने पर एकमुश्त ₹75,000 का पुरस्कार दिया जाता है ।	66 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

10	राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज छात्रवृत्ति	हिमाचल प्रदेश के छात्र जो यहाँ के मूल निवासी हैं और राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून में 8वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं ₹20,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है।	8 छात्र लाभान्वित हुए हैं।
11	आई.आर.डी.पी. छात्रवृत्ति योजना	वे छात्र जो आई.आर.डी.पी. परिवारों से संबंधित हैं और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे हैं, 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ₹300, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए ₹800, कॉलेज के अनावासी छात्रों के लिए ₹1,200 और आवासीय छात्रों के लिए ₹2,400 प्रति माह दिया जा रहा है।	13,858 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
12	विभिन्न युद्वों के दौरान मारे गए/अपंग हुए सशस्त्र सेनाओ के बच्चों के लिए छात्रवृति	विभिन्न संक्रियाओं/युद्वो के दौरान मारे गए /अंपग हुऐ सशस्त्र सेनाओं के बच्चे इस छात्रवृति के पात्र हैं। इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, 9वीं – 10वीं कक्षा के छात्र को ₹300, प्रतिवर्ष, छात्रा को ₹600, प्रतिवर्ष, +1 एवं +2 कक्षा के छात्र एवं छात्रा को ₹800, प्रतिवर्ष, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के स्तर पर छात्र एवं छात्रा को ₹1,200, प्रतिवर्ष एवं आवासीय छात्र एवं छात्रा को ₹2,400, प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं।	2019–20 के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।
13	मुख्यमंत्री ज्ञान दीप योजना	विद्यार्थियों को 'मुख्यमन्त्री ज्ञानदीप योजना' के अन्तर्गत भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ₹10 लाख तक का शिक्षा ऋण पर चार प्रतिशत की सीमा तक ब्याज सब्सिडी दी जा रही है।	2019–20 के लिए 1003 विद्यार्थी लाभान्वित हुए है।
	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं		
14	एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹2,50,000 तक है और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र जिनके माता–पिता की आय ₹1,50,000 तक है जो सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं, वे सभी पाठ्यक्रमों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति (अर्थात अनुरक्षण भत्ता + पूर्ण शुल्क) के पात्र हैं।	सार्वजनिक वित्तीय प्रंबधन प्रणाली के माध्यम से छात्रवृति आबंटन की प्रक्रिया अभी जारी है।
15	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना अनुसूचित जाति के 9वीं व 10वीं कक्षा में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक न हो। इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, एक शैक्षिणिक वर्ष में 10 माह की छात्रवृति, आवासीय छात्रों को ₹6,250 प्रतिवर्ष, और ₹3,000 अनावासीय छात्रों को प्रतिवर्ष दी जाती है। अनुसूचित जन–जाति वर्ग के लिये पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना 9वीं एवं 10वीं के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹2.00 लाख से अधिक न हो। इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत, एक शैक्षिणिक वर्ष में 10 माह की छात्रवृति, आवासीय छात्रों को ₹2,250 और अनावासीय छात्रों को ₹4,500 प्रतिवर्ष दी जाती है। यह छात्रवृति योजना पहली से 10वीं कक्षा तक अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता–पिता/संरक्षक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक न हो। यह छात्रवृति पहली से 10वीं कक्षा तक ₹100	सार्वजनिक वित्तीय प्रंबधन प्रणाली के माध्यम से छात्रवृति आबंटन की प्रक्रिया अभी जारी है।

		प्रतिमाह की दर से, जोकि अनावासीय छात्र हो तथा तीसरी से 10वीं कक्षा तक ₹500 प्रतिमाह की दर से, जोकि आवासीय हो तथा इसके अतिरिक्त एक शैक्षिणिक वर्ष में 10 माह की छात्रवृति के साथ पहली से 10वीं कक्षा तक के लिए प्रतिवर्ष ₹500 की तदर्थ राशि भी देय होगी।	
16	अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना	यह छात्रवृत्ति मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाती है। पात्रता के लिए छात्रों के 50 प्रतिशत से कम अंक नहीं होने चाहिए और उनके माता–पिता की आय ₹2.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।	30 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति का आबंटन केन्द्र स्तर पर किया जाता है।
17	अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	यह छात्रवृत्ति 11वीं से पीएचडी तक के अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाती है, जिनकी पिछली अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक नहीं हैं और जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹2.00 लाख तक है ।	529विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति का आबंटन केन्द्र स्तर पर किया जाता है।
18	शारीरिक रुप से अक्षम (विकलांग) छात्र/छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना	यह छात्रवृति योजना हिमाचल प्रदेश के उन स्थाई विकलांग छात्र/छात्राओं के लिए देय है जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो, जिसे राज्य सरकार के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो तथा जिनके माता पिता की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹2,50,000 से कम हो।	इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति का आबंटन केन्द्र स्तर पर किया जाता है। 56 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए हैं।

13.10 संस्कृत शिक्षा का प्रचार

संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी हर सम्भव प्रयास किए जा रहे है जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ रहे विद्यार्थियों को संस्कृत छात्रवृति प्रदान करना

ख) सकैण्डरी पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ाने हेतु संस्कृत प्रवक्ताओं के लिए वेतन अनुदान प्रदान करना।

ग) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण करना।

ध) प्रदेश सरकार को संस्कृत के उत्थान तथा शोध/शोध परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

13.11 अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्यापकों को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत इन सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण दे कर शिक्षा की नवीनतम तकनीक से परिचित करवाने की आवश्यकता है। कोविड–19 महामारी के दौरान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय धर्मशाला ने अक्तूबर और नवम्बर माह मे ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। वर्ष 2020–21 के दौरान 186 विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचायों को प्रशिक्षण दिया गया है।

13.12 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

राज्य सरकार द्वारा नवीं से दसवीं कक्षा तक पाठ्यक्रम की पुस्तकें मुफ्त दी जा रही हैं। वर्ष 2020–21 में इस योजना के अंतर्गत ₹17.30 करोड़ व्यय किए गए जिससे 1,31,072 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

13.13 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही हैं।

13.14 छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा

प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें व्यावसायिक एवं प्रौफैशनल पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत केवल शिक्षा शुल्क ही माफ किया जा रहा है।

13.15 सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा

प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्वयं आर्थिक प्रबन्धन आधार पर वैकल्पिक विषय को चयनित कर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान की जा रही है। आई.टी. शिक्षा के लिए विभाग द्वारा ₹110 प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी फीस ली जा रही है। अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) परिवारों के छात्रों को 50 प्रतिशत शुल्क की छूट दी जाती है। वर्ष 2020–21 में कुल 77,861 विद्यार्थी आई.टी. शिक्षा के लिए नामांकित हुए जिसमें 5,846 अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) के विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

13.16 समग्र शिक्षा

निम्नलिखित योजनाएं समग्र शिक्षा के अन्तर्गत चल रही हैं:–

i) **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA):**
विभाग ने राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान को प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति की देख रेख मे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की 90:10 की सहभागिता में माध्यमिक स्तर पर लागू करने मे बढ़त हासिल कर ली है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं इसमें प्रदेश की वर्तमान माध्यमिक पाठशालाओं के आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना, सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण, आत्म रक्षण प्रशिक्षण, कला उत्सव तथा वार्षिक स्कूल अनुदान शामिल हैं।

ii) **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी**
स्मार्ट कक्षा कक्ष और मल्टीमीडिया शिक्षण साधन का प्रयोग करके पठन–पाठन की गतिविधियों को बेहतर व सुदृढ़ करने के लिए विभाग द्वारा सफलतापूर्वक सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी परियोजना को 2,137 राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में वर्ष 2019–20 में लागू कर दिया गया है। वर्ष 2020–21 में 418 अतिरिक्त पाठशालाओं को शामिल किया जाएगा।

iii) **व्यावसायिक शिक्षा**
नेशनल सकिल क्वालीफिकेशन फेमवर्क योजना के अन्तर्गत वर्तमान

में 953 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है तथा दिनांक 31.03.2021 तक 50 अतिरिक्त विद्यालयों में भी ये व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर दी जाएगी । इस योजना के अन्तर्गत ऑटोमोबाइल, आई.टी./आई.टी.एस., पर्यटन और आतिथ्य, दूरसंचार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खुदरा, कृषि, मीडिया और मनोरंजन, बी.एस.एफ.आई., शारीरिक शिक्षा, घरेलू सजावट, सौंदर्य और कल्याण, इलेक्ट्रोनिक, हार्डवेयर और प्लंबर जैसे व्यावसायिक विषयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा विभाग वर्ष 2020–21 के दौरान, Jio-TV के माध्यम से, हिम शिक्षा–व्यावसायिक चैनल मे 15 ट्रेडों की व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है।

iv) **माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों को समेकित शिक्षा**

इसके अन्तर्गत विशेष जरूरतमन्द बच्चों के लिए 12 आदर्श विद्यालय पहले ही खोले जा चुके हैं। वर्ष 2019 में, 2,074 विशेष बच्चे सरकारी विद्यालयों में दाखिल किए गए हैं। कोविड–19 के कारण, वर्ष 2020–21 के दौरान, विभाग इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वित्तीय सहायता, उपकरण और अन्य सामग्री प्रदान नहीं कर सका । यद्यपि विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों के अध्ययन के लिए छात्रवृति प्रदान किया जा रही है।

13.17 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के सुधार हेतू राज्य में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लागू किया है। वर्ष 2020–21 के दौरान एन.ए.ए.सी. बैंगलौर से 39 सरकारी डिग्री कॉलेजों को मान्यता दी जाएगी।

13.18 नेटबुक्स/ लेपटॉप सवितरण

विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017–18 में स्टूडैन्ट डिजिटल योजना/ श्री निवास रामानुजन योजना के अतंर्गत 9,886 हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों (4,493 10वीं व 4,488 12वीं) तथा महाविद्यालयों के 905 मेधावी विद्यार्थियों को पठ्न–पाठ्न की प्रक्रिया को सुद्धढ़ करने हेतु लेपटॉप/ नेटबुक वितरित किए गए।

13.19 मेधा प्रोत्साहन योजना

हिमाचल प्रदेश के चयनित मेधावी आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों को सी.एल.ए.टी./एन.ई.ई.टी./आई.आई.टी./ जे.ई.ई./ए.आई. आई.एम.एस./ए.एफ.एम.सी./एन.डी.ए./यू.पी.एस.सी./एस.एस.सी./ बैंकिंग आदि के लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी। 429 छात्र (ग्रेजुएट–150, साइंस–200, आर्ट्स–38 और कॉमर्स–41) वर्ष 2020–21 के दौरान लाभान्वित हुए।

13.20 सी.सी.टी.वी. निगरानी तन्त्र की स्थापना

सरकारी शिक्षण सस्थानों में विधार्थियों को सुरक्षा व पारदर्शिता प्रदान करने हेतू वर्ष 2020–21 के दौरान, 100 विद्यालयों में सी.सी.टी.वी. निगरानी तन्त्र/ प्रणाली कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं।

13.21 स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय तथा उत्कृष्ट महाविद्यालय योजना

वर्ष 2020–21 के दौरान, उच्च शिक्षा विभाग, हि.प्र. द्वारा स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत राज्य में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 68 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रुप में नामित कर दिया है। विभाग ने प्रत्येक विद्यालयों के विद्यालय परिसर के विकास और सौंदर्यीकरण, पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं के लिए ₹44.00 लाख का बजट प्रावधान कर दिया गया है। इसके साथ ही, विभाग ने 09 सरकारी महाविद्यालयों को भी उत्कृष्ट महाविद्यालयों के रुप मे नामित कर लिया है।

13.22 खेल से स्वास्थ्य योजना

इस योजना के अन्तर्गत विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 29 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं और 34 राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न खेलों का सामान जैसे कि कब्बडी खेल के मैटस, जूडो मैटस, कुश्ती और भारतोलन व मुक्केबाजी के लिए रींगस प्रदान किए हैं।

13.23 स्वर्ण जयन्ती सुपर 100 योजना

वर्ष 2020–21 में, उच्च शिक्षा विभाग, हि.प्र0. द्वारा सरकारी विद्यालयों मे पढनें वाले दसवीं के शीर्ष 100 मेधावी छात्रों को पेशेवर / तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु कोचिंग के लिए ₹1.00 लाख की वित्तीय सहायता इस योजना के अन्तर्गत प्रदान करने के लिये प्रक्रिया शुरु कर दी है।

13.24 सी.वी. रमन वर्चअल कक्षा–कक्ष विद्यालयों / महाविद्यालयों में स्थापित करना

वर्ष 2020–21 में, उच्च शिक्षा विभाग हि.प्र. द्वारा शिमला जिला में 24 वर्चुअल कक्षा–कक्ष रुम की स्थापना कर दी गई है तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, 56 विद्यालयों, 50 महाविद्यालयों के वर्चुअल कक्षा कक्ष स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

13.25 सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय

वर्ष 2020–21 के दौरान, उच्च शिक्षा विभाग, हि.प्र. द्वारा मण्डी जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय को कार्यात्मक बनाया गया है। राजकीय महाविद्यालय बासा, नारला द्रंग में, एम.एल.एस.एम. सुन्दर नगर कलस्टर विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय हैं।

13.26 कोविड–19 के दौरान की गई पहल

वर्ष 2020–21 के दौरान, कोविड–19, के कारण स्कूल लगभग 10 महीनों से बन्द चल रहे हैं, विभाग ने विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो इस उद्देश्य से उनके घर पर ही ऑनलाईन शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया , इसके लिये उच्च शिक्षा विभाग, हि.प्र. ने ''हर घर पाठशाला'' जैसे प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसमें, राज्य के सरकारी विद्यालयों के विभिन्न कक्षा मे पढने वाले 2,84,885 छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान की जा रही है। दूरदर्शन, शिमला पर भी हिमाचल

दूरदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम के अन्तर्गत दैनिक आधार पर कक्षाएं शुरु की गई है। अध्ययन सामग्री और नोटस विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से छात्रों के घरों में उपलब्ध करवाए जाते हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान माता–पिता और शिक्षकों के बीच सीमित संवाद को फिर से शुरु करने के लिये ई–संवाद मोबाईल ऐप भी लॉन्च किया गया है।

13.27 तकनीकी शिक्षा

वर्तमान में विभाग का कार्य क्षेत्र तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। आज हिमाचल प्रदेश के इच्छुक प्रत्येक विद्यार्थी प्रदेश में ही तकनीकी शिक्षा तथा फार्मेसी में स्नातक, डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट कोर्स के लिए निम्नलिखित संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं:–

कमांक	संस्थान का नाम	संस्थानों की संख्या
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी स्थित कमांद	01
2.	राष्ट्रीय प्रौद्यौगिक संस्थान, हमीरपुर	01
3.	राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलोजी संस्थान, कांगड़ा	01
4.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर	01
5.	भारतीय सूचना एंव प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना	01
6.	केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संस्थान (सिपेट), बद्दी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन	01
7.	क्षेत्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) (आर.वी.टी.आई.), जुण्डला, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला ।	01
8.	राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय।	05
9.	राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय ।	04
10.	बी–फार्मेसी महाविद्यालय (निजी क्षेत्र में)	14
11.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय (निजी क्षेत्र में)	12
12.	बहुतकनीकी (सरकारी क्षेत्र में)	15
13.	बहुतकनीकी (निजी क्षेत्र मे)	07
14.	डी0 फार्मेसी कालेज (निजी क्षेत्र में)	11
15.	सैकिण्ड सिफट डिप्लोमा कोर्सिस (निजी क्षेत्र में)	03
16.	सहशिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी क्षेत्र में)	113
17.	स्टेट ऑफ आर्टस आई.टी.आई.	11
18.	मॉडल आई.टी.आई. नालागढ़ एवं संसारपूर, कागड़ा	02
19.	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी क्षेत्र में)	09
20.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दिव्यांगों के लिए) सुन्दरनगर (सरकारी क्षेत्र में)	01
21.	मोटर ड्राईविंग स्कूल, ऊना (सरकारी क्षेत्र में)	01
22.	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (निजी क्षेत्र में)	151
23.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	03
	योग	**369**

वर्तमान में प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों की प्रवेश क्षमता निम्नलिखित हैः–

i)	डिग्री स्तर	=	2,554
ii)	बी फार्मेसी	=	1,310
iii)	डिप्लोमा स्तर	=	5,636
iv)	सरकारी/निजी आई.टी.आई.	=	49,000
	कुल	**=**	**58,500**

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चरण–III (टी.ई.क्यू.आई.पी–III) अप्रैल, 2017 से शुरू किया गया था और यह मार्च 2021 में समाप्त होगा। राज्य के तीन कॉलेजों जैसे जवाहर लाल राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय,राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय,अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय को परियोजना के तहत चुना गया है। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता चयनित कार्यक्रम चरण–III, में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय को ₹20.00 करोड़ और अन्य तीन संस्थानों को ₹10.00 करोड़ की परियोजना लागत के साथ शामिल किया गया है।

13.28 एस.पी.एस.डी.पी. के अन्तर्गत लघु अवधि प्रशिक्षण

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हि.प्र. कौशल विकास निगम द्वारा 38 सरकारी आई.टी.आई. के साथ समझौता किया गया है जिसमें हिमाचली युवाओं को एन.एस.क्यू. एफ. आधारित लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में 4,500 प्रशिक्षणार्थी 33 सरकारी आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के 3 वर्षों में 27,655 प्रशिक्षुयों को विभिन्न व्यावसायिक कार्य क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

13.29 स्ट्राइव परियोजना

19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केंद्र प्रायोजित योजना के तहत चुना गया है, इन संस्थानों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए औद्योगिक मूल्य संवर्धन (स्ट्राइव) के लिए कौशल को बढावा देना ताकि प्रशिक्षुओं को गुणात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। स्ट्राइव परियोजना के तहत प्रोजेक्ट लाइफ के लिए चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को ₹30.71 करोड़ आबंटित किए जाने है। वित्त वर्ष 2020–2021 के लिए भारत सरकार द्धारा ₹12.24 करोड़ स्वीकृत हुए हैं और बजट आबंटन के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हस्तांतरित किए गए हैं। राज्य निदेशालय के लिए इस परियोजना के तहत प्रोजेक्ट लाइफ के लिए ₹11.80 करोड़ आबंटित किए गए हैं।

13.30 कोविड–19 के दौरान की गई पहल

i) 300 से अधिक संकाय को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान और केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से करवाये जाने वाले ऑनलाईन संकाय विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया है।

ii) वर्ष 2020–21 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राज्य सरकार के तय निर्देशों के अनुसार

इंजीनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में ऑनलाईन प्रवेश/परामर्श प्रक्रिया का संचालन किया गया तथा प्रवेश लिए हुए छात्रों की कक्षाऐं शुरु की गई। इसके अलावा मौजूदा छात्रों की कक्षाऐं ऑनलाईन मोड के माध्यम से व्यवस्थित की जा रही हैं।

स्वास्थ्य

13.31 स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण

राज्य सरकार का दृष्टिकोण राज्य के सभी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य एवं उनकी तन्दरुस्ती को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, संचारित तथा गैर संचारित रोगों का उन्मूलन तथा इस दशक में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है। राज्य ने स्वास्थ्य सम्बन्धी मोर्चे पर काफी प्रगति की है तथा स्वास्थ्य संकेतकों में राष्ट्र की तुलना में बेहतर स्थिति में है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उपचारात्मक, बचाव, प्रोत्साहन एवं पुर्नवास जैसी सेवाएं चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो, के माध्यम से प्रदान कर रहा है, जो सारिणी में नीचे दिए गए हैं।

सारिणी–13.3

मद	2018–19	2019–20	2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक)
एलोपैथिक संस्थानों की संख्या			
i) चिकित्सालय	94	98	99
ii) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	94	92	91
iii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	586	588	574
iv) ई.एस.आई. औषधालय	16	16	16
योग	**790**	**794**	**780**
v)सभी प्रकार की एलौपैथिक संस्थाओं में उपलब्ध विस्तरों की संख्या	14,295	14,527	14,553

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:–

सारिणी–13.4
टी.बी. को नियंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में बुनियादी संरचना

क्र.स.	टी.बी. को नियंत्रित कार्यक्रम	संख्या
1	क्षय रोग सेनेटोरियम	1
2	जिला क्षय रोग केंद्र	12
3	ब्लॉक क्षयरोग युनिट	76
4	माईक्रोस्कोपिक केंद्र	218
5	माध्यमिक प्रयोगशाला	1
6	राज्य दवा भण्डार	1
7	राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण केन्द्र	1
8	सी.वी. जांच प्रयोगशालाएं	26
9	सी.वी.–एन.ए.ए.टी. लैव व्हील पर (मोवाईल)	1
10	कलचर एवं ड्रग टैस्ट प्रयोगशालाए	2
11	नोडल डी.आर. टी.वी. केन्द	4
12	जिला डी.आर. टी. वी. केन्द्र	12
13	राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र	1
14	ट्रू–नाट	25
	योग	381

सारिणी–13.5
राज्य में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रम

क.स.	कार्यक्रम	संक्षिप्त विवरण
1	राष्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रम	वर्ष 2020–21 के दौरान 2,23,562 स्लाइड्स की जांच की गई, जिनमें से 32 स्लाइड पॉजिटिव पाई गईं। मलेरिया के कारण कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई।
2	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	वर्ष 1995–96 में प्रचलन दर 5.14 थी, जोकि वर्ष 2020–21 में घटकर 0.18 प्रति दस हजार रह गई है। कुष्ठ रोग के 47 नए मामलों का पता लगा है।
3	संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.)	दिसंबर, 2020 तक, 13,872 टी.बी. मामलों का पता चला। भारत सरकार के सहयोग से राज्य ने निक्षय पोषण योजना के तहत ₹500 प्रति मरीज पोषण सहायता के हिसाब से पोषण सहायता के रुप में ₹11.92 करोड़ टी.बी. के मरीजो को दिए गए है। हिमाचल प्रदेश सरकार सभी मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टी.बी. मरीजों के उपचार पालन और उपचार की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, इलाज की अवधि के दौरान मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना के तहत ₹1500 प्रति माह की वित्तीय मदद दें रही हैं। वर्ष 2020 में सभी MDR मरीजों को इस योजना से ₹16.22 लाख की राशि वितरित की गई।
4	राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम	दिसंबर, 2020 तक, 13,805 मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए हैं।
5	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	यह राज्य में सामुदायिक आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत 1,093 नसबंदी, 7,854 आई.यू.डी. सम्मिलित किए गए और 17,934 ओ.पी. उपयोगकर्ताओं और 45,797 सी.सी. उपयोगकर्ताओं को दिसंबर, 2020 तक लाभ मिला।
6	व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम	इसे माताओं, बच्चों और शिशुओं में रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। वैक्सीन निवारक रोगों अर्थात, तपेदिक, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, नियो–नेटल, टेटनस, निमोनिया, पोलियोमाइलाइटिस और खसरा और रूबेला में उल्लेखनीय कमी आई है।
7	हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हिमकेयर)	HIMCARE उन परिवारों के लिए है जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत नहीं आते हैं या सरकारी मेडिकल प्रतिपूर्ति का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। कैशलेस उपचार कवरेज प्रति वर्ष ₹5.00 लाख है। अब तक 4.62 लाख परिवार पंजीकृत किए गए हैं और 1.25 लाख लाभार्थियों ने इस योजना के तहत ₹129.27 करोड़ की राशि का कैशलेस उपचार का लाभ उठाया है।
8	आयुष्मान भारत–प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना	आयुष्मान भारत प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹5.00 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 5 लाख परिवार कैशलेस इलाज पाने के पात्र हैं। लगभग 3.35 लाख परिवारों ने स्वर्ण कार्ड प्राप्त किए हैं और इस योजना के आरम्भ से 77,549 रोगियों ने ₹80.96 करोड़ की कैशलेस उपचार राशि का लाभ उठाया है।
9	स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र	2022 तक सभी स्वास्थ्य उप–केंद्रों और पी.एच.सी. को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के रूप में उन्नत किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, दिसम्बर, 2020 तक, 1,473 एच.एस.सी. और 525 पी.एच.सी. और 13 UPHC को HWC के रूप में अधिसूचित किया गया है।
10	कैंसर मधुमेह हृदय रोगों तथा स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं: क) टेलस्ट्रोक प्रोजेक्ट ख), नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ग) कैंसर केयर यूनिट्स, घ) ई–हेल्थ कार्ड। पलवेटिव उपचार इकाईयां (2019), ड.) एकीकृत निरोग क्लीनिक (2020), च) स्कूल सम्बन्धी पहलों को प्रोत्साहित करना (2020)
11	किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	वर्ष 2020–21 के दौरान 23,06,593 सेनेटरी नैपकिन लड़कियों को ₹1.00 प्रति पैकेट (6 न0) की दर से बेचे गए।
12	राष्ट्रीय एड्स रोकथाम कार्यक्रम	क) एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र (ICTC)– दिसंबर 2020 तक 74,686 ए.एन.सी. क्लाइंट में से 18 को एच.आई.वी. पॉजिटिव पाया गया। ख) STI / RTI: दिसंबर, 2020 तक 27,925 लोगों ने इन RTI / STI क्लीनिकों की सेवाओं का लाभ उठाया है। ग) रक्त सुरक्षाः दिसंबर, 2020 तक 288 VBD शिविर आयोजित किए गए हैं। घ) एंटी रैट्रोवायरल ट्रीटमेंट प्रोग्राम – राज्य में IGMC, RH हमीरपुर, RPGMC, टांडा में तीन ART सेंटर हैं। ड़) लक्षित हस्तक्षेप – उच्च जोखिम समूह के लिए राज्य में 17 लक्ष्य हस्तक्षेप परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। 478 लोगों ने RTI/STI सेवाओं का लाभ लिया तथा 8,253 कुल जोखिम समूहों का पता लगाया गया जिनमें से दिसम्बर, 2020 तक 11 एच.आई.वी. मामलों का पता लगाया गया।

13.32 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

वर्तमान में प्रदेश में 6 आर्युविज्ञान महाविद्यालय और एक दन्त महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में चल रहे है। इसके साथ एक आर्युविज्ञान महाविद्यालय और चार दन्त महाविद्यालय निजी क्षेत्र में भी चल रहे है। वित्तीय वर्ष–2020–21 (7.01.2021 तक) में संस्थावार आंबटन एवं व्यय का विवरण निम्न सारिणी में दिया गया है:

सारिणी–13.6

(₹ करोड़ में)

संस्थान का नाम	आंबटन	व्यय
आई.जी.एम.सी. शिमला	266.28	156.70
के.एन.एच.	7.83	5.48
आई.जी.एच.	12.05	9.55
राजकीय दन्त महाविद्यालय शिमला	24.06	15.46
डॉ आर.पी.जी.एम.सी., टाण्डा	157.94	96.15
डॉ. यशवन्त सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन	84.84	32.35
पं. जवाहर लाल नेहरु राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चम्बा	68.43	28.63
डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर	57.81	31.13
श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक, मण्डी	81.22	50.82
अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेरचौक, मण्डी	10.00	3.50

13.33 शैक्षणिक उपलब्धियॉ:

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में शैक्षणिक उपलब्धियॉ निम्न प्रकार से हैं:–

1. **एम.बी.बी.एस. और पी.जी. छात्र:** शैक्षणिक सत्र 2020–21 के दौरान कुल 870 एम.बी.बी.एस सीटें सरकारी व निजी क्षेत्र में भरी गईं, इसके अतिरिक्त 266 पी.जी. सीटें विभिन्न विशेषताओं में आई.जी.एम.सी शिमला, डॉ. आर.पी.जी.एम.सी. टांडा तथा महर्षि मार्कण्डेश्वर विश्वविद्यालय सोलन में भरी गई।
2. **बी.डी.एस. और एम.डी.एस.:** 355 बी.डी.एस. सीटें तथा 95 एम.डी. की सीटें सरकारी एवं निजी क्षेत्र में शैक्षणिक सत्र 2020–21 के दौरान भरी गई।
3. **नर्सिंग:** शैक्षणिक सत्र 2020–21 के दौरान 30 ए.एन.एम., 1,540 जी.एन.एम., 1,780 बी.एस.सी. नर्सिंग, 435 पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग और 181 एम.एस.सी. नर्सिंग की सीटें विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों के लिए अनुमोदित की गई हैं।
4. **पैरा मैडिकल कोर्स:** 61 विद्यार्थी पैरा मैडिकल कोर्सों के विभिन्न विषयों में आई.जी.एम.सी. शिमला तथा डॉ. आर.पी.जी.एम.सी. टांडा में शैक्षणिक सत्र 2020–21 में दाखिल किए गए।
5. **छात्रवृतियां/वज़ीफे:** राज्य सरकार ने एम.बी.बी.एस. और बी. डी.एस. इन्टर्न छात्रों के बजीफे को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹17,000 प्रति माह किया गया है, जिसका लाभ सरकारी क्षेत्र के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के 200 एम. बी.बी.एस. छात्रों एवं दन्त महाविद्यालय के 60 बी.डी.एस. छात्रों को वार्षिक रूप में होगा।
6. **डी.एन.बी. पाठयक्रम:** शैक्षणिक सत्र 2020–2021 के दौरान डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा में न्यूरोलॉजी व फिजियोलॉजी प्रत्येक में 2 सीटें तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मण्डी, स्थित नेरचौक में 3 सीटें स्त्री रोग विभाग में

डी.एन.बी. पाठयक्रम शुरू कर छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

संस्थावार दिसम्बर,2020 तक की उपलब्धियों का विवरण निम्न सारणी 13.7 में दिया गया है:–

सारिणी–13.7

संस्थान	सुविधाएं
आई.जी.एम.सी. शिमला	क) ट्रॉमा सेंटर ख) सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक (निर्माणाधीन) ग) मौजूदा कैंसर अस्पताल का विस्तार घ) फोरेन्सिक लैब और प्रदर्शन कक्ष ड़) डी.एस.ए. मशीन स्थापित की गई, च) किडनी प्रत्यारोपण, छ) नया ओ.पी.डी. ब्लॉक बनाया गया।
डॉ आर.पी.जी.एम.सी., टाण्डा	क) ट्रामा केन्द्र (लेबल–।।) ख) मातृ एवं शिशु हैल्थ केयर सेन्टर ग) आधुनिकीकरण/मौजूदा सीवरेज उन्नयन यन्त्र घ) उत्कृष्टता का केन्द्र ड़) जी.एन.एम. स्कूल एम.बी.बी.एस. छात्राओं के लिए छात्रावास तथा पैरा–स्नातक छात्रावास भवन का निर्माण किया गया।
डॉ. यशवन्त सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन	क) 300 बिस्तरों का अस्पताल और एक शैक्षणिक ब्लॉक के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति, ख) केंद्रीय पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का अनुमोदन, ग) वर्ष 2020–21 में मेडिकल गैस मैनिफोलड सिस्टम को कार्यात्मक बनाया गया ।
पं0 जवाहर लाल नेहरु राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चम्बा	क) 200 बिस्तर वाले अस्पताल, हॉस्टल और विभिन्न श्रेणियों के आवासों का निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति ख) 64 स्लाइस सी.टी. स्कैन और 1.5 टैस्ला एम.आर.आई मशीन की खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई ग) केंद्रीय पी.एस.ए. ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र अनुमोदित किया गया।
डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर	क) 240 बिस्तर वाले अस्पताल, हॉस्टल और विभिन्न शैक्षणिक ब्लॉक, सेवा सम्बन्धी ब्लॉक तथा अन्य विशिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया, ख) केंद्रीय पी. एस.ए. ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र अनुमोदित किया गया है।
श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक, मण्डी	क) रक्त बैंक की शूरूआत पूर्ण रूप के साथ की गई है। ख) तृतीय कैंसर देखभाल केंद्र ग) सी.बी.सी.टी. ओ.पी.जी.के साथ मशीन और एक्स–रे मशीन की स्थापना की गई है। घ) बैरा यून्टि व ओ.ए.ई. और प्रतिबाधा ऑडियोमेट्री की स्थापना की गई। ड) टी.एम.टी. और पोटेबल ईको म"ाीन स्थापित की गई। च) आई.सी. टी.सी. सेन्टर बी.डी. आर. लैव तथा सीबीनेट की सुविधा आंरभ की गई ।
दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला	क) बेहतर रोगी देखभाल सेवाओं के लिए दन्त महाविद्यालय शिमला के लगभग सभी विभागों में एक्स–रे एवं रेडियोविसोग्राफी की सुविधा प्रदान की जा रही है । ख) ओरल मेडिसिन विभाग में स्नात्तकोतर कोर्स को भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है । ग) दन्त महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के लिए 50 डैन्टल चेयर और 12 ऑटोक्लेव की खरीद और स्थापना की गई है । घ) दन्त महाविद्यालय में परिवर्तन विभाग में इंडोडॉन्टिक्स शल्य चिकित्सा माइक्रोस्कोप की खरीद और स्थापना की गई है । ड) दन्त महाविद्यालय में एक अतिरिक्त एक्स–रे मशीन और एक रेडियोविसोग्राफी उपकरण की खरीद और स्थापना की गई है ।

13.34 आयुष

भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) तथा होम्योपैथी का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार द्वारा भी इस पद्वति को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1984 में आयुर्वेद विभाग की स्थापना की गई अब इसे आयुष विभाग का नाम दिया गया है। राज्य में आयुष स्वास्थ्य ढांचे के माध्यम से आम जनता को स्वास्थ्य देखभाल के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु राज्य आयुष नीति, 2019 को पहली बार 6 नवम्बर, 2019 को तैयार करके अधिसूचित किया गया और इस क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं में सम्भावित निवेशकों के साथ ₹1,323.25 करोड़ के 48 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए। आयुष आधारभूत संरचना का विवरण नीचे दिया गया है।

सारिणी–13.8
हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य अधोसंरचना की उपलब्धता

क. सं	संस्थान	संख्या (दिसम्बर, 2020 तक)
1	पी.जी. आयुर्वेदिक कॉलेज	1
2	बी.–फार्मेसी कॉलेज	1
3	क्षेत्रीय अस्पताल	2
4	जिला आयुर्वेदिक अस्पताल	34
5	नेचर केयर हॉस्पिटल	1
6	आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र	1039
7	आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र	143
8	अनुसंधान संस्थान	1
9	औषधि परीक्षण प्रयोगशाला	1
10	फार्मास्युटिकल साइंस कॉलेज (बी–फार्मेसी आयुर्वेद)	1
11	यूनानी स्वास्थ्य केंद्र	3
12	होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र	14
13	अमची क्लीनिक	4
14	आयुर्वेदिक फार्मेसी	3
कुल		**1,248**

सारिणी–13.9
आयुष के अन्तर्गत प्रमुख उपलब्धियां

शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्धियां	उपलब्धियां (दिसम्बर, 2020 तक)
आयुर्वेदिक शिक्षा	शैक्षणिक सत्र 2020–21 में बी ए एम एस सीटों को 60 से बढ़ाकर 75 किया गया तथा सनात्तकोतर (post graduate) सीटों को बढ़ाकर 39 से 56 किया गया।
पोषण अभियान	पोषण अभियान के तहत एनीमिया की रोकथाम के लिए एक परियोजना छह विकास खण्डों में चलाई जा रही है जिसमें 118 पंचायतों के 842 गांव शामिल हैं और यह कार्यक्रम अभी भी जारी है जसके लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा वित्त पोषण किया गया है:– क) ठियोग, जिला शिमला ख) कसौली, जिला सोलन ग) करसोग, जिला मण्डी घ) बंगाणा, जिला उना ड़) तिस्सा, जिला चम्बा च) भोरंज, जिला हमीरपुर
बैग फ्री डे	इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों ने ए एच सी के आसपास के स्कूलों का दौरा किया और छात्रों को व्यक्तिगत स्वच्छता व मादक पदार्थों के सेवन न करने के बारे में जागरुक किया और स्वास्थ्य वार्ता भी आयोजित की इस कार्यक्रम के अन्तर्गत् कुल 6,35,205 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
साप्ताहिक योग दिवस	460 ए.एस.सी. में प्रत्येक शुक्रवार को 'साप्ताहिक योग दिवस' आयोजित किए गए जिससे कि 2,91,158 लोग लाभान्वित हुए।
जनमंच	यह प्रदेश सरकार का एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित किए जिससे कि 32,234 लोग लाभान्वित हुए।
टी.बी. मुक्त हिमाचल अभियान	यह कार्यक्रम राज्य में चल रहा है आयुष विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर इसमें काम कर रहे हैं।
वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त आयुर्वेदिक दवाईयां	माननीय मुख्यमंत्री जी की वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त आयुर्वेदिक दवाईयां प्रदान की गई जिससे कि 1,93,586 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए।
किसानों एवं अन्य को लाभ	➢ औषधीय पौधों की खेती के लिए 105 किसानों को ₹48.63 की सब्सिडी जारी की गई। ➢ आयुर्वेदिक फार्मसी के लिए ऑनलाईन लाइसेंस की प्रक्रिया शुरु की गई जिससे कि विनिर्माण की फर्मों को नये लाइसेंस प्राप्त करने तथा उनके नवीनीकरण के लिए इसे पारदर्शी बनाया जा सके। ➢ आयुर्वेद बोर्ड में डिग्री/डिप्लोमा का ऑनलाईन पंजीकरण शुरू किया गया है।

13.35 हर्बल संसाधनों का विकासः

सार्वजनिक क्षेत्र में एक मॉडल नर्सरी को ₹25.00 लाख खर्च करके करसोग में स्थापित किया गया। औषधिय पौधों की खेती के प्रचार/प्रसार के लिए सोलन और किन्नौर में ₹12.50 लाख खर्च करके दो छोटी नर्सरियां स्थापित की गईं। निजी क्षेत्र में भी एक नर्सरी राष्ट्रीय प्लांट बोर्ड के अन्तर्गत ₹12.50 लाख के अनुदान के साथ देहरा में स्थापित की जा रही है।

13.36 कोविड –19 महामारी का प्रबन्धनः

14 फरवरी, 2021 तक पूरे राज्य में कुल संक्रमित मामले 58,222 पाए गए, कुल स्वस्थ्य हुए मामलों की संख्या 56,917 है तथा 981 मरीज़ों की कोविड–19 से दुर्भाग्यवश मौत हो गई है। ये आंकड़े राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। जिलावार ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

सारिणी–13.10

हिमाचल प्रदेश में पुष्टि, सक्रिय, स्वस्थ हुए और घटे हुए मामले (14 फरवरी 2021 को)

जिले	पुष्ट केस	सक्रिय	स्वस्थ हुए	मौतें
शिमला	10,440	39	10,134	266
मंडी	10,250	98	10,027	125
कांगड़ा	8,319	93	8,018	206
सोलन	6,752	19	6,660	73
कुल्लू	4,431	9	4,437	83
सिरमौर	3,471	24	3,416	31
हमीरपुर	3,043	3	2,990	49
चंबा	2,970	13	2,903	52
ऊना	2,974	85	2,844	44
बिलाशपुर	2,941	21	2,895	24
किन्नौर	1,373	10	1,347	16
लहौल–स्पीति	1,258	0	1,246	12
संपूर्ण	58,222	414	56,917	981

13.37 कोविड–19 महामारी से प्रभावी तरीके द्वारा निपटने हेतु उठाए गए कदमः

कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने राज्य में कोविड–19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार महामारी की शुरुआती दौर से ही विभिन्न कदम उठाए गए जिसका विवरण निम्नलिखित हैं:–

13.37.1 निगरानी और संपर्क अनुरेखण (Surveillance and Contact Tracing) :

i) कोविड–19 के सामुदायिक प्रसारण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए, स्कूलों को बंद करने के निर्देश मार्च के महीने में ही जारी किए गए थे, भ्रमण /मेलों को स्थगित कर दिया गया था, धार्मिक स्थलों में लोगों के आने पर रोक लगा दी थी और समय पर तालाबन्दी (Lockdown) सुनिश्चित की गई थी।

ii) कोविड–19 के प्रसार के लिए जिलों में संपर्क–ट्रेसिंग टीमों (Contact Tracing Team) का गठन किया गया था। जिलों में नियन्त्रण क्षेत्र (Containment Zone) जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित किए गए थे। नियंत्रण क्षेत्र (Containment Zone) में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा सक्रिय निगरानी तथा बफर जोन में निष्क्रिय निगरानी की गई। नियन्त्रण क्षेत्र (Containment Zone) कोविड–19 में माइक्रो प्लान तैयार किए गए ।

iii) 3 अप्रैल, 2020 से 16 अप्रैल 2020 तक कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए सक्रिय मामलों का पता लगाने का अभियान (Active Case Finding Campaign) चलाया गया । इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि निगरानी से छूटें लोगों की पहचान की जा सके, जिससे की अतिसंवेदनशील जनसंख्या और ज्यादा जाखिम वाले लोगों की अलग से देखभाल की जा सके।

iv) इसी प्रकार राज्य के सभी जिलों में 25 नवंबर, 2020 से 4 जनवरी, 2021 तक हिमसुरक्षा अभियान चलाया गया जिस के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा घर–घर जाकर सभी नागरिकों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की गई एवं सभी को कोविड–19, क्षय रोग एवं कुष्ठ रोग जैसी ज्यादा जोखिम (High risk) वाली बीमारियों से सम्बन्धित सावधानियां बरतने के लिए जागरूक किया गया।

13.37.2 सूचना शिक्षा और संचार (IEC):

i) प्रदेश में सभी व्यक्तियों को कोविड–19 के प्रति उचित व्यवहार अपनाने के लिए जमीनी स्तर पर गहन आई.ई.सी. गतिविधियों को अपनाया गया जिसके तहत व्यापक स्तर पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सामाजिक प्लेटफार्मों के माध्यम से राज्य भर में प्रसार किया गया।

ii) 8 अक्टूबर, 2020 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जन आन्दोलन की शुरूआत की गई जिसके अन्तर्गत तीन मंत्रों अर्थात्, फेस मास्क पहनना, बार–बार हाथ धोना और 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना का पालन करने के लिए दिशा निर्देश दिये गये।

iii) राज्य में लोगों को विभिन्न जन मीडिया अभियानों के माध्यम से नियमित रूप से निवारक उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आम जनता की जागरूकता के लिए "सुरक्षा की युक्ति, कोरोना से मुक्ति" का एक विशेष अभियान प्रभावी रूप से पूरे राज्य में शुरू किया गया है।

iv) जन प्रतिनिधि अपने–अपने क्षेत्रों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नेतृत्व में नियमित रूप से जागरूकता पैदा कर रहे हैं। यह उच्चतम स्तर पर कार्यक्रम के प्रति वचनबद्धता को दर्शाता है और कोविड–19 के नियंत्रण में शामिल सभी हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक है।

v) राज्य में आने वाले पर्यटकों को नियमित रूप से विभिन्न I.E.C. मीडिया के माध्यम से कोविड–19 से संबंधित निवारक उपायों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाता है।

vi) आयुष के वित्त वर्ष 2020–21 में ₹30 लाख मूल्य के मधुशती आदि क्षय (इम्यूनिटी वूस्टर) के 50,000 पैक्ट वरिष्ठ नागरिकों, कोरोना योद्धाओं/ सक्रिय व स्वस्थ हुए कोविड–19 के लोगों को निःशुल्क वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त ₹1.30 करोड़ मूल्य के आयुष क्वॉथ को आयुर्वेदिक फार्मेसी जोगिन्दरनगर में तैयार कर राज्य के 7.50 लाख वरिष्ठ नागरिकों एवं कोरोना योद्धाओं को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है।

13.37.3 परीक्षण (Testing):

i) कोविड–19 महामारी की शुरुआती दौर में, हिमाचल प्रदेश से कोविड–19 के नमूने N.I.V. पुणे भेजे गए। उसके पश्चात् आई.जी.एम.सी.

शिमला और डॉ आर.पी.जी.एम.सी. टांडा, कांगड़ा में नमूनों की जांच शुरू की गई । इसके बाद अन्य 8 R.T.P.C.R. लैब्स की स्थापना की गई और राज्य के सभी कोविड नमूनों का इन प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जा रहा है।

ii) जिलों में कोविड परीक्षण को मजबूत करने के लिए 25 ट्रूनाट (True NAT) मशीनें, 2 सी.बी.एन.ए.ए.टी. (CBNAAT) मशीनें और रैपिड एंटीजन के माध्यम से भी परीक्षण किये जा रहे है। 108 एम्बुलेंस को विशेष रूप से कोविड–19 परीक्षण के लिए संशोधित किया गया और इसका उपयोग फील्ड में किया जा रहा है।

iii) राज्य दैनिक आधार पर लगभग 8,000 नमूनों का प्रसंस्करण (Processing) कर रहा है। परीक्षण की क्षमता बढ़ाने के लिए निजी प्रयोगशालाओं को राज्य में विभिन्न श्रेणी के परीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।

iv) विभाग ने TureNAT परीक्षण के लिए राज्य की निजी प्रयोगशालाएं को ₹2,000 और रैपिड एंटीजन परीक्षण के लिए कीमत ₹300 प्रति नमूना सभी करों के साथ रखी गई है ।

v) विभाग द्वारा लोगों के लिए ओटो एसएमएस (Auto SMS) की सुविधा प्रदान की गई है जिसके अन्तर्गत लोगों के नमूनों की जांच की रिपोर्ट एस.एम.एस. द्वारा उन तक पहुंचाई जा रही है। इससे आम जनता को परिणाम के लिए अनावश्यक यात्रा/प्रतीक्षा/चिंता कम हो गई है और परिणामों की रिपोर्टिंग/सांझा करने में अधिक पारदर्शिता लाई है।

vi) जीवन धारा–"मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर" को दूरस्थ/दुर्गम, क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसका उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों में कोविड संदिग्धों के परीक्षण के लिए भी किया जाता है।

13.37.4 उपचार और प्रबंधन (Treatment and Management):

i) बड़े पैमाने पर सामान्य आबादी की मृत्यु दर और रूगणता को कम करने के लिए, गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाएं सक्षम की गईं। अप्रैल के महीने में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से शुरू किया गया, गैर कोविड सुविधाओं में नियमित सर्ज़री के निर्देश अगस्त महीने में दिए गए, प्रसूति के साथ प्रसूति देखभाल व टीकाकरण निरंतरता में रहीं।

ii) बीमारी की गंभीरता के आधार पर कोविड रोगियों के प्रबंधन के लिए समर्पित सुविधाएं बनाई गईं। लक्षण रहित एवं कम लक्षण वाले मरीज़ों की देखभाल समर्पित कोविड देखभाल केंद्रों (DCCC) (आमतौर पर पंचायत/ ब्लॉक स्तर पर गैर–स्वास्थ्य सुविधाओं) में की जा रही है, मध्यम बीमारी वाले मरीजों

की देखभाल समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्रों (DCHC) (उप–विभागीय/जिला स्तर) में और गंभीर मामलों की देखभाल का प्रबंधन समर्पित कोविड अस्पताल (DCH) में किया जा रहा है। इन सभी सुविधाओं पर सभी उपचार/आहार आदि निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं।

iii) 104 व्यापक कॉल सेंटर के माध्यम से, सभी रोगियों को अवसाद, चिंता, संकट जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही है। गैर कोविड स्वास्थ्य देखभाल के लिए बड़े पैमाने पर समुदाय को ई–ओ.पी.डी. परामर्श लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

iv) कोविड मरीजों के बेहतर नैदानिक प्रबंधन के लिए, मेडिकल कॉलेज स्तर पर राज्य कोविड नैदानिक टीम और कोविड नैदानिक समितियों का गठन किया गया है। कोविड रोगियों के प्रबंधन के लिए समय–समय पर समितियां नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी करती हैं तथा मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ों पर भी निगरानी रखी जा रही है।

13.37.5 स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रोत्साहन (Incentive for Health Workers) :

i) प्रदेश सरकार कोविड–19 के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सफाई कर्मचारी तथा वार्डबाय को ₹200 प्रोत्साहन राशि प्रति शिफ्ट दी गई।

ii) आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि ₹2,000 प्रतिमाह सितम्बर से दिसम्बर तक दी गई।

13.37.6 स्वास्थ्य प्रणाली/अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना (Strengthening of Health System/ Infrastructure) :

i) हिमाचल प्रदेश में कोविड–19 रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर समय–समय पर सभी कोविड समर्पित सुविधाओं को प्रदान किया गया। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर गम्भीर कोविड रोगियों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए समर्पित किये गये ।

ii) DDU शिमला, SLBSGMCH नेरचौक, ZH धर्मशाला, Dr. RPGMC टांडा और Dr. YSPGMC नाहन में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तैयार हैं। Pt. LNGMC चंबा, Dr. RKGMC हमीरपुर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का कार्य प्रगति पर है।

iii) भविष्य में कोविड–19 मामलों में किसी भी अप्रत्याशित वृद्धि को संभालने के लिए, नालागढ़ (सोलन), IGMC शिमला, DRPGMC टांडा (कांगड़ा), SLBSGMCH नेरचौक (मंडी) में Makeshift अस्पतालों का विकास किया जा रहा है। इनका उपयोग भविष्य में क्षेत्र/अस्पताल की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

समाज कल्याण कार्यक्रम

13.38 समाज कल्याण एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

राज्य का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, शिशुओं, विशेष रूप से विकलांग, अनाथ बच्चों, विधवाओं, निराश्रित, गरीब बच्चों और महिलाओं आदि के सामाजिक– आर्थिक और शैक्षिक उत्थान में लगा हुआ है। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित पेंशन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

सारिणी–13.11
राज्य की सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाएँ

योजनाएं	पात्रता शर्तें	राशि(₹)
वृद्धावस्था पैंशन	वे बुजुर्ग जिनकी आयु 60 से 69 वर्ष है और जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से कम है/ वे बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो और बिना किसी आय सीमा के। 2,90,194 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹505.63 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹427.46 करोड़ की राशि 31.12.2020 तक व्यय की गई।	850 / 1500 प्रति माह
दिव्यांग राहत भत्ता	जिनकी 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता तथा आय ₹35,000 प्रति वर्ष से कम है/जिनकी 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता है। 63,027 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹79.49 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹66.75 करोड़ की राशि 31.12.2020 तक व्यय की गई ।	1000 / 1500 प्रति माह
विधवा/परित्यक्त /एकल नारी पेंशन	45 वर्ष से अधिक की महिला जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 प्रति वर्ष से कम है। 96,903 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹122.51 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹106.31 करोड़ की राशि 31.12.2020 तक व्यय की गई।	
लेपर्स को पुनर्वास भत्ता	कुष्ठ रोगी के लिए उम्र और वार्षिक आय की किसी भी सीमा के बिना। 1,482 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹1.84 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹1.26 करोड़ की राशि 31.12.2020 तक व्यय की गई ।	850 प्रति माह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (बी.पी.एल.)	60 वर्ष से 69 वर्ष/ 70 वर्ष से अधिक के व्यक्ति जो बी.पी.एल. से संबंधित हैं, पेंशन बिना आय मापदंड के दी जाती है। 1,00,722 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹64.03 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹56.73 करोड़ की राशि 31.12.2020 तक व्यय की गई ।	850 / 1500 प्रति माह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	40 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु की विधवाएं जो बी.पी.एल. से संबंधित हैं। 24,008 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹14.76 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹12.76 करोड़ की राशि 31.12.2020 तक व्यय की गई ।	1200 प्रति माह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन	18 से 79 वर्ष तक के विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्ति के लिए 80 प्रतिशत विशेष क्षमता और बीपीएल से संबंधित है। 1,118 पेंशनरों के लक्ष्य हेतु ₹15.35 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹10.22 करोड़ की राशि 31.12.2020 तक व्यय की गई ।	1500 प्रति माह

विभाग तीन निगमों द्वारा जोकि हि. प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हि. प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति विकास निगम को स्वंय रोजगार योजनाएं चलाने हेतु निवेश शीर्ष के अन्तर्गत राशि उपलब्ध करवा रहा है।

13.39 अनुसूचित जाति/जन–जाति पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण

वर्ष 2020–21 के अर्न्तगत निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं:–

सारिणी–13.12
एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. एवं अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए राज्य की विभिन्न योजनाएं

योजनाएं	संक्षिप्त विवरण
अंतर्जातीय विवाह के लिए पुरस्कार	अंतर्जातीय विवाह के लिए ₹50,000 का पुरस्कार दिया जा रहा है। वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत ₹3.10 करोड़ का बजट प्रावधान प्रदान किया गया तथा 382 दम्पतियों को 31.12.2020 तक ₹1.41 करोड़ की राशि व्यय करके लाभान्वित किया गया।
गृह अनुदान	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं और विधवा को जिनकी आय 35,000 से अधिक नहीं है को गृह अनुदान ₹1,50,000 प्रति परिवार घर निर्माण के लिए तथा ₹35,000 घर की मुरम्मत के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत ₹50.94 करोड़ का बजट प्रदान किया गया है तथा 1,413 व्यक्तियों को 31.12.2020 तक ₹21.13 करोड़ की राशि के साथ लाभान्वित किया गया।
कंप्यूटर में प्रशिक्षण और प्रवीणता	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, दिव्यांग, एकल महिला और विधवा या जिनकी वार्षिक आय ₹2.00 लाख से कम है, को ₹1350 प्रति माह और दिव्यांगो के लिए ₹1500 की राशि प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत ₹6.06 करोड़ का बजट प्रावधान प्रदान किया गया है और 194 प्रशिक्षुओं को 31.12.20 तक ₹5.10 करोड़ की राशि व्यय करके लाभान्वित किया गया है।
एस.सी./एस.टी. पर अत्याचार के शिकार को मुआवजा	एस.सी./एस.टी. अत्याचार के शिकार लोगों को ₹85,000 से ₹8.25 लाख तक की राहत प्रदान की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 3.05 करोड़ का बजट प्रावधान प्रदान किया गया है तथा ₹ 2.20 करोड़ की राशि 31.12.2020 तक व्यय की गई।
दिव्यांगो के लिए छात्रवृत्ति	उन सभी श्रेणियों के बच्चों के लिए जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत है, को यह छात्रवृति ₹625 से ₹3,750 तक दी जाती है।31.12.2020 तक ₹1.36 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 32.25 लाख की राशि व्यय की गई है।
दिव्यांग व्यक्तियों के साथ विवाह करने वाले को विवाह अनुदान	स्वस्थ पुरुष व महिला को दिव्यांग व्यक्ति से विवाह के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 40 से 69 प्रतिशत की दिव्यांगता पर 25,000 रुपये दिए जाते है। और 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ₹60.00 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध 31.12.2020 तक ₹23.08 लाख की राशि व्यय की गई ।
स्व–रोजगार	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम द्वारा 40 प्रतिशत और उससे अधिक की विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों को उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020–21 के अर्न्तगत 31.12.2020 तक ₹2.51 करोड़ की राशि 54 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी की गई है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संस्थान	दृष्टिहीन और श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा और व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य में ढली तथा सुंदरनगर में दो संस्थान स्थापित किए गए हैं। ₹45.00 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध 31.12.2020 तक ₹31.32 लाख की राशि व्यय की गई।
दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRCs)	दो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र क्रमशः डी.आर.डी.ए. हमीरपुर और भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, धर्मशाला के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत ₹5.00 लाख की राशि प्रदान की गई।

13.40 महिला एवं बाल विकास

नारी सेवा सदन मशोबराः

इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवा लड़कियों, विधवा, बेसहारा तथा निराश्रय महिलाएं तथा जिनको नैतिक खतरा हो को निःशुल्क आश्रय, खाद्य, कपड़ा, शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है। वर्तमान में नारी सेवा सदन मशोबरा में 21 महिलाएं व 2 बच्चे रह रहे हैं। महिलाओं को सदन छोड़ने पर पुनर्वास के लिए ₹25,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है तथा शादी

करने के लिए उसे ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

13.41 वन स्टॉप सेन्टर :

वन स्टॉप सेन्टर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ही छत के नीचे निजी तथा सार्वजनिक स्थानो में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करना है तथा महिलाओं के खिलाफ हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए चिकित्सकीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक तथा परामर्श सहायता सहित कई सेवाएं तत्काल आपातकालीन और गैर आपातकालीन स्थितियों में प्रदान करना है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक जिले में एक "वन स्टॉप सेंटर" की स्थापना की गई है।

13.42 महिला शक्ति केन्द्र

यह योजना ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने तथा जागरूकता, सृजन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक माध्यम प्रदान करती है। योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे छात्र स्वयं सेवक स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा तथा लैंगिक समानता की भावना को प्रोत्साहित करते हैं।ये छात्र स्वयं सेवक 'परिवर्तन के एजेंट' के रूप में कार्य करते हैं तथा समुदायों एवं राष्ट्र पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ता है। यह योजना हिमाचल प्रदेश के सभी जिले में चालू है।

13.43 सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेश

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैः

- बालिकाओं/ किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए नीतियों को बनना।
- सुरक्षा से सम्बन्धित एक्ट, नियमों, नीतियों और कार्यक्रमों तथा उत्थान।
- सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।
- बालिकाओं/किशोरियों के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने हेतु सुझाव देना है।
- बालिकाओं के स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी पहलुओं में गुणात्मक सुधार करना।

सारणी–13.13

महिला, बाल एवं लड़कियों के कल्याण के लिए राज्य की विभिन्न योजनांए

योजनाएँ	संक्षिप्त विवरण
बाल संरक्षण योजना	राज्य में 43 चाइल्ड केयर संस्थान हैं, जिनमें 37 चिल्ड्रन होम, 2 ऑब्जर्वेशन होम–कम–स्पेशल होम एवं होम–कम–प्लेस ऑफ सेफ्टी, 3 ओपन शेल्टर और 1 शिशु गृह शामिल हैं।
मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना	उच्च/व्यावसायिक शिक्षा के लिए बाल देखभाल संस्थानों को छोड़ने के बाद बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
बाल/बालिका सुरक्षा योजना और दत्तक देखभाल कार्यक्रम	बच्चों के रखरखाव के लिए दतक माता–पिता के पक्ष में ₹2,000 प्रति माह प्रति बच्चे की राशि मंजूर की जाती है और ₹500 प्रति बच्चा प्रति माह राज्य से अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
समग्र बाल विकास सेवाएं	विभाग, केन्द्र और राज्य के 90:10 के आधार पर पूरक पोषण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच रेफरल सेवा और गैर–औपचारिक पूर्व–विद्यालय शिक्षा प्रदान कर रहा है।
अनुपूरक पोषण कार्यक्रम	आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं और बीपीएल किशोरियों को केन्द्र और राज्य 90:10 में पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	इस कार्यक्रम के तहत बेसहारा लड़कियों के अभिभावकों को उनकी शादी के लिए ₹51,000 का अनुदान दिया जा रहा है, बशर्ते उनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो।
महिलाओं के लिए स्वरोजगार सहायता	इस योजना के तहत 35,000 से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को 5,000 आय सृजन करने वाली गतिविधियों को चलाने के लिए प्रदान किया जाता है।
विधवा पुनः विवाह योजना	योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा पुनः विवाह के बाद पुनर्वास में मदद करने के लिए है। इस योजना के अर्न्तगत दम्पति को ₹50,000 का अनुदान किया जाता है।
मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना	इस योजना का उद्देश्य अपने बच्चों की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रखरखाव के लिए BPL से संबंधित निराश्रित महिलाओं को प्रति वर्ष ₹6,000 प्रति बच्चे की सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते वार्षिक आय 35,000 से अधिक न हो।
विशेष महिला उत्थान योजना	इस योजना के अर्न्तगत शारीरिक और यौन शोषित महिलाओं को पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता हैं।
बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना	इस योजना को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर ऊना, सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर और मंडी जिलों में लागू किया गया है, जिसमें लैंगिक पक्षपातपूर्ण चयनात्मक उन्मूलन को रोकना है।
बेटी है अनमोल योजना	इस योजना के तहत ₹12,000 की पोस्ट बर्थ ग्रांट केवल दो लड़कियों को प्रदान की जाती है जो बी.पी.एल. परिवारों से संबंधित हैं और उनकी शिक्षा के लिए पहली कक्षा से स्नातक स्तर तक ₹ 450 से ₹ 5,000 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
किशोरियों के लिए योजना	इसका उद्देश्य 11–14 साल की उम्र की स्कूली किशोरियों को औपचारिक स्कूली शिक्षा या ब्रिज लर्निंग में वापस लाने के लिए, केन्द्र और राज्य के (90:10) के आधार पर उनकी पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को ₹5,000 प्रोत्साहन राशि तीन किश्तों में प्रदान करती है।
सशक्त महिला योजना	यह योजना 11–45 वर्ष की ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने और उनके अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें अपने अधिकार का एहसास करने और उन्हें पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए संस्थागत समर्थन की सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है। प्रत्येक विकास खण्ड के स्वयं सहायता समूह को ₹ 35,000 की आय सृजन गतिविधियों तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए राशि प्रदान की जाती है तथा प्रत्येक जिले से 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के आधार पर शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली 5 बालिकाओं को ₹ 5,000 प्रति बालिका अवार्ड राशि के रूप में दी जाती है।
नाबालिग बलात्कार और बाल दुर्व्यवहार पीड़िता का पुनर्वास	इस योजना का उद्देश्य गहन परामर्श वित्तीय सुरक्षा, कौशल उन्नयन पुनर्वास और आजीविका सहायता के माध्यम से बलात्कार और बाल शोषण के नाबालिग पीड़ितों के आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा लौटाना है। अपराध की पुष्टि होने पर पीड़ित को 21 वर्ष की आयु तक ₹ 7,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

13.44 हिमाचल प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र के खर्च के प्रवाहः

सामाजिक सेवा क्षेत्र पर खर्च में वृद्धि सरकार की सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के अनुपात के रूप में राज्य द्वारा सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य) पर व्यय 2014–15 से 2020–21 (अग्रिम अनुमान–ए) की अवधि के दौरान बढ़कर 7.68 प्रतिशत से 10.89 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान सभी सामाजिक क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। शिक्षा के लिए वृद्धि इसी अवधि में 4.12 प्रतिशत से बढ़कर 5.31 प्रतिशत और स्वास्थ्य के लिए 1.25 से 1.93 प्रतिशत हो गई। कुल बजटीय व्यय में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय का भाग भी 25.73 प्रतिशत (सारणी–13.14) से बढ़कर 34.68 प्रतिशत हो गया।

सारणी–13.14
राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र के खर्च में प्रवाह

संकेतक	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (A)	2019–20 (RE)	2020–21 (BE)
कुल बजटीय व्यय	2957820	3607578	3481120	3915427	4968750	4913084
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	877194	1065099	1147151	1266925	1559263	1704047
जिसमें सेः						
i) शिक्षा	443145	524091	604067	619772	758116	830447
ii) स्वास्थ्य	141740	178685	200583	223790	279068	302584
iii) अन्य	292309	362323	342501	423363	522079	571016
	जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में					
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	7.68	8.48	8.29	8.24	9.42	10.30
जिसमें सेः						
i) शिक्षा	3.88	4.17	4.37	4.03	4.58	5.02
ii) स्वास्थ्य	1.24	1.42	1.45	1.45	1.69	1.83
iii) अन्य	2.56	2.88	2.48	2.75	3.16	3.45
	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में					
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	29.66	29.52	32.95	32.36	31.38	34.68
जिसमें सेः						
i) शिक्षा	14.98	14.53	17.35	15.83	15.26	16.90
ii) स्वास्थ्य	4.79	4.95	5.76	5.72	5.62	6.16
iii) अन्य	9.88	10.04	9.84	10.81	10.51	11.62
	सामाजिक सेवाओं के प्रतिशत के रूप में					
i) शिक्षा	50.52	49.21	52.66	48.92	48.62	48.73
ii) स्वास्थ्य	16.16	16.78	17.49	17.66	17.90	17.76
iii) अन्य	33.32	34.02	29.86	33.42	33.48	33.51

स्रोतः राज्य सरकार के बजट दस्तावेज के अनुसार

नोटः

1. सामाजिक सेवाएंः जैसे शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का कल्याण, श्रम और श्रम कल्याण, सामाजिक

सुरक्षा और कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत आदि शामिल हैं।

2. शिक्षा पर व्ययः जैसे शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर व्यय से संबंधित है।

3. स्वास्थ्य पर व्ययः जैसे चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और जल आपूर्ति और स्वच्छता इत्यादि।

4. बाजार की प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात आधार वर्ष 2011–12 पर आधारित हैं। वर्ष 2020–21 के लिए जी.डी.पी. पहले अग्रिम अनुमान है

ग्रामीण विकास और पंचायती राज

14 अध्याय

14.1 ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है। राज्य में निम्नलिखित राज्य तथा केंद्रीय प्रायोजित विकासात्मक योजनाएं/ कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:–

14.2 दीनदयाल अन्तोदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAYNRLM)

यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका मुख्य उददेश्य गरीबी का उन्नमूलन करना जिसमें गरीब परिवार के एक व्यक्ति को लाभकारी रोजगार का आश्वासन देना व उनको कौशल के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह अभियान सम्पूर्ण प्रदेश के 80 विकास खण्ड़ों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

14.2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्न है:–

1 RSETIs के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के स्वंय सहायता समूहों को आवश्यकता के आधार पर विभिन्न आयामों में प्रशिक्षण देकर आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना।

2 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत् समस्त ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके आजीविका अर्जन की गतिविधियों से जोड़ना है।

3 इस मिशन के अन्तर्गत महिलाएं सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) तथा पेशेवर संसाधन व्यक्ति (PRPs) बन कर आजीविका अर्जन कर रही है और स्वंय सहायता समुह और स्वंय सेवक प्रतिष्ठान के गठन को बल दे रही है। हिमाचल प्रदेश में इस मिशन के अन्तर्गत लगभग 23,531 महिला स्वंय सहायता समूह 513 ग्राम संगठन और 8 कलस्टर लेवल फेडरेशन का गठन किया गया है। इसके अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को स्टार्ट–अप फंड, रिवालविंग फंड तथा सामुदायिक निवेश राशि के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

14.2.2 स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को दिए जाने वाले प्रोत्साहन निम्न प्रकार से हैं:–

i) ब्याज सबवैंशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत् महिला स्वंय सहायता समूहों को 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर ₹3.00 लाख का ऋण दिया जाता है। जिलों में इस योजना को दो प्रकार से बांटा गया है। वर्ग–1 में कांगड़ा, मण्डी, शिमला तथा ऊना (भारत

सरकार के अधीन) जिले आते हैं। वर्ग–2 में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, सिरमौर व सोलन जिले आते हैं। (राज्य सरकार के अन्तर्गत एच.पी. एस.आर.एल.एम.) अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ₹66.29 लाख ब्याज छूट के रुप में दिये जा चुके है।

ii) रिवालविंग राशि व सामुदायिक निवेश के रूप में दिये जाने वाले वित्तीय अनुदान

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत महिलाओं के स्वंय सहायता समूहों व उच्चस्तरीय महासंघों (ग्राम संगठनों और क्लस्टर/खण्ड स्तर महासंघ) का गठन किया गया हे। गठन के तीन महीने बाद प्रदर्शन के आधार पर स्वंय सहायता समूह को यदि वह नियमित रुप से मीटिंग, बचत, आन्तरिक ऋण, पुर्नभुगतान तथा उचित रिकॉर्ड रखता है, को ₹15 हजार रिवालविंग फंड के रूप में प्रदान किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने ₹18.02 करोड की राशि 12,462 से अधिक स्वंय सहायता समूहों को रिवालविंग फंड के रुप में वितरित की है।

iii) स्टार्टअप फंड

स्टार्टअप फंड की राशि ₹2500 तक स्वंय सहायता समूहों व ₹45,000 प्रति ग्राम संगठनों को गठन के उपरान्त प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने वर्ष 2018–19 से स्टार्टअप फंड की राशि स्वयं सहायता समूहों तथा ग्राम संगठनों को वितरित करनी प्रारम्भ की अब तक ₹220.47 लाख ₹8,710 स्वंय सहायता समूहों व ₹87.90 लाख की राशि 196 ग्राम संगठनों को स्टार्टअप फंड के रूप में दी जा चुकी है।

iv) रिवालविंग फंड

दस से पन्द्रह हजार रुपये की राशि उन स्वंय सहायता समूहों को दी जाती है जो गठन के बाद 3 माह से पंचसूत्रों का पालन कर रहे हों। अभी तक ₹11.40 करोड़ की राशि 6,767 स्वयं सहायता समूहों को दी जा चुकी हैं।

v) सामुदायिक निवेश निधि

सामुदायिक निवेश निधि ₹50 हजार से ₹1.10 लाख़ तक उन स्वंय सहायता समूहों को प्रदान की जाती है जो गठन के बाद 6 माह से अपनी जमा पूंजी व रिवालविंग राशि से सदस्यों को ऋण प्रदान कर रहे हो। यह राशि स्वंय सहायता समूहों को ऋण के रूप में इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाती है। 169 ग्राम संगठनों को अच्छा कार्य करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत लिया गया है तथा ₹5.90 करोड़ की अतिरिक्त राशि सामुदायिक निवेश निधि के रुप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदान की गई।

vi) आजीविका उत्थान

इस वर्ष के प्रारम्भ से हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने 16,000 स्वंय सहायता समूहों को चिन्हित किया है जो कि विभिन्न आजीविका उत्थान की गतिविधियों में संग्लन है। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने इस वर्ष से कृषि भूमि से होने वाली आजीविका के अवसरों पर बल दिया है इसके अभिसरण से शुन्य लागत आधारित प्राकृतिक खेती को प्राप्त करने के व्यापक अवसर हैं। इन स्वंय सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाये गए उत्पाद को हिम –इरा नाम के ब्रांड के अन्तर्गत बेचा जा रहा है। यह ब्रांड जून, 2019 में बनाया गया जिसके अन्तर्गत महिलाओं को ₹2.50 करोड़ की राशि अर्जित हो चुकी है।

14.2.3 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक जिलावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के अन्तर्गत उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:–

सारणी 14.1
वर्ष 2020–21 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

जिला का नाम	स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य	उपलब्धियां	रिवालविंग फंड का लक्ष्य		रिवालविंग फंड की उपलब्धियां	
			एस.एच.जी. की संख्या	राशि (₹लाख)	एस.एच.जी. की संख्या	राशि (₹लाख)
1	2	3	4	5	6	7
बिलासुपर	275	81	224	33.60	165	24.75
चम्बा	500	157	376	56.40	217	32.45
हमीरपुर	425	142	337	50.55	209	30.30
कांगड़ा	1075	719	790	118.50	658	93.60
किन्नौर	200	110	84	12.60	19	2.85
कुल्लू	350	235	240	36.00	91	12.05
लाहौल स्पिति	50	0	20	3.00	2	0.30
मण्डी	775	928	794	119.10	431	58.80
शिमला	775	540	632	94.80	509	73.05
सिरमौर	425	537	255	38.25	225	30.15
सोलन	325	151	195	29.25	214	32.10
ऊना	325	189	253	37.95	223	33.35
कुल योग	**5500**	**3789**	**4200**	**630.00**	**2963**	**423.75**

सारणी 14.1

सामुदायिक निवेश का लक्ष्य		सामुदायिक निवेश की उपलब्धियां		एस.एच.जी. ऋण का लक्ष्य (₹लाख में)	ऋण वितरित किया गया (₹लाख में)
एस.एच.जी. की संख्या	राशि (₹लाख)	एस.एच.जी. की संख्या	राशि (₹लाख)		
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
50	25.0	8	6.90	426.91	151.46
79	39.5	7	3.50	914.81	213.71
128	64.0	81	37.21	686.10	159.77
177	88.5	0	0.0	1829.61	1375.70
41	20.5	0	0.0	182.96	60.87
92	46.0	21	10.40	343.05	149.58
0	0.0	0	0.0	137.22	0.00
181	90.5	43	21.20	1460.88	885.46
131	65.5	11	5.80	1326.47	589.29
54	27.0	0	0.0	564.13	126.08
83	41.5	7	3.50	571.75	154.49
74	37.0	0	1.00	686.10	493.57
1090	**545.00**	**178**	**88.51**	**9129.99**	**4359.98**

14.3 मुख्यमंत्री एक बीघा योजना

मुख्यमंत्री एक बीघा योजना मई, 2020 में शुरु की गई थी जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा के बीच एक अभिसरण योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ पंजीकृत स्वंय सहायता समूह की कोई भी महिला ₹1.00 लाख तक इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठा सकती है अगर उसके पास मनरेगा जॉव कार्ड है। इस योजना के अन्तर्गत 20,540 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 11,397 स्वीकृत किए गए। आवेदनों के आधार पर 2,779 कार्य शुरु किये जिसमें से 140 कार्य ₹4.20 करोड़ के कुल व्यय के साथ पूरे किये गये।

14.4 दीनदयाल उपाध्यय ग्रामीण कौशल योजनाः (डी.डी.यू.–जी.के.वाई.)

दीनदयाल उपाध्यय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत् कौशल विकास के लिए चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल प्रदान करना और न्यूनतम मजदूरी या उससे ऊपर नियमित मासिक वेतन प्रदान करने वाली नौकरियां प्रदान करना है। इस योजना के लाभ निम्न वर्णित हैं:–

1. परियोजना के अन्तर्गत यह आश्वासन दिया गया है कि 70 प्रतिशत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा।

2. योजना के अन्तर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण एवं निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाती है।
3. पाठयक्रमों की अवधि 3–12 महीने तक होती है।
4. उम्मीदवार की पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग एक वर्ष के लिए की जाती है।

सारणी 14.2

वर्ष	नामांकित	प्रशिक्षित	जिन्हें नौकरी प्रदान की गई
2017–18	1599	1445	66
2018–19	3040	2554	1102
2019–20	2038	1135	923
2020–21	0	0	429
योग	**6677**	**5134**	**2520**

14.5 वाटरशैड विकास कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित बंजर भूमि/विकृत भूमि विकास, सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास तथा मरूस्थल क्षेत्र के परिस्थितिक संतुलन हेतु भूमि विकास, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में जलागम विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्य के बीच 90:10 के वित्त पोषण आधार पर लागू किया जा रहा है। इस वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2020 तक वाटरशैड विकास कार्यक्रम पी.एम. के.एस.वाई. के अन्तर्गत की गई प्रगति नीचे दर्शाई गई है:–

सारणी–14.3

राशि(₹ करोड)		भौतिक उपलब्धियां	
प्राप्तियां	**व्यय**	**उपचारित क्षेत्र(हैक्टेयर)**	**अर्जित कार्य दिवस**
57.19	20.66	223.00	1403649

14.6 प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई–जी.)

इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी बेघरों एवं कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को आधारभूत सुविधा वाले घर प्रदान करते हुए साफ सुथरा खाना बनाने के स्थान सहित लघुतम ईकाई क्षेत्र को 20 वर्ग मी. से बढ़ाकर 25 वर्ग मी. कर दिया गया है। पहाड़ी एवं कठिन स्थानों में नये मकान के निर्माण हेतु सहायता राशि ₹75,000 प्रति परिवार से बढ़ाकर ₹1.30 लाख कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2019–20 से ₹1.50 लाख की राशि लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है जिसमें ₹1.30 लाख की इकाई लागत के अतिरिक्त ₹20,000 की राशि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 में स्वीकृत की गई। इस योजना में लाभार्थियों के चयन का आधार सामाजिक एवं आर्थिक जाति जनगणना–2011 के आंकड़ों को बनाया गया है। वर्ष 2020–21 के 4,094 आवासीय लक्ष्यों में से दिसम्बर, 2020 तक लाभार्थियों के लिए 3,839 आवास स्वीकृत किये गये हैं।

14.7 मुख्यमन्त्री आवास योजना (एम.एम.ए.वाई.)

राज्य सरकार ने वर्ष 2016–17 के बजट में पहली बार बी.पी.एल. सामान्य श्रेणी के परिवारों के लिए यह योजना प्रारम्भ की थी। वित्त वर्ष 2018–19 में इस योजना को सभी बी.पी.एल. श्रेणियों के लिए आरम्भ किया गया। चालू वित्त वर्ष 2020–21 में ₹17.48 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है जिसके द्वारा सभी श्रेणियों के 998 आवासों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

14.8 सांसद आदर्श ग्राम योजना

इस योजना का मुख्य लक्ष्य निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में सहायक प्रक्रियाओं में तेजी लाना है। इस योजना का उद्देश्य सभी वर्गो के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता लाने के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार, अधिकतम उत्पादकता, बेहतर मानव विकास, बेहतर आजीविका के अवसर, असमानता में कमी, अधिकारों के लिए पंहुच दिलाना, व्यापक सामाजिक एकजुटता व समृद्ध सामाजिक पूंजी आदि सम्मिलित है। हिमाचल प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन के दूसरे चरण में प्रदेश में अभी तक केवल एक ही सांसद द्वारा आदर्श ग्राम पंचायत का चयन किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः

माननीय सांसद का नाम	आदर्श ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड का नाम	जिले का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम
श्री राम स्वरुप शर्मा	कुन्नू चारंग	पूह	किन्नौर	मण्डी (चौथा चरण)

14.9 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशनः

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM) को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 21 फरवरी, 2016 को लॉच किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य पांच वर्षों की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करके 300 क्लस्टर विकसित करना है। इस योजना के अन्तर्गत परिकल्पित परिणाम निम्न हैंः–

i) इस मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूचीबद्व संभावित स्थानों (उप–जिलों) को पहचाना गया है। सरकार द्वारा इन चिन्हित उप जिलों में से राज्य द्वारा रूर्बन क्लस्टर बनाने के लिए सन्निहित ग्रामों की पहचान की जानी है।

ii) क्लस्टर का चयन, ग्रामीण जनसंख्या दशक वृद्वि के आधार पर कमी, गैर कृषि गतिविधियों में कमी आना, आर्थिक विकास के संभावित क्षेत्रों, पर्यटन के स्थानों और धार्मिक महत्व के आधार पर किया जाता है।

iii) रुर्बन क्लस्टर भौगोलिक रुप से निकटवर्ती गांव का एक समूह है जिसमें जनसंख्या का आकार 25,000 से 50,000 साधारण एवं तटीय क्षेत्र के लिए और 5,000 से 15,000 रेगिस्तानी पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों के लिए तय है।

iv) मिशन के अन्तर्गत, प्रत्येक रुर्बन क्लस्टर को परियोजना की 70 प्रतिशत योजना लागत अन्य विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण द्वारा प्रदान की जानी है और योजना लागत का शेष 30 प्रतिशत राशि केन्द्र तथा राज्य द्वारा 90:10 में उपलब्ध करवाई जायेगी।

v) भारत सरकार द्वारा आवंटित 300 समूहों में से छह समूह तीन चरणों में हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत किये गये हैं। 6 कलस्टर जोकि स्वीकृत किए गए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

जिला का नाम	कलस्टर	ग्राम पंचायतें	चरण	स्वीकृति की तिथि
किन्नौर	सांगला	बतसरी,चांनसु, छितकुल, कामरू रकछम, सांगला, तिमग्रमा (बोनिंग सैरिंग)	I	मार्च, 2016
सोलन	हिन्नर	बनजानी, चैल, डंगगील, हिन्नर, झाजा, सकोली	I	मार्च, 2016
मण्ड़ी	ऑट	ऑट, झिरी, कोटाधार, नगवाई, किगश, टकोली,	II	अक्तूबर, 2016
किन्नौर	मोरंग	मोरंग, थांगी, रिसबा, कुन्नु, चराग	II	अगस्त, 2017
चम्बा	सिंहुता	हाटली, बलाना, गोला, थुलेट	III	अगस्त, 2017
शिमला	घणाहट्टी	नेरी, चैली, टुटू, मजठाई, बायचरी, घणाहट्टी, गनोग, नेहरा, शकराह	III	अगस्त, 2017

14.10 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)– भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–कार्यक्रम का प्रारम्भ 02.10.2014 को किया गया जिसके माध्यम से स्वच्छ भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जिला–वार भौतिक प्रगति दिसम्बर, 2020 तक निम्न प्रकार से है:–

सारणी–14.4

क्र. सं.	जिला का नाम	निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसर की संख्या	ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन
1	बिलासपुर	12	5
2	चम्बा	5	62
3	हमीरपुर	2	101
4	कांगड़ा	1	2
5	किन्नौर	6	18
6	कुल्लू	4	0
7	लाहौल–स्पिति	2	0
8	मण्डी	6	7
9	शिमला	4	9
10	सिरमौर	1	37
11	सोलन	34	3
12	ऊना	1	21
	कुल	78	265

14.11 पंचवटी

वर्तमान वित्तीय वर्ष (2020–21) में राज्य सरकार ने मनरेगा, एस.बी.एम. (ग्रामीण) तथा 14वें वित्त आयोग के साथ अभिसरण में पंचवटी नामक एक नई योजना शुरु की है जिसके अन्तर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त पंचायतों में बागों एवं उद्यानों का निर्माण किया जाएगा। जहां वरिष्ठ नागरिक अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। पंचवटी योजना के अन्तर्गत 364 स्थानों का चयन कर लिया गया है तथा 180 स्थानों पर कार्य शुरु कर दिया गया है। अब तक ₹528.89 लाख मनरेगा, एस.बी. एम.(जी) तथा 14वें वित्त आयोग के साथ अभिसरण में व्यय किया गया है।

14.12 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अधिसूचित किया गया। वर्ष 2020–21 में भारत सरकार द्वारा ₹744.25 करोड़ तथा प्रदेश सरकार के राज्य हिस्से के रूप में ₹86.41 करोड़ रोजगार गारंटी फंड में जमा किए जा चुके हैं तथा प्रदेश में ₹821.82 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं तथा 5,85,269 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवा कर 287.18 लाख कार्य दिवस अर्जित किये गए हैं।

14.13 पंचायती राज

वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषदें, 81 पंचायत समितियां तथा 3,615 (389 नव गठित सम्मिलित) ग्राम पंचायतें है। ग्राम पंचायतों को भूमि मालिकों/हितधारकों से भू–राजस्व एकत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा एकत्रित राशि के उपयोग करने के बारे ग्राम पंचायत स्वयं निर्णय लेगी। पंचायतों को विभिन्न प्रकार के कर, फीस तथा जुर्माना अधिरोपित करने तथा आय अर्जित करने वाली परिसम्पतियों के निर्माण हेतु ऋण लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पंचायतों को योजना बनाने के लिए, मोबाईल टावर लगाने एवं शुल्क अधिरोपित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। ग्राम पंचायतों को दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के लिए आवेदन की सुनवाई/निर्णय तथा ₹500 प्रतिमाह तक भरण पोषण भत्ता प्रदान करने हेतु आदेश देने की भी शक्ति दी गई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में ₹1.00 प्रति बोतल की दर से शराब की बिक्री पर उपकर ग्राम पंचायतों को हस्तातंरित किया गया है और इससे प्राप्त निधि को वह विकासात्मक कार्यों पर व्यय कर सकेगी। यह अनिवार्य किया गया है कि कृषि, पशु–पालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, राजस्व और कल्याण विभाग के गांव स्तर पर कार्यरत कर्मी उस ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेगें जिसकी अधिकारिता में वे तैनात हैं। पंचायती राज से सम्बन्धित अन्य प्रमुख प्रावधान निम्न हैं:–

1. 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2020–21 में शुरु की गई। इस वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ₹429.00 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से ₹214.50 करोड़ राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये जोकि ग्राम पंचायतों को 70 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 15 प्रतिशत तथा जिला परिषदों को 15 प्रतिशत के अनुपात में प्रदान किये गये।
2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत् पंचायती राज मन्त्रालय भारत सरकार ने राज्य सरकार को ₹126.69 करोड़ की वार्षिक योजना को स्वीकृत किया है जिसमें से पंचायती राज मन्त्रालय द्वारा ₹22.09 करोड़ राज्य को जारी कर दिये गये हैं। कुल ₹24.54 करोड़ (राज्य भाग सहित) में से ₹15.74 करोड़ निम्न गतिविधियों/घटकों के लिए जारी किये गये हैं।
   - i) पी.आर.आई. के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के लिए
   - ii) अतिरिक्त सुविधाओं पर आवर्ती लागत तथा चार डी.

पी.आर.सी. कांगड़ा, मण्डी, हमीरपुर तथा सोलन पर रखरखाव का व्यय।

iii) ग्राम पंचायत के साथ कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) का स्थापित करना।

iv) जिला लाहौल–स्पिति, किन्नौर तथा चम्बा जिला के पांगी, भरमौर पी.ई.एस.ए. के ग्राम सभा क्षेत्रों का सशक्तिकरण।

3. राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायतों को ₹228.39 करोड़ प्रतिबध देनदारियों और पूंजी कार्यों के लिए प्रदान किया गया।

4. सरकार द्वारा राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को कार्यालय से सम्बन्धित यात्रा के दौरान ठहरने की सुविधा प्रदान की है।

5. राज्य सरकार ने सरकारी विश्राम गृहों में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के पदाधिकारियों को कार्यालय सम्बन्धित यात्रा के दौरान ठहरने की सुविधा प्रदान की है।

6. अनुबंध के आधार पर सिलाई शिक्षकों का मानदेय ₹6,300 प्रति माह से बढ़ाकर ₹6,800 प्रतिमाह अप्रैल,2020 को कर दिया गया है।

7. पंचायत चौकीदारों का मानदेय ₹4,800 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹5,300 प्रतिमाह अप्रैल,2020 से कर दिया गया है।

विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन प्रस्तुत की गई हैं जिसके द्वारा साधारण जनता विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, विवाह पंजीकरण का लाभ ऑनलाईन उठा सकती है। पी.आर.आई.ए. सॉफट एप्लीकेशन के माध्यम से पंचायतों के खातों तक पहुंच उपलब्ध है।

आवास और शहरी विकास

15 अध्याय

15.1 आवास

हिमाचल प्रदेश सरकार, आवास एवम् शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के मकान, फ्लैट और विकसित भूखंड प्रदान कर रही है, ताकि विभिन्न आय समूहों के लोगों की आवास मांग को पूरा किया जा सके। इस वर्ष के लिए हिमुडा द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों के लिए ₹118.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2020 तक ₹45.00 करोड़ का व्यय हो चुका है। वित्त वर्ष के दौरान 227 फ्लैटों, 13 मकानों और 92 रिहायशी प्लाट विभिन्न श्रेणीयों के लिए विकसित करने का लक्ष्य है जिनमें से 15 फ्लैटों, 2 मकानों का निर्माण तथा 36 प्लाटों को विकसित किया जा चुका है। 56 फ्लैटों का निर्माण कार्य तथा 87 आवासीय प्लाटों और 20 औद्योगिक प्लाटों को विकसित करने का कार्य मार्च 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। हिमुडा का धर्मशाला देहरा, सोहाला (सिरमौर) रामपुर (शिमला) में नई आवासीय कॉलोनियों तथा शिमला में व्यावसायिक परिसर को विकसित करने का प्रस्ताव है। इन कॉलोनियों में अनुमानित 1,007 प्लाटों, 1,076 फ्लैटों और 2 कॉटेज का निर्माण कार्य होगा। शिमला में हवाई अड्डे के समीप नई आवासीय कॉलोनी की योजना प्रक्रिया में है। फ्लावरडेल और छवरोगटी में (बेसमेन्ट, फ्लैटों), धर्मपुर (सोलन) कामली रोड परवाणू और रजवाड़ी (मण्डी), में आवासीय कॉलोनियों का कार्य प्रगति पर है।

15.1.1 हिमुडा की पहलः

हिमुडा में इस वर्ष विभिन्न निर्माण कार्यों में वेतन रोजगार माध्यम से 6,78,364 कार्य दिवस के सृजन का अनुमान है जिसका निष्पादन निजी ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है। मानव हस्तक्षेप को कम करने के लिए और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण ने ई–गवर्नेस की दिशा में कदम बढ़ाया है और हिमुडा मुख्यालय में रिकार्ड डिजिटलाईज किया है, अब हिमुडा वेबसाइट आनॅलाईन आवेदन और उसके आवंटन की सुविधा के लिए ऑनलाईन वेब सक्षम सेवाओं के साथ कार्यरत हो गई है।

15.2 शहरी विकास

संविधान के 74वें संशोधन के फलस्वरुप शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार, शक्तियां एवं क्रियाकलाप बहुत अधिक बढ़ गये हैं। वर्तमान में नगर निगम शिमला, धर्मशाला, सोलन, मण्डी व पालमपुर सहित प्रदेश में 61 शहरी स्थानीय निकाय है। शहरी क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिवर्ष इन शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान राशि प्रदान कर रही है। राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के अनुसार इन शहरी स्थानीय निकायों को ₹137.09

करोड़ की राशि अभी तक प्रदान की जा चुकी है तथा शेष राशि इस वर्तमान वित्त वर्ष में जारी कर दी जायेगी। इस राशि में इन निकायों के लिए विकास कार्यों तथा उनके आय व व्यय के अन्तर को दूर करने के लिए सहायता अनुदान राशि भी सम्मिलित है।

15.2.1 शहरी क्षेत्रों में सड़कों का रख–रखाव

54 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगभग 3,098 किलोमीटर सड़कें, रास्ते गलियों तथा नालियों का रख–रखाव किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में सड़कों के रख–रखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹12.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया था।

15.3 दीन दयाल अन्तोदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.)

योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक आर्थिक एवं संस्थागत क्षमता विकास करते हुए प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार अवसर प्रदान करते हुए सतत तौर पर आजीविका साधनों को मजबूत करना है जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। इस योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:–

i) कौशल प्रशिक्षण एवं प्लैसमेंट के माध्यम से रोजगार।
ii) सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास।
iii) क्षमता वर्धन एवं प्रशिक्षण।
iv) स्वरोजगार कार्यक्रम।
v) शहरी आवासहीनों के लिए आश्रय।
vi) शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता।
vii) प्रगतिशील एवं विशेष परियोजनाएं।

15.3.1 हाल ही में भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत् ₹5.21 करोड की प्रथम किश्त जारी कर दी गई है तथा इस राशि को राज्य भाग सहित जारी करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वर्ष 2020–21 की उपलब्धियां निम्नलिखित है:–

- अब तक 537 स्वंय सहायता समूह बनाए जा चुके हैं।
- इस योजना के अन्तर्गत 575 लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 42 लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया है।
- लघु उद्यम स्थापित करने के लिए 276 व्यक्तियों तथा 71 स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान किया गया है।
- 1,854 रेहड़ी वालों को पहचान पत्र जारी किये गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत 2,900 ऋण आवेदन बैंकों में जमा कर दिए गए हैं जिसमें से अभी तक 1,635 आवेदन, स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 1,185 आवेदकों को ऋण स्वीकृत एवं प्रदान किये जा चुके हैं।

15.4 केन्द्रीय वित्तायोग अनुदान

15वें वित्तायोग ने शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी के लिए दो प्रकार की अनुदान राशि स्वीकृत की है। पहली अनुदान राशि (50 प्रतिशत) जोकि बिना शर्त के प्रदान की जाती है। दूसरी अनुदान राशि

(50 प्रतिशत) वह है जोकि 15वें वित्तायोग द्वारा सुझाई गई कुछ शर्तों को पूरा करने के उपरान्त जारी की जाती है। इस वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹207.00 करोड रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। बिना शर्त अनुदान राशि की पहली किश्त ₹51.75 करोड़ और शर्त के साथ की पहली किश्त ₹51.75 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों तथा छावनी परिषदों को इस वित्तीय वर्ष में जारी की जा चुकी है जबकि इस वित्तीय वर्ष 2020–21 में दोनों तरह की दूसरी किश्तें भारत सरकार द्वारा अभी जारी की जानी है।

15.5 शहरी रुपांतरण तथा पुनरावर्तन के लिए अटल मिशन(ए.एम.आर.यू.टी.)

इस योजना के अन्तर्गत शिमला और कुल्लू शहरों का चयन किया गया है। वर्ष 2018–19 में इस योजना के अन्तर्गत ₹36.00 करोड़ तथा वर्ष 2019–20 में ₹74.07 करोड़ की राशि जारी की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए ₹55.00 करोड़ केन्द्र तथा राज्य के हिस्से का प्रावधान किया गया है जिसके मुकाबले ₹66.26 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। 75 परियोजनाओं में से 36 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है।

15.6 स्मार्ट सिटी मिशन (एस.सी.एम.)

स्मार्ट सिटी मिशन जून, 2015 में शुरु किया गया था। इस मिशन के अन्तर्गत नगर निगम धर्मशाला की परियोजना को स्वीकृत किया है जिसकी परियोजना लागत ₹2,109.69 करोड़ है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए स्पैशल परपस व्हीकल (SPV) कम्पनी नियम, 2013 के अधीन पंजीकृत किया गया है। वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा नगर निगम शिमला को भी स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत शामिल किया गया है जिसकी परियोजना लागत ₹2,905.97 करोड़ है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा SPV अधिसूचित किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए ₹100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से ₹ 117.00 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी की कुल 74 परियोजनाओं में से 18 परियोजनाएं पूरी कर ली गई है तथा 29 परियोजाओं का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शिमला स्मार्ट सिटी की कुल 53 परियोजनाओं में से 28 शीघ्र कार्यान्वित होने वाली परियोजनाओं को चुन लिया गया है। इन परियोजनाओं को आगे 172 घटकों में विभाजित किया गया है जिनमें से 9 घटक पूर्ण हो चुके हैं तथा 56 घटकों का कार्य प्रगति पर है।

15.7 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

स्वच्छ, भारत अभियान (शहरी) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय द्वारा सभी शहरी नगर निकायों में कार्यान्वित है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरों/कस्बों को खुले में शौच मुक्त व नागरिकों को स्वस्थ और रहने योग्य वातावरण प्रदान करना है। इस उद्देश्य के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य प्रगति पर हैं:–

i) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यक्तिगत शोचालय के निर्माण के लिए धन संवितरित करना और शहरों में सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना। अभी

तक इस अभियान के अन्तर्गत 6,606 शौचालय आवासों के लिए बनाए जा चुके हैं, जिनके पास शौचालय सुविधा नहीं है। 275 सामुदायिक और 1,208 सार्वजनिक शौचालय शीटें नई व पुनर्निर्मित की जा चुकी है।

ii) राज्य में साधारण जनता को जागरुक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां नियमित रुप से जागरुकता स्वच्छता पखवाड़ा, होडिंग/बैनर, नुक्कड़ नाटक, प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया, रैलियों द्वारा संचालित की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना का लागू करने के लिए ₹5.00 करोड़ केन्द्र तथा राज्य के हिस्से के रुप में बजट प्रावधान किया गया है।

15.8 प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास (शहरी)

भारत सरकार द्वारा यह नई योजना शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है, जिसको 17.06.2015 से 31.03.2022 तक लागू किया जाना है इस योजना का उद्देश्य शहरों को स्लम मुक्त करके उन्हें आवास में बसाना, निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लिए ऋण आधारित सब्सिडी योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को बैंकों से ऋण उपल्बध करवाकर आवासों का निर्माण करना, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के माध्यम से आवासीय मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को परिवारों के लिए सुनिश्चित करना है तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को स्वयं उनके द्वारा नए आवासों के निर्माण एवं मौजूदा आवास के सुधार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। यह प्रावधान लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निमार्ण के लिए किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना को लागू करने के लिए ₹35.20 करोड़ केन्द्रीय तथा राज्य अनुदान का प्रावधान किया गया है।

15.9 पार्किंग का निर्माण

शहरी स्थानीय निकायों में पार्किंग की समस्या के समाधान हेतु इस वित्तीय वर्ष में ₹5.50 करोड़ का बजट प्रावधान है जिसमें से ₹4.65 करोड़ की राशि 5 शहरी स्थानीय निकायों को पार्किंग के निर्माण हेतु जारी की जा चुकी है।

15.10 पार्कों का निर्माण

शहरी स्थानीय निकायों में चरणवद्ध तरीके से पार्कों के निर्माण के लिए इस वित्तीय वर्ष में ₹5.50 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत 60:40 के अनुपात में निधि जारी की गई है, जिसमें 60 प्रतिशत अनुदान सरकार तथा 40 प्रतिशत भाग सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा व्यय किया जाना है।

15.11 अटल श्रेष्ठ शहर योजना

माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश ने अपने बजट भाषण 2020–21 में इस योजना का दायरा बढ़ाकर शीर्ष में आने वाली तीन नगर परिषदों और तीन नगर पंचायतों को प्रथम द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अनुसार पुरस्कृत करने की घोषणा की है। जिसके अनुसार प्रत्येक नगर परिषद और नगर पंचायतों को प्रथम द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिया जायेगा। नगर परिषदों की पुरस्कार राशि क्रमश ₹1.00 करोड़, ₹75.00

लाख तथा ₹50.00 लाख होगी तथा शीर्ष में आने वाली तीन नगर पंचायतों की पुरस्कार राशि क्रमश ₹75.00 लाख, ₹50.00 लाख तथा 25.00 लाख होगी। ऐसी शहरी स्थानीय निकायों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष 25 दिसम्बर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी बाजपेयी की पूण्यतिथि पर नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जायेगा।

15.12 मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2020–21 के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना 16.5.2020 को शुरु की गई जिसका ध्येय लोगों को आजीविका सुरक्षा देने हेतू शहरी क्षेत्रों में हर घर को 120 दिनों का गारंटीड मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत घर के पंजीकृत व्यस्क सदस्य कार्य करने के पात्र होंगे। शहरी स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निवासी जो अपने घर या किराए पर रहते हों काम करने के लिए पात्र हैं, ऐसे परिवार में पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे सम्मिलित होंगे, जबकि केवल परिवारों के वयस्क सदस्य ही कार्य करने के पात्र होंगे, कार्य करने के लिए ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष है। शहरी विकास विभाग ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का ऑनलाईन पोर्टल भी शुरु किया है। लाभार्थी शहरी स्थानीय निकाए के कार्यालय में जाये बिना अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत 4,693 लोग पंजीकृत हुए हैं तथा 2,551 लोग कार्य पर लगे हैं तथा दिसम्बर,2020 तक ₹288.54 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

15.13 नगर एवम् ग्राम योजना

कार्यात्मक, आर्थिक, पर्यावरणीय सतत् और सौन्दर्यात्मक जीवन सुनिश्चित करने, पर्यावरण के संरक्षण, विरासत और मूल्यवान भूमि संसाधनों के सतत् विकास के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 को 55 योजना क्षेत्रों (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.60 प्रतिशत) है और 35 विशेष क्षेत्र (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.06 प्रतिशत) में लागू किया गया है।

पहलें

1. मैंप अनुमोदन प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए स्व घोषणा का प्रावधान और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में विभागों से प्रमाणीकरण प्राप्त करना आसान बना दिया गया है जिसके लिए अधिसूचना संख्या टीसीपी–ए (3)–2/2019 दिनांक 20.8.2020 जारी कर दी गई है। हालांकि, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना एक्ट, 1977 के अन्तर्गत विकास की अनुमति लेने से पहले राष्ट्रीय राजमार्गों बाय पास/फोर लेन से रास्ते की अनुमति आवेदकों को लेनी होगी।
2. राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अधिसूचना संख्या टीसीपी–ए(3)–2/2019 दिनांक 20–8–2020 द्वारा हिमाचल प्रदेश

नगर एवं ग्राम योजना (संशोधन) नियम, 2014 के औद्योगिक उपयोग विनियम अर्थात परिशिष्ट–2 को हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 के सदृश्य पर संशोधित किया है।

3. भारत सरकार की अर्मुत उप–योजना के अन्तर्गत शिमला एवं कुल्लू योजना क्षेत्रों के लिए जी.आई. एस. आधारित विकास योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। यह इन क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापक योजना सुनिश्चित करेगा।

4. बजट आश्वासन, 2020 के मसौदे के प्रस्ताव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 के अन्तर्गत पंजीकृत निजी पेशेवरों (आर.पी.पी.) को 500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड में आवासीय उपयोग के लिए विकास अनुमति प्रदान करने हेतू मानक परिचालय प्रक्रिया (एस. ओ.पी.) का मसौदा प्रस्ताव राज्य भर में अधिसूचित योजना/विशेष क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए तैयार किया गया था और फील्ड कार्यालयों तथा हितधारकों के साथ उचित परामर्श के साथ सरकार को अनुमोदन हेतू भेज दिया गया है।

5. सोलन ओर लाहौल एवं स्पिति क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने का काम 09.09.2020 को आउटसोर्स किया गया है तथा कार्य प्रगति पर है।

6. योजना/विशेष क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं जैसे धौलाकुंआ माजरा, जोगिन्द्रनगर, श्री चिंतपूर्णी, भोटा, भरमौर और नेरचौक के सलाहकारों को आउटसोर्स किया गया है और आर.एफ.पी. का पहला चरण पूरा कर लिया गया है।

7. बढ़ती पार्किंग आवश्यकताओं को पूरा करने और शहरों की सभी प्रमुख सड़कों पर यातायात के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या टीसीपी–ए(3)–2/2020, दिनांक 4.12.2020 द्वारा सड़क से घाटी की ओर या पहाड़ी की ओर स्थित समस्त भवनों जिनके नियंत्रित चौड़ाई/प्रतिधारक दीवार के पश्चात प्लॉट के भीतर न्यूनतम 2.0 मीटर के सैट बैक है और जिनकी सड़क से अबाध पंहुच है, के लिए ऐसे सैट बैक के सामने पचास प्रतिशत पर (बिना छत की ओर भवन के समानान्तर) खुली पार्किंग की अनुमति दी जाएगी।

15.14 रियल इस्टेट नियामक अधिनियम (आर.ई.आर.ए.)

रियल इस्टेट विनियामक प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश ने 01.01.2020 से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। जनादेश के अनुसार यह प्राधिकरण शिकायतों को दर्ज करने के अलावा रियल इस्टेट परियोजनाओं तथा रियल एस्टेट एजैंटों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया करता है। अब तक 60 रियल इस्टेट परियोजनाएं तथा 58 रियल इस्टेट एजेंट पंजीकृत किये जा चुके हैं। प्राधिकरण के पास अब तक लगभग 35 शिकायतें दर्ज की गई हैं तथा उस पर स्थल निरीक्षण सुनवाई का कार्य

प्रगति पर है। यह प्राधिकरण रियल इस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण रियल इस्टेट एजेंटों तथा शिकायतों के ऑनलाईन मामलों का निपटारा कर रहा है।

पहलः

शेष विश्व के अनुरुप कोविड–19 ने हिमाचल प्रदेश अचल संपति नियामक प्राधिकरण की गति पर भी प्रभाव डाला है। आवास और शहरी मामलों के मन्त्रालय, भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना करते हुए इस प्राधिकरण ने पत्र संख्या नम्बर1/2020–21/233–235 दिनांक 4.6.2020 द्वारा अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 द्वारा आहवान करते हुए प्राकृतिक आपदा खण्ड को लागू किया है तथा इस अप्रत्याशित घटना को अधिस्थगन अवधि के रुप में लिया गया है। इस प्राधिकरण ने सभी पंजीकृत संवर्धको के साथ विभिन्न वैबिनार बैठकें आयोजित की है और हिमाचल प्रदेश राज्य में अचल संपति नियामक व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पूरी मदद का आश्वासन दिया है।

15.15 भवन निर्माण लागत सूचकांकः

राष्ट्रीय भवन संगठन ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को राज्य में भवन सामग्री के भाव एकत्र करने व भवन लागत सूचकांक को संकलित करने का काम सौंपा है। विभाग आधार वर्ष 2011–12 पर राज्य स्तरीय भवन निर्माण लागत सूचकांक (BCCI) तैयार करके जारी कर रहा है। तिमाही सूचकांकों के आधार पर, वार्षिक सूचकांकों को तैयार किया गया है औरइन्हें निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया हैः–

सारणी 15.1
भवन निर्माण लागत सूचकांक

वर्ष	सामग्री लागत सूचकांक	श्रम लागत सूचकांक	अन्य व्यय सूचकांक	कुल मिलाकर भवन निर्माण लागत सूचकांक
2018–19	115.31	116.67	112.88	115.18
2019–20	120.42	123.05	120.78	121.45
2020–21*	131.89	131.64	131.34	131.75

* सूचकांक तीन तिमाहियों के औसत है अर्थात जून, सितम्बर और दिसम्बर, 2020

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

वर्ष 2019–20 कुल भवन निर्माण लागत सूचकांक 121.45 से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 131.75 हो गया है।

चित्र–। भवन निर्माण लागत सूचकांक

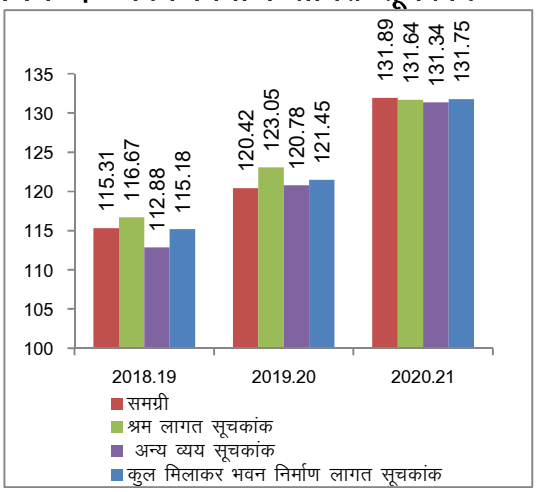

सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी

16 अध्याय

16.1 हिमस्वान

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (NeGP) के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश ने हिमस्वान (स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) नामक सुरक्षित नेटवर्क फरवरी, 2008 में बनाया। हिमस्वान ब्लॉक स्तर पर सभी राज्य सरकार के विभागों को सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करता है और G2G (सरकार से सरकार), G2C (सरकार से नागरिक) और G2B (सरकार से व्यवसाय) में विभिन्न कुशल इलेक्ट्रोनिक सेवाओं को प्रदान करता है। अब तक राज्य भर में 2,072 सरकारी कार्यालयों को HIMSWAN नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा गया है। विशेष रुप से कोविड–19 के समय में कार्यालयों में उपयोग की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कारण बैंडविडथ की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, सक्ष्म SLA नेटवर्क डाऊनटाईम, वॉयस डेटा और वीडियो सेवाओं के साथ अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए उच्च गति केनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हिमस्वान को नया रुप दिया जा रहा है।

हिमस्वान ने कोविड–19 महामारी के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फील्ड अधिकारियों के साथ कई सरकारी वर्चअल बैठकें हिमस्वान का उपयोग करके आयोजित की गई।

16.2 हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा सेंटर

सरकार की विभिन्न वेव एप्लिकेशनों/वेबसाइटों को बिजली कटौती, प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न व्यवधान के दौरान चालू रखने के लिए आपदा रिकवरी साइट को अक्टूबर, 2020 में दिल्ली में हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा सेंटर के लिए स्थापित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 19 नये एप्लिकेशनों/वेबसाइटों को HPSDC सुरक्षा ऑडिट के उपरान्त जोड़ा गया है।

16.3 हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल

इस वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा 10 नई सेवाओं को हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए जोड़ा गया। इन 10 सेवाओं में से 3 सेवाएं राजस्व विभाग और 7 सेवाएं Ease of Doing Business (EoDB) के तहत चलाई गई। अब इस पोर्टल पर राजस्व, महिला और बाल विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, शहरी विकास आदि सहित विभिन्न विभागों की 65 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कोविड–19 के फैलने से पहले, पोर्टल पर औसतन लेनदेन की संख्या 100 प्रतिदिन थी जोकि कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान व उसके बाद ऑनलाइन के माध्यम से बड़े पैमाने पर आई.ई.सी. अभियान और सेवा वितरण गुणवत्ता में सुधार के चलते यह लेनदेन की संख्या

बढ़कर लगभग 8,500 प्रतिदिन हो गई है।

16.4 ई–ऑफिस

कार्यालयों में बिना कागजों के काम करने के लिए प्रदेश के विभिन्न विभागों में ई–ऑफिस लागू किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान, ई–ऑफिस को 55 विभागों में शुरू किया गया जिसके अन्तर्गत 2,474 अधिकारियों/कर्मचारियों ने काम करना आरम्भ किया और इसके अन्तर्गत 19,701 नस्तियां ई–ऑफिस में बनाई गईं। हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में भी ई–ऑफिस लागू किया जा रहा है। सभी कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है, पुरानी फाइलों की स्कैनिग 1 जनवरी,2020 से शुरू हो चुकी है और इसके बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय की सभी शाखाओं को धीरे धीरे ई–ऑफिस की कागज रहित प्रणाली में स्थानान्तरित किया जाएगा।

16.5 मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड

राज्य सरकार ने मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड की स्थापित करते हुए सुशासन की दिशा में एक पहल की है जिसका उद्देश्य अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं परिणामों की जानकारी धरातल स्तर पर प्राप्त हो सके। डैशबोर्ड सभी विभागों को एकल आई.सी.टी. प्रदान करेगा और सभी उपायुक्तों और सभी प्रमुख राज्य प्राधिकारियों को एक मंच पर एकीकृत करेगा। मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड को पहले चरण में 8 विभिन्न विभागों से जानकारी इलेक्ट्रोनिक तरीके से एकत्रित करने के लिए विकसित किया जा रहा है और जिसे समयबद्व तरीके से डैशबोर्ड में प्रदर्शित किया जाएगा।

16.6 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन @1100

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के अन्तर्गत कुल 76,891 शिकायतें और 8,244 मांग/सुझाव 22 दिसम्बर, 2020 तक दर्ज किए गए हैं जिनमें से 47,130 (61 प्रतिशत) शिकायतें नागरिकों की संतुष्टि के आधार पर निपटाई गई हैं।

सारणी 16.1

कुल विभाग	74
शिकायतें	76,891
मांग/सुझाव	8,244
शिकायतों का निपटारा	47,130

16.7 इन्टेग्रेटिड कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को उपकरण के रूप में उपयोग करके विभिन्न नागरिक सेवाओं को एक स्थान पर प्रदान करने के उद्देश्य से शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए एक उच्च तकनीकी अत्याधुनिक कमांड सेन्टर स्थापित करना प्रस्तावित है। एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर (आई.सी.सी.सी.) का उपयोग विभिन्न नागरिक केन्द्रित सेवाओं से सम्बन्धित डाटा समयबद्ध लेने के लिए किया जाएगा। वन सिटी वन ऐप का उपयोग करके जनता को उपयोगी जानकारी प्रदान करना, आपात स्थिति के साथ–साथ नागरिकों की आपदा प्रबन्धन आदि सेवाएं प्रदान करना भी एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर में शामिल हैं। दोनों शहरों के लिए एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर के अन्तर्गत वन

सिटी वन ऐप के माध्यम से ठोस कचरा प्रबन्धन, जल और मल निकासी, स्मार्ट लाईटिंग सिस्टम, स्मार्ट पार्किंग प्रणाली, भू–स्खलन, निगरानी इत्यादि शामिल हैं।

16.8 भारत नेट

भारत नेट देश की ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनैक्टिविटी प्रदान करना है। यह ऑप्टिकल फाईवर नेटवर्क द्वारा प्राप्त होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण सम्पर्क योजना है। भारत नेट के द्वितीय चरण के तहत–159 दूरस्थ ग्राम पंचायतों की VSAT लिंक का उपयोग करके जोड़ा जा रहा है। इसके अन्तर्गत 154 स्थानों पर सम्बन्धित उपकरण पहुंचा दिए गए हैं जिसमें से 114 स्थानों पर VSAT स्थापित हो गए हैं और बचे हुए स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।

16.9 ई–कैबिनेट

कागज रहित ई–कैबिनेट सिस्टम लागू किया जा रहा है। यह न केवल कैबिनेट नोट के प्रसंस्करण समय को कम करेगा बल्कि इस पूरी प्रक्रिया की सुरक्षा में भी सुधार करेगा।

16.10 आई.टी. पार्क

राज्य में आई.टी. निवेश को बढ़ावा देने के लिए, दो एस.टी.पी.आई. केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। एक एस.टी.पी. आई. केंद्र शिमला में और दूसरा केंद्र धर्मशाला के गग्गल में स्थापित किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं की कौशल वृद्धि के लिए वाकनाघाट में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को उत्कृष्ठता केन्द्र के लिए भूमि प्रदान की गई है।

16.11 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने संबंधित विभागों की 163 (केन्द्र–76, राज्य–87) योजनाओं को चिनहित किया है जिनमे से 60 योजनाओं (केन्द्र–31, राज्य–29) में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को लागू किया गया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (एन.ए. सी.एच.) के माध्यम से होना है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, 60 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में से, 16 (केन्द्र–1, राज्य–15) को राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (एन.ए.सी.एच.) प्लेटफार्म में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, आधार अधिनियम 2016 की धारा (7) के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए इस वित्तीय वर्ष के दौरान 45 योजनाओं के तहत ₹1,317 करोड़ की राशि 12.47 लाख लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई है।

16.12 कोविड–19 एप्लिकेशन

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड–19 अवधि के दौरान प्रशासन और नागरिकों के दैनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन को समाधानों के लिए विकसित और कार्यान्वित किया है। राज्य सरकार इन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों की सहायता से विभिन्न स्तरों पर सूचना एकत्र

करने, निगरानी और निर्णय लेने के साथ–साथ कार्यालयों में कुशल तरीके से कामकाज करने में सक्ष्म हुई है। इन ऑनलाईन सम्पर्क रहित सेवाओं की सहायता से नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी तक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य भर में निम्न एप्लिकेशन को चलाया गया है:–

1. **कोविड–19 एकीकृत पोर्टल**
(http://covidportal.hp.gov.in/)
बैवसाइट नागरिक और सरकारी अधिकारियों के उपयोग के लिए कोविड–19 सम्बन्धित सूचनाओं, अनुप्रयोगों और पोर्टलों के लिए एक समेकित भण्डार है।

2. **कोविड–19 में सरकारी आदेश**
(http://covidordershp.gov.in/)
बैवसाइट महामारी के दौरान किसी भी सूचना या अफवाहों से बचने के लिए सभी सरकारी आदेशों, सलाह और मीडिया बुलेटिनों से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

3. **कोविड कर्फ्यू ई–पास**

यह पोर्टल **http://covid19epass.hp.gov.in** नागरिकों के लिए लॉकडाऊन के दौरान कर्फ्यू पास के लिए ऑनलाईन आवेदन करने और जिला प्रशासन द्वारा ऑनलाईन पास जारी करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। लगभग 30 लाख के लगभग आवेदन प्राप्त हुए और लगभग 16 लाख पंजीकरण/ई–पास जिला प्रशासन द्वारा जांच और सत्यापन के बाद जारी किए गए।

4. **हिमाचल ई–पास वेरिफिकेशन ऐप (QR Code स्कैनिग आधारित ऐप):**

इस मोबाइल ऐप का विकास अन्तर्राज्यीय बैरियरों पर तैनात पुलिस अधिकारियों को, जिला उपयुक्त द्वारा जारी किए गए। ई–पास की वैद्यता की पुष्टि QR Code स्कैनिग करने से उपलब्ध करवाई गई है। इस ऐप का प्रयोग अन्तर्राज्यीय बैरियरों पर प्रवेश करने वाले यात्रियों की सूचना प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत रिपोर्ट तैयार करने में किया जाता है।

5. **कोविड क्वारंटीन ऐप**
इस ऐप को राज्य में कोविड–19 के संदिग्ध लोगों व क्वारंटीन का उल्लंघन करने बाले लोगों को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें लॉकडाउन के दौरान लगभग 70,134 क्वारंटीन व्यक्तियों का डाटा दर्ज किया जा चुका है।

6. **कानून व्यवस्था निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली**
यह http://covid-19lo.hp.gov.in/). पोर्टल पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस स्टेशनों को कानून व्यवस्था संबंधित जानकारी अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसा कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वांछित है। यह सूचना पोर्टल पर संकलित रूप में प्राप्त की जा सकती है।

7. **स्वास्थ्य सूची** (http://covid-19 investory. hp.gov.in/).

यह बैवसाइट (http://covid-19 inventory.hp.gov.in/) स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्य में एकांतवास/अलग रहने की सुविधाओं मास्क, पी.पी.ई. किट और वेंटिलेटर आदि महत्वपूर्ण सुविधाओं के भंडार की जानकारी के लिए किया जाता है।

8. **फेक न्यूज पोर्टल**

यह पोर्टल (http://fakenews.hp.gov.in) संवेदनशील समय के दौरान नागरिकों को गलत सूचना/अफवाहों से बचाने के लिए की गई राज्य सरकार की एक पहल है और प्रदेश सरकार को फेक न्यूज मॉनिटरिंग यूनिट द्वारा पहचाने गए फर्जी समाचारों की सूची प्रदान करता है।

9. **ईवेन्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल**

यह पोर्टल (covid.hp.gov.in) कोविड–19 के दौरान नागरिकों के लिए किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए ऑनलाइन अनुमति लेने की सुविधा प्रदान करता है।

10. **अनुदान**

यह बैवसाइट (http://cmhimachal.nic.in) कोरोना महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों में योगदान करने के लिए व सुरक्षित रूप से एकीकृत प्रतिक्रया कोष में दान करने की सुविधा प्रदान करता है।

उपरोक्त कोविड ऐपलिकेशन के अलावा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन @1100 कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान भी चालू थी।

1. अन्तर्राज्यीय आवागमन के लिए बाहरी राज्यों में फसे हुए लोगों को कॉल द्वारा पंजीकरण करवाने के लिए भी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में सेवाएं दी गईं।

2. मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन कोविड–19 द्वारा संक्रमित रोगियों से 30 नवम्बर, 2020 से सरकारी सुविधाओं पर उनकी प्रतिक्रिया और संक्रमण के प्रमुख स्त्रोत/कारण की पहचान हेतु रोगियों से सम्पर्क किया जा रहा है ताकि कोविड–19 के प्रसार को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके।

16.13 नीतिगत पहल

16.13.1 लोकमित्र केन्द्र (LMK) पॉलिसी: राज्य सरकार, द्वारा 28 जुलाई, 2020 को नई नीति जारी की गई जो नागरिकों को ऑनलाईन सेवाएं प्रदान करने में सहायता करेगी और स्थानीय युवाओं को पंचायत स्तर पर स्व–रोज़गार उपलब्ध करवाएगी। नई नीति की अधिसूचना के बाद, 127 लोकमित्र केन्द्रों को पहले ही राज्य में क्रियान्वित किया जा चुका है जिससे नागरिकों तक ऑनलाईन सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।

16.13.2 राइट ऑफ वे पोलिसीः इंडियन टैलीग्राफ "राईट ऑफ वे" नियम–2016, पर आधरित एक ड्राफ्ट नीति तैयार की गई है जो निवेश को आकर्षित करने और राज्य में दूरसंचार अधोसंरचना में सुधार करने के लिए सहायक होगी। यह नीति कैबिनेट की मन्जूरी के बाद लागू की जाएगी।

16.14 नई पहल

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने महामारी के दौरान विशेष रूप से तीन क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करके उनकी आवाजाही को सरकारी विभागों में कम किया गया।
- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा प्रदान की गई।
- महामारी के दौरान राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर आई.टी. उपकरणों के आवेदन और कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए।

16.15 सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढॉचे को और मजबूत करने के लिए योजनाएं

- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ई–जिला के माध्यम से (हिमाचल ऑनलाईन सेवा पोर्टल/लोकमित्र केन्द्र) सरकार से नागरिकों तक और अधिक सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रहा हैं।
- हिमस्वान के माध्यम से तेज गति की सुरक्षित इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रत्येक कार्यालय तक पहुंचाया जा रहा है जहां ई–आफिस का प्रयोग किया जाना हैं। ई–आफिस के लिए नेटवर्क की निर्वाधित गति बनाए रखने के लिए हिमस्वान के माध्यम से सभी कार्यालय में न्यूनतम बैडविडथ को 8 एम.बी.पी.एस तक बढ़ाया जाएगा।
- घर से काम करने की गुणवता को बढ़ाने के लिए सरकारी अधिकारियों को सुरक्षित वी.पी.एन. कनेक्टिविटी आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाएगी।
- सिंगल साइन ऑन (एस.एस.ओ.) राज्य सरकार के सभी प्रमुख पोर्टलों पर लागू किया जाएगा ताकि अधिकारी/ कर्मचारी इन पोर्टलों पर एकल उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड द्वारा (Login) लागइन कर सके।

भाग – II

सांख्यिकीय सारणी

विषय-सूची

सारणी	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
1	चयनित संकेतक 1950–51 से 2019–20	1
2	सकल तथा निवल राज्य घरेलू उत्पाद	2
3	सकलराज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर /निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय	3
4	बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4
5	बाजार कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5
6	सकलघरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर	6
7	हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं	7
8	क्षेत्र, जनसंख्या, लिंगानुपात व घनत्व का जिलावार	7
9	लिंगानुपात ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या-2011 जनगणना	8
10	मुख्य फसल का उत्पादन	8
11	पोषक तत्वों के सेवन में उर्वरकों का योगदान	9
12	जिला–वार अमली जोतों कीसंख्या तथा क्षेत्रफल	9
13	पशुधन तथा कुक्कट	10
14	मुख्य एंव गौण वन उपज का उत्पादन व मूल्य	10
15	वनों का क्षेत्रफल	11
16	उचित मूल्य की दुकानें	11
17	हिमाचल प्रदेश में तरल पेट्रोलियम गैस	12
18	हिमाचल प्रदेश में जिलावार पेट्रोल / डीजल की खुदरा दुकानें	12
19	गैस अभिकरणों का जिलावार / कंपनी वार विवरण	13
20	सहकारिता	14
21	विद्युत उत्पादन एवं खपत	15
22	फलों के उत्पादन का क्षेत्रफल	16
23	फलों का उत्पादन	16
24	हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी	17
25	पर्यटक आगमन वर्ष 2020	17
26	शिक्षा	18
27	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	18
28	सड़कें	19
29	राष्ट्रीय सड़क परिवहन	19
30	हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	20
31	थोक मूल्य के सभी भारतीय सूचकांक	20
32	अपराध की घटनाएं	21
33	योजना परिव्यय	22–24

सारणी– 1
चयनित संकेतक 1950-51 से 2019-20

मद / वर्ष	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आर्थिक संकेतक															
राज्य सकल घरेलु उत्पाद (₹ करोड)															
(i) प्रचलित कीमतों पर	27*	48*	223*	794**	2815**	5661***	72720****	82820	94764	103772	114239	125634	138551	149442	162816
(ii) स्थिर कीमतों पर	..	..	..	794**	1285**	5004***	72720****	77384	82847	89060	96274	103055	109407	116570	122284
प्रति व्यक्ति आय (₹ में)															
(i) प्रचलित कीमतों पर	240	359	651	1704**	4910**	22795***	87721****	99730	114095	123299	135512	150290	165497	176460	190407
(ii) स्थिर कीमतों पर	..	..	..	1704**	2241**	21959***	87721****	92672	98816	105241	112723	122208	129304	136664	142155
उत्पादन															
(a) खाद्यान्न अनाज (लाख टन)				11.58	14.33	11.12	15.44	15.41	15.85	16.08	16.37	15.63	15.81	16.92	15.94
(b) फलों का उत्पादन (लाख टन)				1.4	3.86	4.28	3.73	5.56	8.66	7.52	9.29	6.12	5.65	4.95	8.45
(c) बिजली उत्पादन (मिलियन यूनिट)	0.4	..	52.8	245.1	1262	1153	1906	1815	1951	2097	1573	1596	1941	1955	2246
थोक मूल्य सूचकांक (आधार 2011–12 = 100)							100.0	106.9	112.5	113.9	109.7	111.6	114.9	119.8	121.8
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) आधार 2001 = 100						100	175	193	213	225	235	246	256	264	277
सामाजिक संकेतक															
जनसंख्या (लाख में)	11.09	28.12	34.60	42.81	51.17	60.78	69.01	69.71	70.42	72.26	73.19	74.13	74.87	75.42	76.09
साक्षरता दर (प्रतिशत)															
(a) पुरुष	7.5	27.2	42.3	53.2	75.4	85.3	89.5								
(b) महिला	2.9	6.2	20.0	31.5	52.1	67.4	75.9								
कुल	4.8	17.1	31.3	42.5	63.9	76.5	82.8								

*निवल राज्य घरेलू उत्पाद।

**आधार 1980–81

*** आधार 1999–2000

****आधार 2011–12

स्त्रोत :– आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

सारणी– 2
सकल तथा निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(₹करोड़)

वर्ष	बाजार कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद		बाजार कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद		प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद / प्रति व्यक्ति आय (₹)	
	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर
1	2	3	4	5	6	7
1950-51*	27	27	27	27	240	..
1960-61*	48	35	48	35	359	..
1966-67*	138	91	138	91	440	..
1970-71*	223	223	223	223	651	..
1980-81	794	794	723	723	1704	..
1990-91	2815	1285	2522	1151	4910	..
(आधार 1993-94)						
1994-95	5825	5244	5193	4664	9451	8489
1995-96	6698	5569	5930	4921	10607	8801
1996-97	7755	5955	6803	5199	11960	9140
1997-98	8837	6335	7807	5571	13488	9625
1998-99	10696	6792	9508	5966	16144	10131
(आधार 1999-2000)						
1999-2000	14112	14112	12467	12467	20806	20806
2000-01	15661	15004	13853	13262	22795	21824
2001-02	17148	15786	15215	13938	24608	22543
2002-03	18905	16585	16751	14617	26627	23234
2003-04	20721	17925	18127	15596	28333	24377
(आधार 2004-05)						
2004-05	24077	24077	21189	21189	33348	33348
2005-06	27127	26107	23743	23009	36949	35806
2006-07	30281	28483	26247	24819	40393	38195
2007-08	33963	30917	28873	26362	43966	40143
2008-09	41483	33210	33115	27649	49909	41666
2009-10	48189	35897	39141	29149	58402	43492
2010-11	56980	39054	46216	31590	68297	46682
नई श्रृंखला (आधार2011-12)						
2011-12	72720	72720	60536	60536	87721	87721
2012-13	82820	77384	69432	64519	99730	92672
2013-14	94764	82847	80129	69398	114095	98816
2014-15	103772	89060	87345	74553	123299	105241
2015-16	114239	96274	96850	80563	135512	112723
2016-17	125634	103055	108359	88112	150290	122208
2017-18	138551	109407	119704	93526	165497	129304
2018-19 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	149442	116570	128463	99491	176460	136664
2019-20 (प्रथम संशोधित अनुमान)	162816	122284	139511	104157	190407	142155

नोट–निवल राज्य घरेलू उत्पाद।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद व निवल राज्य घरेलू उत्पाद 1950–51से 2010–11 तक कारक लागत पर।

स्त्रोत :–आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी– 3
सकलराज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर / निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित तथा स्थिर कीमतों पर)

(प्रतिशत)

वर्ष	बाजार कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़)		बाजार कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़)		प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद / प्रति व्यक्ति आय (₹)	
	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर	स्थिर कीमतों पर
1	2	3	4	5	6	7
(आधार 1980-81)						
1990-91	15.6	3.9	15.5	2.5	12.3	(-)0.4
1991-92	17.8	0.4	18.0	0.6	15.9	(-)1.3
1992-93	15.3	5.6	14.7	4.6	12.2	2.5
(आधार 1993-94)						
1994-95	21.7	9.6	22.2	9.7	20.8	7.9
1995-96	15.0	6.2	14.2	5.5	12.3	3.7
1996-97	15.8	6.9	14.7	5.7	12.8	3.9
1997-98	13.9	6.4	14.8	7.1	12.8	5.3
1998-99	21.0	7.2	21.8	7.1	19.7	5.2
(आधार1999-2000)						
2000-01	10.9	6.3	11.1	6.4	9.6	4.9
2001-02	9.5	5.2	9.8	5.1	7.9	3.3
2002-03	10.2	5.1	10.1	4.9	8.2	3.5
2003-04	9.6	8.1	8.2	6.7	6.4	4.9
(आधार2004-05)						
2005-06	12.7	8.4	12.1	8.6	10.8	7.4
2006-07	11.6	9.1	10.5	7.9	9.3	6.7
2007-08	12.2	8.5	10.0	6.2	8.8	5.1
2008-09	22.1	7.4	14.7	4.9	13.5	3.8
2009-10	16.2	8.1	18.2	5.4	17.0	4.4
2010-11	18.2	8.8	18.1	8.4	16.9	7.3
नई श्रृंखला (आधार2011-12)						
2012-13	13.9	6.4	14.7	6.6	13.7	5.6
2013-14	14.4	7.1	15.4	7.6	14.4	6.6
2014-15	9.5	7.5	9.0	7.4	8.1	6.5
2015-16	10.1	8.1	10.9	8.1	9.9	7.1
2016-17	10.0	7.0	11.9	9.4	10.9	8.4
2017-18	10.3	6.2	10.5	6.1	10.1	5.8
2018-19 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	7.9	6.5	7.3	6.4	6.6	5.7
2019-20 (प्रथम संशोधित अनुमान)	8.9	4.9	8.6	4.7	7.9	4.0

नोट– राज्य सकल घरेलू उत्पाद व निवल राज्य घरेलू उत्पाद 1950–51 से 2010–11तक कारक लागत पर।
स्त्रोत –आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी – 4
सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर
(प्रचलित कीमतों पर)

(₹करोड)

वर्ष	कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	परिवहन संचार तथा व्यापार	बैंकिंग तथा बीमा अचल संपत्ति तथा आवास व्यवसाय सेवाओं का स्वामित्व	लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	आधार कीमतों पर सकल वर्धित मूल्य	उत्पाद कर (-)उत्पाद अनुदान	बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1950-51*	19	2	2	2	2	--	--	27
1960-61*	30	5	3	3	7	--	--	48
1966-67*	104	24	16	6	21	--	--	171
1970-71*	131	37	18	9	28	--	--	223
पुरानी श्रृंखला (आधार **1980-81**)								
1980-81	376	156	67	79	116	--	--	794
1981-82	448	178	79	90	130	--	--	925
1982-83	437	206	85	103	156	--	--	987
1983-84	525	220	102	111	169	--	--	1127
1984-85	489	224	105	121	200	--	--	1139
1985-86	576	312	123	132	228	--	--	1371
1986-87	615	339	145	150	268	--	--	1517
1987-88	627	416	168	162	349	--	--	1722
1988-89	781	549	204	196	427	--	--	2157
1989-90	895	568	229	237	506	--	--	2435
1990-91	987	746	260	266	556	--	--	2815
1991-92	1243	841	316	301	616	--	--	3317
1992-93	1368	1014	378	371	693	--	--	3824
(आधार **1993-94**)								
1993-94	1567	1313	569	502	831	--	--	4782
1994-95	1802	1875	683	570	895	--	--	5825
1995-96	1979	2246	783	622	1068	--	--	6698
1996-97	2229	2690	909	696	1231	--	--	7755
1997-98	2488	2958	1116	727	1548	--	--	8837
1998-99	2930	3560	1303	858	2045	--	--	10696
(आधार **1999-2k**)								
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	--	--	14112
2000-01	3954	5602	2056	1365	2684	--	--	15661
2001-02	4442	6095	2305	1552	2754	--	--	17148
2002-03	4657	6867	2742	1678	2961	--	--	18905
2003-04	5194	7468	2888	2042	3129	--	--	20721
(आधार **2004-05**)						--	--	
2004-05	6197	9176	3468	1767	3469	--	--	24077
2005-06	6858	10373	4007	1918	3971	--	--	27127
2006-07	7010	12101	4235	2177	4758	--	--	30281
2007-08	7887	13507	5027	2405	5137	--	--	33963
2008-09	8316	17848	6141	2778	6400	--	--	41483
2009-10	9166	20679	7471	3268	7605	--	--	48189
2010-11	10914	24040	8347	3672	10007	--	--	56980
नई श्रृंखला (आधार **2011-12**)								
2011-12	11913	30405	7576	9622	9887	69403	3317	72720
2012-13	13443	33935	8660	11346	11524	78908	3912	82820
2013-14	15262	38440	10285	13002	12369	89358	5406	94764
2014-15	15265	41617	11764	14724	13961	97331	6441	103772
2015-16	17393	45652	13141	15936	15135	107257	6982	114239
2016-17	18762	50237	14200	16897	17399	117495	8139	125634
2017-18	16473	56692	15863	18008	19563	126599	11952	138551
2018-19 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	17836	63347	17531	20098	21135	139947	9495	149442
2019-20 (प्रथम संशोधित अनुमान)	22280	64063	19012	21472	25927	152754	10062	162816

नोट–*निवल राज्य घरेलू उत्पाद।
राज्य सकल घरेलू उत्पाद व निवल राज्य घरेलू उत्पाद 1950–51 से 2010–11तक कारक लागत पर।
स्त्रोत :–आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग।

सारणी – 5

बाजार कीमतों पर राज्य सकलघरेलू उत्पाद

(स्थिर कीमतों पर)

(₹करोड)

वर्ष	कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा पानी की आपूर्ति	परिवहन संचार तथा व्यापार	बैंकिंग तथा बीमा अचल संपत्ति तथा आवास व्यवसाय सेवाओं का स्वामित्व	लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्यसेवाएँ	आधार कीमतों पर सकल वर्धित मूल्य	उत्पाद कर (-) उत्पाद अनुदान	बाजार कीमतों लागत पर सकल घरेलू उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1950-51*	19	2	2	2	2	--	--	27
1960-61*	20	5	3	0	7	--	--	35
1966-67*	57	18	9	4	13	--	--	101
1970-71*	131	37	18	9	28	--	--	223
(आधार 1980-81)								
1980-81	376	156	67	79	116	--	--	794
1981-82	405	164	72	84	116	--	--	841
1982-83	355	173	74	88	128	--	--	818
1983-84	396	168	81	92	124	--	--	861
1984-85	343	161	78	95	137	--	--	814
1985-86	387	207	85	100	147	--	--	926
1986-87	417	208	95	113	158	--	--	991
1987-88	360	235	98	119	188	--	--	1000
1988-89	400	288	108	116	212	--	--	1124
1989-90	488	265	112	139	234	--	--	1238
1990-91	484	316	117	141	227	--	--	1285
1991-92	465	323	124	152	226	--	--	1290
1992-93	469	362	135	162	234	--	--	1362
(आधार 1993-94)								
1993-94	1567	1313	569	502	831	--	--	4782
1994-95	1590	1686	625	532	811	--	--	5244
1995-96	1622	1856	669	535	886	--	--	5568
1996-97	1646	2084	712	578	935	--	--	5955
1997-98	1673	2179	791	597	1095	--	--	6335
1998-99	1692	2324	867	631	1278	--	--	6792
(आधार 1999-2000)								
1999-2000	3265	5162	1737	1286	2662	--	--	14112
2000-01	3773	5437	1920	1252	2622	--	--	15004
2001-02	4093	5694	2080	1336	2583	--	--	15786
2002-03	4184	6153	2186	1370	2692	--	--	16585
2003-04	4671	6544	2356	1582	2772			17925
(आधार 2004-05)								
2004-05	6197	9176	3468	1767	3469	--	--	24077
2005-06	6578	9960	3820	1958	3791	--	--	26107
2006-07	6539	11315	4078	2270	4282	--	--	28484
2007-08	7118	12371	4488	2513	4427	--	--	30917
2008-09	7059	13547	5179	2625	4800	--	--	33210
2009-10	6340	15390	5757	3040	5370	--	--	35897
2010-11	7496	15987	5999	3578	5994	--	--	39054
नई श्रृंखला (आधार 2011-12)								
2011-12	11913	30405	7576	9622	9887	69403	3317	72720
2012-13	12725	32049	8040	10598	10714	74126	3258	77384
2013-14	13954	34223	9134	11203	10775	79289	3558	82847
2014-15	13525	37551	10099	12354	11573	85102	3958	89060
2015-16	14674	40724	11460	12793	12275	91926	4348	96274
2016-17	14478	44934	12075	13351	13479	98317	4738	103055
2017-18	13748	49485	12684	13688	14525	104130	5277	109407
2018-19#	13911	53456	13277	14940	15003	110587	5983	116570
2019-20**	16050	53498	13883	15318	17367	116116	6168	122284

सारणी –6

सकलघरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर (स्थिर कीमतों पर)

(प्रतिशत)

वर्ष	कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन, खनन तथा उत्खनन	विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा पानी की आपूर्ति	परिवहन संचार तथा व्यापार	बैंकिंग तथा बीमा अचल संपत्ति तथा आवास व्यवसाय सेवाओं का स्वामित्व	लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7
(आधार 1980-81)						
1981-82	8.3	5.1	7.7	6.3	0	5.9
1982-83	12.6	5.5	2.8	4.7	10.3	(-) 2.7
1983-84	11.5	2.9	9.5	4.5	3.1	5.3
1984-85	13.4	4.8	3.7	3.3	10.5	(-) 5.5
1985-86	13.1	29.4	8.8	5.3	7.3	13.8
1986-87	7.5	0.5	11.8	13	7.5	7
1987-88	13.7	13	3.2	5.3	18.1	0.9
1988-89	11.1	22.6	10.2	2.5	12.8	12.4
1989-90	22	(-) 8.0	3.7	18.1	10.4	10.1
1990-91	(-)0.8	19.3	4.5	2.9	2.1	3.8
1991-92	3.9	2.2	5.1	7.8	0.4	0.4
1992-93	0.9	12.1	8.9	6.7	3.5	5.6
(आधार 1993-94)						
1994-95	1.2	28.4	9.9	5.9	(-) 2.5	9.6
1995-96	2	10.1	7.1	0.5	9.3	6.2
1996-97	1.5	12.3	6.5	8	5.5	6.9
1997-98	1.6	4.5	10.9	3.3	17.1	6.4
1998-99	1.2	6.6	9.6	5.7	16.6	7.2
(आधार 1999-2k)						
2000-01	15.6	5.3	10.5	(-) 2.6	(-) 1.5	6.3
2001-02	8.5	4.7	8.3	6.7	(-) 1.5	5.2
2002-03	2.2	8.1	5.1	2.5	4.2	5.1
2003-04	11.6	6.4	7.8	15.5	3	8.1
(आधार 2004-05)						
2005-06	6.1	8.5	10.2	10.8	9.3	8.4
2006-07	(-) 0.6	13.6	6.8	15.9	12.9	9.1
2007-08	8.9	9.3	10.1	10.7	3.4	8.5
2008-09	(-) 0.8	9.5	15.4	4.5	8.4	7.4
2009-10	(-)10.2	13.6	11.2	15.8	11.9	8.1
2010-11	18.2	3.9	4.2	17.7	11.6	8.8
श्रृंखला (आधार 2011-12)						
2012-13	6.8	5.4	6.1	10.1	8.4	6.4
2013-14	9.7	6.8	13.6	5.7	0.6	7.1
2014-15	(-)3.1	9.7	10.6	10.3	7.4	7.5
2015-16	8.5	8.4	13.5	3.6	6.1	8.1
2016-17	(-)1.3	10.3	5.4	4.4	9.8	7
2017-18	(-)5.0	10.1	5	2.5	7.8	6.2
2018-19 (द्वितीय संशोधित अनुमान)	1.2	8	4.7	9.1	3.3	6.5
2019-20 (प्रथम संशोधित अनुमान)	15.4	0.1	4.6	2.5	15.8	4.9

स्त्रोत :–आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग

नोट : * निवल राज्य घरेलू उत्पाद।, #द्वितीय संशोधित अनुमान, **प्रथम संशोधित अनुमान,

राज्य सकल घरेलू उत्पाद व निवल राज्य घरेलू उत्पाद 1950–51 से 2010–11 तक कारक लागत पर।

स्त्रोत:–आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग

सारणी –7
हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं

वर्ष	कुल जनसंख्या (लाख में)	दश–वार्षिक विकास दर	लिंगानुपात (महिलाएं प्रति हजार पुरुष)	प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व	साक्षरता प्रतिशत	शहरी जनसंख्या प्रतिशत
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
1951	23.86	5.42	912	43	..	4.1
1961	28.12	17.87	938	51	21.27	6.3
1971	34.60	23.04	958	62	31.96	7.0
1981	42.81	23.71	973	77	42.48	7.6
1991	51.71	20.79	976	93	63.86	8.7
2001	60.78	17.54	968	109	76.48	9.8
2011	68.65	12.94	972	123	82.80	10.0

स्रोत:– भारत की जनगणना 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 तथा 2011.

सारणी –8
क्षेत्र, जनसंख्या, लिंगानुपात व घनत्व का जिलावार 2011 की जनगणना

जिला	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर		जनसंख्या		लिंगानुपात (महिलाएं प्रति हजार पुरुष)	प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व
1.	**2.**		**3.**		**4.**	**5.**
बिलासपुर	1,167	(2.10)	3,81,956	(5.56)	981	327
चंबा	6,522	(11.71)	5,19,080	(7.56)	986	80
हमीरपुर	1,118	(2.01)	4,54,768	(6.63)	1095	407
कांगड़ा	5,739	(10.31)	15,10,075	(22.00)	1012	263
किन्नौर	6,401	(11.50)	84,121	(1.23)	819	13
कुल्लू	5,503	(9.88)	4,37,903	(6.38)	942	80
लाहौल–स्पीति	13,841	(24.86)	31,564	(0.46)	903	2
मंडी	3,950	(7.09)	9,99,777	(14.56)	1007	253
शिमला	5,131	(9.22)	8,14,010	(11.86)	915	159
सिरमौर	2,825	(5.07)	5,29,855	(7.72)	918	188
सोलन	1,936	(3.48)	5,80,320	(8.45)	880	300
ऊना	1,540	(2.77)	5,21,173	(7.59)	976	338
हिमाचल प्रदेश	**55,673**	**(100.00)**	**68,64,602**	**(100.00)**	**972**	**123**

स्रोत:– भारत की जनगणना, 2011 जनगणना.

सारणी–9
लिंगानुपात ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या-2011 जनगणना

जिला	जनसंख्या								
	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
बिलासपुर	179653	177174	356827	13111	12018	25129	192764	189192	381956
चंबा	241963	241009	482972	19357	16751	36108	261320	257760	519080
हमीरपुर	200748	222590	423338	16322	15108	31430	217070	237698	454768
कांगड़ा	705365	718429	1423794	45226	41055	86281	750591	759484	1510075
किन्नौर	46249	37872	84121	0	0	0	46249	37872	84121
कुल्लू	203269	193243	396512	22183	19208	41391	225452	212451	437903
लाहौल–स्पीति	16588	14976	31564	0	0	0	16588	14976	31564
मंडी	466050	471090	937140	32015	30622	62637	498065	501712	999777
शिमला	314295	298364	612659	110744	90607	201351	425039	388971	814010
सेरमौर	246175	226515	472690	30114	27051	57165	276289	253566	529855
सोलन	249736	228437	478173	59018	43129	102147	308754	271566	580320
ऊना	240254	236006	476260	23438	21475	44913	263692	257481	521173
हिमाचलप्रदेश	**3110345**	**3065705**	**6176050**	**371528**	**317024**	**688552**	**3481873**	**3382729**	**6864602**

स्रोत:– भारत की जनगणना-2011

सारणी –10
मुख्य फसल का उत्पादन

('000 टन में)

फसलें	2018-19	2019-20	2020-21 (अनंतिम)	2021-22 (लक्ष्य)
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
खाद्यान्न (अनाज एंव दाले)				
क. अनाज				
1. चावल	146.68	143.66	135.20	135.50
2. मक्का	771.11	729.73	762.00	762.00
3. रागी	1.82	2.06	2.55	2.40
4. छोटे अनाज	4.12	4.77	4.50	4.50
5. गेहूँ	682.63	627.96	672.00	672.00
6. जौ	32.08	30.83	35.30	35.50
कुल–अनाज	**1638.44**	**1539.01**	**1611.55**	**1611.90**
ख. दालें				
1. चना	0.40	0.42	0.45	0.45
2. अन्य दालें	53.60	54.80	62.72	63.00
कुल दालें	**54.00**	**55.22**	**63.17**	**63.45**
कुल– खाद्यान्न	**1692.44**	**1594.24**	**1674.72**	**1675.35**
वाणिज्यिक फसलें				
1. आलू	186.80	196.71	196.30	196.50
2. सब्जियाँ	1722.14	1860.67	1658.00	1850.00
3. अदरक	33.74	33.99	34.40	34.50

स्रोत– कृषि निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

सारणी –11
पोषक तत्वों के सेवन में उर्वरकों का योगदान

(मीट्रिकटन)

वर्ष / जिला	खरीफ (एन+पी+के)	रबी (एन+पी+के)	कुल (एन+पी+के)
1	2	3	4
2014-2015	19388	33667	53055
2015-2016	23742	33838	57580
2016-2017	22063	34428	56491
2017-2018	21156	36404	57560
2018-2019	21690	35865	57555
2019-2020	**25898**	**35880**	**61778**
जिलावार			
बिलासपुर	1115	1118	2233
चंबा	977	368	1345
हमीरपुर	1591	797	2388
कांगड़ा	4214	5867	10081
किन्नौर	135	170	305
कुल्लू	2190	4502	6692
लाहौल–स्पीति	707	223	930
मंडी	3220	3847	7067
शिमला	3347	10539	13886
सिरमौर	1764	2332	4096
सोलन	2514	1331	3845
ऊना	4124	4786	8910

स्रोत :– कृषि निदेशालय हिमाचल प्रदेश

सारणी –12
जिला–वार अमली जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल
(2015-16 कृषि गणना)

जिला	संख्या	क्षेत्रफल(हैक्टर)
1.	**2.**	**3.**
बिलासपुर	59201	49073
चंबा	72221	54866
हमीरपुर	75950	72943
कांगड़ा	235735	197091
किन्नौर	10983	13684
कुल्लू	77163	39974
लाहौल–स्पीति	4267	6710
मंडी	160500	124429
शिमला	121971	118893
सिरमौर	51815	98095
सोलन	55609	85335
ऊना	71394	83133
हिमाचल प्रदेश	**996809**	**944226**

स्रोत–भू-अभिलेख निदेशालय हिमाचल प्रदेश

सारणी –13
पशुधन तथा कुक्कट

(हजारों में)

वर्ग	2003	2007	2012	2019
1.	2.	3.	4.	5.
क .पशुधन				
1. मवेशी	2,196	2,269	2,149	1828
2. भैंस	773	762	716	647
3. भेड़	906	901	805	791
4. बकरियाँ	1,116	1,241	1,119	1108
5. घोड़ा तथा छोटा घोड़ा	17	13	15	9
6. खच्चर तथा गधा	33	26	31	25
7. सूअर	3	2	5	2
8. अन्य पशुधन	2	2	4	3
कुलपशुधन	5,046	5,216	4,844	4413
ख .कुक्कट	764	809	1,104	1342

स्रोत–पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

सारणी –14
मुख्य एंव गौण वन उपज का उत्पादन व मूल्य

वर्ष	मुख्य उत्पाद		गौण उत्पाद वनोपज (₹'000 में मूल्य)		
	इमारती लकड़ी ('000 घन मीटर)	ईंधन (टन)	बिरोजा	चारा व चराई	अन्य उत्पाद
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2009-10	228.0	130	56,117	1,070	49,171
2010-11	245.4	143	1,03,258	881	1,17,738
2011-12	146.1	18	1,02,457	947	80,141
2012-13	207.1	33	76,278	918	1,68,374
2013-14	245.1	39	85,451	878	2,10,615
2014-15	242.9	775	83,262	1,035	2,29,280
2015-16	148.2	..	94,249	542	5,69,832
2016-17	225.1	..	84,434	382	4,37,722
2017-18	226.5	..	74,655	646	3,51,587
2018-19	187.6	50	58,809	401	4,14,361
2019-20	230.8	178	59,510	582	6,32,175

स्रोत:– वन विभाग, हिमाचल प्रदेश

*निकाले गए जलाऊ लकड़ी / लकड़ी का कोयला में भी शामिल है।

नोट:– औषधीय जड़ी–बूटियों का मूल्य अनुमानित है तथा इसमें पंचायतों के माध्यम से निकाली गई / बेची गई औषधीय जड़ी–बूटियाँ शामिल नहीं हैं।

सारणी –15
वनोंका क्षेत्रफल

(वर्ग किलोमीटर)

वर्ष	आरक्षित वन	संरक्षित वन	गैर वर्गीकृत वन	अन्य वन	वन विभाग के नियंत्रण के अधीन न आने वाले वन	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2008-09	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2009-10	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2010-11	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2011-12	1,896	33,123	886	370	758	**37,033**
2012-13	1,896	33,123	886	370	758	**37,033**
2013-14	1,898	33,123	886	369	750	**37,033**
2014-15	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2015-16	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**
2016-17	1,898	33,130	886	369	750	**37,033**

वर्ष	आरक्षित वन	संरक्षित वन	अन्य वन	वन विभाग के नियंत्रण के अधीन न आने वाले वन	कुल
2017-18	1,883	28,887	7,160	18	**37,948**
2018-19	1,883	28,887	7,160	18	**37,948**
2019-20	1,883	28,887	7,160	18	**37,948**

स्रोत:– वन विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी –16
उचित मूल्य की दुकानें

(31-12-2020 तक)

जिला	ग्रामीण	शहरी	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4**
बिलासपुर	229	9	**238**
चंबा	476	19	**495**
हमीरपुर	277	19	**296**
कांगड़ा	993	80	**1,073**
किन्नौर	65	0	**65**
कुल्लू	415	30	**445**
लाहौल–स्पीति	65	0	**65**
मंडी	745	46	**791**
शिमला	497	77	**574**
सिरमौर	313	27	**340**
सोलन	276	42	**318**
ऊना	277	24	**301**
हिमाचल प्रदेश	**4,628**	**373**	**5,001**

स्रोत:- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश.

सारणी –17
हिमाचल प्रदेश में तरल पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) उपभोक्ता

(31.12.2020 तक)

जिला	एस. बी. सी.	डी. बी. सी.	कुल
1.	**2.**	**3.**	4.
बिलासपुर	58,831	51,427	**1,10,258**
चंबा	82,992	35,920	**11,8,912**
हमीरपुर	62,755	84,943	**1,47,698**
कांगड़ा	2,91,084	2,27,111	**5,18,195**
किन्नौर	12,148	18,487	**30,635**
कुल्लू	59,788	90,782	**1,50,570**
लाहौल–स्पीति	2,572	6,354	**8,926**
मंडी	1,61,331	1,62,236	**3,23,567**
शिमला	77,236	1,69,154	**2,46,390**
सिरमौर	74,493	66,973	**1,41,466**
सोलन	66,077	1,35,660	**2,01,737**
ऊना	68,600	82,466	**1,51,066**
हिमाचलप्रदेश	**10,17,907**	**11,31,513**	**21,49,420**

स्रोत:- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश.

सारणी –18
हिमाचल प्रदेश में जिलावार पेट्रोल / डीजल की खुदरा दुकानें

(31.12.2020 तक)

जिला	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	हिन्दुतान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	अन्य	कुल
	2.	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
बिलासपुर	18	10	13	2	**43**
चंबा	11	3	4	0	**18**
हमीरपुर	17	5	12	1	**35**
कांगड़ा	54	21	17	1	**93**
किन्नौर	4	0	2	0	**6**
कुल्लू	13	4	4	1	**22**
लाहौल–स्पीति	2	0	0	0	**2**
मंडी	33	6	15	1	**55**
शिमला	21	4	19	0	**44**
सिरमौर	14	6	7	1	**28**
सोलन	34	16	17	2	**69**
ऊना	34	12	16	0	**62**
हिमाचलप्रदेश	**255**	**87**	**126**	**9**	**477**

स्रोत:- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश.

सारणी –19
गैस अभिकरणों का जिलावार / कंपनी वार विवरण

(31.12.2020 तक)

जिला	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	हिन्दुतान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	आई. बी. पी. सी.	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	6.
बिलासपुर	10	0	4	0	**14**
चंबा	6	2	1	0	**9**
हमीरपुर	9	0	0	0	**9**
कांगड़ा	23	2	10	0	**35**
किन्नौर	5	0	1	0	**6**
कुल्लू	7	5	2	0	**14**
लाहौल–स्पीति	2	1	0	0	**3**
मंडी	18	3	2	0	**23**
शिमला	24	3	2	0	**29**
सिरमौर	13	1	2	0	**16**
सोलन	11	2	5	1	**19**
ऊना	8	2	2	0	**12**
हिमाचलप्रदेश	**136**	**21**	**31**	**1**	**189**

स्रोत:- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश.

सारणी –20
सहकारिता

मद	2017-18	2018-19	2019-20
1.	2.	3.	4.
I. संस्थायें (संख्या):			
कृषि	2129	2132	2132
गैर–कृषि	2654	2659	2662
शहरी बैंक	5	5	5
राज्य तथा केंद्रीय बैंक	4	4	4
अन्य माध्यमिक संस्थायें	40	40	40
II. सदस्यता('000)			
कृषिसंस्थायें	1206	1262	1256
गैर–कृषिसंस्थायें	379	287	311
शहरी बैंक	26	27	28
राज्य तथा केंद्रीय बैंक	117	119	136
अन्य माध्यमिक संस्थायें	4	4	4
III. कार्यशील पूंजी (₹लाखों में)			
कृषिसंस्थायें	581287.66	614600.74	672018.51
गैर–कृषिसंस्थायें	382997.65	723145.11	137365.50
शहरी बैंक	109466.58	117651.63	132062.56
राज्य तथा केंद्रीय बैंक	2513363.21	2715712.78	2921275.11
अन्य माध्यमिक संस्थायें	3932.18	4214.21	5003.80
कुल	3591047.28	4175324.47	3867725.48
IV. दिए गए ऋण (₹लाखों में)			
कृषिसंस्थायें	80685.00	80685.00	83000.21
गैर–कृषिसंस्थायें	38703.88	38703.88	7563.53
शहरी बैंक	75590.24	75590.24	29046.43
प्राथमिक भूमि बंधक बैंक			
तथाराज्य तथा केंद्रीय बैंक	484050.95	771039.79	473160.77
V. बकाया ऋण (₹लाखों में)	117706.03	130745.34	139751.19
कृषिसंस्थायें	30132.18	35142.18	34400.60
गैर–कृषिसंस्थायें	56037.79	14538.12	77997.77
शहरी बैंक			
प्राथमिक भूमि बंधक बैंक			
तथाराज्य तथा केंद्रीय बैंक	869776.13	1895197.86	1065673.26

स्रोत:- सहकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश.

सारणी –21
विद्युत उत्पादन एवं खपत (मीट्रिक इकाई)

क्र0सं0	मद्	2018-19	2019-20	2020-21 (अक्तूबर, 2020तक)
1	2	3	4	5
1	उत्पादित विद्युत	1955.50	2246.181	1791.860 (दिसम्बर , 2020तक)
2	बी.बी.एम.बी. तथा अन्य राज्यों से क्रय की गई विद्युत	12282.50	12063.327	7101.296
3	राज्य में खपत की गई विद्युत	9040.86	9123.991	5197.694
क	घरेलू	2105.77	2193.693	1450.225
ख	गैर घरेलू गैर व्यावसायिक	158.63	159.685	69.539
ग	व्यावसायिक	614.56	623.00	301.644
घ	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	10.37	10.745	6.490
ङ	कृषि	62.98	56.728	47.553
च	उद्योग	5334.65	5322.870	2841.769
छ	सरकारी सिचाई एवं पेयजल योजना	565.73	560.467	376.848
ज	अस्थाई आपूर्ति	37.52	45.878	27.170
झ	बल्क तथा विविध	150.64	150.924	76.456
4	राज्य के बाहर	3686.82	3545.560	3251.261
	कुल खपत/वेची गई	**12727.68**	**12669.551**	**8448.955**

स्रोत:- राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश.

सारणी –22
फलों के उत्पादन का क्षेत्रफल

(हेक्टेयर)

वर्ष	सेब	अन्य शीतोष्ण फल	मेवे तथा सूखे फल	नींबू प्रजाति	अन्य उप उष्णकटिबंधीय फल	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	7.
2005-06	88,560	25,533	11,210	20,730	45,635	**1,91,668**
2006-07	91,804	26,086	11,328	21,118	47,109	**1,97,445**
2007-08	94,726	26,341	11,181	21,373	46,881	**2,00,502**
2008-09	97,438	26,546	11,096	21,588	47,961	**2,04,629**
2009-10	99,564	26,875	11,037	22,050	48,628	**2,08,154**
2010-11	1,01,485	27,091	11,022	22,305	49,392	**2,11,295**
2011-12	1,03,644	27,472	11,039	22,396	50,023	**2,14,574**
2012-13	1,06,440	27,637	10,902	22,809	50,515	**2,18,303**
2013-14	1,07,686	27,792	10,819	23,110	51,299	**2,20,706**
2014-15	1,09,553	27,900	10,621	23,704	52,574	**2,24,352**
2015-16	1,10,679	27,908	10,491	24,063	53,658	**2,26,799**
2016-17	1,11,896	28,163	10,364	24,475	54,304	**2,29,202**
2017-18	1,12,634	28,369	10,301	24,649	54,899	**2,30,852**
2018-19	1,13,154	28,414	10,194	24,869	55,508	**2,32,139**
2019-20	1,14,144	27,956	10,070	25,051	56,079	**2,33,300**

स्रोत:- बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी –23
फलों का उत्पादन

('000 टन)

वर्ष	सेब	अन्य शीतोष्ण फल	मेवे तथा सूखे फल	नींबू प्रजाति	अन्य उप उष्णकटिबंधीय फल	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	7.
2008-09	510.16	39.93	3.55	26.01	48.43	**628.08**
2009-10	280.11	37.08	2.81	28.14	34.10	**382.24**
2010-11	892.11	61.38	3.62	28.68	42.04	**1027.82**
2011-12	275.04	31.18	2.49	25.04	39.08	**372.82**
2012-13	412.39	55.02	2.81	24.32	61.16	**555.71**
2013-14	738.72	66.13	3.48	22.27	35.74	**866.34**
2014-15	625.20	43.61	2.41	22.17	58.55	**751.94**
2015-16	777.13	70.26	3.37	26.62	51.45	**928.83**
2016-17	468.13	51.50	2.99	28.05	61.21	**611.88**
2017- 18	446.57	45.15	3.38	26.85	43.35	**565.30**
2018-19	368.60	37.15	3.65	29.34	56.62	**495.36**
2019-20	715.25	49.85	4.24	32.11	43.97	**845.42**
2020-21 (दिसंबर , 2020 तक)	407.11	27.14	1.99	13.05	32.29	**481.58**

स्रोत:- बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी –24
हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी

31मार्च तक	नियमित	अंशकालिक कर्मचारी	वर्क चार्जड	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
2002	1,44,446	9,655	28,653	45,125
2003	1,47,039	13,163	29,205	38,774
2004	1,46,933	12,881	29,692	32,674
2005	1,45,556	12,357	29,345	31,763
2006	1,61,803	13,312	12,332	31,337
2007	1,74,388	13,219	6,185	21,242
2008	1,82,746	13,168	5,904	14,824
2009	1,89,065	13,050	2,167	11,908
2010	1,90,560	13,088	0	11,551
2011	1,87,604	11,639	0	10,170
2012	1,87,419	11,780	0	9,979
2013	1,84,761	8,153	0	12,337
2014	1,83,600	7,750	0	11,599
2015	1,82,049	6,312	0	11,512
2016	1,78,744	5,687	0	10,950
2017	1,77,338	4,666	0	10,578
2018	1,81,376	4,048	0	7,760
2019	1,81,231	3,334	0	7,253
2020	1,81,430(P)	3,619(P)	0	6,256(P)

नोट:–अनुबंध , तदर्थ तथा स्वयंसेवी कर्मचारी के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

स्रोत:–आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

P—अनंतिम

सारणी –25
पर्यटक आगमन वर्ष 2020

जिला	भारतीय	विदेशी	कुल
1.	**2.**	**3.**	**4.**
बिलासपुर	228596	0	**228596**
चंबा	270650	192	**270842**
हमीरपुर	71763	0	**71763**
कांगड़ा	217827	9921	**227748**
किन्नौर	2280	111	**2391**
कुल्लू	763379	7080	**770459**
लाहौल–स्पीति	15216	155	**15371**
मंडी	284146	405	**284551**
शिमला	599202	21111	**620313**
सिरमौर	340937	454	**341391**
सोलन	272089	3228	**275317**
ऊना	104629	8	**104637**
हिमाचल प्रदेश	**3170714**	**42665**	**3213379**

स्रोत:–पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश

सारणी –26
शिक्षा

कार्यरत शैक्षणिक संस्थानों की संख्या	2020-21 दिसंबर 2020 तक
1.	2.
1. प्राथमिक	10,716
2. माध्यमिक	2,016
3. उच्च विद्यालय	932
4. उच्च माध्यमिकविद्यालय	1,869
5. डिग्री महाविद्यालय*	139
कुल	**15,672**

1 एन.सी.ई.आर.टी. महाविद्यालय सोलन शामिल , 1 बी.एड. महाविद्यालय धर्मशाला, 1 ललित कला महाविद्यालय तथा 7 संस्कृत महाविद्यालय

स्रोत:–शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश ।

सारणी –27
चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य

मद	2018-19	2019-20	2020-21 (दिसंबर, 2020 तक)
1.	2.	3.	4.
1.एलोपैथिक संस्थान			
(i) संस्थानों की संख्या			
(क)अस्पताल	94	98	99
(ख)सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	94	92	91
(ग)प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	586	588	574
(घ) ईएसआई डिस्पेंसरी	16	16	16
कुल	**790**	**794**	**780**
(ii) उपलब्ध बिस्तर	14,295	14,587	14533
2. आयुर्वेदिक संस्थान			
(i) संस्थानों की संख्या			
(क) अस्पताल	33	33	36
(ख) नेचर क्योर अस्पताल	1	2	1
(ग) औषधालय / स्वास्थ्य केंद्र	1,178	1,182	1182
(घ) आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट	3	3	3
(ङ) अनुसंधान संस्थान	1	1	1
कुल	**1,216**	**1221**	**1220**
(ii)आयुर्वेदिक संस्थानों में उपलब्ध बिस्तर	941	941	941
3. युनानी औषधालयों की संख्या	**3**	**3**	**3**
4. होम्योपैथी औषधालयों की संख्या	**14**	**14**	**14**

स्रोत:–स्वास्थ्य एवंपरिवार कल्याण तथा आयुर्वेद निदेशालय, हिमाचल प्रदेश।

सारणी –28
सड़कें

(किलोमीटर में)

सड़क के प्रकार	2019-20	2020-21 (30.11.2020 तक)
1.	2.	3.
1.फोर लेन	102	102
2.दोहरी सड़कें	2079	2083
3. एकहरी सड़कें	35443	36285
4. जीप चलने योग्य सड़कें	1128	805
5. जीप चलने अयोग्य सड़कें	723	723
कुल	**39475**	**39998**

स्रोत:– लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश।

नोट:– आंकड़ों में राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं।

सारणी –29
राष्ट्रीय सड़क परिवहन

वर्ष	मोटर वाहनों की संख्या							संचालित मार्गों की संख्या	परिचालित की गई दूरी ('000 किलोमीटर)
	बसें	संलग्न बसें	इलेक्ट्रिक बसें	टैक्सियां	इलेक्ट्रिक टैक्सी	अन्य	कुल		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2010-11	1,979	17	0	0	0	97	2,093	2,148	1,65,546
2011-12	2,024	0	0	0	0	93	2,117	2,048	1,65,417
2012-13	2,091	0	0	0	0	54	2,145	2,077	1,66,503
2013-14	2,054	33	0	0	0	52	2,139	2,142	1,71,647
2014-15	2,447	33	0	0	0	50	2,530	2,225	1,79,396
2015-16	2,645	34	0	0	0	85	2,764	2,325	1,88,292
2016-17	3,105	53	0	0	0	77	3,235	2,573	2,11,519
2017-18	3,110	62	0	0	0	86	3,258	2,723	2,27,767
2018-19	3,078	69	40	21	50	92	3,350	2,833	2,31,155
2019-20	3,093	76	75	21	50	95	3,410	2,953	2,22,646
2020-21 जून से दिसम्बर, 2020 तक	3,161	34	75	21	50	92	3,433	3,719	40,482

स्रोत:– हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला।

सारणी –30
हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

वर्ष/माह	औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार : 2016 = 100	
	सामान्य सूचकांक	खाद्य सूचकांक
1.	2.	3.
2016*	242	269
2017*	254	284
2018*	261	278
2019 *	274	287
20		
जनवरी*	282	300
फरवरी*	280	296
मार्च*	281	297
अप्रैल*	282	299
मई*	280	294
जून*	282	298
जुलाई*	288	309
अगस्त*	291	310
सितंबर	120.8	
अक्टूबर	122.1	
नवंबर		
दिसंबर		

स्रोत:– श्रम ब्यूरो भारत सरकार

* आधार वर्ष 2001 = 100

सारणी –31
थोक मूल्य के भारतीय सूचकांक

मद	(आधार : 2011-12=100)		
	2017-18	**2018-19**	**2019-20**
1.	2.	3.	4.
सभी वस्तुएं	**114.9**	**120.0**	**121.18**
I. मुख्य सामग्री :	**130.6**	**134.2**	**143.2**
(क)खाद्य सामग्री :	143.2	143.7	155.7
(ख)गैर–खाद्यसामग्री :	119.6	123.1	128.7
(ग)खनिज	122.5	136.5	155.9
II. ईंधन, बिजली, प्रकाश तथा स्नेहक	**93.3**	**104.1**	**102.4**
III. विनिर्मित उत्पाद	**113.8**	**117.9**	**118.3**
(क) खाद्य उत्पादों	127.4	128.6	133.8
(ख) पेय पदार्थ, तंबाकू तथा तंबाकू उत्पाद	118.9	120.7	123.5
(ग) वस्त्र	113.4	117.9	117.8
(घ) लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	131.5	133.5	133.7
(ङ)कागज एवं कागज के उत्पादों	118.9	123.3	121.1
(च) चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	120.1	121.8	118.6
(छ)रबर एवं प्लास्टिक के उत्पाद	107.6	109.6	108.4
(ज)रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	112.5	119.1	117.5
(झ)गैर–धात्विक खनिज उत्पाद	112.7	115.9	116.6
(ञ)मुख्य धातु, मिश्र धातु एवं धातु उत्पाद	101.4	112.2	106.2
(ट)बिजली मशीनों सहित मशीनें एवं उनके पुर्जे	108.9	111.3	113.1
(ठ)परिवहन उपकरण एवं पुर्जे	110.2	111.6	117.9

स्रोत:–वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी –32
अपराध की घटनाएं

जिला / अन्य	2016	2017	2018	2019	2020
1.	2	3	4	5	6
बिलासपुर	1188	1232	1409	1460	1562
चंबा	936	985	1061	1183	1300
हमीरपुर	851	858	950	938	1102
कांगड़ा	3436	3386	3649	3841	3850
किन्नौर	266	292	317	338	416
कुल्लू	1093	1213	1403	1639	1585
लाहौल–स्पीति	153	160	172	141	83
मंडी	2399	2483	2710	2917	3308
शिमला	2693	2474	2911	2674	2704
सिरमौर	1086	1194	1363	1402	1260
सोलन	940	1021	1112	1005	1033
ऊना	1346	1657	1613	1320	1329
रेलवे एवं ट्रैफिक	12	11	13	13	10
सी.आई.डी.	28	28	20	82	37
बद्दी	822	805	886	961	1045
पी.एस. साइबर अपराध	0	5	5	10	06
हिमाचलप्रदेश	**17249**	**17804**	**19594**	**19924**	**20630**

स्रोत:– पुलिस विभाग, हिमाचल प्रदेश.

सारणी –33
योजना परिव्यय

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विकास के मुख्य /लघु मद	स्वीकृत परिव्यय (2020–21)
1	2	3
I	आर्थिक सेवाएं कृषि तथा संबद्ध सेवाएँ	
	1.कृषि	121.24
	2.बागवानी	175.86
	3.मृदा तथा जल संरक्षण	77.60
	4.पशुपालन	53.31
	5.डेयरी विकास	17.98
	6.मत्स्य	12.30
	7.वानिकी तथा वन्यजीव	286.82
	8.कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	211.22
	9. सहकारिता	1.49
	10. बागवानी विपणन	16.47
	कुल -I	974.29
II	ग्रामीण विकास	
	1. डीआरडीए प्रशासन	0.96
	2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	5.00
	3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी।.	135.00
	4. एनआरएलएम	3.00
	5. डीडीयू–जीकेवाई	7.68
	6. राष्ट्रीय आर–शहरी मिशन	4.00
	7.पी एम के एस वाय (डब्लू डी सी)	2.50
	8.राष्ट्रीय बांस मिशन	0.02
	9.भूमि सुधार	19.06
	10.समुदाय विकास तथा पंचायतें	79.17
	कुल -II	256.39
III	विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	27.78
	कुल -III	27.78

जारी.....

सारणी–33 ...

(₹करोड़ में)

1	2	3
IV	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	
	1. प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई	86.00
	2. लघु सिंचाई	302.05
	3. कमांड एरिया डेवलपमेंट	50.00
	4. बाढ़ नियंत्रण	70.00
	कुल - IV	508.05
V	ऊर्जा	
	1. ऊर्जा	489.00
	2. ऊर्जा के गैर–पारंपरिक स्त्रोत	10.57
	कुल - V	499.57
VI	उद्योग तथा खनिज	
	1. ग्राम तथा लघु उद्योग	72.41
	2. अन्य उद्योग (वि एस आई के अलावा)	6.51
	3. खनिज	0.55
	कुल - VI	79.47
VII	परिवहन	
	1. नागर विमानन	12.50
	2. सड़कें तथा पुल	1246.81
	3. सड़क परिवहन	85.31
	4. रेल परिवहन	50.00
	5. परिवहन सेवाओं के अलावा अन्य	0.27
	कुल -VII	1394.89
VIII	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	
	1 .वैज्ञानिक अनुसंधान	12.23
	2. पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	1.96
	3. सूचना प्रौद्योगिकी	27.00
	कुल - VIII	41.19
IX	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	
	1. सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	18.00
	2. उत्पाद शुल्क तथा कराधान	8.00
	3. पर्यटन	56.07
	4. नागरिक आपूर्ति	14.72
	5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	18.00
	6. वजन तथा माप	0.02
	7. जिला योजना / जिला परिषद	367.46
	कुल -IX	482.27

जारी.....

सारणी –33

(₹करोड़ में)

1	2	3
X	B. सामाजिक सेवाएं	
	1. सामान्य शिक्षा	
	a) प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता	471.16
	b)उच्च / माध्यमिक शिक्षा	445.63
	2. तकनीकी शिक्षा	229.10
	3. खेल एवं युवा सेवाएं	19.65
	4. कला एवं संस्कृति	32.77
	5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	600.83
	6. जल आपूर्ति स्वच्छता	644.81
	7. आवास सहित पुलिस आवास	165.55
	8. शहरी विकास	212.78
	9. सूचना एवं प्रचार	0.88
	10. एससी, एसटी एवं ओबीसी का कल्याण	220.74
	11. श्रम एवं रोजगार	2.53
	12. महिला एवं बाल विकास	361.81
	13. पोषण	79.00
	कुल -X	3487.24
XI	C. सामान्य सेवाएं	
	1. जेल	9.00
	2. लोक निर्माण	68.84
	3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	71.02
	कुल -XI	148.86
	कुल योग	7900.00

स्रोत: – योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश .....अंत

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
ब्लॉक नंबर 38, एस.डी.ए. कॉम्प्लेक्स कसुम्पटी शिमला
पिन कोड : 171009
फोन एवं फैक्स. +91–177–2626302
www.himachalservices.nic.in/economics
ईमेल : ecostat–hp@nic.in